द्वादश माला, खंड 9, अंक 12

गुरुवार, 11 मार्च, 1999
20 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

No. 59
Date 18-11-99

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती किरण साहनी
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री प्रेमलाल बमराड़ा
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 12, गुरूवार, 11 मार्च, 1999/20 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 221, 222, 224 और 225		1–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 223 और 226 से 240		29–68
अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 से 2508		68–259
सभा पटल पर रखे गए पत्र		259–262
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*		262
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
तिरेपनवां प्रतिवेदन - *सभा पटल पर रखा गया*		263
नियम 377 के अधीन मामले		307–314
(एक)	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में धर्मशाला बाजार में प्रस्तावित रेल उपरिपुल के शीघ्र निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आदित्यनाथ	307
(दो)	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने में लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील	308
(तीन)	मध्य प्रदेश के रीवा में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	308
(चार)	राजस्थान में रूपाहैली में प्रस्तावित जिंक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामपाल उपाध्याय	309
(पांच)	राजस्थान में बूंदी और अजमेर को रेलमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता	
	श्री रामनारायण मीणा	310

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(छः)	चुआर विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर रानी शिरोमणि के कर्णगढ़ महल को मान्यता देने और इस अवसर पर एक स्मृति डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ	310
(सात)	उत्तर प्रदेश में कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रदीप कुमार यादव	311
(आठ)	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में बेचे जा रहे ट्रांसजीन बिनौलों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री के.पी. मुनूसामी	312
(नौ)	लद्दाख क्षेत्र का समग्र विकास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सैयद हुसैन	313
(दस)	उड़ीसा के बालासौर और भद्रक जिलों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी	313
(ग्यारह)	राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य मार्ग से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में पुणे में उप-मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विट्ठल तुपे	314
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		315–426
	श्रीमती सुषमा स्वराज	315–328
	श्री अजित कुमार पांजा	328–346
	श्री शरद पवार	346–375
	श्री सी. श्रीनिवासन	404–406
	श्री सोमनाथ चटर्जी	406–426
सभा के कार्य के बारे में उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा		431–432

लोक सभा

गुरुवार, 11 मार्च, 1999/20 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस का पुनरूद्धार

*221. **श्री सुनील खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी यूनियनों के परामर्श से इंडियन एयरलाइंस के पुनरूद्धार हेतु एक पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पैकेज तैयार करते समय केलकर समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 13.02.95 को इंडियन एयरलाइंस को हुए घाटे के कारणों तथा प्रतिस्पर्धात्मक विपणन माहौल के परिप्रेक्ष्य में इंडियन एयरलाइंस में पूर्व स्थिति बहाली के प्रतिपादन की व्यापक जांच करने के लिए डा. विजय केलकर, तत्कालीन अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केलकर समिति ने एक दो चरण में वित्तीय रणनीति की सिफारिश की। प्रथम चरण में, समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सम्बन्ध निम्न से है:-

(1) वित्तीय पुनर्गठन जिसमें क्षतिपूर्ति अधीनवर्ती ऋण, इक्विटी और इंडियन एयरलाइंस तथा इसके कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता राशि के रूप में 922 करोड़ रुपए का लगाया जाना शामिल है। इसमें 475 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिया जाना है।

(2) विमान बेड़ा योजना।

(3) मार्ग युक्तिकरण।

(4) मानव संसाधन प्रबंधन।

द्वितीय चरण में, मार्किट से निधियां जुटाने के लिए कंपनी एक इनीशियल पब्लिक औफरिंग (आई.पी.ओ.) कार्यान्वित करेगी। चरण-2 के क्रियान्वयन के पश्चात् इंडियन एयरलाइंस की शेयर धारक संरचना निम्न रूप से होगी:-

भारत सरकार	49.0 प्रतिशत
इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी	10.6 प्रतिशत
पब्लिक	40.4 प्रतिशत
कुल	100.0 प्रतिशत

सरकार अभी भी सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न के भाग (क) का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। महोदय प्रश्न के भाग (क) का उत्तर जी नहीं है, क्यों? मंत्री महोदय, आप वह दिन याद कीजिए जब आप कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे, मैं भी उसी विमान में एक बार नहीं बल्कि दो बार आपके साथ था। विमान की उड़ान में विलम्ब हुआ था जिसकी वजह से, विमान में चढ़ने के पश्चात् आप कर्मचारियों की मदद से विमान से उतर गए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 43क का अनुसरण किया अथवा नहीं। क्या कर्मचारियों का इंडियन एयरलाइंस के पुनरूद्धार के लिए प्रबंधन में भागीदारी नहीं होनी चाहिए?

दूसरे, केलकर समिति ने इंडियन एयरलाइंस के नुकसान की व्यापक जांच की है परन्तु मंत्री महोदय अभी भी इंडियन एयरलाइंस का पुनरूद्धार संबंधी कार्य नहीं करा रहे हैं। यदि कंपनी की वर्तमान नीतियों को चले रहने दिया गया तो कंपनी रुग्णता की समस्या का सामना करेगी। दूसरी ओर कंपनी द्वारा 12 बोइंग 737 विमान प्राप्त किए गए हैं जोकि पुराने हैं और जिन्हें तुरंत आधुनिकतम विमानों से बदलने की जरूरत है। इसके विपरीत 10 एयरबस ए-300 भी बहुत पुरानी हो गए हैं जिन्हें तुरन्त बदले जाने की जरूरत है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इंडियन एयरलाइंस का पुनरूद्धार करने जा रहे है या नहीं। मंत्री महोदय जब इस प्रश्न का उत्तर देगें तब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अनंत कुमार : महोदय, इंडियन एयरलाइंस की पुनर्संरचना के बारे में, कर्मचारी संघों के साथ बातचीत करने एवं केलकर समिति की सिफारिशों तथा इंडियन एयरलाइंस की पुनर्संरचना के संबंध में केलकर समिति ने कर्मचारी संघों के साथ चार बैठकें की हैं।

दूसरे, अपनी सिफारिशों में केलकर समिति ने बताया है कि जब हम इंडियन एयरलाइंस के संबंध में 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करते हैं तो सरकार के पास 49 प्रतिशत शेयर होने चाहिए तथा समिति ने सिफारिश की कि 10.6 प्रतिशत इक्विटी कर्मचारियों के पास भी रखी जानी चाहिए।

तीसरे, इंडियन एयरलाइंस की पुनर्संरचना तथा बेड़े के उन्नयन के संबंध में यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिस पर कार्य चल रहा है।

श्री सुनील खां : यदि इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा 10.6 प्रतिशत की इक्विटी रखी जानी चाहिए तो मंत्री जी कर्मचारियों से परामर्श क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री महोदय, आप इंडियन एयरलाइंस को निजी क्षेत्र में जाने की अनुमति दे रहे हैं। आप जनता के लिए 40.4 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति दे रहे हैं इस तरह से आप इंडियन एयरलाइंस को एक निजी कंपनी बनाने जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस को निजी क्षेत्र में लाने का सरकार का यह पहला कदम है। क्या यह सही है?

श्री अनंत कुमार : यह प्रश्न पूरा हो जाए तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री सुनील खां : मैंने पूरक प्रश्न पूछा है जनता को 40.4 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति दी गई। कर्मचारियों से परामर्श क्यों नहीं किया गया?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कर्मचारियों से परामर्श किया गया अथवा नहीं। यही उनका पूरक प्रश्न है।

श्री अनंत कुमार : मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्री केलकर की कर्मचारियों के साथ बातचीत के चार दौर हुए थे।

जब वे चेयरमैन थे तो उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के पुनर्गठन हेतु बैठकें की।

दूसरे, यह इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण नहीं है यह इंडियन एयरलाइंस का वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन है। हम विनिवेश कर रहे हैं। हम 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर विनिवेश कर रहे हैं। इसमें से 10.6 प्रतिशत शेयर कर्मचारियों को देने की सिफारिश की गई है तथा बाकी को विभिन्न वित्तीय संस्थागत विनिवेशकों के पास उपयुक्त रूप से विनिवेश किया जायेगा।

श्री पी. शिवशंकर : विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश का प्रमुख शहर एवं राजनैतिक केन्द्र है। राजामुद्री एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। एयरलाइनें विजयवाड़ा एवं राजामुद्री में भी संचालन कर रही हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय ने कर्मचारी संघ के साथ परामर्श करके एयरलाइनों के सतत् उपयोग के प्रयोजन हेतु इन दोनों स्थानों का पुनरूद्धार किया है। उसका परिणाम क्या रहा? क्या इन दोनों स्थानों पर शीघ्र ही एयरलाईनों को शुरू किया जा रहा है?

श्री अनंत कुमार : विजयवाड़ा एवं राजामुद्री में हवाई अड्डा।

श्री पी. शिवशंकर : विजयवाड़ा एवं राजामुन्द्री में एयरलाइनें एवं हवाई अड्डा।

श्री अनंत कुमार : विजयवाड़ा हवाई अड्डे के संबंध में, हमारा उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है। हमें राज्य सरकार की सहायता भी मिली है। मेरा मानना है जुलाई के अंत तक हमारा उन्नयन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। यहां तक कि विमान पट्टी (रनवे) की सतह का पुनः निर्माण कार्य तथा अन्य कार्य चल रहे हैं, तथा यह भी तैयार हो जाएगा।

राजामुन्दी के बारे में, मैं उन्नयन योजना की जांच करने को तैयार हूं।

श्री पी. शिवशंकर : यह काफी समय से चल रहा हैं। उनको कुछ दिलचस्पी लेनी चाहिए। कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। राजामुन्दी व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वह राजामुन्द्री का निर्माण कार्य भी शुरू करेंगे।

श्री अनंत कुमार : मैं राजामुन्द्री के संबंध में वरिष्ठ माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि राजामुन्द्री वाणिज्यिक दृष्टि से तथा अन्य तरह से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र है। अत: हम समग्र मामले पर विचार करेंगे।

श्री अजित कुमार पांजा : पहले, वर्ष 1985 में योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि सर्वोच्च बोर्ड स्तर पर फैक्टरी स्तर पर तथा संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। जहां तक इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया का संबंध है क्या योजना आयोग के परामर्श को कार्यान्वित कर लिया गया है?

दूसरे, जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी हवाई अड्डे सहित कलकत्ता हवाई अड्डे एवं बागडोगरा हवाई अड्डे का संबंध है, मैं हवाई अड्डों के सुधार करने हेतु माननीय मंत्री महोदय को मुबारकवाद देता हूं। परन्तु कुछ ही विदेशी एयरलाइंस इन स्थानों को छूती है। यदि इन स्थानों के लोग सुदूर-पूर्व जाना चाहते हैं तो उन्हें जापान अथवा सिंगापुर जाने के लिए दिल्ली से उड़ान लेनी पड़ती है। क्या माननीय मंत्री महोदय पूर्वी भाग की ओर जाने के लिए कलकत्ता तथा गुवाहाटी से और विदेशी एयरलाइनें शुरू करने पर विचार करेंगे, विशेषकर तब जब उन्होंने इतने अच्छे हवाई अड्डे बनवाये हैं? चाहे दिल्ली के यात्रियों को कलकत्ता जाना पड़े जहां से उड़ान शुरू होंगी। इससे इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की लागत में काफी बचत होगी।

तीसरे, क्या माननीय मंत्री खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे क्योंकि खाने की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो चुकी है। कृपया खाने की समस्या पर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। उन अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का प्रयास करें जो खान-पान विभाग के प्रभारी है, मैं समझता हूं कि वह युवा शक्ति जो कि उनके पास उपलब्ध है, से इस कार्य को करने में सक्षम होंगे।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य को अभिनंदन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। कलकत्ता हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है तथा हमने बहुत से देशों को अवतरण अधिकार दिये हैं। अत: कई देशों कि नामित एयरलाइनें कलकत्ता से जिस क्षेत्र के लिए भी वे उड़ान भरना चाहती हैं विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए उड़ान भरने हेतु मुक्त हैं। जहां तक गुवाहाटी हवाई अड्डे का संबंध है, विमानपत्तन आधारभूत सुविधा संबंधी हमारे आधारभूत नीति पत्र में, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि गुवाहाटी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में नामित किए जाने की सभी अर्हता को पूरा करता है। एक बार जैसे ही इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा मिला जाएगा तो उसके बाद विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अपनी सेवाएं गुवाहाटी से भी अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए शुरू कर सकती हैं। आज भी गुवाहाटी में एक बड़ा उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है और मेरा विचार है कि यह जल्दी ही पूरा हो जाएगा।

जहां तक प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी के संबंध में कर्मचारी संघों से परामर्श करने का संबंध है, केलकर समिति ने चर्चा के चार दौर पूरे किए। यहां तक कि इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक मंडल ने प्रमुख कर्मचारी संघ अर्थात् एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के साथ 22.6.98 को चर्चा की और इंडियन एयरलाइन के पुनर्गठन एवं विनिवेश के बारे में ब्यौरा दिया। 10.6 प्रतिशत तक कर्मचारियों की इक्विटी भागीदारी की सिफारिश के अनुसार इक्विटी और प्रबन्धन दोनों में भागीदारी हो सकती है और इसे उसमें दर्शाया जा सकता है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में आज के लिए पांचवे प्रश्न के रूप में अलग से एक प्रश्न रखा गया है। अतएव, मैं इस पूरक प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न का उत्तर देते समय दूंगा।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई : अध्यक्ष महोदय, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में, मैं भी महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री को कुछ एहतियाती उपाय करने चाहिए क्योंकि यह पता करना बहुत कठिन है कि इंडियन एयरलाइन्स में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ उड़ान के दिन ही तैयार किए जाते हैं या उसके एक दिन पहले।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आज की सूची में दिए गए पांचवें प्रश्न से संबंधित है।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, आज की सूची में पांचवें प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जाना संभव नहीं हैं। इसलिए, आप कृपया माननीय सदस्य को अभी बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री बी.एम. मेनसिंकाई : महोदय, दिल्ली से हुबली के लिए कोई सीधी विमान सेवा नहीं है। इसलिए, दिल्ली से मेरे

गांव हवेरी जाने के लिए हमें लगभग ढाई घंटे की यात्रा करके बैंगलोर पहुंचना पड़ता है तथा बैंगलोर से सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। हवेरी और हुबली पहुंचने में हमें लगभग आठ घंटे लगते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बैंगलोर से हुबली के लिए प्रतिदिन विमान सेवा शुरू करने की कृपा करेंगे।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, इस प्रश्न का संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है। यह विमान सेवा से संबंधित है जिसकी जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि नार्थ इंडिया में चंडीगढ़ अपने आप में एक ऐसा अच्छा स्टेशन है जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और नार्दर्न स्टेट्स सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चंडीगढ़ से बम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए लगभग डेली फ्लाइट एवेलेबल थी। श्री भजन लाल जी का सवाल भी मेरे वाला है इसलिए आप मुझे एक मिनट फालतू दीजिए। अब वहां ये सुविधायें बहुत समय से बंद हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां इतना पोटैंशियल है कि उस एयरपोर्ट को इंटरनैशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है लेकिन बहुत समय से ये सभी सर्विसेस बंद हैं। हिमाचल के लोगों ने इनसे बहुत सारी डिमांड्स की हैं कि वहां से फ्लाइट्स फिर शुरू की जाये।

चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और बाकी स्टेट्स की कैपिटल्स को कैटर करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इंडियन एयरलाइंस उनको डेली फ्लाइट देने के लिए विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मुझे माननीय सदस्य और सभा को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम नई विमान सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। शिमला और कुल्लू के लिए पहली विमान सेवा कल से शुरू होगी तथा चंडीगढ़, लुधियाना तथा देहरादून जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को एक महीने के अंदर विमान सेवा से जोड़ने का हमारा प्रस्ताव है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, नीति निर्माण के लिए डा. केलकर के साथ परामर्श का अभिप्राय प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी नहीं है। श्रम मंत्री हमें इस पर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कर्मकारों की भागीदारी का अभिप्राय बोर्ड के स्तर पर कर्मकारों की भागीदारी है।

मेरे प्रश्न का पहला भाग है : क्या सरकार कर्मकारों को बोर्ड स्तर पर भागीदारी देने के लिए योजना बना रही है?

दूसरे, मंत्री महोदय इंडियन एयरलाइन्स की 51 प्रतिशत तक विनिवेश को महत्व दे रहे हैं। लेकिन वह केल्कर समिति की विमान बेड़ा योजना, विमान मार्ग के युक्तियुक्त बनाए जाने तथा मानव संसाधन प्रबन्धन जैसी अन्य सिफारिशों पर महत्व नहीं दे रहे हैं।

सरकार अन्य सिफारिशों, जो कि इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण को बेहतर बनाएंगी, के संबंध में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

श्री अनन्त कुमार : सरकार केल्कर समिति की अन्य सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। सरकार ने केल्कर समिति के प्रतिवेदन को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया है। *...(व्यवधान)* भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री मुरली देवरा : आप कितना समय लेंगे?

श्री अनन्त कुमार : हम इस पर विचार कर रहे हैं। पिछले बजट में इंडियन एयरलाइन्स की 105 करोड़ रुपए की इक्विटी में 125 करोड़ रुपए का योग कर इसके एक भाग को स्वीकार किया जा चुका है।

विनिवेश विमान बेड़े के प्रचालन और विमान मार्ग के युक्तिकरण के संबंध में हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसी के कारण पिछले वर्ष भी 47 करोड़ का लाभ कमा सके। मैं इस माननीय सभा को यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि हम इस वर्ष भी लाभ कमाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : बोर्ड स्तर पर कर्मकारों की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अनन्त कुमार : मैंने इसका उल्लेख किया है। इस पर विचार किया जा रहा है। एक बार विनिवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् विनिवेश आयोग के अनुरूप बोर्ड का पुनर्गठन होगा। तब, इस पर विचार किया जाएगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तब इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण का संबंध है, आपने उन सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया है जिन पर इंडियन एयरलाइन्स तथा सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है तथा इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। अब, मैं अपने पहले प्रश्न पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, आप सिर्फ एक पूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं न कि पहला प्रश्न।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ पहला और अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं अभी तो पृष्ठभूमि बता रहा हूं। अब, मैं पूरक प्रश्न भी करूंगा।

यह प्रश्न का पहला भाग अर्थात् पूरक प्रश्न है। आप इंडियन एयरलाइन्स की समय की पाबंदी को कब से सुनिश्चित करेंगे? यह रोज का अनुभव है कि हम जब किसी विमान विशेष के उड़ान का समय पूछते हैं तो बताया जाता है कि यह निर्धारित और सही समय से जाएगी। किंतु जब हम विमानपत्तन पहुंचते हैं तो हमें बताया जाता है कि तकनीकी गड़बड़ियों तथा अन्य कारणों से उड़ान में विलम्ब है। क्या इस स्थिति में सुधार होगा? क्या इसमें ये सभी तकनीकी गड़बड़ियां तथा अन्य बातें हैं? आप इन समस्याओं को कब निपटाएंगे? यह प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरे, अभी हाल ही में निजी एयरलाइनों का पदार्पण हुआ है। यह अधिक लाभप्रद व्यवस्था बन गया है। किंतु इंडियन एयरलाइन्स की सेवा तथा अन्य बातों में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है।

जहां तक खाद्य पदार्थों का प्रश्न है, आपने कहा कि इस संबंध में प्रश्न संख्या पांच है। मेरा आशय दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़कर उस पर चर्चा करने में था। जो खाना दिया जाता है वह खराब होता है। इसके कारण लोग इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा नहीं करना चाहते हैं। आप इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

तीसरा भाग कर्मचारों की भागीदारी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के लिए भी उत्तर देना कठिन है। पहले माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री अनन्त कुमार : सबसे पहली बात यह है कि विमान मार्गों यहां तक कि मुख्य मार्गों पर भी प्राइवेट एयरलाइनों की अपेक्षा हमारा यातायात काफी ज्यादा है।

दूसरा, जहां तक विमानों के उड़ान की समय पाबंदी का सवाल है पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में उड़ानों की समय पाबंदी कुल मिलाकर संतोषप्रद है। *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : बिल्कुल नहीं। कृपया सभा को गुमराह न करें।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, विलम्ब के कारण हमें मुम्बई विमानपत्तन पर छः घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय अध्यक्ष का अनुभव क्या है?

श्री अनन्त कुमार : दिसम्बर और जनवरी के महीनों में, अभूतपूर्व कोहरे जो कि पिछले छत्तीस वर्षों में कभी नहीं देखा गया, के कारण विमानों की उड़ानों में विलम्ब हुआ। हम श्रेणी आई.एल.एस.-2 को प्रचालित कर चुके है। विमान यातायात में सुधार के लिए नवम्बर, 1999 के अंत तक श्रेणी आई.एल.एस.-3 को प्रचालित करने का निर्णय किया गया है। और दूसरा, खाद्य पदार्थों के संबंध में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह प्रश्न सं. 5 के अंतर्गत आता है तथा जब यह प्रश्न लिया जाएगा तब मैं इसका उत्तर दूंगा।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, जहां तक खाद्य पदार्थ का प्रश्न है, इसकी गुणवत्ता में अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा जैन साहब ने पूछा था, इसका इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया कि चंडीगढ़ तीन प्रान्तों पंजाब, हरियाणा और यूनियन टैरीटरी की राजधानी है और चौथी में हिमाचल प्रदेश की बात कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। वहां से तीस साल से हवाई जहाज चलता आ रहा था। सुबह को श्रीनगर तक जाता है और शाम को वापस आता है। उसे आपने बन्द कर दिया, जिससे लोगों को बड़ी भारी तकलीफ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आप स्पष्ट बतायें, गोलमाल नहीं, कि कब तक आप चंडीगढ़ के लिए हवाई जहाज चालू कर देंगे?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं माननीय श्री भजनलाल का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के लिए उड़ाने उनकी सरकार के कार्यकाल में रद्द की गई थी तथा अब वाजपेयी नेतृत्व वाली सरकार एक महीने में इन उड़ानों को पुन: शुरू करने जा रही है।

सत्यम समिति की रिपोर्ट

*222. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री माधव राव पाटील :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई. के कार्यकरण संबंधी सत्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जुलाई, 1988 में सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने 14.1.99 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में चिकित्सा देखरेख पर किया जा रहा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय 500/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये प्रति बीमित व्यक्ति करने, चिकित्सा उपकरणों की संस्वीकृत के लिए कार्रवाई योजना को दृढ़ता से क्रियान्वित करने, प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य रिकार्ड पुस्तिका की शुरूआत करने, औषधियों की आपूर्ति के लिए आम नुस्खों और ठेका दरों को तैयार करने, रोगी कल्याण समितियों की स्थापना करने, खराब औषधियों की आपूर्ति के लिए निवारक दण्डात्मक कार्रवाई करने, स्थानीय खरीद प्रणाली को सुकर बनाने, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के निजीकरण करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए केन्द्रीय सरकार के अंशदान आदि शामिल हैं।

*कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक स्ववित्त पोषित योजना है जो मुख्यत: नियोजकों और कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर चलाई जाती है। योजना का संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है, लेकिन चिकित्सा देखरेख का सांविधिक उत्तरदायित्व मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देखरेख पर होने वाले व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों द्वारा 7:1 अनुपात में वहन किया जा रहा है। इन मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हुए, सत्यम समिति की सिफारिशों को विचारार्थ/सिफारिशों के लिए निगम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 19.02.99 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में निगम ने 1.4.1999 से चिकित्सा देखरेख पर होने वाले 500/- रुपये प्रति वर्ष बीमित व्यक्ति के व्यय की अधिकतम सीमा को 600/- रु. कर दिया है।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहली मंत्री महोदय का ध्यान, इनके उत्तर की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह जो समिति गठित की गई थी, वह एक वर्ष पहले की गई या 10 वर्ष पहले की गई थी? *...(व्यवधान)* क्योंकि हिन्दी के उत्तर में जो लिखा है उसमें 1998 नहीं, 1988 लिखा है। *...(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : यह गलत है।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : इसका मतलब हिन्दी की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. सत्यानारायण जटिया : नहीं, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : आप जरा इसे देखिये।

मेरी सप्लीमेंटरी यह है कि ई.एस.आई. की जो योजना केन्द्र सरकार की है, इसमें कर्मचारी भी अंशदान करते हैं, मालिक भी अंशदान करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए पैसा देती है, लेकिन केन्द्र सरकार ने जो योजना शुरू की है, केन्द्र सरकार इसके लिए पैसा नहीं दे रही है। सत्यम कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें केन्द्र सरकार को कुछ योगदान करना चाहिए, ऐसा लिखा है। मेरे क्षेत्र में पूना के नजदीक जो टाउन हॉस्पिटल है, वहां भी लोगों की मांग है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : वही बता रहा हूं। प्रश्न ही पूछ रहा हूं। ये मशीनें वहां होनी चाहिए, ऐसी 15 वर्ष से वे मांग कर रहे हैं, लेकिन वे मशीन नहीं बिठा रहे हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो सिफारिशें की गई है कि ऐसी जो आधुनिक मशीनें लगनी हैं, वह सरकार उस हॉस्पिटल्स को देगी, जहां ई.एस.आई. के हॉस्पिटल हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि इस समिति का गठन जुलाई, 1998 में हुआ था और इसने पांच महीने बाद यानी 14 जनवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस प्रकार से इस समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश देने का काम किया था। जैसा कि हम जानते हैं कर्मकारों और उनके परिवार वालों को चिकित्सा सुविधाएं देने की यह विशिष्ट योजना है, जो अपने आप में दुनिया में एक विशेष स्थान रखती है। हमने अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाने के लिए सहायता देने का निश्चय किया है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने पर हम स्वीकृति देने का निर्देश दे रहे हैं।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : कई ई.एस.आई. अस्पतालों में आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं। उनके न होने के कारण कर्मचारियों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर वे दूसरे अस्पतालों में जाकर इलाज कराते हैं या आपरेशन कराते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है, जिसे कर्मचारी सह नहीं सकते। सत्यम समिति ने जो सिफारिश की है कि जो पैसा बाहर के अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च हो, वह ई.एस.आई. को देना चाहिए। क्या समिति ने ऐसी कोई सिफारिश की है और क्या सरकार उस समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार करेगी?

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह योजना अंशदान की है। राज्य सरकारों को 7/8 हिस्सा कार्पोरेशन देता है और 1/8 हिस्सा राज्य सरकारों को अपने पास से मिलाना होता है। जब पूरा हिस्सा सरकार के पास पहुंच जाता है तो उसका उपयोग राज्य सरकारों को करना पड़ता है। आधुनिक उपस्कर और उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने के बाद हम स्वीकृति देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में हमने स्वीकृति दे भी दी है। जो प्रमुख सिफारिश है, जिसमें 500 रुपए प्रति बीमित व्यक्ति को सुविधा दी जाती है, उसे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। जहां तक अन्य सिफारिशों को लागू करने की बात है, आगामी कार्पोरेशन की बैठक में सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी।

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत सत्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा पर देखरेख करने के लिए 500 रुपए को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया है। लेकिन सत्यम समिति की जो दूसरी सिफारिशें हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जो चिकित्सालय और अस्पताल चलाए जाते हैं, उनमें दी जाने वाली दवाएं और ट्रीटमेंट की हालत बहुत खराब है। बहुत से लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि दवाएं सब-स्टेंडर्ड की होती हैं। क्या इस पर मंत्री महोदय कुछ कार्यवाही करने की सोचेंगे? इसके साथ ही आपने जो 500 रुपए की जगह 600 रुपए किए हैं, क्या उसमें केन्द्रीय सरकार अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देकर अधिक से अधिक कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी दवाएं और अस्पताल की सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना बना रही है?

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि बाकी की सिफारिशों के बारे में कार्पोरेशन की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। हाल ही में हमने सत्यम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया था और उसमें जो वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर हमने 600 रुपए कर दिया है। जहां तक चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता का सवाल हैं, यह सारा काम राज्य सरकारों को हमसे सहायता प्राप्त करके उसका प्रबंध करने से सम्बन्धित है। इसलिए राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि जो हम सहायता देते हैं, उसका ठीक प्रकार से उपयोग करें।

अभी जो सहायता हम देते हैं, उसमें दवाइयों पर जितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, उसे हमने बढ़ाने का काम किया है। पहले दवाइयों पर केवल 165 रु. खर्च करने का प्रावधान था। हमने इस मद में सौ रुपये बढ़ाए हैं। उसमें कहा गया है कि इसे बढ़ाकर इस मद में 220 रुपये खर्च किया जाना चाहिए। चिकित्सा के लिए जो औषधियां उपयोग की जाती हैं, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, सत्यम कमेटी की सिफारिशों में यह सिफारिश भी शामिल है।

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : जो सब-स्टैंडर्ड दवाइयां दी जाती हैं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार बीड़ी कल्याण कोष से बीड़ी बनाने वाले व्यक्तियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। क्या सरकार को वास्तव में इस बात

की जानकारी है कि बीड़ी कल्याण कोष में कितना धन है? सरकार को इसके आंकड़े की जानकारी है। कृपया इसे सभा के समक्ष रखें। इसके साथ ही, वर्ष 1998 में बीड़ी (संशोधन) विधेयक संसद में पारित किया गया था। उस समय से अब तक बीड़ी बनाने वाले व्यक्तियों को जो भी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी थी उन्हें उपलब्ध नहीं हुई। उन्हें बीड़ी कल्याण कोष से कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

औषधियों के संबंध में भी मंत्री महोदय का कहना है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन पूरे देश में राज्य के अधिकारी दवाई नहीं खरीद रहे है। क्या औषधियों की एक मुश्त खरीद के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? यदि ऐसा है तो भारत सरकार द्वारा भी इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ई.एस.आई. के माध्यम से सीधे इसकी आपूर्ति की जाएगी। क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है? कृपया यह भी बताएं कि बीड़ी कल्याण कोष में कितनी धनराशि उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सिर्फ अपना अनुपूरक प्रश्न ही पूछना है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : यह सही है कि प्रश्न बीड़ी वर्करों से संबंधित नहीं है तब भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना उचित समझता हूं कि पहले हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं था। जितनी संख्या बीड़ी कर्मचारियों की देशभर में है और जो रिकार्ड हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर 42 लाख के लगभग बीड़ी कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम सैस से पैसा इकट्ठा करते हैं। संसद के पिछले सत्र में पहले जो पचास पैसा प्रति हजार रुपये बीड़ी पर सैस उगाही जाती थी, उसे बढ़ाकर एक रुपया कर दिया गया है। उसके कारण हमारे पास सैस की जो राशि बढ़ने वाली है, उसके आधार पर हम सुविधाओं का विस्तार करने वाले हैं। जहां तक दवाइयों पर ई.एस.आई. मार्क लगाने का सुझाव है, इस सुझाव को हमने मार्क कर लिया है और इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ई.एस.आई. के दवाखानों से छोटे कर्मचारी और कारखानों के लोग ज्यादा दवाइयां लेते हैं लेकिन एक शिकायत पाई गई है कि ई.एस.आई. के दवाखानों में जो दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए, यह स्टॉक नहीं होता है और दवाइयों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, क्या यह बात सही है?

डा. सत्यनारायण जटिया : वास्तव में यह संख्या बढ़ती और कम होती रहती है क्योंकि इसकी सीमा आय की सीमा पर निर्भर करती है, उसकी वेज कितनी है, इस बात पर निर्भर करती है। जितने कर्मचारी वेज लिमिट से बाहर चले जाते हैं, उनके कारण यह संख्या कम हो जाती है। इसलिए यह कहना सच नहीं होगा कि इसमें संख्या कम हो रही है। निश्चित रूप से यह कम और ज्यादा होती रहती है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि चिकित्सा व्यय प्रति श्रमिक प्रति वर्ष 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सत्यम समिति के समक्ष कोई मौलिक मानदंड या आंकड़े उपलब्ध कराये थे जिस आधार पर व्यय को बढ़ाकर 500 रुपए से 600 रुपए किया गया। आपने कुछ मौलिक आंकड़े या कुछ मानदंड या कुछ दिशानिर्देश उपलब्ध कराये होंगे? समिति कौन से आंकड़े या मानदंड को उपलब्ध कराए जाएं? इसके अतिरिक्त यदि मुद्री-स्फीति होती है तो क्या भावी व्यय कोष को निर्धारित करते समय आप इस मुद्रास्फीति को ध्यान में रखेंगे। अनेक अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं हैं तथा कोई विशेषज्ञ नहीं है। इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं? श्रमिकों को उचित उपचार प्रदान कराने के लिए आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने हेतु आप क्या करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : निश्चित रूप से ई.एस.आई. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की जो अपेक्षा लगातार रहती है, उसे ध्यान में रखते हुए, जब से नई सरकार ने काम ग्रहण किया है, उसके साथ ही हम ने उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, प्रबन्ध ठीक करने की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है कि किस तरह से आज विद्यमान सुविधाएं जो उनके पास हैं, उनमें सुधार लाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : यह एक आम उत्तर है। उन्हें कुछ विशेष उत्तर देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : माननीय मंत्री एक आम उत्तर दे रहे हैं। वह देर क्या है? हमारे प्रश्न का क्या महत्व रह जाता है? मैं समिति द्वारा उठाये गए मुद्दों तथा वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची इस बारे में जानना चाहता हूं। इसके पीछे क्या कारण हैं? इसके पीछे क्या तर्क है? उन्हें इन सब बातों का उचित रूप से उत्तर देना चाहिए।

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं नहीं समझ सका ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जैसे मैंने बताया कि यह योजना राज्य सरकारों को क्रियान्वित करनी है, हम यहां से उनको सहायता करने का काम करते हैं। यदि अस्पताल में डाक्टर और पैरा-मेडीकल स्टाफ नहीं है तो यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि उसे पूरा करे और कर्मचारियों को ठीक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री टी.आर. बालू : हमें समुचित उत्तर नहीं मिल रहा हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : वास्तव् में ये राज्य सरकारों की अपेक्षाएं थीं कि हमारी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। हम जो सहायता देते हैं उसका उपयोग भी वहां पर ठीक तरह से नहीं हो रहा, जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। 500 के स्थान पर 600 रुपए इसलिए बढ़ाया गए हैं ताकि चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

श्री मित्रसेन यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी भारत सरकार का श्रम मंत्रालय देख रहे हैं। हमारे देश में जहां अर्थ पूंजी प्रमुख है वहीं श्रम पूंजी भी महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। यह सबसे बड़ा काम आपको मिला हुआ है। देश के कर्मचारी वर्ग के साथ जिस प्रकार की उपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों में होती है उसी प्रकार की उपेक्षा उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में भी होती है और उनके वेतन में कटौती होती है। आपने श्रमिकों की सेवा में मात्र 100 रुपए बढ़ाएं हैं जब कि बड़े आदमियों की सेवा में न जाने कितना खर्च किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका सप्लीमेट्री प्रश्न क्या है?

श्री मित्रसेन यादव : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सत्यम समिति की सिफारिशें हैं क्या उन पर समय-समय पर समीक्षा भी होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो क्या उसे लागू करेंगे, क्योंकि सुविधाएं उनको प्रदान नहीं की जाती हैं। जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक उसका कुछ अता-पता नहीं होता। मैं जानना चाहूंगा कि समिति की सिफारिशें लागू होती हैं या नहीं, क्या आप इसकी कभी समीक्षा कराते हैं या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया : मैंने कहा है कि सिफारिशें कार्पोरेशन के पास 14 जनवरी, 1999 को रखने का काम हुआ है। अभी सिफारिशों पर विचार होना बाकी है। जब विचार पूरा हो जाएगा तब उसे लागू करने का प्रश्न उठेगा।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सत्यम कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसकी बहुत सारी सिफारिशें आपने मानी हैं। उसमें चिकित्सा पर जो खर्च हो रहा है उसे बढ़ा कर 500 रुपए से 600 रुपए किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी को एक दिन में एक रुपया 47 पैसे की दवाई का लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

वृद्धि मिली हुई है। सत्यम समिति की रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई हैं। मैं माननीय मंत्री से इस रिपोर्ट पर पुनर्विचार कराने का अनुरोध करता हूं तथा वह श्री सत्यम से ऐसी सिफारिशें न करने का अनुरोध करता हूं। आप एक व्यक्ति को मात्र 1.47 रुपए की चिकित्सा सुविधा दे रहे है।

इसके अतिरिक्त, मेरे संसदीय क्षेत्र भिलाई में, जहां 50,000 श्रमिक कार्यरत हैं वहां उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मैंने माननीय मंत्री से अनेकों बार इस बारे में अनुरोध किया है किंतु मंत्री महोदय ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे उन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने कहा है कि मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आम उत्तर है जो हर मंत्री देता है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैं श्री नीतीश कुमार को जानता हूं। उन्होंने वहां काफी कार्य किया हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मंत्री द्वारा यह आम उत्तर दिया जाता है कि मामले पर ध्यान किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से इस 1.47 पैसे की दर के बारे में जानना चाहता हूं। उन्हें उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वोरा जी को बताना चाहता हूं कि यह योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है। जो पैसा उनके कांट्रीब्यूशन से आता है उसमें से राज्य सरकारों को हम यहां से वित्तीय सहायता देते हैं। नियोक्ता से हम 4.75 प्रतिशत और कर्मचारियों से 1.75 प्रतिशत के हिसाब से लेते हैं। इस तरह जो फंड इकट्ठा होता है उस फंड का हम 7/8 भाग राज्यों को भेजते हैं। यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि किस प्रकार का रखरखाव वे करती हैं, किस प्रकार की चिकित्सा-सुविधा वे उपलब्ध करवाती हैं। इसलिए यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि केन्द्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सत्यम कमेटी की रिपोर्ट पहली बार रखी गयी है, अगली बैठक में उसकी अन्य सिफारिशों पर हम विचार करने वाले हैं तथा शेष सिफारिशों पर उसके बाद निर्णय किया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण नीति

*224. **मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बढ़ती हुई मांग को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने कामकाजी वर्ग को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नीति सरकार की औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित है। उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के तहत बीयर और अल्कोहलयुक्त पेयों तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण मदें औद्योगिक लाइसेंसिंग के प्रावधानों से मुक्त हैं। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों में अचार और चटनी, डबलरोटी आदि शामिल हैं। लेकिन औद्योगिक नीति के तहत 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की शहरी सीमा के 25 कि.मी. के दायरें में स्थित ऐसी सभी यूनिटों जो किसी अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित न हो, को लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जहां तक विदेशी निवेश का संबंध है, अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए 51% तक की विदेशी इक्विटी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्वत: मंजूरी उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा 51% से अधिक की विदेशी इक्विटी की मंजूरी भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिशों के मद्देनजर अलग-अलग मामलों के आधार पर दी जाती है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य मदों के उत्पादन में हुई वृद्धि से प्रकट होता है कि प्रसंस्कृत खाद्य मदों की मांग बढ़ रही है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु उपर्युक्त नीतिगत उपायों समेत विभिन्न प्रयास कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि, संवर्धन और विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण और सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता निजी उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को उपलब्ध है। योजनागत सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. कोल्ड चेन बुनियादी सुविधाओं समेत फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।
2. खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।
3. अनुसंधान और विकास।
4. कुल गुणवत्ता प्रबंधन।
5. मानव संसाधन विकास।
6. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संबंधी सूचना के विस्तार के बारे में विकासात्मक सहायता।

सरकार ने उत्पाद और सीमा शुल्कों के युक्तिकरण समेत विभिन्न राजकोषीय उपाय भी किए हैं। अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए निम्न उत्पाद शुल्क की व्यवस्था है। आयात-निर्यात

नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधिकांश सामग्री के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी का आसानी से आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केवल कुछ मदों को छोड़कर, सभी प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात की भी अनुमति है। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को आसानी से वित्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र को बैंक ऋण प्रदान करवाने हेतु प्राथमिक क्षेत्र की सूची के अंतर्गत शामिल किया है। इन सभी प्रयासों से आशा है कि प्रसंस्कृत खाद्य मदें आसानी से उपलब्ध होंगी।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. : माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य प्रसंस्करण की हमारे देश में अपार संभावना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसका सदुपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के अंदर माल्टा, संतरा जैसे फल तथा आलू और सब्जियों का अपार भंडार है। हर साल करोड़ों रुपयों के यह सोर्स और संसाधन बेकार हो रहे हैं तथा सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के अंदर सड़कों और मार्किटिंग का अभाव है। इसलिए हमें फल और आलू सड़ाकर दबाने पड़ते हैं। यह कोई अतिशियोक्ति नहीं है। ये चीजें जब उपयोग में नहीं आ पाती हैं, उनकी मार्किटिंग नहीं हो पाती है तो जमीन में उनको दबाना पड़ता है जिससे किसानों के नुकसान के साथ-साथ इस सम्पत्ति का राष्ट्रीय नुकसान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को सुविधाजनक और लाभदायक बनाने के लिए सरकार कोई विशेष नीति बनाने की सोच रही है। क्या उसके बारे में जानकारी लेने और उसके सदुपयोग की व्यवस्था आप करेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : मैं माननीय सदस्य की इस चिंता से सहमत हूं कि उचित खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में देश को और देश के किसानों को भारी नुकसान होता है। इस देश में जितनी सब्जियां और फल पैदा होते हैं उनमें से 1.8 प्रतिशत भी खाद्य प्रसंस्करण के अंदर नहीं आते हैं जबकि मलेशिया जैसा देश अपने यहां खाद्य प्रसंस्करण में 80 प्रतिशत फल सब्जियों को उपयोग में लाता है। अनुमान है कि इसके कारण हमारे देश को हर वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। जैसा मैंने कहा कि फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की व्यवस्था न होने के कारण देश के विभिन्न भागों में हो रहे नुकसान की चिंता से मैं सहमत हूं। दुर्भाग्य से गत 50 वर्षों में जो खाद्य प्रसंस्करण की नीति है वह औद्योगिक नीति से जन्म लेती रही है, उसकी अलग से कोई नीति नहीं बनी है। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार खाद्य प्रसंस्करण की अलग से नीति लाना चाहती है, जिससे जो 23 हजार करोड़ का नुकसान भारत सरकार को होता है उसे कुछ बचाने का प्रयास कर सके।

यह मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में आता है। इसलिए हमने कुछ सुविधाएं दी हैं। माननीय सदस्य ने विशेष वस्तुओं जैसे आलू और माल्टा के सम्बन्ध में कहा, उनकी जानकारी लेकर शीतगृहों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में अपने मंत्रालय की बहुत सारी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है। इसे जवाब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने विशेष कर आसान शर्तों पर ऋण, आर्थिक सहायता और अनुदान देने की बात कही है। जो काम इनका मंत्रालय करता है, वे छः चीजें इन्होंने अपने जवाब में लिखी हैं। इनमें अनुसंधान और विकास भी है। मेरी जानकारी के अनुसार इस मंत्रालय के पास ऐसा बजट नहीं है जो इतने सारे काम कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष आर्थिक सहायता, आसान शर्तों पर ऋण और रिसर्च एंड डैवलपमैंट पर कितना धन व्यय किया गया?

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय का बहुत महत्व है। जैसा मैंने कहा कि 23 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर वर्ष होता है। जिस काम को मेरा मंत्रालय देखता है उसका बजट 30-32 करोड़ रुपए के आसपास है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इतने बड़े काम की दृष्टि से अगर हमारे मंत्रालय को और धन आवंटित होगा तो किसानों की सहायता करने से उन्हें लाभ हो सकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न स्तर हैं, उनके लिए धन आवंटन करने की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं। मंत्री महोदय ने अपने विवरण में मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास पर बल दिया है। मानव संसाधन विकास के बारे में मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहती हूं कि क्या वह इससे महिलाओं पर विशेष बल देंगे जो कि इसमें सबसे प्रमुख लाभार्थी होंगे क्योंकि बाहर से उन चीजों को अपनाने से अच्छा है कि उन्हें हम स्वतः अपनायें। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अतः, मैं यह जानना

चाहती हूं कि क्या वह महिलाओं पर विशेष बल देंगे, यदि हां तो उनकी योजना क्या होगी?

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, खाद्य वस्तुओं पर असली प्रसंस्करण महिलाएं ही करती हैं। वह निजी क्षेत्र में होता है। हमने इसमें मानवीय संसाधन जोड़ने का प्रयास किया है। माननीय सदस्या के सुझाव के अनुसार उसमें महिलाओं की तरफ ध्यान देने की बात पर सरकार जरूर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, फल और सब्जी के उत्पादन में जहां हिन्दुस्तान दुनिया में दूसरा स्थान रखता है,

अध्यक्ष महोदय : जोर से मत बोलना।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वहीं प्रसंस्करण के मामले में हिन्दुस्तान का स्थान सबसे नीचे है। हिन्दुस्तान में बिहार आलू, प्याज, भिंडी, केला, संतरा और लीची के लिए मशहूर है। ये सभी सब्जियां और फल वहां सबसे ज्यादा होते हैं। क्या सरकार उनका सर्वेक्षण करा कर और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने का काम कर, उसे विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले भी उत्तर में कहा है कि मुख्य रूप से यह कार्य निजी क्षेत्र में होता है लेकिन बिहार में आलू, प्याज और जो सभी महत्वपूर्ण फल और सब्जियां होती हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आम, लीची, केला और सभी सब्जियां।

श्री प्रमोद महाजन : ऐसे सभी महत्वपूर्ण फल और सब्जियां जो पैदा होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आलू है या लालू।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उन सबका प्रसंस्करण करके विदेश भेजने में हमें बहुत आनन्द होगा।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो कहा, वह वस्तुत: सत्य है कि नुकसान बहुत अधिक होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा विचार भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप थोड़ा पीछे देख लेते तो सातवीं योजना में 24 करोड़ रुपया हार्टिकल्चर के लिए था, आठवीं योजना में कोशिश करके मैंने 1000 करोड़ रुपया रखवाया और एक शुरूआत की थी। क्योंकि हमने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, न हमारे पास ग्रेडिंग है, न पैकेजिंग है, न फॉरवार्डिंग है, न प्रोसेसिंग है और न स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। उनके लिए एक करोड़ रुपया 4 परसेंट पर देने का भी प्रावधान था और साथ में अनुदान देने की बात थी। आपने ठीक कहा है कि 32-33 करोड़ में काम नहीं चलेगा। वस्तुत: संसार भर में 45 से 50 प्रतिशत फल-सब्जियां प्रोसेस होकर डिब्बंद हो जाती हैं। हमारे यहां मैक्सिमम तीन परसेंट हो पाती है। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इसमें हमारा दूसरा स्थान है। हमारा दोनों में पहला स्थान है। ब्राजील को भी पीछे छोड़कर, चीन के साथ, हमारा पहला स्थान है फलों और सब्जियों में। वैसे ही पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में, प्याज, आलू आदि में किसान आज भी मर रहा है। डेढ़ रुपया, सवा रुपया किलों में आलू, प्याज और टमाटर बिक रहा है। इसलिए हमें इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमने करना है कि लोगों को इंप्लॉयमेंट देना है, उसके लिए आवश्यक है कि कुछ चीजें होनी चाहिए। सारे यूरोप में 7 प्रतिशत खेती होती है, अमेरिका में 3 प्रतिशत खेती होती है जबकि हमारे यहां 70 प्रतिशत खेती होती है। उनको इस भार को उठाकर किसी तरीके से लगाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि हम इस पर ध्यान दें। आप पैसा ज्यादा लीजिए। जो पिछला प्रोग्राम हमने जारी किया था, उसको आप चालू कीजिए। इसके लिए निश्चित तौर पर करिये जिससे उपभोक्ता को भी लाभ मिल जाए और किसानों की बात भी बन जाए, वरना किसान मरता रहेगा। किसान ज्यादा पैदा करता है, तब भी मरता है और कम पैदा करता है तब भी मरता है। चाकू पर खरबूजा गिरे या खरबूजे पर चाकू गिरे, कटता खरबूजा ही है। इसलिए आप ध्यान देकर वह बात करिये। हम भी आपका साथ देंगे।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, इस विषय में जाखड़ जी का ज्ञान और रुचि सभी जानते हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। मैं उनको जरूर आश्वासन देना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इसमें जो कुछ किया, उससे एक कदम आगे ही इस दिशा में करने का हमारा प्रयास होगा और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की कोई अलग नीति इस देश में नहीं थी, औद्योगिक नीति के अंतर्गत ही यह आता था। उसका अलग मंत्रालय भी नहीं था। मंत्रालय के लिए प्रावधान भी नहीं था।

इसलिए धीरे-धीरे अब इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज गत कुछ वर्षों से इसका अलग मंत्रालय तो बना है लेकिन उस मंत्रालय को जितना धन आबंटित किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। यह सरकार अधिक धन आबंटित करने की कोशिश कर रही है और एक नयी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाकर हम सदन के सामने आएंगे, उसकी चर्चा भी होगी और उसमें आपके सहयोग से हम जरूर आगे बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनेक ऐसे युवक हैं जिन्होंने केटरिंग टेक्नोलौजी का अध्ययन कर डिप्लोमा हासिल किया है। लेकिन देश में आज वे बेकार पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जिन युवकों के पास केटरिंग टेक्नोलौजी का डिप्लोमा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मैं उन स्रोतों के बारे में भी जानना चाहता हूं जिनके द्वारा उन्हें ऋण दिया जा रहा है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह वास्तविकता है कि जब आप घर में कोई सब्जी या फल बना रहे होते हैं या तो आप खाद्य प्रसंस्करण का कार्य कर रहे होते हैं किंतु इस खाद्य प्रसंस्करण का केटरिंग डिप्लोमा धारकों या केटरिंग कॉलेजों से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें खाद्य पदार्थ को प्रसंस्कृत किया जाता है जिससे कि इसकी उपयोगिता अवधि को बढ़ाया जा सके तथा इसे उचित समय में बेचा जा सके किंतु केटरिंग में डिप्लोमाधारक को इससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन हम निश्चय ही इस बात पर गौर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विभाग की स्थापना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल द्वारा 1984-85 में की गई थी और उस समय पेप्सी कोला को इस बात के लिए लाइसेंस दिया गया था कि वह यहां की वस्तुओं की फूड प्रोसेसिंग करके, डिब्बाबंद करके विदेशों को एक्सपोर्ट करे। 1984 से लेकर आज तक चूंकि पेप्सी कोला ने बासमती चावल का बहुत एक्सपोर्ट किया है, बासमती चावल को छोड़कर फूड प्रोसेसिंग करके, डिब्बाबंद करके कितने करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष किया है या कुल कितना एक्सपोर्ट किया है? यह मेरे प्रश्न का पार्ट-ए है। पार्ट-बी, में मेरा यह प्रश्न है कि इस डिपार्टमैंट ने एक योजना बनाई थी कि ब्लॉक स्तर तक फूड प्रोसेसिंग के लिए हम व्यवस्था करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्या आज हिन्दुस्तान के हर जिले में यह व्यवस्था हो गई हैं या ब्लॉकों तक ऐसा होना कब तक संभव है?

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : जहां तक प्रश्न के भाग 'क' का संबंध है, तो मुझे उन आंकड़ों के लिए अलग से एक सूचना की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है यह योजना हर जिले तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के पार्ट-ए का जवाब नहीं आया *...(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो मल्टीनेशनल से संबंधित है *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सर, इस पर हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

जलपान पर औसत खर्च

***225. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में भोजन और जलपान परोसने के लिए प्रति यात्री औसतन कितनी धनराशि व्यय होती है; और

(ख) खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खान-पान आपूर्तिकर्ता का चयन किस प्रकार किया जाता है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 तक की अवधि में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में भोजन तथा अल्पाहार परोसने के लिए प्रति यात्री औसतन व्यय लगभग 115 रु. आता है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस सार्वजनिक निविदा द्वारा प्रत्येक स्टेशन पर होटलों/रेस्तराओं/खान-पान प्रबंधकों में से खान-पान के सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोत का चयन करती है। प्रत्येक स्टेशन से भोजन प्राप्त करने के लिए खान-पान प्रबंधकों को आवंटित/सौंपी गई उड़ानों की संख्या का निर्धारण खान-पान प्रबंधक के पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के आधार पर किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी यहां अल्पाहार का संबंध है अत: आपको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कि यह सभी माननीय सदस्यों को तरोताजा कर दे।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से मात्र यही जानना चाहता हूं, यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है, क्या यह सच है कि ये केटर्रस, जो पिछले एक वर्ष से आपूर्ति कर रहे है, वही केटरर्स हैं जो विगत दस वर्षों से आपूर्ति कर रहे हैं और इसलिए क्या उन्हें इस मुद्दे पर किसी निहित स्वार्थ का आरोप लगाया गया है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, विभिन्न जगहों और क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न केटर्रस हैं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : यह मेरा प्रश्न नहीं है।

श्री अनंत कुमार : जब कभी केटर्रस यात्रियों की इच्छाओं पर खरे नहीं उतरते हैं और जब कभी भी उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें होती हैं हम ठेका रद्द कर देते हैं। पिछले वर्ष हमने छह केटर्रस का ठेका रद्द किया था।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने ठेके रद्द किए गए हैं।

श्री अनंत कुमार : मैंने विगत वर्ष के आंकड़े आपको दिए हैं। जहां तक विगत तीन वर्षों के विवरण का संबंध है तो मैं सभा में उचित वक्तव्य रखूंगा।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मुद्दे पर वह ऐसा बोल रहे हैं।

श्री के. येरननायडू : यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिया जा रहा खाना अच्छा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आप खुद ही हर दिन यात्रा करते हैं। सभा की यही राय है। भारत सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, जो प्रश्न श्री सुब्रहम्ण्यम स्वामी जी ने पूछा और पिछले तीन वर्षों के आंकड़े मांगे हैं, वह मंत्री जी कब तक उपलब्ध करायेंगे।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मैं एक सप्ताह के अंदर विवरण प्रस्तुत कर दूंगा।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवायें।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया के बारे में और वहां की सर्विसेज के बारे में पिछले दिनों मैंने मंत्री जी को कुछ पत्र लिखे थे और उनमें यह आशा व्यक्त की थी कि सर्विसेज की क्वालिटी गिरने की वजह से हमारे व्यवसाय में भी कमी आई है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि हमारी सर्विसेज में कमियां आ रही हैं और उससे सरकार को घाटा हो रहा है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री अनन्त कुमार : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय एयर इंडिया के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जबकि मूल प्रश्न इंडियन एयरलाइंस के बारे में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मुझे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है। मैं तो पिछले प्रश्न पर मल्टी नेशनल कंपनियों

के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था, जिस पर आपने मुझे अवसर नहीं दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, हम लोग इंडियन एयर लाइन्स में दिये जाने वाले भोजन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता अत्यंत खराब होती है ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत पर्यटन विकास निगम से विनिवेश

*223. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम से विनिवेश की मात्रा और तरीकों का सुझाव देने संबंधी मामला विनिवेश आयोग को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने पूरे मामले की जांच करने के लिए विश्व भर से सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(छ) क्या विनिवेश की अनिश्चितता के कारण भारत पर्यटन विकास निगम की विस्तार, सुधार और रखरखाव परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (च) भारत सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम से विनिवेश के संबंध में सिफारिश करने संबंधी मामला सितम्बर, 1996 में विनिवेश आयोग को भेजा था। विनिवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1997 में प्रस्तुत की। संबंधित सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

> "दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित होटलों को पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर दीर्घावधि के करार पर चलाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित होटल श्रृंखलाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इससे पट्टे की उन भूमि सम्पत्तियों के स्थानान्तरण की समस्या का निवारण होगा जिन पर होटल स्थित हैं। यह बेहतर होगा कि भारत पर्यटन विकास निगम, व्यापार संघों तथा सम्बद्ध पार्टियों के बीच प्रत्येक मामले में एक त्रिपक्षीय समझौता किया जाए ताकि श्रमिकों के हितों पर ध्यान दिया जा सके। करार की शर्तें तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली की क्रियाविधि का निर्धारण वित्तीय सलाहकार एवं परामर्शदाताओं के सहयोग से शक्ति प्रदत्त स्थायी दल (एस.ई.जी.) द्वारा किया जाए।"
>
> "अन्य होटलों को अलग-अलग स्वतंत्र सहयोगी कम्पनियों के रूप में विभाजित कर दिया जाए। इन कम्पनियों के शेयर सरकार और शेयर-धारकों में दिए जाएं, जो यदि भारत पर्यटन विकास निगम के कोई शेयर होंगे तो उनके बदले में होंगे। इन नई कम्पनियों में विनिवेश शत-प्रतिशत सरकार के शेयर के बदले होगा। शक्ति प्रदत्त स्थायी दल स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया की शर्तों तथा वित्तीय सलाहकार की सहायता से इस प्रक्रिया को पुन: अपना सकता है।"

उक्त सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(छ) और (ज) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने पंजाब पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से चंडीगढ़ में एक पांच-सितारा होटल तथा आनन्दपुर साहिब में संयुक्त उद्यम का तीन-सितारा होटल के निर्माण की नई परियोजना शुरू की है। भारत पर्यटन विकास निगम की यह भी

योजना है कि वर्तमान होटलों का नवीकरण/सुधार कार्य/उन्नयन किया जाए।

रेल पटरियों में दरारें

*226. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल पटरियों में दरारें आने के कारण नवम्बर, 1998 में खन्ना में हुई रेल दुर्घटना के बाद जिसमें 200 लोग मारे गये थे, रेल पटरियों की दरारों का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी रेल पटरियों में दरारों का पता लगाया गया है और प्रत्येक रेलवे जोन में कितनी पटरियों को ठीक किया गया है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) रेल पटरी में टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेलों द्वारा हर संभव कदम उठाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पटरियों की अल्ट्रासॉनिक जांच, जिसे और गहन कर दिया गया है।

अप्रैल 1998 से जनवरी 1999 के दौरान पटरियों में टूट-फूट के पाए गए मामलों की जोनवार संख्या निम्नलिखित है:-

रेलवे	पटरियों में टूट-फूट
1	2
मध्य	94
पूर्व	99
उत्तर	80
पूर्वोत्तर	28
पूर्वोत्तर सीमा	03
दक्षिण	60
दक्षिण मध्य	20
दक्षिण पूर्व	944
पश्चिम	134
जोड़	1462

रेलें इस बात की पूरी कोशिश करती हैं कि पटरियों की टूट-फूट को कम से कम समय में ठीक कर दिया जाए और सभी मामलों में निवारक कार्रवाई कर ली गई है। पटरियों की टूट-फूट को ठीक करने पर होने वाला खर्च मुख्यत: टूट-फूट की किस्म पर निर्भर करता है, जो स्थल की दशा और अपेक्षित मरम्मत की किस्म के अनुसार होता है और यह प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होता है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में स्टार चैनल

*227. **श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टार टेलीविजन को क्षेत्रीय भाषाओं में चार चैनल शुरू करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषा में चैनल शुरू न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन पहले ही संबंधित प्रमुख केन्द्रों से शुरू होने वाले पन्द्रह क्षेत्रीय सेवा चैनलों को प्रसारित कर रहा है जिन्हें उपयुक्त डिश एन्टेना प्रणाली का उपयोग करके समस्त देश में प्राप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्रम संबंधी स्थायी समिति और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 संबंधी समिति

***228. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :**
श्री ए.सी. जोस :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें सत्र में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ख) उक्त सत्र में क्या-क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 संबंधी समिति की पांच साल से ज्यादा समय से कोई बैठक नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा औद्योगिक वातावरण को उत्पादन और उत्पादकता संवर्धन के अनुकूल बनाने हेतु कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) स्थायी श्रम समिति, श्रम मंत्रालय की एक त्रिपक्षीय समिति है जिसकी बैठक औद्योगिक और श्रम संबंधी चिंता के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर होती है। स्थायी श्रम समिति का पैंतीसवां सत्र 6.2.99 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। समिति ने पूर्ववर्ती बैठकों में उठाए गए मुद्दों के क्रियान्वयन की प्रगति और केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर त्रिपक्षीयता के लोकाचार के अनुपालन की समीक्षा की। त्रिपक्षीय परामर्श, श्रम नीति का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य संघटक है और पारस्परिक विश्वास बनाने तथा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रेरक औद्योगिक वातावरण सृजित करने के लिए एक समयोजित उपाय है। राष्ट्रीय स्तर पर श्रम क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय इस सिद्धान्त पर ही गठित किए जाते हैं और श्रम नीति तथा विधान ऐसे त्रिपक्षीय परामर्शों के परिणाम के आधार पर बनाए जाते हैं।

स्थायी श्रम समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और औपचारिक तथा संगठित क्षेत्र में तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमों में भी रोजगार अवसरों को बढ़ाने के कतिपय उपायों की सिफारिश की। इसने कृषि कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा और श्रम संरक्षण प्रदान करने तथा भारतीय उद्योग में रोजगार के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय श्रम सम्मेलन का अगला सत्र अप्रैल, 1999 में आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें कार्यसूची मदें निम्नलिखित होंगी:-

- औद्योगिक रुग्णता को घटाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय।

- रोजगार अवसरों को बढ़ाने के उपाय।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नवगठित समिति की पहली बैठक 5.2.1999 को आयोजित की गई थी।

दूरदर्शन द्वारा सेंसरशिप

***229. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समसामयिक विषयों और विशेष रूप से सरकारी कार्यकरण/नीतियों की आलोचना से संबंधित फुटेज सहित, अन्य टी.वी. कार्यक्रमों का दूरदर्शन द्वारा सेंसर करने संबंधी कोई मानदण्ड विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि समाचार कार्यक्रमों एवं सामयिक कार्यक्रमों जिनके पूर्वदर्शन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, को छोड़कर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन किया जाता है। यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि संवेदनशील मामलों को उनकी कवरेज के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेवारी से कवर किया जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों की मांगें

*230. **श्री के. येरननायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों ने अधिक सुरक्षा और राष्ट्रव्यापी बीमा योजना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संचार माध्यमों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिम बीमा योजना उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) इस संबंध में सरकार को कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों की विमान कम्पनियों द्वारा विमान किराए में रियायत

*231. **डा. अशोक पटेल :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया सहित अंतरराष्ट्रीय विमान कम्पनियां खाड़ी देश की विमान कम्पनियों द्वारा यात्रियों को दी जा रही भारी रियायतों के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर-इंडिया भी विमान किराये में ऐसे ही रियायतें देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो विमान यात्रा करने वाले यात्रियों को कितनी रियायतें देने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) यह सही है कि एयर इंडिया सहित कुछेक विदेशी विमान कंपनियां इस मार्ग पर सभी प्रचालकों की आय में कमी लाने की दृष्टि से भारत तथा खाड़ी के गंतव्य देशों के बीच आकर्षित प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही हैं और जिसकी वजह से उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) और (ग) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए, एयर इंडिया ने महानिदेशक, नागर विमानन के अनुमोदन से खाड़ी देशों के लिए विशेष किराए लागू किए हैं। एयर इंडिया द्वारा दल के आकार, सीट उपलब्धता तथा सीजनल कारकों में से किसी कारक को आधार मानकर मामला-दर-मामला आधार पर दल की आवाजाही संबंधी विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश भी की जाती है। तथापि, एयर इंडिया कुछेक विदेशी वाहकों द्वारा पेश किए गए स्तरों तक किराए में कमी करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

टी.वी. ट्रांसमीटर

*232. **श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर अल्प शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) उनमें से अब तक कितने टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना कर दी गयी है;

(ग) क्या स्थापना संबंधी कार्य और परीक्षण पूर्ण हो जाने के बावजूद कुछ स्थानों के टी.वी. ट्रांसमीटर चालू नहीं हुए है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्ष अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान 279 अल्प शक्ति टो.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना की स्कीम शुरू की गई थी। इनमें से विवरण-। के रूप में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, 146 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं। शेष 133 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थिति में है जिनमें से 18 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अभी तक पूरे हो चुके हैं किन्तु अभी चालू किया जाना बाकी है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं सहित कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-॥ में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) नए पदों की मंजूरी न मिलने के कारण कुछ अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया है। इस समस्या को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय

के कर्मचारी निरीक्षण एकक से समग्र स्टाफ की जरूरत को आंकने हेतु अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न दूरदर्शन प्रतिष्ठापनों के स्टाफ संबंधी मानदण्ड की शीघ्र जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिश मिलने पर अपेक्षित संख्या में पद सृजन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर उपयुक्त रूप से कर्मचारी तैनात किए जा सकें।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को दर्शाने वाला विवरण

क. 1.4.1996 से 31.3.1997 के बीच चालू किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2
** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर (डीडी-2)
** आंध्र प्रदेश	बेलमपल्ली
	जदचरेला
	कादिरी
	मरकापुर
	पेदनान्दीपाडू
	तम्बलापल्ली
	तिरूपति
** बिहार	लखीसराय
	नौमुण्डी
	फूलपारस
	सराईकेला
	सिकन्द्रा
** दमण और नगर हवेली	सिलवासा
** दमण और द्वीव	
	द्वीव
** गोवा	
	पणजी (डीडी-2)
** गुजरात	
	अमोद
	दीसा
	मंगरोल (सूरत)
	मोरवी
** हरियाणा	
	रोहतक
** हिमाचल प्रदेश	
	रामपुर
** कर्नाटक	
	अरसीकेरे
	बासवा कल्याण

1	2
	गोकक
	हरपनहल्ली
	पुत्तूर
	सागर
** केरल	
	अदूर
	अट्टापाडी
	थोडुपूजा
** महाराष्ट्र	
	अहेरी
	चन्द्रपुर
	नवापुर
	शीरपुर
	सिरोंचा
** मध्य प्रदेश	
	भण्डेर
	गदरवाड़ा
	केलारस
	नारायणपुर
	सक्ति

1	2
** उड़ीसा	
	कविसूर्यनगर
	कोटपाड
	सोहेला
	सोनीपुर
	उमरकोट
** राजस्थान	
	बड़ी सदरी
	करौली
	केसरियाजी
	माऊंट आबू
	विमज .
	नोहर
	फलौदी
	प्रतापगढ़
	राजगढ़
	शाहपुरा
** तमिलनाडु	
	अट्टूर
	कृष्णगिरी

1	2
	पट्टूकोट्टई
	शंकरन कोविल
	तिरूवजयारू
* उत्तर प्रदेश	
	अथदमा
	औरया
	आजमगढ़
	गंज डुंडवारा
	कासगंज
	महोबा
	मऊ रानीपुर
	नैनी दाण्डा
	नान पाड़ा
	नौगढ़
	न्यू टिहरी
** पश्चिम बंगाल	
	बसन्ती
	विष्णुपुर
	फरक्का
	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)
	रैना

ख. 1.1.1997 से 31.3.1998 के बीच चालू किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2
** आंध्र प्रदेश	
	अचमपेट
** असम	
	सिलचर (डीडी-2)
** जम्मू एवं कश्मीर	
	हल्सी (चल) - (अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के चालू होने के बाद बन्द)
	नौशेरा (चल)
	ट्रंग्स्टे (चल) - (अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के चालू होने के बाद बन्द)
** पांडिचेरी	
	पांडिचेरी (डीडी-2)
** त्रिपुरा	
	कैलाशहर
** उत्तर प्रदेश	
	मऊ (डीडी-2)

ग. 1.4.1998 से 13.1999 के बीच चालू किए गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2
** आंध्र प्रदेश	
	बांसवाड़ा
	भाईन्सा
	दरसी
	मचेरला
	नरसरावपेट
	राजमपेट
	तुनी
** अरूणाचल प्रदेश	
	मियाओ
** असम	
	डिब्रूगढ़ (डीडी-2)
	गोहपुर
** बिहार	
	दोड़नगर
	कोदरमा
	मुशाबनी
	सिमरी बख्तियारपुर
** गुजरात	
	बन्तवा
	बोतड
	धान्धुका
	धर्मपुर
	धारी
	झागड़िया
	लिम्बडी
	राधनपुर
	उना
** हरियाणा	
	चरखी दादरी
** हिमाचल प्रदेश	
	सुजानपुर
	सुन्दर नगर
** जम्मू एवं कश्मीर	
	राजौरी
	धारहल
** कर्नाटक	
	हाथीहल
	होल्फ नरसिपुर
	तुमकुर

1	2
** केरल	
	कन्नानोर (डीडी-2)
** महाराष्ट्र	
	खोपोली
	महाड
	मानगांव
	सतना
	तुमसुर
	उमरखेड
** मिजोरम	
	लुंगलेई (डीडी-2)
** मध्य प्रदेश	
	बड़ा मलेहरा
	भानपुरा
	गरोट
	पिपरिया
	सितामउ
** उड़ीसा	
	मोहाना
	पदुआ
	घटनागढ़
	सिमलीगुडा
** पंजाब	
	पटियाला
** राजस्थान	
	हिन्डौन
** तमिलनाडु	
	चेय्यर
	उदुमालपेट
** त्रिपुरा	
	कैलाशहर (डीडी-2)
	तेलियामुरा
** उत्तर प्रदेश	
	अमरोहा
	छिब्रमऊ
	हल्द्वानी
	महरोनी
	रामपुर (डीडी-2)
	रथ
	खदौली
कुल	146

विवरण-II

कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 1.3.1999 की स्थिति के अनुसार

राज्य	स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश	पासरा
	देक्काली
	शीरपुर
	देवरकोण्डा*
	बोब्बिली
	पेदापल्ली
	कन्दुकुर
	विनुकोण्डा
	वेलदाण्डा*
	मदुगुला
	पुलमनेर
	पुंगानूर
	वेमईवाडा
	सिरसीलिया
	मच्छीपतनम
	जहिराबाद
असम	बोकाखाट
बिहार	रामनगर
	चात्रा
	भदरवा
	रोशेरा
गुजरात	
	राजुला*
	खम्भालिया
	उमरगांव*
	मोदासा*
	लुनावाडा
	जमजोधपुर
	राजपिपला
	वेयारा
हरियाणा	महेन्द्रगढ़
	फिरजोपुर झिरका
	तोहाना
	करनाल
	यमुनानगर

1	2
हिमाचल प्रदेश	मण्डी (डीडी-2)
जम्मू एवं कश्मीर	पूंछ
	उधमपुर*
कर्नाटक	जमखण्डी
	दाण्डेली*
	मुधोई
	तालीकोटा
	इन्दी
	हिरियूर
	हॉसदुर्ग
	कोप्पा
	बोलथांगडी
	मुन्दारगी
	सिंधनूर
केरल	पाला
	मंजेरी
	कोट्टाराक्कारा
मध्य प्रदेश	पेंडरा रोड*
	खरोड
	मुलताई

1	2
	कराईरा
	बरैली
	लखनाडॉन
मध्य प्रदेश	बदवानी
	कुकशी
	पंडारिया
	सिंधवा
	कोन्ता
	चम्पा
महाराष्ट्र	रावेर
	पांढरकवड़ा*
	खानपुर
	मंगलवेधा
	अकलकोट
	दर्यापुर
	धाडगांव
	फाल्टन
	पाटन (सतारा)*
	भण्डारा*
	धर्माबाद

1	2
	भामरागड
	पुलगांव
मिजोरम	लावंगतलत
नागालैण्ड	मोकोकचुंग (डीडी-2)*
उड़ीसा	नयागढ़
	तुषारा/सैनताला
	कारंजिया
	राजगंगपुर
	बीरमित्रपुर
	खास्यिार
	जलपाड़ा
	गोंदिया (कपिलास)*
	कुलाड
	चिकिति
राजस्थान	मकराना*
	नवलगढ़*
	सागवाड़ा*
	कुशलगढ़
	पिरावा
	नगर

1	2
	किशनगढ़ बास (अलवर)
	नशीराबाद
	भीनमल
	सोजाट
	बाली
	सोनचर
	भरतपुर
	किशनगढ़ (अजमेर)
	तारानगर
	विजयनगर
तमिलनाडु	ईरोद
	चिदम्बरम*
	नत्तम
	पलानी
	अम्बासमुद्रम
	देनकनिकोट्टा
	वन्दवासी
	कल्लाकुरूची
	पेरनामपेट
	अम्बूर
	पोल्लाची

1	2
त्रिपुरा	जोलईबारी
	अमरपुर
	अम्बासा
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा
	घुनाघाट
	नरोरा
	तलबेहोटा
	कारवी
	दुधीनगर
	कोसी
	खेतीखान
	गोपेश्वर
	कलागढ़
	बिधुना
	डाक पत्थर
पश्चिम बंगाल	बलरामपुर*
	कूच बिहार
	गरबेटा
कुल	133

*1.3.1999 के अनुसार एल.पी.टी. की अवस्थिति तकनीकी दृष्टि से तैयार है।

(संख्या 18)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित वृद्धि

*233. **श्री सतनाम सिंह कैंथ** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विभिन्न खण्डों के संबंध में 9वीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए अनुमानित मांग/लक्ष्य शामिल हैं। रिपोर्ट के उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न हैं।

सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के संवर्धन, वृद्धि और विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(2) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 51% तक विदेशी इक्विटी की स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

(3) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों पर कम स्तर का उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(4) आयात-निर्यात नीति के तहत केवल कुछ मदों को छोड़कर सभी प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात की अनुमति है।

(5) खाद्य प्रसंस्करण के लिए अधिकांश सामग्री का और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पूंजीगत उपकरणों का आसानी से आयात किया जा सकता है।

(6) बैंक ऋणों की प्राथमिकता सूची में खाद्य प्रसंस्करण को शामिल किया गया है।

(7) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि, संवर्धन और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

विवरण

9वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए अनुमानित मांग/लक्ष्य

मदें	यूनिटें	1995-96	2001-02
1	2	3	4
क. अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र			
1. रोलर आटा मिलों से उत्पादन	मिलियन टन	9	12
2. चावल मिलों से उत्पादन	मिलियन टन	120	133
3. ज्वार प्रसंस्करण	लाख टन	80	154
4. दाल प्रसंस्करण	,,	14	17
5. बेकरी उत्पाद			
(क) बिस्कुट, रस्क आदि	,,	12	44
(ख) ब्रेड, केक आदि	,,	14	30
6. पास्ता उत्पाद	,,	1.4	6.5
7. दलहन आधारित उत्पाद (भुजिया आदि)	,,	3.6	4.6
8. अनाज एवं दलहन आधारित मिश्रण और मूल्यवर्धित प्रारम्भिक प्रसंस्कृत उत्पाद	,,	1.2	4.5
ख. बागवानी आधारित उत्पाद			
1. फल उत्पाद आदेश के तहत आने वाले फल और सब्जी उत्पाद	,,	10	30

1	2	3	4
2. अनौपचारिक क्षेत्र में फल एवं सब्जियां	लाख टन	1.6	30
3. नारियल आधारित उत्पाद	हजार टन में	20	100
4. (क) काजू	लाख टन में	3.7	8
(ख) मूल्यवर्धित काजू उत्पाद	,,	10	50
5. (क) अखरोट	हजार टन में	25	35
(ख) मूल्यवर्धित काजू उत्पाद	,,	लागू नहीं	10
6. ग्राउण्ड स्पाइसिस मिक्स	,,	95	250
7. स्पाइस आयल, ऑलियोरेजिन एवं मिश्रित मूल्यवर्धित मसाला फ्लेवर	,,	10	30
ग. दूध उत्पाद			
1. बेबी फूड समेत दूध उत्पाद	हजार टन में	200	300
2. माल्टेड फूड	,,	48	100
3. संघनित दूध (खोया के अतिरिक्त)	,,	9	20
4. मक्खन	,,	68	120
5. घी	,,	115	200
6. पनीर	,,	5	20
7. केसिन	,,	1	8

1	2	3	4
8. लेक्टोज	हजार टन में	लागू नहीं	10
9. खोया और पनीर जैसे पारम्परिक उत्पाद	लाख टन में	5.5	15
घ. मांस और पॉल्ट्री उत्पाद			
1. भैंस मांस	मिलियन टन	1.2	1.8
2. गोमांस	,,	1.26	1.6
3. भेड़ और बकरी मांस	,,	0.68	0.9
4. सूअर मांस	,,	0.4	0.5
5. पॉल्ट्री मांस	,,	0.45	1.0
6. प्रसंस्कृत मांस और पॉल्ट्री उत्पाद	लाख टन	0.5	1.5
7. प्रसंस्कृत अंडा उत्पाद	,,	0.4	2.0
ङ मात्स्यिकी उत्पाद			
1. मछली उत्पादन	मिलियन टन	4.8	6.5
2. प्रसंस्कृत मछली उत्पाद	लाख टन	4.0	8.0
च. उपभोक्ता खाद्य			
1. बीयर	मिलियन लीटर	350	600
2. पेय अल्कोहल	,,	620	800

1	2	3	4
3. कोको उत्पाद	हजार टन	44	70
4. मृदु पेय	मिलियन टन	165	400
5. हाई प्रोटीन खाद्य	हजार टन	15	20
6. सोया उत्पाद	,,	30	60
7. शक्तिवर्धक खाद्य	,,	120	400

झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योग

***234. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कितने झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार झींगा मछली प्रसंस्करण क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने का है ताकि नए एककों की स्थापना की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार 409 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं। इनमें से 15 सार्वजनिक क्षेत्र के तहत और शेष 394 निजी क्षेत्र के तहत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रॉन के निर्यात से भारतीय रु. और अमेरिकी डॉलर में हुई वसूली निम्नलिखित अनुसार हैं:-

वर्ष	मूल्य रु. में (करोड़ रु. में)	मूल्य अमेरिकी डॉलर में (मिलियन में)
1995-96	2359.01	748.89
1996-97	2703.61	756.25
1997-98	3145.64	867.76

(ग) और (घ) मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत मछली प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान के साथ-साथ ऋण की व्यवस्था है। इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यूरोपीय संघ/भारत सरकार के स्तरों को पूरा करने के लिए यूनिटों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूरे भारत में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कई सब्सिडी स्कीमें चला रहा है।

छावनी अधिनियम

***235. श्री के. पैरी मोहन :**
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नया छावनी अधिनियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्या है; और

(ग) इसे कब तक पारित किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अधिनियम की कुछ धाराओं को संशोधित करने के मूल प्रस्ताव के स्थान पर विधि मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार एक नया विधान अधिनियमित करने हेतु एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) चूंकि एक नया विधान अधिनियमित किए जाने का प्रस्ताव है, अत: कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

''विजिट इंडिया ईयर'' मनाने के लिए फिल्में

***236. श्री विठ्ठल तुपे :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ''विजिट इंडिया ईयर मनाने के लिए प्रोत्साहन फिल्मों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1999-2000 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों को उक्त फिल्में दिखाने के लिए अनेक देशों से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय ने, जहां आवश्यक हो, उपयुक्त परिवर्तन करने के पश्चात् ''एक्सप्लोर इंडिया मिलेनियम ईयर'' (भारत भ्रमण वर्ष से पुन: नामित) के संवर्धन हेतु एक फिल्म बनाने के लिए मौजूदा सामग्री का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों के कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

***237. श्री पी.सी. थामस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सेना कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने वाले बहुत से आवेदन पत्र सशस्त्र बलों में लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं में से प्रत्येक सेना से श्रेणीवार और रैंकवार कितने कार्मिक कार्यमुक्त किए गए हैं; और

(ग) सेना कार्मिकों की नौकरियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हमारे देश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों जिसमें महिला अधिकारी शामिल हैं और अन्य रैंक श्रेणियों के लिए उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों की अधिक जानकारी देने के लिए उपाय किए गए हैं। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसे निर्णयों के अतिरिक्त, सशस्त्र सेना कार्मिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

विवरण

प्रादेशिक सेना और सेकेंडेड अधिकारी संवर्ग को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान त्याग-पत्र देने वाले अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले रक्षा सेनाओं के कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:-

सेना

रैंक	1996	1997	1998
1	2	3	4
लेफ्टिनेंट जनरल	–	1	–
मेजर जनरल	5	3	2

1	2	3	4
ब्रिगेडियर	11	24	30
कर्नल	57	79	92
लेफ्टिनेंट कर्नल (टी.एस. सहित)	182	305	333
मेजर	82	84	120
कैप्टन और उससे नीचे	34	49	54
योग	371	545	631
नौसेना			
फ्लैग अफसर	शून्य	शून्य	1
कैप्टन/कमोडोर	19	18	31
कमांडर	52	74	100
लेफ्टिनेंट कमांडर/और उससे नीचे	34	42	60
वायुसेना			
ग्रुप कैप्टन और उससे ऊपर	27	32	22
विंग कमांडर	99	120	125
स्क्वाड्रन लीडर और उससे नीचे	31	40	75

फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य-परीक्षण

***238. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य-परीक्षण करने तथा सुरक्षा-सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस उच्चस्तरीय समिति की दूसरी बैठक करने पर भी सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त सैन्य-परीक्षण करने से हमारी शक्ति किस सीमा तक बढ़ जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए अभी तक कोई तिथियां निश्चित नहीं की गई हैं। रक्षा सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस उच्च स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक 1999 के दौरान आयोजित किए जाने की आशा है।

(ग) भारत और विदेशी मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास किए जाने से भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं की संक्रियाओं और सिद्धांतों को समझने का अवसर मिलता है। इनसे सामरिक जागरूकता भी बढ़ती है और ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं में प्रचलित प्रणालियों, उपस्करों, सोच-विचार और प्रक्रियाओं की जानकारी मुहैया कराते हैं।

[हिन्दी]

पायलटों का विदेशी विमान कम्पनियों में जाना

***239. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998 के दौरान कितने पायलटों ने इंडियन एयरलाईंस तथा एयर इंडिया की नौकरी छोड़कर विदेशी विमान कम्पनियों में नौकरी कर ली है;

(ख) पायलटों द्वारा अपनी संबंधित एयरलाइन्स की नौकरी छोड़ने के क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में प्रशिक्षित पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जबकि 1998 के दौरान एयर इंडिया को छोड़कर कोई विमानचालक नहीं गया है, इस अवधि के दौरान वैयक्तिक कारणों से केवल एक विमानचालक ने इंडियन एयरलाइंस की सेवा से त्यागपत्र दिया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइंस के पास वर्तमान अनुसूची के अनुसार अपनी सेवाओं के प्रचालन के लिए पर्याप्त विमानचालक उपलब्ध हैं। विमानचालकों की कमी से निजात पाने के लिए एयर इंडिया ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. सभी प्रकार के विमानों पर विमान चालकों के प्रशिक्षण को तेज किया गया है।

2. भारतीय विमानचालक गिल्ड के साथ समझौता होने के पश्चात् बुनियादी विमान के बाद उच्चतर विमान का प्रचालन करने संबंधी चक्रीय प्रगति ढांचे में परिवर्तन किया गया है और अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति वाले विमान चालकों को रखा गया है।

3. जांच विमानचालकों/अनुदेशकों तथा जांचकर्ताओं की संख्या में भी कुछ सीमा तक वृद्धि की गयी है। इन श्रेणियों की पर्याप्त संख्या विमानचालकों के प्रशिक्षण में तेजी लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

4. प्रशिक्षण की किस्म तथा स्तर को कम किए बिना प्रशिक्षण कार्यविधि को सरल बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशक के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें की गयी हैं। प्रशिक्षण की नई कार्यविधि से प्रशिक्षण की अवधि में कमी की जा सकेगी।

[अनुवाद]

सिनेमा को उद्योग का दर्जा

*240. **श्री जॉर्ज ईडन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिनेमा-उद्योग को संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए उसे उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश भर के सिनेमा उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सरकार ने मोटे तौर पर फिल्म क्षेत्र के समग्र विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

(1) फिल्म निर्माण और अन्य संबंधित कार्यकलापों को सांस्थनिक एवं बैंक वित्त-पोषण हेतु पात्र बनाने संबंधी मामले पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना।

(2) फिल्म वित्त-पोषण, बीमा एवं निगमीकरण जैसे मुद्दों के बारे में फेडरेशन ऑफ फिल्म इन्डस्ट्री तथा एफ.आई.सी.सी.आई. के सहयोग से सेमिनार और चर्चाएं आयोजित करना।

(3) फिल्म उद्योग के लिए एक विकास परिषद् स्थापित करना।

(4) फिल्मों तथा अन्य श्रव्य-दृश्य उत्पादों के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच स्थापित करना।

(5) अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना है।

प्रतिबंधित संगठनों से बरामद धन

2306. श्री जयन्त रंगपी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र बलों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रतिबंधित

संगठनों के विरूद्ध छेड़े गए 'ऑपरेशन राइनों' के समय से लेकर अब तक विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से कितना धन बरामद किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : जब से 'आपरेशन राइनो' चलाया गया है तब से 3.3.1999 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से 1,07,45,399 रुपये बरामद हुए हैं।

कलकत्ता-अगरतला सेक्टर में अधिक हवाई उड़ाने चलाना

2307. **श्री समर चौधरी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता हवाई क्षेत्र पर उड़ानों की बारम्बारता बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस की ग्रीष्मकालीन सारणी में कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता सैक्टर पर उड़ानों की आवृत्तियों को प्रति सप्ताह 11 से 12 करने का प्रस्ताव है।

सेना के प्रयोग हेतु नारियल जटा उत्पादों की खरीद

2308. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से सेना के प्रयोग हेतु नारियल जटा उत्पाद और काजू छिलकों की खरीद के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नीति के तहत, सरकार भारतीय सेना की जरूरतों के आधार पर उनके लिए सामान्य वस्तुओं और परिधान मदों की अधिप्राप्ति प्रथमतया आयुध निर्माणियों की क्षमता के अनुसार उनसे करती है और उसके बाद सरकारी अनुदेशों के अनुसार शेष मात्रा की अधिप्राप्ति या तो आरक्षित सेक्टर जैसे एसोशिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन तथा अपेक्स सोसायटीज ऑफ हैन्डलूम, खादी व ग्राम उद्योग आयोग से या खुली निविदाओं के माध्यम से व्यापार द्वारा करती है।

2. सेना मुख्यालय ने बताया है कि वे निम्नलिखित जूट मदों की खरीद केंद्रीय रूप से कर रहे हैं:-

(क) जूट रेशा ग्रेड-2

(ख) मैट्स जिमनाजियम

(ग) मैट्स डोर व

(घ) कॉयर मैटिंग 915 मी.

3. जूट रेशा ग्रेड-2 तथा मैट्स जियनाजियम की अधिप्राप्ति खुली निविदा के आधार पर की जाती है और डोर मैट्स तथा कॉयर मैटिंग की अधिप्राप्ति दर संविदा के माध्यम से की जाती है। सेना मुख्यालय ने अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चटाई और जियनाजियम मैटों की खरीद के लिए केरल की फर्मों को आर्डर दिए हैं।

4. नौसेना चटाईयों की अपनी आवश्यकताओं को केरल से पूरा कर रही है।

मरम्मत के लिए विमानों को खड़ा करना

2309. **श्री संदीपान थोरात :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के अनेक विमानों को महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण 1997-98 और 1998-99 के दौरान मरम्मत के लिए खड़ा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो खड़े किए गये ऐसे विमानों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इनकी मरम्मत में कितना समय लगा था;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नई दिल्ली में महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जे स्टॉक न किये जाने का क्या कारण है; और

(घ) नई दिल्ली और देश के अन्य स्थानों में वर्कशॉप का दर्जा बढ़ाने/उसे सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इंडियन एयरलाइंस के नई दिल्ली इंजीनियरिंग वेस और देश के अन्य स्थानों पर आवश्यक अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

कोवई एक्सप्रेस में आग

2310. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोवई एक्सप्रेस में चलती गाड़ी में 26 जनवरी, 1999 को वातानुकूलित डिब्बे में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पालघाट मंडल के सहायक यांत्रिक इंजीनियर, सहायक बिजली इंजीनियर और सहायक परिचालन प्रबंधक/सुरक्षा द्वारा संयुक्त जांच प्रगति पर है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से होटल का निर्माण

2311. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से नए पर्यटक होटल और यात्री निवास खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य सरकारों को पर्यटक बंगले, पर्यटन केन्द्र और यात्री निवासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

शिमला के सैनिक चिकित्सालय में आग

2312. श्री बाबूराव तनपुरे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1998 के दौरान शिमला के सैनिक चिकित्सालय में भयंकर आग लग गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) मृत अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या क्या है और इसमें संपत्ति की कितनी हानि हुई है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह की आग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) शिमला के सैन्य अस्पताल में दिनांक 21/22.12.98 को 0155 बजे आग लगी थी जो संभवत् विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग लगने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी और न ही कोई घायल हुआ था। तथापि वाकर अस्पताल के रूप में विख्यात अस्पताल भवन (एक काष्ठ निर्मित संरचना) और उससे लगा हुआ भवन जिसमें पुस्तकालय, मनोरंजन कक्ष, अतिथि कक्ष, फर्नीचर, आयुध स्टोर, चिकित्सा स्टोर और सैन्य इंजीनियरी सेवा स्टोर था, पूर्णतया नष्ट हो गए थे। दो एम्बुलेंस वाहन भी नष्ट हो गए थे।

2. सैन्य प्राधिकारियों द्वारा एक जांच अदालत गठित की गई है जिसका जांच-कार्य चल रहा है। भविष्य में इस प्रकार की अग्निकांडों से बचने के लिए अग्निरोधी और बचाव पूर्वोपायों का भी अनुसरण किया जा रहा है।

आगरा के लिए मासिक आवधिक टिकट

2313. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग आगरा और दिल्ली के बीच आते-जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मासिक आवधिक टिकट (एम.एस.टी.) आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा आने-जाने के लिए दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे यात्रियों के लिए मासिक आवधिक टिकट की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) मासिक टिकट केवल 150 कि.मी. की दूरी तक ही जारी किए जाते हैं, सिवाए उन खंडों में जहां 1951 से पहले इन्हें जारी किया गया था। चूंकि आगरा से दिल्ली की दूरी 150 कि.मी. से अधिक और इन स्टेशनों के लिए मासिक टिकट 1951 से पहले जारी नहीं किए गए थे, इसलिए आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा के लिए मासिक टिकटों को नहीं जारी किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भीतरी गड़बड़ियों की रोकथाम हेतु सेना की तैनाती

2314. श्री रामानन्द सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान देश में राज्यवार आन्तरिक गड़बड़ियों से निपटने हेतु कितनी बार सेना को बुलाया गया;

(ख) क्या आन्तरिक गड़बड़ियों से निपटने हेतु सेना की तैनाती के मामले में कोई नीतिगत समीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार की यह घोषित नीति है कि सेना को ऐसे कार्यों पर अंतिम उपाय के तौर पर केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब संबंधित राज्य सरकारों के लिए उनके अपने पास उपलब्ध संसाधनों से स्थिति पर काबू पाना संभव न हो।

विवरण

देश में आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए सेना को निम्न प्रकार बुलाया गया

क्र.सं.	राज्य	से	तक
		1996	
1.	पश्चिम बंगाल	29 मई, 96	2 जून, 96
2.	त्रिपुरा	7 नवंबर, 96	10 नवंबर, 96
3.	त्रिपुरा	15 नवंबर, 96	20 नवंबर, 96
4.	आसाम	20 नवंबर, 96	25 नवंबर, 96
5.	त्रिपुरा	12 दिसंबर, 96	19 दिसंबर, 96
		1997	
5.	त्रिपुरा	24 जनवरी, 97	27 जनवरी, 97
		1998	
6.	तमिलनाडु	13 फरवरी, 98	15 फरवरी, 98
7.	तमिलनाडु	24 फरवरी, 98	01 मार्च, 98
		1999	
	शून्य	शून्य	शून्य

तथापि उपर्युक्त आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में सेना को लगाए जाने संबंधी आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

बिहार में पृथक रेलवे पुलिस आयुक्त का कार्यालय

2315. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाड़ियों में आपराधिक घटनाओं से संयुक्त रूप से निपटने के लिए बिहार सरकार और रेलवे एक स्वतंत्र रेलवे पुलिस-आयुक्त का कार्यालय गठित करने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रंथालय प्रबंधन सोफ्टवेयर लगाया जाना

2316. श्री सुधीर गिरि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रंथालय के अनुसंधान संदर्भ तथा प्रशिक्षण प्रभाग को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या ग्रंथालय के संदर्भ ग्रंथ संबंधी रिकार्ड का 'रिट्रो-कनवर्जन' पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो कब और इसकी लागत क्या है;

(घ) क्या ग्रंथालय में तिथि को पढ़ने के लिए कोई ग्रंथालय प्रबंधन सोफ्टवेयर लगाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्रंथालय प्रबंधन सोफ्टवेयर को न लगाए जाने के क्या कारण हैं तथा ग्रंथालय सोफ्टवेयर के बगैर 'रिट्रो-कनवर्जन' के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार भकवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 32974 सन्दर्भ ग्रन्थ रिकार्डों के प्रति-रूपान्तरण संबंधी कार्य को 1,64,870 रु. की लागत पर अप्रैल, 1998 में पूरा किया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्रमिक बल

2317. श्री विजय गोयल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कुल कितना श्रमिक बल है; और

(ख) आज की तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि और उद्योग में कुल कितना श्रमिक बल कार्यरत है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.12.1998 के अनुसार दिल्ली में कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की संख्या 2.50 लाख थी। असंगठित क्षेत्र तथा कृषि उद्योग में नियोजित श्रम बल को निर्धारित करने के लिए उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

कलकत्ता मेट्रो रेल का विस्तार

2318. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता की मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विस्तार कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) टॉलीगंज से गरिया (लगभग 8 कि.मी.) तक कलकत्ता मेट्रो के विस्तार कार्य को लगभग 696 करोड़ रु. की लागत से शुरू किया जाएगा और इसकी 33% लागत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) छह वर्षों में।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एलर्ट कूलिंग ट्राली की प्राप्ति

2319. श्री मोतीलाल वोरा : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 3 दिसंबर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 889 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1984 और 1987 के बीच हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किन तारीखों को और कितना भुगतान किया गया और एच.ए.एल. द्वारा इस पर कितनी राशि के ब्याज, यदि कोई है का भुगतान किया गया है;

(ख) एच.ए.एल. ने 122.02 लाख रुपए की अदायगी किस तारीख को की थी, लाभ की राशि कितनी थी और एच.ए.एल. द्वारा इस प्रकार अर्जित लाभ को उक्त अवधि के दौरान किस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया था; और

(ग) समायोजित राशि में से एलर्ट कूलिंग ट्रालियों की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है।

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) मैं. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एच.ए.एल.) को भुगतान की गई धनराशि तथा भुगतान की तारीखें इस प्रकार हैं:-

तारीख	धनराशि (लाख रुपए में)
30.11.84	9.21
8.2.85	3.69
14.6.85	14.74
15.10.85	5.53
24.02.86	31.32
07.06.87	92.15
जोड़	156.64

इन राशियों पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. ने कोई ब्याज नहीं दिया है।

(ख) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. ने 122.02 लाख रुपए की पुनर्अदायगी निम्नलिखित तारीखों को की थी:

तारीख	धनराशि (लाख रुपए में)
04.01.93	12.90
17.08.93	46.29
01.11.94	7.00
10.12.97	55.83
जोड़	122.02

उक्त राशियों पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया।

(ग) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. ने सभी आठ एलर्ट कूलिंग ट्रालियों की आपूर्ति कर दी है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में चल रही दूरदर्शन की परियोजनायें

2320. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित किए जा रहे उर्दू कार्यक्रमों का प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उर्दू कार्यक्रमों को अधिक समय देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कार्यक्रम दो भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किए जाते हैं। तथापि, ईद, मुहर्रम और ईद-उल-जुहा जैसे विशेष अवसरों को चिन्हित करने वाले कार्यक्रमों को उर्दू भाषा में प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद अपनी क्षेत्रीय सेवा में अपने 6% कार्यक्रमों का उर्दू में प्रसारण करता है।

(ख) मैट्रो नेटवर्क पर प्रतिदिन उर्दू में एक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम 'गुल-सनोवर' को भी उर्दू में प्रसारित किया जाता है। पूर्व में 17 प्रकरणों वाला धारावाहिक 'मिर्जा गालिब' डी.डी.-1 पर प्रसारित किया गया था और उसे हाल ही में डी.डी.-2 पर दोबारा प्रसारित किया गया था।

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी मामले एक सांविधिक स्वायत्तशासी निगम, प्रसार भारती के कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। उन्होंने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

गोदी कामगारों की आवश्यकता

2321. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पत्तनों पर गोदी कामगारों की उत्पादकता पड़ोसी देशों के गोदी कामगारों की उत्पादकता तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खराब उत्पादन के बावजूद इन कामगारों ने पत्तनों के निजीकरण का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) प्रमाणित अधिसूचित आंकड़ों के अभाव में और कार्गो-मिक्स, प्रौद्योगिकी और उपस्कर के संबंध में पत्तनों में भिन्नता के कारण, भारत में पत्तन कामगारों की उत्पादकता की पड़ोसी देशों के अन्य पत्तनों से तुलना किया जाना संभव नहीं है।

(ग) प्रमुख पत्तनों में निजीकरण उपायों के विरोध में श्रमिक संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारतीय पत्तन कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन (परिणाम आधारित भुगतान) योजनाएं और उत्पादकता संबद्ध पारितोषिक का भुगतान शामिल हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों की परिलब्धियां

2322. श्री एस. अजय कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंग्रेजी तथा हिन्दी के नैमित्तिक समाचार वाचकों को क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों से अधिक परिलब्धियां मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों को अधिक कार्य करना पड़ता है क्योंकि इन्हें स्क्रिप्ट का अनुवाद भी करना होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों को और अधिक परिलब्धियां दिये जाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) जहां तक आकाशवाणी का संबंध है अंग्रेजी के नैमित्तिक समाचार वाचकों तथा हिन्दी के नैमित्तिक समाचार वाचकों को भुगतान किए जा रहे शुल्क तथा क्षेत्रीय भाषा के नैमित्तिक समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों को भुगतान किए जा रहे शुल्क में मामूली सा अन्तर है। मौजूदा शुल्क ढांचे के अनुसार, अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार वाचकों/समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों $6^1/_2$ घंटे की शिफ्ट में कम से कम 3 बुलेटिनों के लिए 350/- रु. का भुगतान किया

जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा के नैमित्तिक समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों क्षेत्रीय स्तर तथा मुख्यालय दोनों को प्रतिदिन 2 अलग शिफ्टों में 300/- रु. का भुगतान किया जा रहा है।

सुपुर्द काम की अवधि तथा नैमित्तिक कर्मचारियों की दो-श्रेणियों की ड्यूटी की प्रकृति में अन्तर होने के कारण शुल्क ढांचे में मामूली सा अन्तर है। अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचार वाचकों तथा समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों को लम्बे समय तक काम करना पड़ता है तथा दी गई शिफ्ट में काफी अधिक समाचार बुलेटिनों को पढ़ना भी आवश्यक होता है। तुलना करने पर क्षेत्रीय भाषा में नैमित्तिक समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों को प्रतिदिन दो अलग शिफ्टों में ही काम करना पड़ता है तथा आवश्यक होने पर 5 से 10 मिनट की बुलेटिन के लिए समाचार सामग्रियों के अनुवाद में सहायता करना तथा इसे पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हिन्दी तथा अंग्रेजी के नैमित्तिक कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषा के नैमित्तिक समाचार वाचकों-सह-अनुवादकों से अधिक और लम्बे समय तक काम करना पड़ता है जो शुल्क ढांचे के इस मामूली से अंतर को युक्ति-संगत ठहराता है।

दूरदर्शन में भाषा के आधार पर नैमित्तिक समाचार वाचकों में कोई अन्तर नहीं है। सामान्यतया समाचार वाचकों को दो मुख्य श्रेणियों अर्थात् राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बुलेटिनों से सम्बन्धित महत्व तथा अधिक दर्शकों के कारण ऐसे बुलेटिनों को पढ़ने वाले समाचार वाचकों को अधिक मेहनताना दिया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2323. श्री भीम दाहाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सरकार का विचार विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सिक्किम सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत सिक्किम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु निवेशकों को आमंत्रित किया गया है।

वर्ष 1996 में सिक्किम सरकार ने मैसर्स रेडओर्चिड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड नामक एक कंपनी जिसके प्रतिनिधि एक स्विस राष्ट्रिक श्री थॉमस फूररथे, के साथ सिंगटम पूर्वी जिले में स्थित सरकारी खाद्य परिरक्षण फैक्टरी को पट्टे पर देने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जिस उद्देश्य से समझौता किया गया था, उसके पूरा न होने के कारण उक्त समझौता फरवरी 1999 में सिक्किम सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया।

[हिन्दी]

ग्वालियर और मुरैना रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमण

2324. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर और मुरैना रेलवे स्टेशनों के परिसर में तथा आस-पास के क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रेलवे स्टेशनों के शेड्स रेल विभाग के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) ग्वालियर में 12 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिनके लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं। बहरहाल, मुरैना रेलवे स्टेशन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ग्वालियर स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में लाइसेंसधारियों से रेलवे भूमि खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और खाली कराने के आदेश संपदा अधिकारी ने भी जारी कर दिए थे। बहरहाल, अतिक्रमणकारी न्यायालय चले गए हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा इस समय मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

बाल श्रम कानून में संशोधन

2325. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान बाल श्रम कानून में संशोधन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या है; और

(ग) यह संशोधन कब तक कर दिए जायेंगे?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल हैं कि अपराध को एक संज्ञेय अपराध बनाया जाए, शास्तियों को अधिक कठोर और निवारक बनाया जाए और बालक की आयु के प्रमाण का दायित्व नियोजक का हो।

(ग) उपर्युक्त संशोधन लागू करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

पिट लाइन का निर्माण

2326. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन पर छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों को करने के लिए "पिट लाइन" का निर्माण करने तथा "वर्क शेड" प्रदान करने हेतु संसद सदस्यों से कितने अनुरोध प्राप्त किए गए है;

(ख) आज तक उनमें से प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त कार्यों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन में छोटी मोटी मरम्मत के लिए पिट लाइन तथा वर्क शेड स्थापित करने के लिए श्री चित्त बसु, संसद सदस्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) अपर्याप्त कार्यभार होने के कारण न्यू कूचबिहार में एक पिट लाइन का निर्माण और अनुरक्षण सुविधाओं को मुहैया कराना परिचालनिक दृष्टि से उचित नहीं पाया गया। बहरहाल, सीमित मात्रा मे उपलब्ध कार्यभार को सम्हालने के लिए सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पिछले दो वर्षों में कार्य को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं से गोपनीय सूचना का लीक होना

2327. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन 'इस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मैडिसिन एण्ड एलाइड साइन्सेस' तिमारपुर में सरकारी गोपनीयता के लीक होने या वैज्ञानिकों की ओर से की गई ढिलाई की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या किसी भी प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिकों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत अन्य प्रयोगशालाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रयोगशालाओं की संख्या 51 है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की गई थी तथा आरोप निराधार पाए गए थे। किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी।

(घ) जी, हां। भर्ती नियमों में सामान्य प्रावधान मौजूद हैं तथा कैरियर प्रबंधन में वैज्ञानिकों का एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में स्थानांतरण शामिल है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्द्धाओं का दूरदर्शन पर प्रसारण

2328. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के सीधे प्रसारण के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या हाल ही में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला के प्रसारण अधिकार ई.एस.पी.एन. को बेच दिये गये;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सभी अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्द्धाओं को दूरदर्शन चैनलों पर सीधे दिखाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) दूरदर्शन के कार्यक्रमों संबंधी सभी मामले प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं और सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन की यह नीति है कि राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रमुख खेल आयोजनों को सीधे प्रसारित किया जाए जो कि टेलीविजन अधिकारों की उपलब्धता, उपयुक्त समय स्लाटों तथा तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ख) जी, नहीं। प्रसारण अधिकार मैसर्स ई.एस.पी.एन. के पास थे और दूरदर्शन ने इन मैचों के मुख्य अंशों को रोज अपने नेटवर्क पर प्रसारित करने के अधिकार उनसे प्राप्त किए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन द्वारा उन सभी प्रमुख खेल आयोजनों को प्रसारित करने का सतत् रूप से प्रयास किया जाता है जिनके प्रसारण अधिकार इसके पास होते हैं। दूरदर्शन ने आस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, 1999 वर्ल्ड कप क्रिकेट (11 मैच तथा अन्य मैचों के मुख्य अंश), शारजाह क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला, यू.ई.एफ.ए. लीग चैम्पियनशिप, डेविस कप मैचों आदि के टेलीविजन प्रसारण अधिकार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

कलाकारों की रिक्तियां

2329. श्री यू.वी. कृष्णमराजु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पाश्चात्य संगीत 'विद्युत की बोर्ड' इन्स्ट्रूमेंट आर्गन, के वादकों के पद मंत्रालय में रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कलाकारों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में निवेश पर लाभ/घाटे

2330. श्री अरविंद कांबले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कितना सरकारी और गैर-सरकारी निवेश हुआ है;

(ख) मार्च, 1998 तक उक्त प्राधिकरण का वार्षिक लाभ और घाटे का लेखा क्या है;

(ग) मार्च, 1998 तक सरकार द्वारा किये गये निवेश पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है; और

(घ) सरकार और निजी निवेशकों द्वारा अर्जित लाभ में अंतर के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 325.13 करोड़ रुपए है। अभी तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी में कोई गैर-सरकारी निवेश नहीं है।

(ख) प्राधिकरण ने 31.3.1998 की वर्ष समाप्ति के दौरान कर पश्चात् 196.14 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बिलासपुर हवाई पट्टी को चौड़ा करना

2331. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हवाई पट्टी को चौड़ा करने और वायु सेवाएं पुन: आरम्भ करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) हवाई पट्टी को चौड़ा करने का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) बिलासपुर विमान पट्टी 30 सीटों वाले विमान के प्रचालन हेतु उपयुक्त है। इस विमान पट्टी का अनुरक्षण प्रचालनात्मक परिस्थिति में नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी एयरलाइन ने इस विमान पट्टी से प्रचालन के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रक्षेपित नहीं किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई पट्टी के विकास की कोई योजनाएं नहीं हैं। जहां तक विमान सेवाओं को पुन: चालू करने का संबंध है, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर बिलासपुर सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

निंघा विमानपत्तन (पश्चिम बंगाल)

2332. श्री विकास चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित निंघा विमानपत्तन का अनुरक्षण नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमानपत्तन के विकास हेतु कोई मंत्रालय की योजना अथवा कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला खनन से संबंधित कार्याकलापों के कारण, पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले में निंघा पर विमान पट्टी को काफी पहले हटा दिया गया है।

जे.सी.टी. टेक्सटाइल मिल, श्री गंगा नगर को बंद किया जाना

2333. श्री इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे.सी.टी. कपड़ा मिल की श्री गंगा नगर, राजस्थान स्थित कोई इकाई बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके बंद होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस मिल की इस इकाई का पुनरूद्धार करने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों की मजदूरी हेतु मजदूर यूनियनों का प्रदर्शन

2334. श्री बैजनाथ रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर यूनियनों ने मजदूरों को दी जा रही कम मजदूरी और उनकी छंटनी के विरोध में 1 फरवरी, 1999

को विशाल प्रदर्शन किया और इस हेतु कोई ज्ञापन भी दिया था;

(ख) यदि हां, तो मजदूर यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) यह रिपोर्ट किया गया है कि उद्योगों इत्यादि के बंद होने का विरोध करते हुए सीटू के केन्द्र ने देश के विभिन्न भागों में रैलियां, प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन करके राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस (2 फरवरी, 1999) मनाया था।

(ग) सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं के आधार पर और आर्थिक सुधारों के सामंजस्य में श्रम क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। श्रम कानूनों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं।

आई.टी.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा हेराफेरी

2335. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों ने गत वर्ष के दौरान सरकारी करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) जनवरी, 1999 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का कोई ऐसा मामला प्रबंधन के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के लिए दोषी अधिकारियों (यदि कोई हो) के विरुद्ध, संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पुराने विमानों की बिक्री

2336. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस प्रबंधन ने कुछ समय पूर्व 20 वर्ष पुराने दो इंजन वाले 300 विमानों की बिक्री का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रबंधन द्वारा बताए गए प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में पुनर्गठित इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने इंडियन एयरलाइंस को इन विमानों को बेचने के बजाय इन्हें पट्टे पर देने की संभावना तलाशने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर प्रबंधन की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, हां। दो बहुत पुराने ए 300 बी 2 विमान के बेचे जाने के लिए एक प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया था।

(ग) पुनर्गठित निदेशक मंडल ने इंडियन एयरलाइंस को यह इच्छा जाहिर की है कि वह इन विमानों को पट्टे पर दिए जाने की संभाव्यता का पता लगाए।

(घ) इन विमानों को पट्टे पर देने/बेचने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल की आगामी बैठक में विचार किए जाने की आशा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अप्रयुक्त भूमि

2337. श्री ए.सी. जोस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि के सही क्षेत्रफल का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भूमि को वाणिज्यिक कार्यों हेतु उपयोग के लिए इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बड़े विमानपत्तनों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और जिसमें भविष्य के विकास के लिए विमानपत्तन की सम्पूर्ण भूमि के उपयोग की योजना का पता चलता है। तथापि, अप्रयोज्य भूमि का पता लगाने के लिए अन्य विमानपत्तनों पर विस्तृत सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने गैर वैमानिकी राजस्व में वृद्धि हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विमानपत्तनों की खाली पड़ी भूमि का उपयोग कर सकता है।

[हिन्दी]

सेना में भर्ती हेतु शैक्षणिक मानक

2338. डा. प्रभा ठाकुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सेना में भर्ती करते समय अलग शैक्षणिक मानक अपनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''रावत'' पिछड़े समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की भर्ती का आधार अलग-अलग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार ''रावत'' समुदाय की भर्ती ऐसे शैक्षणिक मानकों के आधार पर करने का है जो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भारतीय सेना में सामान्य ड्यूटी श्रेणी के सिपाहियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। तथापि, कुछ क्षेत्रों/वर्गों/समुदायों को शैक्षिक स्तरों में कुछ छूटें दी जाती हैं जिसमें राजस्थान के अजमेर, राजास्मद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिलों के 'रावत' समुदाय को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक की छूट दिया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

बंगलौर विमानपत्तन पर विमानों से पक्षियों के टकराने के मामले

2339. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998 के दौरान बंगलौर विमानपत्तन पर विमानों से पक्षियों के टकराने के कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमानपत्तन के आसपास पशुवधशालाओं के कारण पक्षी और गिद्ध विमानपत्तन क्षेत्र की ओर आकृष्ट होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पक्षियों से टकराने के मामलों की रोकथाम हेतु विमानपत्तन संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) वर्ष 1998 के दौरान पक्षी टकराव के कुल नौ मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) और (ग) कोर मंगल तथा समीपस्थ क्षेत्रों के नजदीक कुछ बूचड़खाना बैंगलूर विमानपत्तन पर पक्षी कार्यकलापों के स्त्रोत रहे हैं। इस मामले को विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति बेंगलूर विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में और एच.ए.एल. के विमान क्षेत्र प्राधिकारी कंपनियों और रक्षा प्राधिकारी से उठाया गया है। पक्षी टकराव दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्थानीय सिविल प्राधिकारियों से मिलकर प्रभावी उपाय करने हेतु सतत् प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों का बंद होना

2340. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में बंद पड़े लघु, मंझोले और बड़े उद्योगों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन उद्योगों का निर्धारित अवधि में पुनरूद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, शिमला को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य में सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त और गैर-सरकारी क्षेत्रों के स्थायी तौर पर बंदी और फलस्वरूप प्रभावित कर्मकारों की संख्या के बारे में अलग-अलग सूचना प्राप्त होती है। श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार के संबंध में ऐसी बंदियों और फलतः प्रभावित कर्मकारों की संख्या निम्नानुसार है:

	इकाईयों की संख्या	प्रभावित कर्मकारों की संख्या (अनंतिम)
सार्वजनिक क्षेत्र	–	–
सहकारी क्षेत्र	–	–
गैर सरकारी क्षेत्र	2	19
संयुक्त क्षेत्र	–	–
योग	2	19

प्रेस क्लब

2341. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इसकी शाखाओं को अग्रिम अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

2342. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने गुजरात राज्य के कच्छ जिले में खरक और अन्य फलों के परिरक्षण और पैकिंग हेतु रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) श्री पी.एस. गढ़वी, माननीय संसद सदस्य, कच्छ जिला, गुजरात से प्राप्त एक विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने गुजरात के कच्छ जिले में पैदा होने वाले "खरक (खजूर) के परिरक्षण और प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास" पर एक अध्ययन रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया है। यह रिपोर्ट माननीय संसद सदस्य को उक्त संस्थान द्वारा दिनांक 14.12.98 को भेज दी गई थी।

(ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

फ्रूट ड्रिंक्स

2343. श्री महबूब जहेदी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से तथा उनके द्वारा अत्याधिक विज्ञापनों एवं विपणन संबंधी गतिविधियों से फ्रूट ड्रिंक्स क्षेत्र के संपूर्ण बाजार परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक विज्ञापनों, कोटि-उन्नयन, एवं बाजार संवर्धन के लिए वित्त-पोषण की असमर्थता के कारण रसिका फ्रूट ड्रिंक की बिक्री में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) फल पेय उद्योग में प्रमुख बाजार हिस्सा पारले और गोदरेज लि., जैसी भारतीय कंपनियों का है। कोका कोला और पेप्सी क्रमश: ''माजा'' और स्लाईस'' नामक फल पेयों को बढ़ावा दे रही है, परन्तु उनका बाजार हिस्सा कम है।

(ग) और (घ) इस मत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. का फल रस बाटलिंग संयंत्र ''रसिका'' नामक फल पेय तैयार करता है। यह यूनिट मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि. को खाद्य मंत्रालय से स्थानान्तरित किया गया था और इसकी सुविधाओं का बड़ी मात्रा में उन्नयन करने की आवश्यकता है। कंपनी का मुख्य कार्यकलाप बेकरी संबंधी कार्य है, इसलिए निवेश की दृष्टि से फल रस बॉटलिंग को कम प्राथमिकता प्राप्त है। इससे फल पेय संबंधी गतिविधियों में कमी आई है।

मैसूर विमानपत्तन का उन्नयन

2344. श्री ए. सिदराजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक स्थित मैसूर विमानपत्तन के उन्नयन के लिये कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिये कितनी भूमि की आवश्यकता है; और

(ङ) भूमि के अधिग्रहण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। बी-737 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए विमानपत्तन के स्तरोन्नयन की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है और 350 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार से उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उन्हें 350 एकड़ भूमि नि:शुल्क देने का अनुरोध किया है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द करना

2345. श्री के.एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से हैदराबाद में बड़ी संख्या में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने भविष्य में अंतिम क्षणों में उड़ानों को रद्द नहीं करने के लिये इंडियन एयरलाइंस को निर्देश देने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एअर की मात्र 0.29 प्रतिशत, 0.66 प्रतिशत और 0.41 प्रतिशत उड़ानें प्रतिकूल मौसम, विमानपत्तन प्रतिबंधों, तकनीकी विविध तथा परिणामदायक कारणों से क्रमश: वर्ष 1996, 1997 और 1998 में हैदराबाद से होकर निरस्त की गई थी।

(ग) निरस्तियों को कम करने/समाप्त करने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) तकनीकी विलंबों और निरस्तियों की जांच, विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(2) बार-बार होने वाली खराबियों की पहचान करने और उनका सुधार करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है।

(3) देरी के चलते निरस्तीकरण न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय रहता है।

(4) तकनीकी जानकारी के स्तरोन्नयन तथा संघटकों की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए विक्रेताओं तथा विमान विनिर्माताओं के साथ सतत् अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

चंडीगढ़ से दैनिक उड़ान

2346. श्री सत्यपाल जैन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ से देश के अन्य शहरों की दैनिक उड़ानों में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद इत्यादि के लिए कम से कम एक दैनिक उड़ान उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर-दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में दो ए-320 सेवाओं के प्रचालन करती है और एलायंस एयर सप्ताह में एक बी-737 सेवा का प्रचालन कर रही है जिससे चण्डीगढ़ से लेह को विमान सेवा से जोड़ा जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर, विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

रेल संपत्ति का अतिक्रमण

2347. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पांडु, मालीगांव और न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों की संपत्ति के एक बड़े भाग पर गैर-सरकारी लोगों द्वारा अतिक्रमण एवं कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल अधिकारियों को इस अतिक्रमण के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ रेल अधिकारियों की इन अतिक्रमण करने वालों के साथ मिली भगत है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भूमि को बचाने तथा अतिक्रमण करने वालों से अतिक्रमण छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दोनों ओर से अर्थात् अतिक्रमण हटाने तथा बेदखली अभियान बन्द करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेलों ने अतिक्रमण हटाने के अपने प्रयास बन्द नहीं किए हैं और वर्ष 1998-99 के दौरान 551 अदद अतिक्रमणों को हटाया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) रेलवे भूमि की सुरक्षा के लिए रोकथाम उपायों में चारदीवारी/बाड़ का निर्माण, व्यापक वृक्षारोपण और अतिक्रमणों के विरुद्ध निरंतर निगरानी शामिल हैं। स्थानीय पुलिस बल की सहायता से सरकारी भूमि (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत अतिक्रमणों को हटाया जाता है।

युद्धक क्षमता

2348. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सशस्त्र बल की युद्धक क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय सेना संसाधनों की कमी का सामना कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) समाघात क्षमता को बढ़ाने और भविष्य के युद्ध क्षेत्रीय परिदृश्य हेतु तैयारी करने के लिए मानवीय और सामग्री संबंधी दोनों ही संसाधनों को

अद्यतन बनाकर सेना का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि खतरे की बदलती हुई संभावनाओं, प्रौद्योगिकियों और भू-राजनीतिक परिवेश के साथ कदम मिलाकर चला जा सके। नियमित आधार पर संयुक्त अभ्यास किया जाता है और प्राथमिकता पर आधारित अधिप्राप्ति योजना बनाई जाती है। उपलब्ध संसाधनों से उच्च स्तर की संक्रियात्मक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का सतर्कता से अनुसरण किया जाता है।

बिहार में दूरदर्शन का खराब प्रसारण

2349. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य बिहार तथा उत्तर बिहार के हिस्सों विशेषकर औरंगाबाद एवं छपरा जिलों में दूरदर्शन के खराब प्रसारण की कोई खबर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त वर्णित स्थानों के प्रसारण में सुधार लाने के लिए उच्च शक्ति वाले प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि औरंगाबाद में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है इसलिए छपरा और औरंगाबाद जिलों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है क्योंकि इन जिलों के अधिकांश भागों को पटना, डाल्टनगंज और मुजफ्फरपुर में कार्य कर रहे उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से कवरेज प्राप्त हो रही है।

आई.टी.आई. के पाठ्यक्रम

2350. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम व्यवसायिक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम नये व्यवसाय को सीखने की ज्यादा संभावना उपलब्ध कराने के चलते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रमों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि आई.टी.आई. की तरह इन संस्थानों के पास छात्रों के लिए शिक्षुवृत्ति और रोजगार हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण का कोई प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस असंगति को दूर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा साथ ही राज्य सरकारों के तहत अनेक अभिकरणों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रवेश अर्हता, प्रशिक्षण का प्रकार एवं अवधि एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न हैं तथा वे श्रम बाजार की विभिन्न अपेक्षाओं की ओर लक्षित होती हैं। इस प्रकार तुलना करना सम्भव नहीं है।

जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ.प्र.सं.) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का संबंध है, इन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाती है तथा इसके परामर्श से इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

(ख) शिशु अधिनियम, 1961 चार श्रेणियों, नामत: व्यवसाय शिक्षु, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु, स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षुओं हेतु लागू है। कक्षा 8 उत्तीर्ण की न्यूनतम अर्हता से लेकर बी.एस.सी. तक की अर्हता वाले व्यक्ति 135 व्यवसायों वाली व्यवसाय शिक्षुओं की श्रेणी में 6 माह से 4 वर्षों की अवधि में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ संगत व्यवसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि में छूट दी जाती है।

10+2 व्यावसायिक शिक्षा स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति 94 विषय क्षेत्रों वाली तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं की श्रेणी में संगत विषय क्षेत्र में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी कॉलेजों या पॉलिटेक्नीकों से

उत्तीर्ण व्यक्ति 97 विषय क्षेत्रों में क्रमश: स्नातक या तकनीशियन शिक्षुओं की श्रेणी में संगत विषय क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार किसी भी संस्थान से उत्तीर्ण व्यक्ति, शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में चार श्रेणियों में से एक श्रेणी में शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) और (घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

प्रसारण केन्द्र, बूंदी द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

2351. श्री रामनारायण मीणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों को कार्यक्रम निर्माण इकाई और प्रसारण इकाई जो केवल प्रसारण के लिए है, में विभक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, बूंदी (राजस्थान) द्वारा कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उस केन्द्र में कार्यक्रम निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) एक दूरदर्शन केन्द्र में सामान्यतया स्टूडियो सेट अप तथा ट्रांसमीटर शामिल होते हैं। यह केन्द्र निर्धारित समय स्लॉट के दौरान उस केन्द्र में तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। केवल ट्रांसमीटर सेट अप वाले दूरदर्शन केन्द्रों को सामान्यतया ट्रांसमीटिंग केन्द्रों के रूप में जाना जाता है।

(ख) इस समय देश में कार्य कर रहे स्टूडियो केन्द्रों, कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों तथा ट्रांसमीटरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चूंकि बूंदी में स्टूडियो सेट अप की व्यवस्था नहीं की गई है इसलिए कार्यक्रम निर्माण संभव नहीं है। बूंदी में स्टूडियो सेट अप करने की इस समय कोई स्कीम नहीं है। तथापि, इस समय बूंदी में कार्य कर रहा एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम (डी.डी. 1) तथा जयपुर से प्रसारित क्षेत्रीय सेवा को रिले करता है।

विवरण

दूरदर्शन नेटवर्क (13.1999 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टी.वी. ट्रांसमीटर (प्रमुख चैनल)						टी.वीय ट्रांसमीटर (प्रमुख चैनल के अतिरिक्त)			
		का.नि.	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ..अ.श.ट्रा.	ट्रा.	कुल	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	3	3	19	1	1	24	0	3	0	3
2.	आंध्र प्रदेश	2	8	61	6	1	76	1	0	0	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	3	37	0	41	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	4	5	44	1	1	51	0	1	0	1
5.	गोवा	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
6.	गुजरात	2	4	51	3	0	58	1	1	0	2
7.	हरियाणा	0	0	9	0	0	9	0	1	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	8	29	2	41	0	1	0	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	4	6	31	1	42	0	4**	0	4
10.	केरल	1	3	18	2	0	23	0	4	0	4
11.	कर्नाटक	2	4	42	3	0	49	1	0	0	1
12.	मध्य प्रदेश	2	6	69	10	0	85	0	1	0	1
13.	मेघालय	2	2	2	2	0	6	0	2	0	2
14.	महाराष्ट्र	2	5	68	9	1	83	1	1	0	2
15.	मणिपुर	1	1	1	5	0	7	0	1	0	1
16.	मिजोरम	1	2	0	2	0	4	0	2	0	2
17.	नागालैंड	1	2	2	4	1	9	0	1	0	1
18.	उड़ीसा	2	4	58	9	1	72	1	4	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	पंजाब	1	4	5	0	1	10	0	1	0	1
20.	राजस्थान	1	4	58	13	2	77	0	2	0	2
21.	सिक्किम	0	1	0	5	0	6	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	1	3	36	3	2	44	1	0	0	1
23.	त्रिपुरा	1	1	2	1	1	5	0	2	0	2
24.	उत्तर प्रदेश	6	9	83	26	3	101	0	5	0	5
25.	पश्चिम बंगाल	3	4	19	3	0	26	1	1	0	2
26.	दिल्ली	1	1	0	0	0	1	1	2*	0	3
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	10	0	12	0	1	0	1
28.	दमन एवं द्वीव	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	1	0	2	2	0	4	0	1	0	1
30.	लक्षद्वीप समूह	0	0	1	8	0	9	0	0	1	1
31.	चण्डीगढ़	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	कुल	46	84	653	225	18	980	8	46	3	57

कुल ट्रांसमीटर 1037

*संसद कवरेज के लिए उ.श.ट्रां.

**काश्मीर चैनल के लिए एक. अ.श.ट्रां.

बारीसदारी-बांसवाडा रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2352. **श्री शांतिलाल चपलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के उदयपुर जिले में बारी सदारी रेलवे स्टेशन से बंसी, धारियावाड-घाटेल-बांसवाड़ा तक रेललाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आने वाले स्टेशन का नाम दर्शाने वाला उपकरण

2353. **श्री वैको** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेनों में आने वाले स्टेशन का नाम दर्शाने वाले इलैक्ट्रानिक उपकरण या किट माइक्रोफोन द्वारा आगामी स्टेशन की घोषणा करने वाले यंत्र की व्यवस्था करने का है, जिससे यात्रियों को उतरने में सुविधा हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन का प्रमुख क्षेत्र के रूप में विकास

2354. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमानन को एक प्रमुख परिवहन क्षेत्र बनाने की योजना तैयार कर रही है ताकि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके;

(ख) क्या इसे क्षेत्रीय कार्य स्थलों को जोड़ने, कई एयर कार्गो कंप्लैक्सों का निर्माण, उपयुक्त विमानों का चयन तथा ईंधन और विमानपत्तन करों को युक्तिसंगत बनाकर प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो समग्र विकास हेतु विमानन को एक प्रमुख क्षेत्र बनाने के लिए अन्य किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) विमानन सेक्टर के महत्व का ध्यान रखते हुए एक आरम्भिक कार्रवाई की गई है जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश/निजीकरण/नैगमीकरण किया जाना है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नै विमानपत्तनों तथा बैंगलूर में प्रस्तावित नए विमानपत्तन के नैगमीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इसी तरह, प्रादेशिक तथा उपप्रादेशिक क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान करने लिए और अधिक विमान कार्गो परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है। अपेक्षाकृत छोटे विमानों के प्रचालनों को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर भी सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

प्रगति मैदान में रेल सामग्री की बिक्री हेतु प्रदर्शनी

2355. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997-98 के दौरान प्रगति मैदान, दिल्ली में रेल सामग्री की बिक्री हेतु एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और इसके ब्यौरे एक पुस्तिका में प्रकाशित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी प्रथा को बंद कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश हेतु रियायती दर पर विमान सेवा

2356. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश की विमान सेवा पर जम्मू और कश्मीर की तरह रियायत नहीं दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश जाने वाली विमान उड़ानों में रियायत दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) सरकार हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए उड़ानों के लिए कोई रियायत नहीं दे रही है। तथापि, जम्मू और काश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए विमान किराये देश के अन्य भागों के किराये की तुलना में कम है।

केबल तथा सैटेलाइट आपरेटरों हेतु दिशा-निर्देश

2357. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभय सिंह एस. भौंसले :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के देश के केबल तथा सैटेलाइट आपरेटरों की निगरानी करने हेतु कोई दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केबल आपरेटरों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) विदेशी उपग्रह चैनलों सहित अधिकांश उपग्रह चैनल भारत में दर्शकों के पास ज्यादातर केबल ऑपरेटर के जरिये पहुंचते हैं। विदेशी उपग्रह चैनलों के मामलों में, उनके संचालन को विनियंत्रित करने के लिए कोई कानून या दिशा-निर्देश नहीं हैं। देश के भीतर से अपलिकिंग करने वाले निजी भारतीय उपग्रह चैनलों से प्रसार भारती (दूरदर्शन) की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करने की आशा की जाती है। देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम, 1994 के प्रावधानों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत, कार्यक्रम एवं विज्ञापन हेतु संहिता निर्धारित की गई है। तथापि, विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों जिन्हें बिना किसी विशेष गैजेट या डिकोडर का प्रयोग किए प्राप्त किया जा सकता है पर ये संहिता लागू नहीं होती हैं। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संशोधन करने के लिए अब कार्रवाई अन्य बातों के साथ-साथ इस दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई है कि केबल आपरेटर की मार्फत सम्प्रेषित होने पर स्वतंत्र विदेशी उपग्रह चैनलों के इन कार्यक्रमों को भी केबल कानून की निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता की परिधि के अंतर्गत लाया जा सके।

(ग) सरकार को केबल आपरेटरों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा की जानकारी नहीं है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसेना कमान की स्थापना करना

2358. **श्री डी.एस. अहिरे** :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :
श्री अभय सिंह एस. भौंसले :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौ सेना की एक कमान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में "फार ईस्टर्न नेवल कमांड" स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

समाचार पत्र

2359. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकृत समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और वे प्रतिदिन कहां-कहां से प्रकाशित होते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) पूरे देश में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 5505 दैनिक समाचार पत्र पंजीकृत हैं। इन समाचार-पत्रों के अलग-अलग ब्यौरे भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशित "प्रेस इन इण्डिया" नामक दस्तावेज में होते हैं जिसे प्रति वर्ष अद्यतन बनाया जाता है। इस प्रकाशन के प्रत्येक संस्करण में सैंकड़ों पृष्ठ हैं तथा उसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) इस समय कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

"न्यूक्लियर कमांड"

2360. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त कर लेने के पश्चात् व्यापक विनाश के हथियारों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक तैयार करने की दिशा में एक कदम के रूप में सामरिक कमांड और नियंत्रण प्रणाली को तैयार करने और इसकी स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कमांड तथा नियंत्रण प्रणाली का वास्तविक ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारत का परमाणु निवारक शस्त्र कार्यक्रम पूर्णत: राजनीतिक/सिविलियन नियंत्रण के मूल सिद्धान्त पर आधारित है। यह नियंत्रण देश के परमाणु शस्त्रों के समुचित वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा जिससे इनके अप्राधिकृत अथवा आकस्मिक प्रयोग से बचा जा सके।

आमान परिवर्तन

2361. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग दो वर्ष पहले बाड़मेर-लूनी-मुनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन को स्वीकृति की गई थी लेकिन इसके लिए आबंटित धनराशि को अन्यत्र प्रयोग में ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले वर्ष उक्त लाइन के आमान परिवर्तन हेतु मिली और खोली गई निविदाओं पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 1997-98 में कार्य को मंजूरी दी गई थी। 1998-99 में उपलब्ध धनराशि में योजना आकार में कमी के कारण कुछ कटौती कर ली गई थी और ऐसा करना संसाधनों की कम उपलब्धता के कारण आवश्यक हो गया था।

(ग) और (घ) गिट्टी की आपूर्ति के लिए नवंबर, 1997, सिविल कार्यों के लिए दिसंबर, 1997 और मुख्य पुलों के निर्माण के लिए अप्रैल, 1998 में निविदाएं खोली गई थी। एक जोन में गिट्टी की सप्लाई, सभी सिविल कार्यों और सभी प्रमुख पुलों के लिए निविदाओं को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

तुएनसांग में आकाशवाणी केन्द्र

2362. श्री के.ए. सांगतम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुएनसांग, मोन में आकाशवाणी केन्द्र एक वर्ष पहले तैयार हो गया था और कर्मचारियों की कमी के कारण आज की तारीख तक काम शुरू नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। अपेक्षित स्टाफ को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करवाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आलुओं का प्रसंस्करण

2363. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
डा. बलराम जाखड़ :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में आलुओं के प्रसंस्करण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी क्षेत्र के प्रसंस्करण उद्योगों के साथ कोई बातचीत कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी भण्डारण क्षमता कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत आलू के प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है। विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में सहायता अनुदान पर विचार किया जाता है। इस समय आलू के प्रसंस्करण के लिए सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दुमना विमानपत्तन पर विमान सेवा

2364. श्री आर.एस. गवई :
श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15.11.98 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया था कि रक्षा कारणों से दुमना विमानपत्तन पर रात्रिकालीन उड़ानों एवं बोईंग उड़ानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसके परिणामस्वरूप टर्मिनल भवन का निर्माण भी रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासन द्वारा इस संबंध में ग्यारह करोड़ रुपए के अनावश्यक व्यय करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) दुम्ना (जबलपुर) में स्थित विमानपत्तन को सिर्फ दृश्य उड़ान नियमों (वी.एफ.आर.) के अंतर्गत दिन के प्रचालनों हेतु बोइंग उड़ानों के लिए विकसित किया गया है। इस विमानपत्तन का उपयोग रात्रि उड़ानों के लिए नहीं किया जा सकता। रक्षा प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रात्रि प्रचालनों के लिए अपेक्षित उपकरण पहुंच क्रियाविधि साध्य नहीं है।

(ख) व्यय फिजूल नहीं है चूंकि विमानपत्तन को उड़ानों के प्रचालन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। आर्थिक व्यवहार्यता तथा यातायात संभाव्यता का ध्यान रखते हुए विमान कंपनियां उड़ानों को प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग

2365. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री नरेश पुगलीया :
डा. शकील अहमद :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार और अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान

2366. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्रीमती भावना कर्दम दवे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद हवाई अड्डे से अन्य देशों को जाने वाली उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अहमदाबाद-नैरोबी और अहमदाबाद-दक्षिण अफ्रीकी देशों को अंतराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स मस्कट के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें तथा अहमदाबाद से शारजाह तथा कुवैत दोनों के लिए सप्ताह में दो-दो उड़ानें प्रचालित करती है।

(ख) और (ग) चूंकि यातायात संभाव्यता अपर्याप्त है, इसलिए अहमदाबाद से नैरोबी तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए सीधी विमान सेवाएं शुरू करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

रेल परियोजनाओं का पूरा किया जाना

2367. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 100 करोड़ से अधिक लागत वाली उन रेल परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है जिन्हें लक्षित समय में पूरा नहीं किया गया है;

(ख) लक्षित समय सीमा से पीछे चल रही परियोजनाओं की परियोजना-वार लागत वृद्धि क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं का ब्यौरा सदन के पटल पर 28.7.1998 को प्रस्तुत श्वेत पत्र में दिया गया है। 1998-99 में पूरा करने के लिए लक्षित निम्न 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के उनकी लक्ष्य तिथि के अनुसार पूरा होने की संभावना नहीं है:

(लागत करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	मूल	संशोधित लागत	टिप्पणी
1	2	3	4
(1) गोलपारा-गुवाहाटी : नई लाइन (जोगीघोपा-गुवाहाटी नई लाइन का भाग)	117.30	637.00	जोगीघोपा-गोलपारा को चालू कर दिया गया है। गोलपारा-गुवाहाटी कार्य में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण विलंब हुआ है।

1	2	3	4
(2) मुदखेड़-आदिलाबाद : आमान परिवर्तन (पूर्णा-परबनी-मुदखेड़-आदिलाबाद परियोजना का भाग)	181.19	221.97	बोल्ट ठेकेदार द्वारा समय पर धन न जुटा पाने के कारण मुदखेड़-आदिलाबाद के आमान परिवर्तन में विलंब हुआ है।
(3) बैय्यापनहल्ली-यशवंतपुर : आमान परिवर्तन (यशवंतपुर-सेलम आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	159.3	185	सेलम-बैय्यापनहल्ली को पहले ही चालू कर दिया गया है। यशवंतपुर-बैय्यापनहल्ली 1999-2000 में पूरा किया जाएगा।

दूरदर्शन और आकाशवाणी को घाटा

2368. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी को घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारक हैं न कि वाणिज्यिक संस्थाएं। इसलिए उनके द्वारा लाभ अर्जित करने या उन्हें घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्क्वाड्रन का दुरूपयोग

2369. डा. एस. वेणुगोपालाचारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1999 के 'द एशियन एज' में भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्क्वाड्रन का दुरूपयोग किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के लिए प्रधान मंत्री सहित भूतपूर्व/वर्तमान मंत्रियों पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां। प्रधान मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति सरकारी कार्यों से इतर कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयान/हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

(ख) पूर्व/मौजूदा प्रधान मंत्रियों की ओर बकाया धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वायुसेना मुख्यालय में लेखे विभाग/एजेंसीवार रखे जा रहे हैं न कि अलग-अलग मंत्रियों के नाम पर।

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग के साथ संपर्क किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	प्रधानमंत्री का नाम	बकाया राशि
	सर्व श्री	
1.	स्व. राजीव गांधी	1,86,17,280
2.	चन्द्र शेखर	5,91,31,476
3.	पी.वी. नरसिंह राव	5,52,40,647
4.	एच.डी. देवगौड़ा	26,48,164
5.	अटल बिहारी वाजपेई	-शून्य-

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी की आय

2370. श्री रामशकल :
श्री अशोक प्रधान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी को वाणिज्यिक विज्ञापनों का प्रसारण करने से राजस्व के रूप में अलग-अलग कितनी राशि प्राप्ति हुई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी को किन-किन कार्यक्रमों से अलग-अलग अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा जून, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक अर्जित सकल वाणिज्यिक राजस्व क्रमश: 190.51 करोड़ रुपए एवं 53.67 करोड़ रुपए है।

(ख) दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के लिए अधिकतम राजस्व अर्जित करने वाले कार्यक्रम क्रमश: ''शुक्रवार की फिल्में'' और ''फिल्म संगीत कार्यक्रम'' हैं।

[अनुवाद]

डा. संजय गोसाई द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को रद्द किया जाना

2371. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. संजय गोसावी द्वारा बनाये गये उस कार्यक्रम को जिसे नव वर्ष की संध्या पर प्रसारित किया जाना था, को मुम्बई दूरदर्शन द्वारा रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कार्यक्रम के रद्द होने संबंधी तथ्यों को जानने के लिए कोई जांच करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डा. संजय गोसावी द्वारा निर्मित कार्यक्रम 31.12.98 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई द्वारा निर्धारित समय पर प्रसारित नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्र के लिए दिल्ली से प्रसारित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम को रिले करना आवश्यक था। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हमेशा नेटवर्क कार्यक्रमों आदि को रिले करने के कारण अन्तिम क्षणों में किए जाने वाले परिवर्तन के अधीन होते हैं और इस आशय की एक शर्त को प्रायोजित कार्यक्रमों के निर्माताओं के साथ किए जाने वाले अनुबंध में शामिल किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, मामले की जांच करना आवश्यक नहीं है।

जबलपुर से विमान सेवा

2372. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री गोरीशंकर चतुर्भुज बिसेन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जबलपुर को दिल्ली और मुम्बई जैसे बड़े शहरों से विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवा सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर जबलपुर सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

गोंडा-गोरखपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2373. श्री रिज़वान जहीर खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत गोंडा-गोरखपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उक्त परियोजना के कार्य को कब तक शुरू करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। स्वीकृतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वीकृति मिल जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

अम्बाला छावनी जंक्शन का उन्नयन

2374. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बाला छावनी जंक्शन का उन्नयन करने और वहां आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। अम्बाला छावनी स्टेशन के लिए यथापेक्षित सभी सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई है।

बहरहाल, मौजूदा सुविधाओं में और वृद्धि करने के लिए 74 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत पर दो डीलक्स विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने, परिचलन क्षेत्र के सुधार, प्लेटफार्म सं. 6 और 7 का विस्तार और एक अतिरिक्त ट्यूबवेल और शिरोपरि टैंक की व्यवस्था करके पानी आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।

सशस्त्र बलों में विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास

2375. श्री श्रीराम चौहान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र बलों में विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास हेतु पात्रता मानदंडों की पुन: परिभाषा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विवाहित व्यक्तियों की आवास संबंधी मांग को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यद्यपि सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के लिए परिवार आवास के वास्ते हकदारी मानक को पुन: परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वर्ष 1998 के दौरान अन्य रैंक के कार्मिकों के वास्ते प्राधिकार मानदंड 14% से बढ़ा कर 35% कर दिया गया है।

(ग) तीनों सेनाओं के लिए परिवार आवास की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान मूल्य-दर पर 9700 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि की आवश्यकता है।

(घ) इस समय आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से प्राथमिकता देकर तीनों सेनाओं के पूंजीगत निर्माण-कार्यों के लिए निधियों की जरूरतों को समग्र बजटीय आबंटनों में से पूरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जयपुर रेलवे स्टेशन का नवीकरण

2376. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर रेलवे स्टेशन के नवीकरण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त रेलवे स्टेशन का कब तक नवीकरण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) परिचलन क्षेत्र के सुधार, दूसरा प्रवेश द्वार, बुकिंग कार्यालय और स्टेशन इमारत में आशोधन संबंधी कार्य शुरू किए गए थे। मौजूदा स्टेशन इमारत के अग्रभाग और रंग को योजना इस प्रकार बनाई गई है ताकि वह गुलाबी नगरी की मौजूदा संरचना से मेल खा सके।

(ख) 45.00 लाख रुपए।

(ग) पुनरुद्धार कार्य दिसंबर, 2000 तक पूरे कर लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2377. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के मिग-23 विमान 2 फरवरी, 1999 को पटियाला के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम रहे और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ; और

(घ) भारतीय वायु सेना के उन विमानों का तारीख-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है जो 1997-98 के दौरान और 1999 में अब तक दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) 2 फरवरी, 1999 को मिग-23 वायुयान का पायलट दो वायुयानों की विरचना में नं. 2 के रूप में उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत था। मुड़ने के दौरान वायुयान अगले वायुयान के इंजन से निकलने वाली हवा में फंस गया। वायुयान नीचे की ओर गिरा और संभलते हुए पीछे की ओर हटा। पायलट ने अनुमान लगाया कि नियंत्रण से बाहर हो गया है। चूंकि ऊंचाई 4 किलोमीटर से कम थी इसलिए उसमें से पायलट कूद गया।

(ग) दुर्घटना के कारण और हानि की मात्रा का पता लगाने के लिए जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं और उसका कार्य अभी जारी है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	तारीख	वायुयान की किस्म	स्थान	कारण
1	2	3	4	5
1.	21.1.97	मिग-29	पुणे हवाई क्षेत्र	तकनीकी खराबी
2.	29.1.97	मिग-21 (टी-75)	पठानकोट हवाई क्षेत्र 106°/48 कि.मी.	,,

1	2	3	4	5
3.	26.2.97	जगुआर	उत्तरलाई से 162°/ 3.23 समुद्री मील	तकनीकी खराबी
4.	9.3.97	मिग-23 एम.एफ.	हल्वाडा से 130°/ 33 कि.मी.	मानव चूक (वायुकर्मी)
5.	25.4.97	किरण मार्क 1ए	बिदर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	,,
6.	8.5.97	मिग-23 एम.एफ.	हल्वाडा से 100°/ 26 कि.मी.	तकनीकी खराबी
7.	9.6.97	मिग-21 (टी-96)	अवंतिपुर से 065% 15 कि.मी.	अनिर्णेय
8.	21.6.97	मिग-21 (टी-77)	चाबुआ हवाई क्षेत्र	मानव चूक (वायुकर्मी)
9.	23.8.97	मिग-17	मोराह हेलीपैड	,,
10.	2.9.97	मिग-21	अंबाला धावन पथ	,,
11.	15.9.97	किरण मार्क 1ए	बिदर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	,,
12.	17.9.97	मिग-21 (टी-75)	भुज हवाई क्षेत्र	तकनीकी खराबी
13.	9.10.97	मिग-23 बी.एन.	हल्वाड़ा हवाई क्षेत्र 170°/32 कि.मी.	तकनीकी खराबी+ मानव चूक (वायुकर्मी)
14.	29.10.97	एम.आई.-8	सुलूर हवाई क्षेत्र	,,
15.	10.11.97	मिग-27 एम.एल.	हाशिमारा से 112°/ 30 कि.मी.	तकनीकी खराबी

1	2	3	4	5
16.	14.12.97	चेतक	हिसार के नजदीक भद्रा से 10 कि.मी.	मानक चूक (वायुकर्मी)
17.	21.1.98	मिग-21 एम	सिरसा से 345°/52 कि.मी.	तकनीकी खराब
18.	21.3.98	मिग-21 (टी-75)	चंडीगढ़ धावन पथ	अनिर्णेय
19.	21.3.98	मिग-27 एम.एल.	जैसलमेर धावनपथ	तकनीकी खराबी
20.	26.3.98	मिग-27	सूरतगढ़ धावनपथ	तकनीकी खराबी + मानव चूक (वायुकर्मी)
21.	12.5.98	मिग-21 (टी-96)	पठानकोट हवाई क्षेत्र से 1 कि.मी.	तकनीकी खराबी
22.	23.5.98	किरण मार्क 1ए	बिदर हवाई क्षेत्र	,,
23.	4.6.98	मिग-21 (टी-75)	हाशिमारा हवाई क्षेत्र	मानव चूक (वायुकर्मी)
24.	24.6.98	मिग-21 (टी-75)	सूरतगढ़ हवाई क्षेत्र	तकनीकी खराबी
25.	27.7.96	मिग-21 (टी-69बी)	चाबुआ से 020°/07 कि.मी.	,,
26.	14.8.98	मिग-21 (टी-75)	उत्तरलाई से 040°/10 कि.मी.	मानव चूक (वायुकर्मी)
27.	31.8.98	मिग-27 एम.एल.	कलाईकुंड हवाई क्षेत्र	,,
28.	3.9.98	मिग-23 बी.एन.	हल्वाडा हवाई क्षेत्र के समीप	पक्षी टकराना
29.	7.9.98	एम.आई.-25	पठानकोट से 048°/33 कि.मी.	तकनीकी खराबी
30.	8.9.98	मिग-27 एम.एल.	पोकरण रेंज	,,

1	2	3	4	5
31.	7.10.98	मिग-21 (टी-75)	सोनमगढ़ हेलीपैड के समीप	मानव चूक (वायुकर्मी)
32.	27.10.98	मिग-21 (टी-96)	पठानकोट स्थानीय उड़ान क्षेत्र	,,
33.	28.10.98	मिग-27 एम.एल.	कलाईकुंडा हवाई क्षेत्र के समीप	तकनीकी खराबी
34.	28.11.98	एच.पी.टी.-32	इलाहाबाद हवाई क्षेत्र के समीप	जांच चल रही है।
35.	2.2.99	मि-23 बी.एन.	हल्वाड़ा से 141°/84 कि.मी.	,,
36.	16.2.99	जगुआर	पुणे उपरि धावन क्षेत्र	,,
37.	7.3.99	ए.एन.-32	पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली	,,

वायु यातायात नियंत्रकों पर "एस्मा" लागू करना

2378. **श्री नरेश पुगलिया :**
डा. शकील अहमद :
श्री तारिक अनवर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वायु यातायात नियंत्रकों पर 'एस्मा' लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं और कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया;

(ग) सरकार द्वारा वायु यातायात नियंत्रकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक समझौता किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) दिनांक 16.2.99 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें विमान यातायात सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया। कतिपय केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को नागर विमानन संरक्षा अधिनियम के गैर-कानूनी कृत्यों के दमन के अंतर्गत गिरफ्तारी, जांच तथा अभियोजन की शक्तियां प्रदान करने के लिए भी एक अधिसूचना जारी की गई है। विमान नियंत्रक गिल्ड ने 19.2.99 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के छः कर्त्तव्यच्युत विमान परिवहन नियंत्रकों को बर्खास्त करते हुए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय को एक आश्वासन दिया है कि उड़ान-कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस समय उड़ानों का प्रचालन सामान्य है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और ए.टी.सी. गिल्ड के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें की जाती हैं जिससे इन मामलों का सद्भावना-पूर्ण हल निकाला जा सके। रेटिंग भत्ता, उड़ान डाटा प्रोसेसिंग भत्ता, प्रशिक्षण कालीन भत्ता से संबंधित जुल्का समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और नवम्बर, 1997 से भा.वि.प्रा. द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है। जुल्का समिति की शेष सिफारिशों को भा.वि.प्रा. ने स्वीकार नहीं किया है।

रामपुरा में अंडर ब्रिज का निर्माण

2379. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित रामपुरा लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र रेलवे फाटक (पंजाबी बाग के नजदीक) अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने संबंधी स्वीकृति दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित श्रमिकों संबंधी कानून

2380. **श्री टी.आर. बालू** :
श्री अजीत जोगी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सरकार ने असंगठित श्रम सहित श्रम हितों के संरक्षण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए हैं। इनमें से कुछ कानून हैं : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों तथा सिने उद्योग एवं बड़ी उद्योग में लगे कर्मकार भी सम्बन्धित कल्याण निधियों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारों ने हथकरघा, बुनकरों, रिक्शाचालकों, आदि जैसे निर्माण क्रियाकलापों में लगे कर्मकारों की बड़ी संख्या को परिधि में लेते हुए बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। इन असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मकारों के नियोजन की गुणवत्ता और सेवा शर्तों में सुधार किया गया है और यह सरकार की चिन्ता का प्रमुख विषय बना हुआ है।

सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) आदि जैसी अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजक योजनाएं भी चला रही है। जिनका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों सहित गांव के गरीबों के लिए लाभ प्रदान कराना है।

केन्द्र सरकार ने निर्माण उद्योग में लगे कर्मकारों जो कृषि के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा क्रियाकलाप है, के हितों के संरक्षण के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तों) का भी अधिनियमन किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि असंगठित क्षेत्र में अधिकाधिक कर्मकारों को कल्याण उपाय मुहैया कराएं और विधायी संरक्षण प्रदान करें।

[हिन्दी]

आरा में भर्ती अभियान

2381. **श्री एच.पी. सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में आरा में 19 तथा 20 फरवरी, 1999 को सेना में भर्ती के लिए आयोजित निर्धारित भर्ती अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया; और

(ख) यदि हां, तो भर्ती के ट्रेड सहित रिक्तियों की संख्या कितनी थी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) बिहार के आरा में भर्ती अभियान 19 फरवरी से 28 फरवरी 1999 तक आयोजित किया जाना था। ऊपर उल्लिखित भर्ती अवधि के दौरान आवश्यक प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की पुष्टि राज्य के प्राधिकारियों ने कर दी थी। तथापि, दानापुर सैन्य भर्ती संगठन को बिना कोई सूचना दिए बिहार पुलिस ने उक्त स्थल, जहां सैन्य भर्ती की जानी थी, पर अपना भर्ती अभियान आयोजित किया। राज्य प्राधिकारियों ने भी सैन्य भर्ती अभियान के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

उपर्युक्त को देखते हुए, स्थान और अन्य प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता के कारण सेना के पास अपना भर्ती अभियान रद्द किए जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

उक्त भर्ती अभियान अब फिर से आयोजित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल और अकुशल श्रमिक

2382. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने कुशल और अकुशल श्रमिकों द्वारा रोजगार प्राप्त करने का आवेदन किया गया; और

(ख) इन्हें रोजगार दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) रोजगार चाहने वालों के शिक्षावार वितरण से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ख) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने व गरीबी उन्मूलन के मद्देनजर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

विवरण

शैक्षिक स्तर द्वारा वर्गीकृत, रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

शैक्षिक स्तर		31 दिसम्बर के अंत में संख्या हजार में		
		1993	1994	1995
1		2	3	4
1.	10वीं से कम (अशिक्षितों सहित)	12658.7	12714.9	11947.3
2.	10वीं कक्षा पास	13608.1	13566.5	13947.1
3.	10+2 पास	5619.9	5793.1	6104.4

1		2	3	4
4.	स्नातक (स्नातकोत्तर सहित)	3958.3	4215.2	4322.6
	(i) कला	1613.4	1692.1	1763.4
	(ii) विज्ञान	776.3	800.0	801.8
	(iii) वाणिज्य	672.6	698.4	703.5
	(iv) इंजीनियरिंग	152.0	158.5	168.1
	(v) औषध	31.9	30.6	31.5
	(vi) पशु चिकित्सा	3.5	4.0	4.3
	(vii) कृषि	33.5	33.2	36.3
	(viii) कानून	14.0	14.5	14.9
	(ix) शिक्षा	558.5	615.1	608.0
	(x) अन्य	102.5	168.9	190.9
5.	डिप्लोमा धारी	430.6	401.8	421.0
	योग (1+2+3+4+5)	36275.5	36691.5	36742.3

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

जमालपुर रेल वर्कशाप में भ्रष्टाचार

2383. श्री विजय कुमार "विजय" :
श्री सीता राम यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जमालपुर (बिहार) रेल वर्कशाप में फैले निरंकुश भ्रष्टाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा इस संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) जमालपुर कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध पिछले 5 वर्षों में केवल 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इन सभी 3 शिकायतों में आरोप सही साबित हो गए थे तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

विश्रामपुर-बरवाडीह रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2384. श्री बृजमोहन राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में विश्रामपुर-बरवाडीह, बरवाडीह-गया, गढ़वा-हजारीबाग टाउन, भवनाथपुर-डेहरी आन सोन, बरवाडीह-डेहरी आन सोन रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : ये सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है:

1. विश्रामपुर-बरवाडीह - 31.12.1999

2. बरवाडीह (डाल्टेनगंज) - गया - 31.8.1999

3. गढ़वा-हजारीबाग-31.12.1999

4. भावनाथपुर (जदुनाथपुर)-डेहरी ऑन सोन-30.9.1999

5. बरवाडीह-डेहरी आन सोन-30.9.1999

यात्रियों के लिए आरक्षण

2385. श्री मित्रसेन यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मौजूदा आरक्षण कोटे और आरक्षण पाने वाले व्यक्तियों के बीच कितना अंतर है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस अंतर को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सिर्फ गर्मी, पूजा और जाड़े की छुट्टियों इत्यादि जैसी भीड़-भाड़ अवधि के दौरान ही आरक्षण कोटा और आरक्षण की मांग के बीच कुछ अंतर होता है तथा लंबी दूरी की लोकप्रिय गाड़ियों में कुछ यात्रीगण प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रतीक्षारत यात्रियों की सूची की स्थिति की निगरानी प्रत्येक दिन के आधार पर रखी जाती है और जहां कहीं औचित्य एवं व्यावहारिक होता है, भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों और अन्य भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। कुछ व्यस्त मार्गों पर मांग को पूरा करने के लिए यथासंभव नई गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

विमान किराये पर राजसहायता

2386. श्री महेश्वर सिंह :
डा. जयन्त रंगपी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कतिपय मार्गों पर विमान किराये पर कोई राजसहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को जाने वाली उड़ानों के किराए पर राजसहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जब इंडियन एयरलाइंस ने अक्तूबर, 1998 में किरायों में वृद्धि की थी, तब पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के किराए अंतिम रूप से नहीं बढ़ाए गए थे।

[अनुवाद]

टी.वी. केन्द्रों को चलाने के लिए निजी एजेन्सियों को अनुमति

2387. डा. सरोजा वी. : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी एजेंसियों को कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से टी.वी. केन्द्रों को चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उन निजी एजेन्सियों के नाम क्या हैं जिन्हें टी.वी. केन्द्रों को चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भागलपुर में दूरदर्शन के दूसरे चैनल की शुरूआत

2388. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शहरों में दूरदर्शन के दूसरे चैनल को शुरू करने की मांग सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त चैनल को बिहार के भागलपुर जिले में भी शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में भागलपुर में दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

2389. श्री सुरेश चन्देल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फल प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए भारतीय खाद्य व्यापार और विकास संगठन द्वारा कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है, भारतीय खाद्य व्यापार और विकास संगठन द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"ओपन स्काई" नीति

2390. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं इसके वर्तमान प्रचालन में सहयोग करने हेतु अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में किसी नई एयरलाइन्स कंपनी को अनुमति दिए जाने की सलाह दी जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार "ओपन स्काई" नीति की समीक्षा कब तक करने वाली है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत में नयी अंतर्देशीय एयरलाइन की अनुमति का मुद्दा नयी अंतर्देशीय विमान परिवहन नीति के अंतर्गत आता है। मुख्य बातें संलग्न विवरण में बताई गई है। इस समय अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा पर नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

नई अन्तर्देशीय विमान परिवहन नीति की मुख्य-मुख्य बातें

1. घरेलू विमान परिवहन सेवाओं के संबंध में 40 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी तथा 100 प्रतिशत तक एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति है।

2. घरेलू विमान परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी विमान कंपनियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी लगाने की अनुमति नहीं है।

3. इस सेक्टर में प्रवेश करने और इससे बाहर निकलने संबंधी सभी बाधाएं दूर कर दी गई हैं। आवेदक द्वारा घोषित की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय विश्वस्तता, अनुरक्षण, प्रचालन संबंधी सुरक्षा एवं सुरक्षा पहलू तथा मानव संसाधन विकास संबंधी सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए आवेदन-पत्रों की एकमात्र पूर्व प्रवेश संवीक्षा की जाएगी।

4. विमान की किस्म तथा आकार के चयन की छूट प्रचालक पर छोड़ दी जाए।

5. अगंभीर उद्यमियों को निकाल देने तथा किफायत सोपान प्राप्त करने की दृष्टि से अनुसूचित प्रचालक के लिए आवश्यक न्यूनतम विमान बेड़े के आकार में बढ़ोत्तरी कर विद्यमान तीन (3) विमानों की जगह पांच (5) विमान कर दिए गए हैं जबकि शेयर होल्डर निधियों की न्यूनतम राशि को 40,000 कि.ग्रा. से नीचे समग्र वजनी विमान के लिए विद्यमान 5 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है आर 40,000 कि.ग्रा. से अधिक समग्र वजनी विमान के संबंध में यह राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दी गई है।

6. विमान परिवहन सेक्टर में कुल क्षमता का निर्धारण यातायात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा वार्षिक आधार पर कम से कम पांच वर्ष की समयावधि के लिए तैयार किए गए प्रक्षेपणों के आधार पर किया गया है।

7. विमान बेड़े में शामिल करने के लिए इस पूर्व निर्धारित क्षमता के संवितरण के संबंध में, जबकि अधिमान इंडियन एयरलाइंस को इसके विमान-बड़े की संवर्धन योजना के अनुसार दिया जाएगा बशर्ते कि इसकी अतिरिक्त क्षमता जिसका कि प्रत्येक वर्ष अविर्भाव होगा के उस हिस्से की पूर्ति के लिए ऐसा करने की योग्यता हो। विमान बेड़ा क्षमता बढ़ाने संबंधी निजी प्रचालकों के प्रस्तावों पर, मांग, भारगुणक, विगत ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय सुदृढ़ता आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

8. इन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों से इन विशिष्ट ट्रैंक मार्गों पर लगाई गई अपनी क्षमता की 10 प्रतिशत क्षमता को पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए तैनात करने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा

2391. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री अमरपाल सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी राशि लगाये जाने का अनुमान है; और

(घ) विकास कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास करने के लिए,

पर्यटन मंत्रालय ने एक कार्य बल स्थापित किया है जिसने पूर्वोत्तर में पर्यटन की सुविधा और विकास हेतु कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में, प्रवेश प्रतिबंध हटाने, गुवाहाटी हवाई अड्डे का उन्नयन, पर्यटकों के लिए अंतर्जलीय परिवहन का विकास, विभिन्न सड़क खण्डों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास और मुख्य आकर्षण स्थलों में पर्यटक अवसंरचना का विकास सम्मिलित है।

प्रत्येक वर्ष, मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य को पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की 1217.72 लाख रुपयों की राशि की 49 परियोजनाएं स्वीकृत की। वर्ष 1998-99 के लिए पर्यटन मंत्रालय ने, राज्य सरकारों के परामर्श से 2050.00 लाख रुपयों की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 89 परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया है।

[अनुवाद]

गुजरात के जूनागढ़ में एफ.एम. स्टेशन

2392. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से जूनागढ़ में एफ.एम. स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां। गुजरात सरकार से जूनागढ़ में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) जी, हां। जूनागढ़ में 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा स्टाफ क्वाटरों वाला एक स्थानीय रेडियो स्टेशन कार्यान्वयनाधीन है और इसे 2000-2001 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी में नैमित्तिक समाचार संवाददाता/रिपोर्टर्स

2393. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में इस समय 500 से अधिक समाचार संवाददाता/रिपोर्टर्स नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को जो लम्बे समय से नैमित्तिक आधार पर हैं, नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आउटडोर शूटिंग के लिए (पी.जी.एफ.) जम्मू के पास कैमरे

2394. श्री चमन लाल गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन केन्द्र (पी.जी.एफ.) जम्मू के पास आउटडोर शूटिंग के लिए उपलब्ध बीटा-कैम और यू-मैटिक कैमरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग उपरोक्त प्रयोजन हेतु किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) स्टूडियो केन्द्र, जम्मू में आउटडोर कवरेज के लिए 3 बीटा कैमकोरडर और 3 यू-मैटिक (इकागामी) कैमरा उपलब्ध हैं तथा इस कार्य के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चलचित्र निर्यात सुविधाएं

2395. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चलचित्र उद्योग को निर्यात सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिल्मों, टेलीविजन सॉफ्टवेयर, संगीत तथा श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उत्पादों के अन्य प्रकारों के समन्वित रूप से निर्यात को प्रोत्साहित करने और इसे बढ़ाने की आवश्यकता के अनुसरण में तथा निर्यात के क्षेत्र में मनोरंजन समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय में फिल्मों एवं अन्य श्रव्य-दृश्य उत्पादों के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच स्थापित किया गया है जिसमें फिल्म, विज्ञापन, विपणन, वित्त आदि क्षेत्रों से सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत वस्तुओं एवं माल-सामग्री के निर्यात हेतु उपलब्ध सुविधाएं तथा कर संबंधी लाभ, फिल्मों एवं श्रव्य-दृश्य सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल विभाग में विकलांगों को नौकरी

2396. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने के लिए क्या योजना तैयार की गई है तथा उस योजना के अंतर्गत कहां तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) 1997 और 1998 के दौरान प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है; और

(ग) उन रेल विभागों के नाम क्या हैं जहां उक्त अवधि के दौरान विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रावधान के मामले में रेल मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो इस उद्देश्य के लिए नोडल मंत्रालय है, के अनुदेशों का अनुसरण करता है। इन अनुदेशों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (दृष्टि, श्रवण और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1%) के लिए वर्ग 'ग' और 'घ' में सीधी भर्ती में 3% आरक्षण की व्यवस्था है। उनके लिए उपयुक्त रूप से पहचाने गए पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रेलों में बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्तियों को पहले ही रोजगार दिया गया है।

(ख) 1997-98 के दौरान प्राथमिकता के आधार पर ग्रुप 'ग' और 'घ' कोटियों में क्षेत्रीय रेलों पर रोजगार मुहैया कराए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या		
	वर्ग 'ग'	वर्ग 'घ'	जोड़
1997	23	46	69
1998	104	103	207

भर्ती एक सतत् प्रक्रिया होने के नाते शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में भर्ती के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

(ग) रेलों के वे विभाग जिनमें 1997 और 1998 के दौरान विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, इस प्रकार है:-

(1) कार्मिक, (2) बिजली, (3) सिगनल और दूरसंचार, (4) यांत्रिकी, (5) वाणिज्य, (6) सामान्य प्रशासन, (7) चिकित्सा, (8) परिचालन, (9) इंजीनियरी, और (10) लेखा।

नडीकुडे और श्रीकालहस्ती रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण

2397. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नडीकुडे और श्रीकालहस्ती के बीच नया रेल मार्ग बनाने हेतु सर्वेक्षण करते समय उदयगिरि को ध्यान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) 1999-2000 हेतु इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट को क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) 1999-2000 बजट में वित्तीय समायोजनों के लिए 12.25 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सशस्त्र सेना के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों का हनन

2398. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सशस्त्र सेना के कितने कार्मिकों के विरुद्ध मानव अधिकारों का हनन करने के लिए अभियोग चलाया गया; और

(ख) सशस्त्र सेना के कार्मिकों द्वारा इन अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले वर्ष के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ग्यारह सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को अभिरोपित किया गया था। इनमें से सात को सेवा से बरखास्त कर दिया गया था और उन्हें कारावास की सजा भी दी गई थी (इनमें से एक कार्मिक को दस वर्ष की और दूसरे को सात वर्ष की कठोर सजा दी गई थी)। दो कार्मिकों को 89 दिन के कारावास की सजा दी गई थी। शेष दो कार्मिकों को फटकार लगाई गई थी।

(ख) मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कड़ा दंड देने के अतिरिक्त सभी रैंकों के कार्मिकों को मानवाधिकार के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देकर उन्हें नियमित रूप से परिचित कराया जाता है। सिविलियनों की असुविधा को कम से कम करने के लिए प्रतिविद्रोहिता संक्रियाएं चलाने के वास्ते एक औपचारिक मानकीकृत संक्रिया प्रक्रिया बनाई गई है।

व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र

2399. श्रीमती कमल रानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकलांगों के व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र हेतु भवन निर्माण करने के लिए कुछ प्लाट आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इन प्लाटों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आवंटन वर्ष के दौरान भवन-निर्मोण की अनुमानित लागत क्या थी और वर्तमान अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र हेतु भवन-निर्माण कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चारदीवारी का निर्माण पहले ही कर लिया गया है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र/दिल्ली विकास प्राधिकरण से विस्तार की अनुमति न प्राप्त होने एवं तत्पश्चात् पर्याप्त निधियों के अभाव में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर्शायी गई वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 7,89,60,000 रुपये है। जैसा कि आबंटन वर्ष के दौरान कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया था, तुलनात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ङ) श्रम मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी कर दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली शहरी कला आयोग को उनके अनुमोदन हेतु भेजने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ड्राइंग को अंतिम रूप दे रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 20 महीने के अन्दर परियोजना पूरा करने के लिए कहा गया है।

रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाएं

2400. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग मेल, तिस्ता-तोरसा एक्सप्रेस और नार्थ बंगाल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सफाई, बिजली और पेयजल की असंतोषजनक स्थिति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, या किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1998 के दौरान दार्जिलिंग मेल, तिस्ता तोरसा एक्सप्रेस और नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस में साफ-सफाई बिजली और पीने के पानी से संबंधित प्राप्त कुल शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. साफ-सफाई	कोई नहीं
2. गाड़ी में पानी भरने	3
3. बिजली	3
4. पीने का पानी	1

(ग) सभी शिकायतों पर नियमित रूप से निवारक कार्रवाई की जाती है। सियालदह में तथा रास्ते में पड़ने वाले नामित स्टेशनों पर भी सवारी डिब्बों में पानी भरने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इन स्टेशनों पर पानी भरने संबंधी सुविधाएं पर्याप्त हैं तथा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सवारी डिब्बों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से 24 वोल्ट वाली प्रणाली को 110 वोल्ट वाली आधुनिक बिजली प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। इन तीनों गाड़ियों में अब 110 वोल्ट वाली प्रणाली है। कोई कमी मिलने पर उसे तुरंत दूर किया जाता है।

नए विमानपत्तनों का निर्माण

2401. श्री अजीत जोगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्माणाधीन नए विमानपत्तनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) लेंगपुई में एक नया विमानपत्तन दिसम्बर, 1998 में चालू हो गया है जबकि तुरा में एक नये विमानपत्तन के जुलाई, 1999 में चालू हो जाने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर राज्य में एक नये विमानपत्तन का विकास किया जा रहा है और इसका विकास कार्य अक्तूबर, 1999 तक पूरा हो जाने की आशा है। कोचीन के निकट नेदुम्बेसरी में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के एक विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है और इसे अप्रैल, 1999 तक चालू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व कप क्रिकेट, 1999

2402. श्री तारिक अनवर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व कप क्रिकेट, 1999 का सीधा प्रसारण करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बार टेस्ट क्रिकेट मैचों तथा एक दिवसीय मैचों का सीधा प्रसारण किया गया है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन को पर्याप्त संख्या में प्रायोजक मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन वर्ल्ड कप के 11 मैचों का प्रसारण करेगा जिसमें भारत के पांच प्रथम चरण के मैच, भारत को शामिल करने वाले 6 सुपर सिक्स मैच सहित पहले एवं दूसरे सेमीफाइनल तथा वर्ल्ड कप क्रिकेट, 1999 का फाइनल है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमानत: 130 एक-दिसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच तथा 2 टैस्ट मैच।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बंधुआ मजदूर

2403. श्री सी.डी. गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंटों की भट्टियों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने संबंधी सिफारिश के बारे में श्रम उपायुक्त ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वयन हेतु क्या निर्णय लिया गया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर रेलवे बुकिंग काउंटर खोलना

2404. श्री तथागत सत्पथी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न विमानपत्तनों पर रेलवे बुकिंग काउंटर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न विमानपत्तनों पर रेलवे बुकिंग काउंटर खोलने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जोन-वार/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) इस समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली, घरेलू विमानपत्तन कलकत्ता, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, सहार, मुम्बई और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, चेन्नई में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों तथा विमान कर्मचारियों और विमानपत्तन के आस-पास रहने वाली आम जनता के लिए आरक्षण खिड़कियां उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी हां। कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आरक्षण संबंधी संव्यवहार मानकों में प्रतिदिन 300 से 200 किए जाने की छूट देने के साथ 43 नए स्थलों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था स्वीकृत की गई है। इन स्थलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	स्टेशन/स्थल
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	शिरडी आउट एजेंसी
2.	पूर्व रेलवे	साहिबगंज
3.	पूर्व रेलवे	न्यू फरक्का गंज
4.	पूर्व रेलवे	गिरीडीह
5.	पूर्व रेलवे	लालगोला
6.	पूर्व रेलवे	मोकामा जं.
7.	पूर्व रेलवे	बक्सर

1	2	3
8.	उत्तर रेलवे	सुल्तानपुर
9.	उत्तर रेलवे	प्रतापगढ़
10.	उत्तर रेलवे	अबोहर
11.	उत्तर रेलवे	बाड़मेर
12.	उत्तर रेलवे	हनुमानगढ़
13.	उत्तर रेलवे	लक्सर
14.	पूर्वोत्तर रेलवे	जयनगर
15.	पूर्वोत्तर रेलवे	सीतापुर
16.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	लमडिंग
17.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू बोंगाईगांव
18.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	जलपाईगुडी टाउन
19.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	किशनगंज
20.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	तेजपुर
21.	दक्षिण रेलवे	जोलापेट्ट/तिरुपतूर
22.	दक्षिण रेलवे	चंगेनचेरी
23.	दक्षिण रेलवे	शोरूवण्णूर
24.	दक्षिण रेलवे	राजापलायम
25.	दक्षिण रेलवे	तिरुवरूर

1	2	3
26.	दक्षिण रेलवे	रामनाथपुरम
27.	दक्षिण रेलवे	कारूर
28.	दक्षिण मध्य रेलवे	पालाकोल्लू
29.	दक्षिण मध्य रेलवे	धारवाड़
30.	दक्षिण मध्य रेलवे	मछलीपत्तनम
31.	दक्षिण मध्य रेलवे	गुडूर
32.	दक्षिण मध्य रेलवे	गुडीवाडा
33.	दक्षिण मध्य रेलवे	तनुकू
34.	दक्षिण मध्य रेलवे	गदग
35.	दक्षिण पूर्व रेलवे	खोरधा रोड
36.	पश्चिम रेलवे	वीरमगांव
37.	पश्चिम रेलवे	वापी
38.	पश्चिम रेलवे	नागदा
39.	पश्चिम रेलवे	देवास
40.	पश्चिम रेलवे	सवाई माधोपुर
41.	पश्चिम रेलवे	जूनागढ़
42.	पश्चिम रेलवे	अंकलेश्वर
43.	पश्चिम रेलवे	नन्दुरबार

भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा

2405. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवाओं को पुन: शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यत्त के आधार पर, विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

2406. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ में कितने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कामगारों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर इन क्षेत्रों में और अधिक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 अस्पताल नोएडा के अस्पताल सहित 2 गाजियाबाद में तथा 2 अस्पताल फरीदाबाद में हैं। दिल्ली में कर्मचारी बीमा अस्पताल, रोहिणी का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने गुड़गांव में भी एक अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

2407. श्री राजनाराायण पासी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर और दिल्ली-नई दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रेल लाइनों से लगी भूमि पर रेल कर्मचारियों और असामाजिक तत्वों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने भू-क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है;

(ग) क्या इन तत्वों ने उक्त भूमि पर कच्चे और पक्के मकान और गऊशालाएं बना ली हैं;

(घ) यदि हां, तो रेल भूमि को उक्त लोगों से खाली कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान कितना भूमि क्षेत्र खाली कराया गया और कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) इन स्थलों पर लगभग 93600 वर्ग मीटर रेलवे भूमि का अतिक्रमण हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) अतिचारियों के विरुद्ध सरकारी भूमि (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान 865 अतिचारियों को बेदखल करके लगभग 26000 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को खाली करवाया गया है।

कच्छलाघाट में रेल-सह-सड़क पुल का प्रयोग

2408. श्री राजवीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बरेली-कासगंज मार्ग पर रेल-सह-सड़क पुल को वहां पंटून पुल का वैकल्पिक प्रबंध होने तक खुला रखने के लिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) रोड डेकिंग की मौजूदा व्यवस्था इस लाइन के बडी लाइन में परिवर्तित हो जाने पर व्यावहारिक नहीं रहेगी। राज्य सरकार से 31.3.2001 तक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को कहा गया है और तब तक मौजूदा रेल पुल पर रोड डेकिंग जारी रहेगी।

रेल द्वारा जिलों को बिहार की राजधानी से जोड़ा जाना

2409. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन से जिले राज्य की राजधानी से इकहरी/दोहरी रेल लाइन से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शेष जिलों को राज्य की राजधानी से जोड़े जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गोड्डा, शिवहर और छतरा जिलों को छोड़कर बिहार के सभी जिले राज्य की राजधानी से इकहरी/दोहरी लाइनों से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) दुमका के रास्ते मदार हिल से रामपुरहाट तक नई लाइन का निर्माण कार्य एक स्वीकृत परियोजना है और इसके निष्पादित हो जाने से आगे गोड्डा जिला तक रेल संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

शिवहर के रास्ते मोतीहारी और सीतामढ़ी के बीच एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण स्वीकृत हो गया है और प्रगति पर है।

गया से छतरा तक एक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। छतरा से टोरी तक एक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को 1999-2000 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय रेल में हड़ताल

2410. श्री विजय गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में आज तक भारतीय रेलवे में कितनी हड़तालें हुईं;

(ख) प्रत्येक हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) प्रत्येक हड़ताल के कारण भारतीय रेल को कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (आज की तारीख तक) के दौरान भारतीय रेलों में कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

2411. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चम्बल नदी पर रेल पुल के निर्माण की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इसके लिए कितना आवंटन किया गया;

(ग) उक्त पुल के निर्माण में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 44 करोड़ रुपए।

(ख) 1998-99 के दौरान कार्य के लिए 10 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) यह कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और 31.3.1999 तक पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

पोर्ट ब्लेयर के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए चार्टर्ड उड़ानें

2412. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोर्ट ब्लेयर (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) के लिए विदेशी पर्यटक चार्टर्ड उड़ानों की अनुमति देने के लिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) पोर्ट ब्लेयर से/को पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन पर आवश्यक आधारभूत संरचना विस्तार और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद ही प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा सकता है।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत वस्त्र इकाईयां

2413. श्री ए. सिदराजू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ई.एस.आई.) के अंतर्गत कितनी वस्त्र उत्पादन करने वाली इकाइयों को लाया गया है;

(ख) इनमें से कितनी बंगलौर में हैं;

(ग) क्या कुछ इकाइयां घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन इकाइयों को कर्मचारियों के अंशदानिक-भुगतान से छूट देने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) 976

(ख) 949

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत घाटे में चल रहे कारखानों/प्रतिष्ठानों को नियोजक अंशदान का भुगतान करने की छूट दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम घाटे में चल रहे प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना नहीं रखता है।

भारतीय हथियारों की गुणवत्ता

2414. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1999 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इंडियन वैपन्स गुड, एक्सेप्ट इन ए वार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सूचित किए गए तथ्य का क्या हैं; और

(ग) इस विषय में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : जी, हां।

(ख) और (ग) देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भावी रणक्षेत्र परिवेश के लिए तैयार रहने के मद्देनजर सेना को भावी खतरे, प्रौद्योगिकियों और भू-राजनीतिक परिवेश के बदलते परिदृश्य के अनुरूप सैनिकों और सैन्य साज-सामानों को अद्यतन बनाकर निरंतर आधुनिक बनाया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों में ही उच्च स्तरीय संक्रियात्मक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समन्वित अभ्यास किए जाते हैं और अधिप्राप्ति के लिए प्राथमिकतावार योजना बनाई जाती है और उसे मुस्तैदी से क्रियान्वित किया जाता है।

2. भावी खतरों और उनसे निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओ के लिए शस्त्र तथा शस्त्र प्रणालियों की खरीद की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर विशिष्ट खतरों से निपटने के लिए

विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाता है। भावी खतरों की तुलना में उपस्कर का कार्य निष्पादन, उसकी उपलब्धता, उत्पाद सहायता और कम लागत के मद्देनजर विशिष्ट शस्त्रों तथा शस्त्र प्रणालियों की खरीद के लिए व्यावसायिक मूल्यांकन किया जाता है। सैन्य मुख्यालयों के व्यावसायिक निदेशालय तथा अनुसंधान व विकास विभाग चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं।

[हिन्दी]

श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत अस्पताल का निर्माण

2415. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भरवेली, जिला बाकघाट, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय अस्पताल का निर्माण श्रम कल्याण निधि से किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल के निर्माण पर मंत्रालय द्वारा किस वर्ष धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या वहां अस्पताल नियमित रूप से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड से उक्त अस्पताल का अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी हां।

(ख) अस्पताल के निर्माण के लिए संस्वीकृत की गई धनराशि 1984-88 तक की निर्माण अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में व्यय की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने अस्पताल को मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है।

एविएशन टरबाइन ईंधन

2416. डा. चिन्ता मोहन :
डा. सुशील इन्दौरा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विमान को चलाने हेतु आवश्यक एविएशन टरबाइन ईंधन का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य अंतर की प्रतिशतता क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) विमानन टरबाईन ईंधन का औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्य लगभग 5600 रुपए प्रति किलोमीटर है जबकि भारत में इसका मूल्य अंतर्देशीय प्रचालनों के लिए लगभग 15000 रुपए प्रति किलोमीटर है और अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों के लिए 9600 रुपए प्रति किलोमीटर है। विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य का निर्धारण तथा निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

(ग) अंतर्देशीय प्रचालन के लिए भारत में विमानन टरबाईन ईंधन का मूल्य लगभग अंतरराष्ट्रीय मूल्य से 2.68 गुना है।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर पर्यटन काउंटर

2417. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली पर पर्यटन संबंधी सुविधाओं के लिये बनाए गए काउंटरों का निजी कंपनियों द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी निजी कंपनियों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने मैसर्स पंजाब पर्यटन विकास निगम (पी.टी.डी.सी.) जो राज्य सरकार का उपक्रम है को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर पर्यटन काउंटर खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया था। भा.वि.प्रा. को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पी.टी.डी.सी. ने इसे पटियाला में स्थित एक निजी परिवहन कंपनी को पट्टे पर दे दिया है। मामले की जांच की गई है और निजी फर्मों द्वारा किसी भी काउंटर का प्रयोग गैर-कानूनी रूप से नहीं किया जाता।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा पेरियार ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन

2418. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने सियाचीन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सैनिकों को होने वाली "फ्रास्ट बाइट" बीमारी के बारे में शोध करने के लिए मै. पेरियार ट्रस्ट के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई वित्तीय वचनबद्धताएं हों तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या पेरियार ट्रस्ट द्वारा तैनात किए जाने वाले शोधकर्ताओं के लिए रक्षा मंत्रालय के भवनों में कार्यालय हेतु कोई स्थान प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) देश में उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञता और मूलभूत सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन उद्योगों/शैक्षिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान केन्द्रों की साझेदारी से विभिन्न कार्यक्रम/परियोजनाओं को हाथ में लेता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन पहले ही आवश्यकता वाले कुछ अनुसंधान क्षेत्रों में लगभग 50 शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहा है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए चुने हुए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु तंजावूर स्थित पेरियार मनियाम्मई कालेज आफ टेक्नोलॉजी फॉर वीमेन (पी.एम.सी.टी.डब्ल्यू.) जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित महिला तकनीकी संस्थान है, के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता-ज्ञापन का एक और उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बढ़ावा देना है। इस समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत हिमदंश के लिए लेजर फोटोडायनामिक चिकित्सा के वास्ते लेजर मापदंडों का पता लगाने के संबंध में कंप्यूटर समरूप मॉडल विकसित करने के लिए 2 लाख रुपए की लागत का कार्य इस संस्थान के लिए अनुमोदित किया गया है। तथापि, इसके लिए अब तक कोई निधि नहीं रखी गई है।

(ग) जी, नहीं।

एयर इंडिया के घाटे

2419. श्री माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को गत पांच माह के दौरान अर्थात् अक्तूबर, 1998 से फरवरी, 1999 तक लगातार अतिरिक्त घाटा होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस एयरलाइन को घाटे की स्थिति से उबारने हेतु क्या उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, हां। अक्तूबर, 98 से जनवरी, 99 के अनंतिम परिणामों के मुताबिक एयर इंडिया को 109.04 करोड़ रु. के प्रक्षेपित घाटे की तुलना में 80.10 करोड़ रु. का घाटा हुआ था।

यह घाटा ब्याज के खर्च में वृद्धि और नये विमान के मूल्यह्रास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण आय में कटौती, तनख्वाह बिल तथा अन्य स्टाफ लागत और प्रचालन, हैंडलिंग तथा दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि, रुपये के मूल्य में ह्रास के कारण है।

कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एयर इंडिया लि. ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयासों को तेज किया गया है।

(2) मार्ग लाभप्रदता पर जोर देते हुए नेटवर्क युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण।

(3) विमानों के वाह्य मरम्मत पर व्यय में कटौती के लिए और अधिक इन-हाउस रिपेयर्स शुरू।

(4) विदेश में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

चित्रकूट का राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकास

2420. श्री रामानन्द सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चित्रकूट को इसके सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय उनसे विचार-विमर्श करके, चुनिंदा अभिनिर्धारित की गई परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोषों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चित्रकूट एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटक केन्द्र है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, वर्ष 1991-92 के दौरान चित्रकूट में यात्री निवास के निर्माण के लिए लगभग 35 लाख रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। चित्रकूट में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं—एक पर्यटक बंगला, यात्री निवास, पर्यटक कार्यालय हैं।

[अनुवाद]

गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सफाई

2421. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग के पास गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की सफाई के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों द्वारा किये गये काम के निरीक्षण के लिये पर्याप्त अधिकारी भी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिये कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) स्टेशनों की सफाई का समग्र प्रभार स्टेशन प्रबंधकों के पास होता है और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वास्थ्य निरीक्षक तथा सफाई वाले इनकी सहायता करते हैं। स्टेशनों में पर्याप्त मात्रा में सफाई उपस्कर और एसिड, फिनायल, झाड़ू आदि जैसी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। स्टेशन परिसरों को साफ-सुथरा रखने के लिए जनता से सहयोग देने के लिए अक्सर उद्घोषणाएं की जाती हैं। स्टेशन परिसरों की साफ-सफाई की अधिकारियों, निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

महाराष्ट्र में चालू दूरदर्शन परियोजनाएं

2422. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में चालू दूरदर्शन परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाएं पूरी की गई तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ग) इसका दर्जा क्या है तथा इसके लिए किए गए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र से कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) देश में इस समय महाराष्ट्र राज्य में 3 स्टूडियो तथा 28 ट्रांसमीटर (4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 13 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 11 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) सहित कुल 31 स्टूडियो तथा 276 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (64 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 133 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 71 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 8 ट्रांसपोजर) कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) 8वीं योजनावधि के दौरान, दूरदर्शन ने 16 स्टूडियो और भिन्न-भिन्न शक्तियों के 415 ट्रांसमीटर स्थापित किए थे। 9वीं योजना में स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर स्कीमों संबंधी लक्ष्य 23 स्टूडियो, 40 डीडी-1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 40 डीडी-2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 422 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर हैं। इसके अतिरिक्त, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाओं के प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण तथा संवर्धन से संबंधित स्कीमें कार्यान्वित की गयी थी तथा 9वीं योजना के दौरान भी इनको कार्यान्वित किए जाने का विचार है। साथ ही कई आनुषंगिक स्कीमों के अलावा दूरदर्शन नेटवर्क में उपग्रह अपलिंकिंग सुविधाओं का भी संवर्धन किया गया तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

(ग) दूरदर्शन के 9वीं योजना प्रस्तावों का परिव्यय 1836 करोड़ रु. है।

(घ) दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए महाराष्ट्र में विभिन्न स्रोतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पहले से ही कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के अलावा टी.वी. नेटवर्क का और विस्तार करना संसाधनों/आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

गोल्डन रॉक वर्कशॉप में रिक्त पद

2423. श्री वैको : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोल्डन रॉक वर्कशॉप में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3000 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। इस समय गोल्डन राक कारखाने में केवल 392 रिक्तियां हैं।

(ख) ये रिक्तियां 3 वर्ष की अवधि के दौरान हुई हैं।

(ग) यद्यपि प्रोमोशन कोटा से इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है तथापि कारखाने में कार्यभार की आवश्यकतानुसार सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को भरा जाएगा।

बीजापुर विमानपत्तन हेतु भूमि

2424. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से मंगलोर में बीजापुर विमानपत्तन के विस्तार हेतु जिन भूस्वामियों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें मुआवजे की धनराशि जारी किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में मांगी गई है; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) मंगलौर (बाजपी) में स्थित विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) का है। वर्ष 1988 में राज्य सरकार द्वारा भूमि के अर्जन के लिए 50 लाख रु. की राशि मांगी गई थी जिस रकम को मार्च, 1989 में दिया गया। भूमि को अब तक भा.वि.प्रा. को नहीं सौपा गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सामग्री की खरीद

2425. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा 1997 में एक वर्ष में खरीदी/बेची गई सामग्री के ब्यौरे प्रकट करने हेतु रेलवे ने कोई निर्णय लिया था; और

(ख) क्या रेलवे द्वारा सामग्री की खरीद न्यूनतम दरों की निविदाओं और बिक्री अधिकतम दरों की निविदाओं के आधार पर की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलों पर खरीद तकनीकी व्यावहारिकता और प्रस्ताव के अन्य गुण-दोषों पर विचार करते हुए और भारत सरकार (आपूर्ति विभाग और अन्य सरकारी विभाग) द्वारा निर्धारित नीति और समय-समय पर जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर निविदा जारी करके की जाती है।

सामग्री की बिक्री या तो उच्च दर पर नीलामी के माध्यम से या आपवादिक मामलों जिनमें निविदादाता निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता या उसके प्रत्यय पत्र को उचित नहीं समझा जाता, को छोड़कर उच्च दरों पर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लेवी

2426. श्री के. येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपने आयातों पर भारी सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क लेवियों का भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल परियोजनाओं में निजी निवेश आकृष्ट करने हेतु विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय को राजी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड और एयरबस उद्योग के लिए समझौता-ज्ञापन

2427. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने एयरबस उद्योग के साथ संयुक्त रूप से ए-320 क्यू.सी. विमान को विकसित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) तैयार की गई सहयोग योजना का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) ए-320 श्रेणी के वायुयानों को शीघ्र परिवर्तनीय और मालवाहक रूपांतर के रूप में परिवर्तित करने के वास्ते एक संयुक्त अध्ययन करने के लिए एयरबस इन्डस्ट्री और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस संयुक्त अध्ययन में तकनीकी, औद्योगिक, वित्तीय, विपणन और परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संबंधी पहलुओं पर विचार किया जाना है।

[हिन्दी]

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई सिगनल प्रणाली

2428. डा. अशोक पटेल :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई सिगनल प्रणाली चालू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर हुए कुल खर्चे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई सिगनल प्रणाली के कितने लाभकारी होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रणाली को अन्य मुख्य शहरों के रेलवे स्टेशनों में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें इस प्रणाली को कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(च) नई सिगनल प्रणाली की स्थापना पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) नई सिगनल प्रणाली रूट रिले अंतर्पाशन पर आधारित है जिसमें केवल दो बटन दबाते ही (एक रूट में प्रवेश और निकास) पूरा रूट स्वचालित तरीके से सेट हो जाता है, क्लीयरेंस के लिए जांच हो जाती है, लाक्ड हो जाता है और सिगनल को क्लीयर कर दिया जाता है। इसे रूट रिले अंतर्पाशन कहा जाता है। दिल्ली स्टेशन और 1122 रूट नियंत्रणों के साथ यह रूट रिले अंतार्पाशन मुख्य प्रणाली है। इस नई प्रणाली पर वहन किया गया खर्च 15.75 करोड़ रुपए है।

(ग) इस नई प्रणाली से प्राप्त होने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-

(1) संचलन के लिए मार्गों की संख्या पर्याप्त रूप से पूर्ववर्ती प्रणाली में 530 से बढ़ाकर 1122 की गयी है।

(2) यार्ड के ढांचें में परिवर्तन के कारण विभिन्न प्लेटफार्मों से अतिरिक्त आदान और प्रस्थान सुविधाएं।

(3) पुरानी सिगनल प्रणाली जो अपनी उपयोगी आयु पूरी हो चुकी है, के बदलाव के कारण बेहतर विश्वसनीयता और निष्पादन।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अन्य मुख्य शहर जहां रूट रिले अंतर्पाशन प्रणाली मुहैया कराने की योजना है

क्र.सं.	रेलवे	स्टेशन का नाम जहां रूट रिले अंतर्पाशन संबंधी कार्य प्रगति पर है	संस्थापित होने की संभावित तिथि	लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	मध्य	ग्वालियर	दिसम्बर, 1999	4.39
2.	मध्य	आगरा कैंट	सितम्बर, 2000	8.25
3.	मध्य	बल्लारशाह	दिसम्बर, 2000	6.72
4.	पूर्व	गया	अप्रैल, 2000	9.85
5.	पूर्व	सियालदाह	मई, 2000	2.50
6.	पूर्व	पटना	अप्रैल, 2000	12.61
7.	पूर्व	बर्धमान	नवम्बर, 2000	8.38
8.	उत्तर	लुधियाना	मार्च, 2001	8.15

1	2	3	4	5
9.	दक्षिण	शोरूवण्णूर जं.	दिसम्बर, 1999	3.01
10.	दक्षिण	एर्णाकुलम जं.	दिसम्बर, 1999	3.05
11.	दक्षिण मध्य	द्रोणाकल	जून, 2000	3.68
12.	दक्षिण पूर्व	सिंहाचलम	दिसम्बर, 1999	11.82
13.	पश्चिम	वालसाड	जून, 1999	2.65

[अनुवाद]

खुर्दा रोड-बोलनगीर रेल मार्ग का निर्माण

2429. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुर्दा रोड-बोलनगीर रेल मार्ग के निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रेल लाइन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस रेल लाइन के लिए अभी तक कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) रेल लाइन को कब तक शुरू करने तथा पूरा करने की संभाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) यह एक स्वीकृत कार्य है। सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद भूमि अधिग्रहीत की जाएगी और भूमि के अधिग्रहण हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) 353.38 करोड़ रु.।

(ग) 15.49 करोड़ रु.।

(घ) भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा और इसकी प्रगति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और यह कार्य भावी वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार का प्रावधान

2430. श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री गंगा चरण राजमूल :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार कार्यालय ऐसे व्यक्तियों का रिकार्ड नहीं रखते हैं जिन्हें रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराने के तीन वर्ष के अन्तर्गत रोजगार नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर नौकरी उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) अनुदेशानुसार रोजगार कार्यालयों को ऐसे रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखना आवश्यक है जिन्हें रोजगार नहीं मिलता किन्तु वे पंजीयन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाते हैं।

(ग) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने व गरीबी उन्मूलन के मद्देनजर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सेक्टरों, सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

[अनुवाद]

केरल को वैगन आपूर्ति

2431. श्री पी. शंकरन :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति हेतु कितने वैगन भेजे गए;

(ख) क्या राज्य में 1998-99 के दौरान वैगनों के आने में भारी कमी आई है जिससे अतिरिक्त भंडार समाप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल को भेजे जाने वाले रैकों में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न माल डिब्बों का वास्तविक इनपुट निम्नानुसार है:

1996-97	275 माल डिब्बे प्रति दिन
1997-98	263 माल डिब्बे प्रति दिन
1998-99 (फरवरी, 1999 तक)	280 माल डिब्बे प्रति दिन

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केरल के लिए भारतीय खाद्य निगम हेतु खाद्यान्नों के लदान के लिए रेलवे माल डिब्बों की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। बहरहाल, संचलन का कार्यक्रम भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जाता है तथा लदान एवं उतराई संभावना और निष्पादन को ध्यान में रखते हुए लदान तथा संचलन की व्यवस्था की जाती है।

बागान श्रमिकों हेतु वेतन बोर्ड

2432. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागान श्रमिकों हेतु एक वेतन बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी बागान में नियोजन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एक अनुसूचित नियोजन है तथा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है।

दूरदर्शन धारावाहिकों का चयन

2433. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन और उनकी अवधि संबंधी कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अचानक हटाए गए कुछ लोकप्रिय धारावाहिक दूरदर्शन पर पुन: शुरू किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटक स्थल

2434. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में स्थित अपने पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों और तीर्थस्थलों के बारे में साहित्य, पुस्तिकाओं और उनसे संबंधित चलचित्रों के माध्यम से उनका प्रचार-प्रसार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पर्यटक/तीर्थ-स्थलों के राज्यवार नाम क्या हैं और किन-किन देशों में इनका प्रचार किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत तथा विदेश स्थित अपने पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से, भारत को एक सकारात्मक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, तीर्थ स्थलों सहित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों पर ब्रोशरों, फोल्डरों, फिल्मों जैसी प्रचार सामग्री का निर्माण करता है।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर, जहां तीर्थ स्थलों सहित पर्यटक स्थल हैं, प्रचार सामग्री का मुद्रण किया जाता है।

सामरिक रक्षा समीक्षा ग्रुप

2435. **श्री डी.एस. अहिरे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने सामरिक रक्षा समीक्षा ग्रुप स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समीक्षा ग्रुप के कार्य क्या हैं;

(ग) इसके कब तक कार्यरत हो जाने की संभावना है; और

(घ) भारत की सुरक्षा के लिए भावी खतरों से निपटने के लिए इससे कहां तक सहायता मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सामरिक नीति ग्रुप (एस.पी.जी.) अभी हाल में स्थापित की गई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक संघटक इकाई है। सामरिक नीति ग्रुप को अपने प्राथमिक कार्यों के रूप में सामरिक रक्षा समीक्षा का कार्य करना है।

(ख) सामरिक नीति ग्रुप में मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव (रक्षा उत्पादन), वित्त सचिव, तीनों सेनाध्यक्ष, सचिव (राजस्व), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, निदेशक (आई.बी.), मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (आर.), सचिव (परमाणु ऊर्जा विभाग), रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव (अंतरिक्ष) और अध्यक्ष (जे.आई.सी.) शामिल हैं। अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुरूप शामिल किया जाएगा। सामरिक नीति ग्रुप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अन्तर-मंत्रालयी समन्वय एवं सहायता प्रदान करेगा।

(ग) सामरिक नीति ग्रुप का विधिवत गठन किया गया है ताकि जब कभी आवश्यकता हो उसकी बैठक बुलाई जा सके।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सामरिक नीति ग्रुप के गठन से भावी खतरों की कल्पना करके विदेश नीति, रक्षा नीति और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए भारत की सुरक्षा के भावी खतरों का समन्वित ढंग से सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता मिलेगी।

अमरावती रेलवे स्टेशन का नवीकरण

2436. **श्री आर.एस. गवई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना अमरावती रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका नवीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम न्यायालय में मामले

2437. **श्री माधवराव पाटील** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से पृथकत: कितने मामले निपटाए गए;

(ख) क्या सरकार का लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अतिरिक्त श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

1.1.97 से 31.12.97	-	977
1.1.98 से 31.10.98	-	724

(ख) और (ग) औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए 12 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय हैं। इसके अलावा, दो और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की मंजूरी की गई है।

(घ) पीठासीन अधिकारियों के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

नेदुम्बसेरी में कार्गो काम्प्लैक्स

2438. **श्री पी.सी. थामस** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालयों द्वारा कोचीन के निकट नेदुम्बसेरी विमानपत्तन पर आने वाले विमानों के यातायात के प्रचालन हेतु एयर इंडिया को मंजूरी दिए जाने के मुद्दे को स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई विमान कंपनियों द्वारा इस विमानपत्तन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रस्ताव किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) केरल उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया लिमिटेड को कोचीन विमानपत्तन पर स्थलीय संचालन सेवाएं मुहैया कराने हेतु ठेका अवार्ड करने संबंधी कोचीन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड के निर्णय को परिपुष्ट कर दिया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वाहकों के अलावा सऊदी अरब सरकार तथा ओमान सरकार से उनकी नामित विमान कंपनियों के लिए अवतरण स्थल के रूप में कोचीन की अनुमति देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

घरेलू बाल श्रमिक

2439. **श्री अभय सिंह एस. भोंसले** :
श्री मदन पाटील :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में 14 वर्ष से कम आयु के घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या और उनकी कार्य दशाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने महानगरों में घरेलू स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 घरेलू नौकरों के रूप में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। इसलिए, ऐसे बालकों का सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार बाल श्रम के सभी रूपों के उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. होटलों का आधुनिकीकरण

2440. श्री रामशकल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण अभियान को पूर्णत: आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषण किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ होटलों के ढहाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1998-99 में इसके होटलों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए 29 करोड़ रु. के संशोधित योजना प्रावधान शामिल हैं। परिव्यय के होटल-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताए अनुसार, नवीकरण योजनाओं के लिए कोई बजटीय सहायता मांगे बिना आंतरिक संसाधनों से अर्थव्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) दिल्ली स्थित तीन होटलों - लोधी होटल, जनपथ होटल और रंजीत होटल का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में, मौजूदा लोधी होटल को गिराने और 310 कमरों वाले पांच सितारा श्रेणी के होटल का पुनर्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इसके पश्चात् दूसरे चरण में, अन्य दो होटलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन होटलों के पुनर्निर्माण के कारण नीचे दिए गए हैं:-

* वर्तमान ढांचा पूरी तरह पुराना है और वह कुछ स्थानों से गिरना/चटकना शुरू हो गया है।
* वर्तमान विन्यास (खाका) होटलों के आधुनिक दक्ष प्रचालन के लिए सहायक नहीं है।
* इसके रख-रखाव पर भी भारी व्यय होता है।
* यह उस तरह की आधुनिक सुविधाएं प्रदान नहीं करते जैसी कि नव निर्मित होटलों द्वारा प्रदान की जा रही हैं।
* नजदीक के निजी सेक्टर के होटलों के लिए ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के कारण प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

नवीकरण/आधुनिकीकरण के योजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1998-99 के लिए संशोधित योजना परिव्यय के होटल-वार ब्यौरे

(रु. लाखों में)

एकक का नाम		संशोधित योजना परिव्यय
1		2
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1800.00
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	100.00
3.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	50.00
4.	होटल रंजीत, नई दिल्ली	40.00
5.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	100.00
6.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	25.00
7.	होटल कुतुब, नई दिल्ली	100.00

1	2
8. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली	10.00
9. होटल मनाली अशोक, मनाली	5.00
10. भरतपुर फारेस्ट लॉज	45.00
11. होटल जयपुर अशोक, जयपुर	20.00
12. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	50.00
13. कोसी रेस्तरां, कोसी	5.00
14. होटल आगरा अशोक, आगरा	10.00
15. होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	20.00
16. होटल जम्मू अशोक, जम्मू	10.00
17. होटल खजुराहो अशोक	40.00
18. होटल औरंगाबाद अशोक	10.00
19. होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	10.00
20. होटल बोधगया अशोक, बोधगया	10.00
21. होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	40.00
22. होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	70.00
23. होटल हासन अशोक, हासन	20.00
24. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	50.00
25. होटल अशोक, बंगलौर	50.00
26. टेम्पल बे अशोक बीच रिज़ार्ट, माम्लापुरम	100.00
27. होटल मदुरै अशोक, मदुरै	60.00
28. कोवलम अशोक बीच रिज़ार्ट, कोवलम	50.00
	2900.00

टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

2441. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि वह स्टार टी.वी. और अन्य विदेशी टी.वी. नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके;

(ख) क्या सरकार का अन्य महानगरों में केन्द्रीय निर्माण केन्द्र जैसे उच्च-गुणवत्ता टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि दूरदर्शन दर्शकों की रुचि बनाए रखने के विचार से अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में और अन्य उपग्रह चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने कार्यक्रमों को सक्षम बनाने हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मात्र केन्द्रीय निर्माण केन्द्र, दिल्ली की तर्ज पर अन्य मैट्रो शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले टी.वी. कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों को स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानों के गैर-चक्रिल कल-पुर्जे

2442. श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने एयरबस तथा बोइंग उद्योगों से इनकी विमानों के अतिरिक्त गैर-चक्रिल कल-पुर्जो को वापिस खरीदने हेतु कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इंडियन एयर लाइन्स ने एयरबस इंडस्ट्री जर्मनी को 1145 और चलायमान, मदों की एक सूची तथा बोइंग कंपनी, यू.एस.ए. को 1168 और चलायमान मदों की एक सूची इन्हें पुन: खरीदने के लिए भेजी है। उपरोक्त के संदर्भ में एयरबस इंडस्ट्री ने 150,000 अमरीकी डालर के मूल्य पर 275 मदों की पुन: खरीद की पेशकश की तथा बोइंग कम्पनी ने 180,489 अमरीकी डालर के कुल मूल्य पर 274 मदों की पुन: खरीद की पेशकश की है।

मध्य रेलवे की रसोई इकाई में घोटाला

2443. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे की बेस रसोई इकाई में हुये घोटाले का हाल में पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घोटाले के परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानत: कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी नहीं। खानपान सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए नेमी जांचें की जाती हैं। हाल ही में नागपुर में मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग और सी.बी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से एक जांच की गयी थी जहां छोटी-मोटी अनियमितताएं पाई गई थी और इस पर विभागीय कार्रवाई अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी।

रेल द्वारा रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ना

2444. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत (रामेश्वरम) को श्रीलंका (मेन लैण्ड) के साथ रेल द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे रेल सम्पर्क की कोई मांग नहीं है।

निजी एयरलाइन्स द्वारा जमा जमानत राशि का समायोजन

2445. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव (जहानाबाद) :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 28 फरवरी, 1999 के अनुसार निजी एयरलाइन्स द्वारा जमा किए जमानत राशि के लिए बकाया धनराशि का समायोजन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक निजी एयरलाइन्स के पास कितनी धनराशि अभी भी बकाया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। साख अवधि की दिशा में/की और 15 दिनों की प्रचालनावधि के लिए देय राशि को पूरा करने हेतु प्रतिभूति जमा ली जाती है। बकाया राशि की मद में प्रतिभूति जमा की समायोजन सामान्यत: तब किया जाता है जब बकाया राशि की रकम प्रतिभूति जमा रकम से अधिक हो जाती है। कुछ मामलों में, यद्यपि बकाया राशि की रकम प्रतिभूति जमा से अधिक रहती है। बकाया राशि के बाबत प्रतिभूति जमा का समायोजन नहीं किया गया है चूंकि इस मामले में उगाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) प्रत्येक निजी विमान कंपनियों पर बकाया देय राशियों का एक विस्तृत ब्यौरा (यथा 28 फरवरी, 1999) विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

यथा 28 फरवरी, 1999 को निजी विमान कंपनियों को देय बकाया राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

विमान कंपनियों के नाम	कुल देय राशि	कुल प्रतिभूति राशि
1	2	3
जेट एयरवेज	547.19	674.53
सहारा इंडिया एयरलाइन्स	147.80	148.36
ब्लू डार्ट एविएशन	14.24	22.11
निकोन एयरलाइन्स	1.45	2.93
इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	0.83	0.88
केसीवी एयरलाइन्स	4.40	0.30
यू.पी. एयरवेज	11.66	13.60
ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1787.03	7.92
जगसन एयरलाइन्स	43.24	2.00

1	2	3
एन.ई.पी.सी./स्काईलाईन एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	347.79	96.10
ट्रांस भारत एविएशन	4.00	0.93
सिटि लिंक एयरलाइन्स	1.48	0.00
मोदी लुफ्त एयरलाइन्स	73.88	48.28
कांटिनेंटल एविएशन	27.84	0.00
एरियल सर्विसिज	0.15	0.94
जे.के. कार्पोरेशन	0.18	0.20
ईस्टर्न एयरवेज	0.76	2.22
ईस्ट इंडिया होटल्स	0.09	0.72
बी.एस. मिगिथिया	0.53	0.46
गुजरात एयरवेज	7.97	12.70
बंगाल एयरवेज	3.95	6.97
यूनाइटिड इंडिया एयरवेज	1.83	0.00
राज एविएशन	1.28	1.37
अर्चना एयरवेज	17.71	7.04

1	2	3
वी.आई.एफ. एयरवेज	13.22	0.45
सपन एविएशन	27.68	3.07
सराया एविएशन	0.93	0.97
मेगापोड एयरलाइन्स	0.27	0.25
ए.सी.ई. एयरवेज	2.56	6.68
एलबी एयरलाइन्स	37.80	3.30
मेस्को एयरलाइन्स	1.75	7.35
कुल	3141.54	1065.91

[हिन्दी]

गैर-सरकारी पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन

2446. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी पंजीकृत गैर-सरकारी पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिये जा रहे हैं;

(ख) इन पत्रिकाओं में ऐसी कौन-कौन सी हैं जो विज्ञापनों से धन अर्जित कर रही हैं, परन्तु उन व्यक्तियों को कोई पारिश्रमिक नहीं दे रही हैं जिनके लेख उनमें छपते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिससे कि लेखकों के शोषण पर अंकुश लगाया जा सके?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची के अनुसार 344 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्हें सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया को घाटा

2447. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को वर्ष 1999 के पिछले दो महीनों में लगातार अतिरिक्त घाटा होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 1999 तक के अनंतिम परिणामों के अनुसार एयर-इंडिया को दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 1999 तक की अवधि में 37.46 करोड़ रु. के बजट घाटे की तुलना में 19.29 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

यह घाटा ब्याज के खर्च में वृद्धि और नये विमान के मूल्यह्रास, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण आय में कटौती, वेतनबिल तथा अन्य स्टाफ लागत और प्रचालन, हैंडलिंग तथा दिक्चालन प्रभारों में वृद्धि रुपये के मूल्य में ह्रास के कारण है।

कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एयर इंडिया लि. ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयासों को तेज किया गया है।

(2) मार्ग लाभप्रदता पर जोर देते हुए नेटवर्क युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण।

(3) विमानों के वाह्य मरम्मत व्यय में कटौती के लिए और अधिक इन-हाउस रिपेयर्स शुरू।

(4) विदेश में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

पर्यटन संवर्धन के लिए समितियां

2448. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक इन समितियों का गठन नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को पर्यटन संवर्धन के संबंध में कोई आवधिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर पारस्परिक संपर्क बनाए रखता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से, अलग से, उनके राज्यों में पर्यटन के विकास और संवर्धन पर विचार-विमर्श करने के लिए गहनतापूर्वक विचार किया है और वर्ष के लिए उनके साथ विचार-विमर्श करके, पर्यटन परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक छः माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

पार्सल को उतारना

2449. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा बुक किए गए पार्सलों को उनके गन्तव्य स्टेशनों की बजाय अन्य स्टेशनों पर भी उतार लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में घटने वाली ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इसके कारण रेल विभाग तथा रेलवे उपभोक्ताओं को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कुप्रबन्ध को दूर करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। बहरहाल, परिचालनिक तंगियों के कारण कभी-कभार गंतव्य से आगे ढुलाई हो जाने की घटना हो जाती है जिसके लिए निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) पार्सल बुकिंग और संचलन को युक्तियुक्त और सुप्रवाही बनाने के उपाय किए गए हैं। परिवहन की समग्र कुशलता बढ़ाने और शिकायतें कम करने के लिए ब्रेक यान को पट्टे पर देने की योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

स्थायी श्रम समिति की बैठक

2450. श्री महबूब जहेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए स्थायी श्रम समिति की बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1998 के दौरान होने वाली बैठक को टालने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वितीय श्रम आयोग के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) स्थायी श्रम समिति की बैठक आमतौर से वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। 23 अक्तूबर, 1998 को आयोजित की जाने वाली स्थायी श्रम समिति के 25वें सत्र की बैठक, प्रशासनिक कारणों से, 6.2.99 को आयोजित की जा सकी।

(ग) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव देना द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक है।

तिरूअनंतपुरम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

2451. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जाने वाली तिरुअनंतपुरम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के पांच डिब्बे कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उडपी के निकट 11 फरवरी, 1999 को पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने यात्री मारे गए/घायल हुए तथा इसमें कितने मूल्य की सरकारी संपत्ति की हानि हुई;

(ग) पीड़ितों को मुआवजास्वरूप कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) कोई यात्री हताहत या घायल नहीं हुआ था और इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई सरकारी संपत्ति का मूल्य 4 लाख रुपए है।

(ग) चूंकि इस दुर्घटना में कोई हताहत/घायल नहीं हुआ था, इसलिए मुआवजे का भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई थी जिसने निष्कर्ष निकाला था कि यह रेलपथ और पहियों की खामियों के कारण हुई थी। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को रोजगार

2452. श्री अरविंद कांबले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन्हें दिए गए रोजगारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। ऐसी नियुक्तियां समूह ''ग'' तथा समूह ''घ'' के पदों में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत होने वाली रिक्तियों के 5% तक की जा सकती हैं। इसी प्रावधान के अंतर्गत सेवा के दौरान जिन रक्षा सेवा कार्मिकों की मृत्यु हो जाती है उनकी पत्नियों/आश्रितों को भी सेवा मुख्यालयों के सिविलियन समूह ''ग'' तथा ''घ''

पदों के तहत रिक्तियों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार किया जाता है।

2. रक्षा सेवा कार्मिकों की विधवाओं को राज्य-वार प्रदत्त नौकरियों से संबंधित सूचना को केन्द्रीय रूप से मानीटर नहीं किया जाता है।

श्रमिकों के बारे में विश्व व्यापार संगठन में चर्चा

2453. डा. चिन्ता मोहन :
डा. सुशील इंदौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी विश्व व्यापार संगठन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के आने-जाने पर प्रतिबंधों में छूट देने हेतु कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो चर्चाएं किन-किन तारीखों को हुई थीं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के आने-जाने में प्रतिबंधों में छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने जिनेवा में 18 और 19 मई, 1998 को हुए दूसरे मंत्रीपदीय सम्मेलन में इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दिया था। इसके बाद, भारत यह मुद्दा तीसरे मंत्रीपदीय सम्मेलन की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य परिषद की विशेष बैठकों में लगातार उठाता रहा है। सामान्य परिषद की बैठकें जिनमें भारत ने यह मुद्दा उठाया था, 23 नवम्बर और 16 दिसम्बर, 1998 को और 2 फरवरी, 1999 को आयोजित की गई थीं।

(ग) और (घ) व्यवसाय सेवाओं पर सामान्य करार (जी.ए.टी.एस.) पर वार्ताओं का अगला दौर 1.1.2000 से आरंभ होगा जैसा कि जी.ए.टी.एस. के अनुच्छेद XIX में अधिदेश दिया गया है। भारत इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक व्यक्तियों के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल किया जाए।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन का निर्माण

2454. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए महबूब नगर, वाडी, काजीपेट और मनमाड को जाने वाली रेल लाइनों पर साथ-साथ लगे दोनों शहरों के उपनगरों में रेलवे स्टेशनों के विस्तार का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेलवे द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में कितने रेलवे स्टेशनों के विस्तार के संबंध में विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में रेल मंत्री से हैदराबाद नगरपालिका सीमा से बाहर बड़े रेलवे स्टेशनों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण शुरू करने का आग्रह किया है जहां से शहर के विभिन्न हिस्सों में बसें चलायी जा सकती हैं।

(ख) रेलवे ने राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की अपनी सहमति वर्तमान अवसंरचना के अंतर्गत यथासंभव सीमा तक परिवहन सेवाएं विकसित करने के लिए तथा राज्य सरकार की लागत पर इस प्रयोजन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने की सहमति भी पहले ही दे दी है। रेलों ने राज्य सरकार से व्यवहार्यता अध्ययन हेतु भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित स्टेशनों पर सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य चल रहे हैं:-

1. सिकंदराबाद
2. विजयवाड़ा
3. गुंटूर जंक्शन
4. हुसैन सागर जंक्शन

5. चेरनबुन अधावरम

6. पंडिलापल्ली

7. मालेमादुगु

8. विशाखापत्तनम

9. हैदराबाद

10. विजयानगरम

विदेशी विमान चालकों को हटाया जाना

2455. डा. सरोजा वी. : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1998 को "दि इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "डी.जी.सी.ए. ग्राउन्ड्स फारेन पायलट्स" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निजी एयरलाइन्स के साथ काम कर रहे उन विदेशी विमान चालकों की संख्या कितनी है जो अपना रोजगार खोने वाले हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विदेशी विमान चालकों की भर्ती के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) इस समय कोई भी विदेशी विमान चालक किसी अनुसूचित निजी घरेलू विमान कंपनी का प्रचालन नहीं कर रहा है। किन्तु विदेशी विमान चालकों को देश के भीतर अन्तरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों तथा हेलिकॉप्टरों का प्रचालन करने की अनुमति दी गई है यह सीमित अवधि के लिए है जब तक कि पर्याप्त संख्या में भारतीय विमान चालक प्रचालकों द्वारा प्रशिक्षित नहीं किए जाते और उपयुक्त लाइसेंस तथा पर्याप्त अनुभव प्राप्त करके विदेशी पायलटों की जगह नहीं आ जाते।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार किसी घरेलू विमान परिवहन सेक्टर प्रचालक को विदेशी विमान चालकों/अभियंताओं की नियुक्ति करने की अनुमति है जब तक कि वह अपनी स्वयं की मानव क्षमता को प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं हो जाता किंतु ऐसी अनुमति सिर्फ सक्षम प्राधिकारी के एक्सप्रेस अनुमोदन से ऐसी अवधि तथा उन शर्तों पर दी जा सकती है जैसे उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।

[हिन्दी]

निर्माण कंपनियों द्वारा सुरक्षा संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

2456. श्री प्रभाष चंद्र तिवारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश भारतीय निर्माण कंपनियों द्वारा इनके श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा निर्धारित सुरक्षा संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग

2457. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से विदित है कि रेलवे टिकट की बुकिंग किसी भी काउन्टर से किसी भी समय किसी भी स्थान के लिए कराने की सुविधा दिए जाने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम के समय अत्यधिक भीड़ हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने टिकट खिड़कियों पर इस भीड़ को कम करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) ग्रीष्मकालीन भीड़भाड़, पूजा और क्रिसमस की छुट्टियों आदि व्यस्त अवधि के दौरान टिकटों की खरीद के लिए दिल्ली क्षेत्र सहित सभी आरक्षण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय वर्ष की अन्य अवधियों की तुलना में सापेक्ष रूप से अधिक होता है।

टिकटों की खरीद के लिए प्रतीक्षा समय में कमी करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम और उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के साथ-साथ अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत स्थल चालू करना, मौजूदा स्थलों पर अतिरिक्त आरक्षण/बुकिंग खिड़कियां खोलना और स्वत: मुद्रण टिकट मशीन आदि चालू करना शामिल है।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटक सर्किट हाउस

2458. श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए पर्यटक सर्किट हाउसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त सर्किट हाउसों का विकास करने और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो किन पर्यटक सर्किट हाउसों का आधुनिकीकरण करने के लिए पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ केन्द्रों की समेकित विकास योजना के तहत द्वारका, पालिताना, सोमनाथ और उडवाडा को तीर्थ केन्द्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है जिनके लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 1998-99 में कच्छ (मांडवी) में छोटी-छोटी आवास इकाईयों के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा 30.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

प्रसारण प्रणाली

2459. श्री के. कृष्णामूर्ति: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान प्रसारण प्रणाली को दुरुस्त करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या दूरदर्शन का डिजीटल ट्रांसमीशन चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसारण प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है तथापि, विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरिंग और पर्यवेक्षण किया जाता है तथा दूरदर्शन द्वारा नियमित सेवाएं बनाए रखने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कीम तैयार की जा रही है। वर्तमान में कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल और औषधालय

2460. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों और औषधालयों से राज्यवार कितने कामगारों को लाभ हो रहा है;

(ख) क्या ये औषधालय/अस्पताल औद्योगिक कामगारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा के और औषधालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देखरेख के लाभानुभोगियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) बीमाकृत व्यक्तियों को उचित चिकित्सा देखरेख और इलाज उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 129 क.रा.बी. अस्पताल, 1450 क.रा.बी. औषधालय, 43 अनैक्सियों और 2885 बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लिनीक स्थापित

किए गए हैं। देश के ख्याति प्राप्त अस्पतालों से भी आवश्यक अनुबंध किए गए हैं जिससे लाभानुभोगियों को अति विशिष्ट इलाज भी उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार और राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर क.रा.बी. योजना के अंतर्गत नए औषधालय खोले जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार चिकित्सा देखरेख हेतु लाभानुभोगियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5,03,500
2.	असम और मेघालय	43,850
3.	बिहार	1,84,050
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	30,900
5.	दिल्ली	5,88,500
6.	गोआ	70,800
7.	गुजरात	7,03,050
8.	हरियाणा	4,04,800
9.	हिमाचल प्रदेश	35,900
10.	जम्मू और कश्मीर	16,400
11.	कर्नाटक	7,24,700
12.	केरल और माहे	4,61,950
13.	मध्य प्रदेश	2,56,500
14.	महाराष्ट्र	
	(i) मुम्बई क्षेत्र	11,11,250
	(ii) नागपुर क्षेत्र	1,25,100
	(iii) पुणे क्षेत्र	4,16,900
15.	उड़ीसा	1,54,700
16.	पांडिचेरी	35,950
17.	पंजाब	4,35,750
18.	राजस्थान	3,11,650
19.	तमिलनाडु	11,07,750
20.	उत्तर प्रदेश	4,84,300
21.	पश्चिम बंगाल	8,87,600

खाड़ी देशों के लिए और अधिक विमान उड़ानें

2461. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से छुट्टियों के दौरान केरल से खाड़ी देशों के लिए और अधिक विमान

उड़ानें शुरू किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित उड़ानों के अलावा, सीजनल अपेक्षाओं की पूर्ति एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा गल्फ वाहकों द्वारा उसी सेक्टर पर अतिरिक्त उड़ानों का प्रचालन किया जाता है।

रेलवे सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

2462. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेलवे सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल की आवश्यकताओं पर गहन विचार करने के बाद और उनकी नौकरी की प्रकृत्ति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में आधुनिकीकरण योजना शुरू की गई है:-

(1) सड़क परिवहन का आधुनिकीकरण।

(2) संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण।

(3) कंप्यूटरों का उपयोग शुरू करना।

(4) आधुनिक सुरक्षा गजटों से बल को सुसज्जित करना।

(5) प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण।

(6) हथियारों का ग्रेडोन्नयन।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संगमरमर की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विधान

2463. श्रीमती कमल रानी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगमरमर की खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में संगमरमर की खानों में कार्य कर रहे मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिलासपुर को चैनल 5 और 9 से जोड़ना

2464. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के दूरदर्शन केन्द्र को चैनल 5 और 9 से जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसे उक्त चैनलों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बिलासपुर में चैनल 5 और 9 ट्रांसमीटरों को स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

2465. श्री अजीत जोगी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना से संबंधित पूरी की गई/विचाराधीन परियोजनाओं की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली दूरदर्शन/आकाशवाणी की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) अम्बिकापुर, भोपाल, छत्तरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, रायपुर, रीवा, खण्डवा, बेतूल, बिलासपुर, शिवपुरी, छिंदवाडा रायगढ़, शहडोल, बालाघाट, गुना और सागर स्थित 19 रेडियो केन्द्र इस समय मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।

कार्यान्वयनाधीन रेडियो केन्द्र तथा उन पर किए गए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 4 रेडियो केन्द्र, 5 रेडियो परियोजनाओं का उन्नयन/प्रतिस्थापन 3 टी.वी. स्टूडियो, 7 उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर, 12 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर तथा 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है/9वीं योजना अवधि के दौरान लिए जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इनमें से, 3 रेडियो केन्द्र, 1 टी.वी. स्टूडियो, 3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 10 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर मध्य प्रदेश के जनजातीय उप-योजना जिलों में स्थित हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान सहित स्कीम	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	31.3.98 तक व्यय (लाख रु.)	31.3.99 तक लक्षित व्यय
1.	स्थानीय रेडियो केन्द्र, सरायपल्ली	1999-2000	13.89	17.25
2.	स्थानीय रेडियो केन्द्र, मंडला	1999-2000	20.20	57.25
3.	स्थानीय रेडियो केन्द्र, राजगढ़	1998-1999	49.67	127.00
4.	स्थानीय रेडियो केन्द्र, बेलाडिला	2001-2002	-	-

[अनुवाद]

भारतीय होटल निगम

2466. श्री ए.सी. जोस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय होटल निगम विशेषकर इसकी दिल्ली इकाई के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा कदाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संगठन के कार्य को सुचारू बनाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) यह सही नहीं है कि भारतीय होटल निगम के प्रबंधन में विशेषकर इसकी दिल्ली इकाई में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त है।

इसी बीच, विनिवेश आयोग जिसने भारतीय होटल निगम के मामले में विचार किया है, ने एक वित्तीय सलाहकार के मार्फत उचित मूल्यांकन करने के उपरांत एक पारदर्शी तथा स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए भारतीय होटल निगम से संबंधित सम्पत्ति की बिक्री अंतरण संबंधी सिफारिशें की हैं।

उड़ीसा में सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2467. श्री तथागत सत्पथी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन सड़क उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या जाजपुर-क्योंझर रेलवे लाइन पर सड़क टपरि पुल का निर्माण कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महानदी बोरूपा और काठजुरी नदियों पर दूसरे पुल का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में निम्नलिखित ऊपरि सड़क पुलों का निर्माण प्रगति पर है:-

(1) जाजपुर-क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरि सड़क पुल। कार्य पूरा हो चुका है तथा जैसे ही राज्य सरकार समपार को बंद कराने की व्यवस्था कर लेती है, ऊपरि पुल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

(2) भुवनेश्वर के रसूलगढ़ में ऊपरि सड़क पुल : 78% कार्य पूरा हो चुका है।

(3) बड़गढ़ रोड में ऊपरि सड़क पुल : 30% कार्य पूरा हो चुका है।

(4) बोंडिया में ऊपरि सड़क पुल : 20% कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महानदी और बिरूपा नदियों के ऊपर दूसरा पुल आगामी 5 वर्षों में बन कर तैयार हो जाएंगे। इस समय कठजूरी नदी पर दूसरे पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल विद्युतीकरण संगठन में भ्रष्टाचार

2468. श्री हीरा लाल राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (च) पिछले 3 वर्षों में अर्थात् 1996, 1997 और 1998 के दौरान रेलवे सतर्कता विभाग को 52 शिकायतें प्राप्त हुई

हैं जिनमें से 40 की जांच की जा चुकी है। 6 शिकायतों में कोई सतर्कता औचित्य नहीं था और संबंधित विभाग को प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थीं या बिना किसी कार्रवाई के बन्द कर दी गयी थीं तथा 6 शिकायतों की जांच की जा रही है। इन जांचों के परिणामस्वरूप 44 अदद रेलवे अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है।

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

2469. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखानों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रचलित है जिसके कारण इन कारखानों से निकलने वाले उपकरण अन्य देशों के उपकरणों के समतुल्य नहीं हैं और उक्त में उत्पादन स्तर भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने, उनकी प्रौद्योगिकी सुधारने और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन और आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें नयी प्रणालियों/उत्पादों को शामिल किए जाने की आवश्यकतानुसार पुराने संयंत्र और मशीनरी, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, को बदला जाना और नये संयंत्र और मशीनरी लगाना शामिल है।

आयुध निर्माणियों का नवीकरण और प्रतिस्थापनों तथा नयी अधिष्ठापनाओं के जरिए आधुनिकीकरण करने के लिए नवीं योजनावधि के दौरान 1241 करोड़ रुपए का निवेश करने का विचार है।

आयुध निर्माणियों के उपस्करों की गुणवत्ता प्रयोक्ता की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हैं और रक्षा गुणता आश्वासन संगठन की स्वीकृति मिलने पर ही इन्हें सशस्त्र सेना को जारी किया जाता है।

आयुध निर्माणियों में उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है जिसे नीचे दिए गए विगत चार वर्षों के दौरान जारी किए गए कुल उत्पाद मूल्य से देखा जा सकता है:-

वर्ष	जारी सामान का कुल मूल्य (करोड़ रु. में)
1995-96	2307.66
1996-97	2596.77
1997-98	3070.68
1998-99 (नियोजित)	3938.51

पूर्वोत्तर राज्यों में होटलों का निर्माण

2470. श्री भीम दाहाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों हेतु अतिथि गृहों और साधारण होटलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय - पर्यटक परिसर, पर्यटक बंगलों, यात्री निवासों तथा यात्रिका आदि के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह सहायता उन्हीं परियोजनाओं के लिए दी जाती हैं जिन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता दी जानी होती है। वर्ष 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित आवास परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया गया है:-

असम

1. काको पत्थर में यात्री निवास
2. खासपुर में यात्री निवास
3. काजीरंगा में पर्यटक परिसर
4. राजीव गांधी वन्य जीव पार्क में पर्यटक परिसर

अरूणाचल प्रदेश

1. मेंचुका में पर्यटक कुटीर
2. बोमडिला में यात्री निवास

मणिपुर

1. लांगोल में पर्यटक परिसर
2. दोलैथबी डैम में पर्यटक परिसर
3. खुगा डैम में पर्यटक परिसर
4. चकाचाई में पर्यटक गृह
5. बेहियांग में पर्यटक गृह
6. थोडबल डैम में पर्यटक गृह

मेघालय

1. नोमपोंह में पर्यटक बंगलो
2. लिंडाई महेश खोला में पर्यटक लाज

मिजोरम

1. बेरावटलांग में पर्यटक गृह
2. चम्फाई में पर्यटक कुटीर
3. पैथर में पर्यटक केन्द्र
4. फेंजान में पर्यटक कुटीर

नागालैंड

1. चुमुकेडिया में पर्यटक बंगला
2. डंगमा में पर्यटक कुटीर

त्रिपुरा

1. 14 देवी मन्दिर परिसर में यात्रिका
2. सबरूम में पर्यटक लाज

सिक्किम

1. ताशिडिंग में यात्री निवास
2. नामची में पर्यटक कुटीर

राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर दिशानिर्देशों के अनुसार ही धनराशि स्वीकृत की जाती है।

कर्नाटक में "बी.आर. हिल्स" का विकास

2471. श्री ए. सिदराजू : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में चामराजनगर जिले में "बी.आर. हिल्स" के विकास हेतु कोई धनराशि जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : (क) और (ख) पर्यटक अवसंरचना का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकार का क्रियाकलाप है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विशिष्ट प्रस्तावों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने के. गुडि में पर्यटक सुविधाओं के लिए 16.65 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की है।

वायु यातायात नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

2472. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु यातायात नियंत्रण कर्मचारियों ने अपने वेतन में और वृद्धि की मांग को मनवाने के लिये पुन: हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनकी मुख्य मांग को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जुल्का समिति की सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) दिनांक 27 जनवरी, 1999 को विमान यातायात नियंत्रक गिल्ड (ए.टी.सी.जी.) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक नोटिस भेजा था और 1 फरवरी, 1999 से 'धीरे कार्य करो' का सहारा लिया।

(ख) विमान यातायात नियंत्रण गिल्ड की ये मांगे हैं, 1. विमानचालकों के समान वेतन, 2. ड्यूटी के घटों को सप्ताह में 42 घंटों से सप्ताह में 36 घंटे करना, 3. विमान यातायात नियंत्रकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान, 4. अधिक पदों का सृजन, 5. मानव संसाधन विकास भत्ते में वृद्धि, 6. दो वर्षों में एक बार पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण, और 4 वर्षों में एक बार पश्चिमी देशों में प्रशिक्षण, 7. विमान यातायात नियंत्रकों को उच्चतर वाहन भत्ते का भुगतान, 8. ऊंची दर पर बाल शिक्षा भत्ते का भुगतान, 9. अंतर्देशीय सेक्टरों पर विमान यातायात नियंत्रकों को निशुल्क विमान याता पास दिया जाना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और एटीसी गिल्ड के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें की जाती हैं जिससे इन मामलों का सद्भावपूर्ण हल निकाला जा सके।

(ग) और (घ) रेटिंग भत्ता, उड़ान डाटा प्रोसेसिंग भत्ता, प्रशिक्षण कालीन भत्ता, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र भत्ता से संबंधित जुल्का समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और नवम्बर, 1997 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है। जुल्का समिति की शेष सिफारिशों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वीकार नहीं किया है।

असम में ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज का निर्माण

2473. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने रेल फाटक हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे रेल फाटकों पर कितने सड़क उपरि पुल/अंडर ब्रिज हैं;

(ग) क्या सरकार ने बाकी रेल फाटकों पर सड़क उपरि पुल/अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 38 अदद।

(ख) 8 अदद।

(ग) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित निम्नलिखित समपारों के स्थान पर दो सड़क ऊपरि पुल लागत में भागीदारी के आधार पर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं:

(1) रंगिया में कि.मी. 35/3-4 पर समपार सं. एस.के./13

(2) छांगसारी में कि.मी. 9/3-4 पर समपार सं. एस.के./2

उपर्युक्त कार्यों के लिए योजना और कार्यनिष्पादन प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित निम्नलिखित मौजूदा समपारों के स्थान पर 5 अदद सड़क ऊपरि पुलों के लिए भी प्रस्तावों की संवीक्षा की जा रही है:

(1) ठेकरागुढ़ी में कि.मी. 94/9-10 पर समपार सं. एस.टी./31

(2) पाठशाला में कि.मी. 84/4-5 पर समपार सं. एस.के./31

(3) छपराकाटा में कि.मी. 139/5-6 पर समपार सं. एस.के./48

(4) न्यू बोंगाईगांव और जोगीघोपा रेलवे स्टेशनों के बीच जोगीघोपा I एवं II में कि.मी. 256/14-15 पर समपार सं. एन.एन./152

(5) जोगीघोपा में राष्ट्रीय राजमार्ग-31/बी पर कि.मी. 284/2-3 पर समपार सं. एन.एन./170

हेलीकॉप्टर

2474. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी व्यावसायिक हेलीकॉप्टर आपरेटरों को यह निर्देश जारी किए हैं कि देश में विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही के लिए विशेष श्रेणी के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हेलीकॉप्टरों के श्रेणीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) इस प्रकार के प्रचालनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा मानकों को दृष्टि में रखकर, यह निर्णय लिया गया है कि अति विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रचालनों के लिए हेलिकाप्टरों के भविष्य में किए जाने वाले आयात को वर्ग ए/कार्यनिष्पादन दर्जा-1 मानकों का होना चाहिए।

हेलीकाप्टरों के वर्गीकरण के लिए मानकों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ), फेडरल विमानन प्रशासन, यू.एस.ए. और संयुक्त विमानन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि एक इंजिन के फेल हो जाने पर भी हेलिकाप्टर उड़ानें प्रचालित करना जारी रख सकते हैं।

पेंशन योजना

2475. श्री डी.एस. अहिरे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन के कर्मचारियों ने पेंशन योजना लागू करने और पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी महोदय।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इण्डियन ऑयल कारपोरेशन में कर्मचारी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी। तथापि, इसी दौरान कर्मचारी पेंशन योजना के उपबन्धों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं। अत: इण्डियन आयल कारपोरेशन में पेंशन योजना के प्रवर्तन की अगली कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय देने के बाद संभव होगी।

महाराष्ट्र में अमरावती में प्रसारण केन्द्र

2476. श्री आर.एस. गवई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में अमरावती में प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) जी, हां। अमरावती में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीम को 2001-2002 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है बशर्ते आधारभूत सुविधाएं एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

दूरदर्शन चैनलों का निजीकरण

2477. श्री माधवराव पाटील :
श्री मदन पाटील :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन के किसी चैनल को निजी हाथों में देने/उसका वाणिज्यीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आचार संहिता तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उच्च शक्ति, कम शक्ति और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर्स स्थापित करना

2478. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान देश में राज्य-वार उच्च शक्ति, कम शक्ति और बहुत कम शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर्स और ट्रांसपोडर्स स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) 9वीं योजना के दौरान इस समय कार्यान्वयन और अब तक चालू किए गए उच्च शक्ति, अल्प शक्ति तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा ट्रांसपोजरों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को 9वीं योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है बशर्ते धनराशि और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) दूरदर्शन हेतु नौवीं योजना का परिव्यय प्रसारण सुविधाओं के लिए 850.14 रुपए (पूंजीगत 807.8 तथा राजस्व 42.34) सहित 1836 करोड़ रुपए है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन/चालू किए गए ट्रांसमीटरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयनाधीन 1997-98,					1998-99 के दौरान चालू किए गए			
		उ.श.ट्रां. डीडी-1	डीडी-2	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श. ट्रां.	कुल ट्रां.	उ.श. ट्रां.	अ.श. ट्रां.	अ.अ. श.ट्रां.	कुल ट्रांसमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	0+2	1	0	1	4	0	3	0	3
2.	आंध्र प्रदेश	1+1	17	3	0	22	1	8	1	10
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	6	1	7	0	1	19	20
4.	बिहार	1+3	4	1	0	9	0	4	0	4
5.	गोवा	0+1	0	0	0	1	0	0	0	0
6.	गुजरात	3	8	0	0	11	0	9	1	19
7.	हरियाणा	0	5	0	0	5	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हिमाचल प्रदेश	0+1	0+1	0	0	11	0	2	8	10
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1+2	2	8	0	11	0	3	5	8
10.	केरल	2+2	3	2	0	9	0	1	0	1
11.	कर्नाटक	4	11	3	0	18	2	3	1	6
12.	मध्य प्रदेश	3+4	12	1	0	20	0	5	4	9
13.	मेघालय	0+1	0	0	1	2	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	3+1	13	11	0	28	0	0	3	3
15.	मणिपुर	1	0	1	0	2	0	0	2	2
16.	मिजोरम	0	1	0	1	2	0	1	0	1
17.	नागालैंड	0	0+1	2	1	4	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	2+1	10	8	2	23	1	4	6	11
19.	पंजाब	1	0	0	0	1	1	1	0	2
20.	राजस्थान	3+2	18	5	0	28	0	1	1	2
21.	सिक्किम	0	0	1	0	1	0	0	2	2
22.	तमिलनाडु	1	11	2	0	14	0	2	0	2
23.	त्रिपुरा	0+1	3	0	0	4	0	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तर प्रदेश	2+6	12	10	0+1	31	0	8	7	15
25.	पश्चिम बंगाल	4+2	3	0	0	9	0	0	1	1
26.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	अंडमान एवं नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	1	0	0	0	1	0	1	0	1
30.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	34+30	131+2	71	7+1	276	5	87	81	133

संकेत चिह्न :

उ.श.ट्रां.	-	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.श.ट्रां.	-	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रां.	-	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
ट्रां.	-	ट्रांसमीटर
ट्रां.	-	ट्रांसपोजर

[हिन्दी]

राजभाषा के स्वर्ण जयन्ती समारोह

2479. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के स्वर्ण जयन्ती समारोह को एक स्मरणीय घटना के रूप में मनाने के लिए कोई योजना तैयार की है और कार्यान्वित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने राजभाषा की स्वर्ण जयंती समारोह मनाने की योजना पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

स्वचालित टिकट मशीन

2480. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सिक्का-प्रचालित स्वचालित प्लेटफार्म टिकट छापने वाली टिकट मशीनों को लगाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर ये मशीनें लगा दी गई हैं अथवा लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक मशीन लगाए जाने पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी करने के लिए सिक्कों द्वारा स्वचल परिचालित स्वमुद्रित टिकट मशीनें को स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए जोनल रेलवे को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक किसी भी स्टेशन पर ये मशीने स्थापित नहीं की गई हैं। मध्य रेलवे ने बहरहाल इन मशीन को लगाने के लिए मुंबई छ.शि.ट., दादर, कुर्ला टर्मिनल, थाणे और कल्याण स्टेशनों को अनंतिम रूप से चुना है। चूंकि स्थापित की जाने वाली इन मशीनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है अत: प्रत्येक मशीन को स्थापित करने में होने वाले खर्च का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

अहमदाबाद में "एयर कमाण्ड" हेतु भूमि

2481. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद में दुर्जेय "एयर कमाण्ड" स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ गई है क्योंकि भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच इस प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मामले का हल निकालने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) अहमदाबाद/गांधीनगर में वायुकमान मुख्यालय स्थापित किए जाने की योजनाएं कार्यक्रमानुसार चल रही हैं। अहमदाबाद में भूमि आबंटन के मामले पर सेना और वायुसेना के बीच कोई विवाद नहीं है। तथापि, इस कमान को स्थायी रूप से बनाने के लिए अहमदाबाद छावनी में 107.40 एकड़ भूमि अंतरित किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

रेल गाड़ियों में सेवाएं प्रदान करना

2482. डा. सरोजा वी. : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों एवं उनके परिवार वालों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) भारतीय रेलवे की बहुत सी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लाइसेंसधारी केटरिंग/वैंडिंग सेवाओं का प्रबंध कर रहे हैं। लाइसेंसधारी सेवाओं के प्रबंधन के लिए अपने स्टाफ को तैनात करने के लिए स्वतंत्र है और ये कर्मचारी

रेलवे के सीधे नियंत्रण में नहीं होते हैं। अत: इनके कल्याण की देखभाल लाइसेंसधारी स्वयं करते हैं।

अस्थापित प्रकाशनों के लिए विज्ञापन

2483. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन अनेक प्रकाशनों को भी जो विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) से पंजीकृत नहीं हैं, विभिन्न राज्य सरकारें विशेषकर गुजरात से विज्ञापन समर्थन मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अपंजीकृत प्रकाशनों के लिए विज्ञापन जारी करना रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन केवल उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को दिए जाते हैं जो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल होते हैं। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के कार्य क्षेत्र में न आने वाली अपनी विज्ञापन नीतियों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

घरेलू पर्यटकों के लिए वहनीय पर्यटन

2484. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने घरेलू पर्यटकों के लिए पर्यटन और तीर्थयात्राओं को और अधिक वहनीय बनाने हेतु विशेषकर "विजिट इंडिया ईयर" के दौरान क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) : सरकार ने 1.4.99 से प्रारंभ करके और 31.3.2000 को समाप्त होने वाला एक्सप्लोर मिलेनियम ईयर मनाने का निर्णय लिया है।

पर्यटन मंत्रालय ने अभिनिर्धारित पर्यटक/तीर्थ केन्द्रों के एकीकृत विकास के लिए एक योजना तैयार की है। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में दो केन्द्रों को एकीकृत विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए, पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुविधाओं, कैफेटेरिया और यात्री निवासों एवं यात्रिकाओं जैसे कम दरों के आवास के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधाएं घरेलू पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को वहनीय दरों पर उपलब्ध हैं।

नागर विनानन, गृह, रेल जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, स्मारकों आदि पर सेवाओं और सुविधाओं में सुधार करने के लिए राजी किया जा रहा है। निजी क्षेत्र एक्सप्लोर इंडिया मिलेनियम ईयर के दौरान विशेष पैकेज, किरायों में छूट भी प्रदान कर रहा है।

क्षेत्रीय भाषाओं में चलचित्रों का निर्माण

2485. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की क्षेत्रीय भाषाओं में चलचित्रों के निर्माण तथा उनकी सहायता करने के संबंध में क्या भूमिका है; और

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्माण की गई क्षेत्रीय फिल्मों का भाषावार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देश की क्षेत्रीय भाषाओं में सिनेमा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाली भारत में केन्द्रीय एजेंसी है। वर्षों से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने कई फीचर फील्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण, सह-निर्माण तथा वित्त-पोषण किया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से वित्तीय सहायता लेकर बनायी गयी क्षेत्रीय फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1980-81 से 1998-99 तक की फिल्मों का भाषावार ब्यौरा

हिन्दी	84
अंग्रेजी	11
मलयालम	16
तेलुगु	4
मणिपुरी	1
उड़िया	9
संस्कृत	2
गुजराती	3
असमिया	3
पंजाबी	3
तमिल	2
कन्नड़	10
बंगला	23
मराठी	9

बीड़ी कामगारों के लिए मकान

2486. श्रीमती कमल रानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मकानों का निर्माण किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया गया; और

(च) सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मकानों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) जी, हां। केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 मकानों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 9 लाख रुपये की राशि आबंटित की है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए फर्रूखाबाद जिले में 1.9 एकड़ के भूखण्ड का चयन किया है। योजना के अनुसार, मकानों के निर्माण था परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए केंद्रक अभिकरण का चयन करने हेतु उनको परामर्श दिया गया है।

समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन

2487. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने सरकार से राज्य सरकारों के विज्ञापनों सहित सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के संबंध में कोई नीति निर्धारित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सिफारिश किए अनुसार एवं आवश्यक परिवर्तन सहित विज्ञापन नीति की निम्नलिखित बातों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन नीति एवं सूचीकरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पहले ही शामिल किया गया है:-

(1) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्र, विज्ञापन जारी करने हेतु अनुमोदित सूची में शामिल करने के पात्र होंगे।

(2) लगातार चार मास तक नियमित प्रकाशन वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन हेतु पात्र माना जाएगा।

(3) विज्ञापन के लिए अनुरोध करने वाले समाचारपत्र द्वारा प्रकाशन की आवर्तिता एवं नियमितता, प्रकाशन के आकार, मुद्रण व्यवस्थाओं, संपादकीय एवं प्रबंधन स्थापना के संबंध में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पहले से निर्धारित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है।

(4) विज्ञापन जारी करने की सीमा, संबंधित समाचारपत्र के परिचालन पर भी निर्भर करती है। जिन स्रोतों से प्राधिकृत परिचालन आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं- (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, (ख) परिचालन लेखा-परीक्षा ब्यूरो तथा (ग) चार्टर्ड एकाउन्टेंट।

(5) क्षेत्रीय विषयवस्तु वाले लघु समाचारपत्रों को कुछ प्राथमिकता देना वांछनीय होगा।

(6) उत्तर-पूर्व, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों जैसे दूरदराज के इलाकों से प्रकाशित भाषा समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और भाषाई समूह द्वारा चलाए जा रहे लघु समाचारपत्रों को भी उपयुक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) जहां तक संभव हो, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के मुखपत्रों को अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

सशस्त्र सेनाओं को मुफ्त राशन

2488. श्री अजीत जोगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुफ्त राशन की सुविधा सेनाओं के केवल अधिकारी वर्ग को ही दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में यह सुविधा सेना के सभी कर्मचारियों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी दी जाने वाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। सशस्त्र सेनाओं में सभी रैंकों को मुफ्त राशन सुविधा प्राधिकृत है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय

2489. श्री ए.सी. जोस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से केरल में संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की आज तक कुल कितनी संख्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त श्रमिकों की दशा को बेहतर बनाने के लिए दी जा रहीं/प्रस्तावित विभिन्न सुख-सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों के संगठित क्षेत्र में रोजगार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सामाजिक सुरक्षा (उदाहरणार्थ भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य के घंटे इत्यादि) प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रम कानून लागू हैं।

विवरण

31.3.1997 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार

(हजार में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
I.	**उत्तरी क्षेत्र**	3179.4	1055.8	4235.2
1.	हरियाणा	428.7	240.7	669.4
2.	पंजाब	592.6	253.4	846.0
3.	हिमाचल प्रदेश	245.9	41.8	287.6
4.	चंडीगढ़	62.8	17.8	80.6
5.	दिल्ली	626.1	221.8	847.9
6.	राजस्थान	1023.9	269.7	1293.6
7.	जम्मू व कश्मीर	199.6	10.5	210.1
II.	**केन्द्रीय क्षेत्र**	3531.5	802.0	4333.5
8.	मध्य प्रदेश	1419.2	259.8	1679.0
9.	उत्तर प्रदेश	2112.3	542.2	2654.5
III.	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	893.8	590.9	1484.7

1	2	3	4	5
10.	*असम*	*538.9*	*566.8*	*1105.8*
11.	मेघालय	69.1	7.7	76.8
12.	मणिपुर	77.6	1.8	79.4
13.	मिजोरम	39.6	1.4	41.0
14.	नागालैण्ड	69.0	2.7	71.6
15.	त्रिपुरा	99.6	10.5	110.1
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	3644.0	1151.1	4795.1
16.	बिहार	1441.9	259.2	1701.1
17.	उड़ीसा	709.3	92.8	802.1
18.	प. बंगाल	1492.8	799.2	2292.0
V.	**पश्चिमी क्षेत्र**	3372.7	2403.3	5776.0
19.	गुजरात	954.6	816.8	1771.3
20.	महाराष्ट्र	2346.3	1535.8	3882.1
21.	गोवा	69.8	38.6	108.4
22.	दमन व दीव	2.1	12.1	14.1

1	2	3	4	5
VI.	दक्षिणी क्षेत्र	4905.2	2678.1	7583.3
23.	आन्ध्र प्रदेश	1510.8	472.1	1982.8
24.	कर्नाटक	1083.7	731.9	1815.6
25.	केरल	625.0	552.4	1177.4
26.	पाण्डिचेरी	40.4	11.9	52.4
27.	तमिलनाडु	1645.3	909.8	2555.1
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	32.4	4.3	36.7
	योग	19559.1	8685.5	28244.5

सैंतला रक्षा उत्पादन इकाई, उड़ीसा का कार्यनिष्पादन

2490. श्री तथागत सत्पथी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सैंतला रक्षा उत्पादन इकाई, उड़ीसा का वार्षिक वित्तीय और वास्तविक कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या सरकार का इस इकाई के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्पादन संयंत्र और मशीनरी निर्माण तथा स्थापना के विभिन्न चरणों में थी, जिसके कारण कोई उत्पादन शुरू नहीं हो सका। वर्ष 1997-98 में गोलाबारूद का धीरे-धीरे उत्पादन शुरू हुआ और उस वर्ष के दौरान उत्पादन-मूल्य 2.20 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न प्रकार के गोलाबारूद के संबंध में 93.93 करोड़ रुपए (लगभग) का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे प्राप्त किए जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

नागपुर से बंगलौर, चेन्नई इत्यादि के लिए विमान सेवा

2491. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या नागपुर शहर का बंगलौर, चेन्नई तथा तिरूअनंतपुरम से विमान सेवाओं के द्वारा संपर्क नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो नागपुर शहर का सभी राज्यों की राजधानियों से विमान् सेवाओं द्वारा संपर्क जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इस समय इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर ने नागपुर को कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई से नियमित विमान सेवा से जोड़ा हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवा सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

रात में विमानों के उतरने की सुविधाविहीन विमानपत्तन

2492. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विमानपत्तनों में रात में विमानों के उतरने की सुविधा नहीं है; और

(ख) सरकार द्वारा विमान सेवाओं में सुधार लाने हेतु इन सभी विमानपत्तनों में रात में उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) मुम्बई (जुहू) दिल्ली (सफदरजंग), कांडला, केशोद, कुल्लू (भुंतर) पन्तनगर, सलेम, शिमला, विजयवाड़ा, कोटा, अगत्ती, बेहाला, देहरादून, कानपुर (सिविल) लीलाबाडी (उत्तरी लखीमपुर), पोरबंदर, शिलांग (बारापानी) तिरुपति, तूतिकोरीन, लुधियाना, जबलपुर, पांडिचेरी, लेंगपुई, कूचबिहार, गग्गल और राजामुन्दरी विमानपत्तनों पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से छब्बीस विमानपत्तनों पर अट्ठारह पर कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं किया जाता काण्डला, पोरबन्दर, केशोद और अगती पर चार विमानपत्तनों पर बहुत सीमित उड़ान प्रचालित की जाती हैं और रात्रि में कोई प्रचालन नहीं किया जाता कुल्लू शिमला, लेंगपुई और तिरूपति विमानपत्तनों की भू-भागीय परिस्थितियां रात्रि अवतरण सुविधाओं की अनुमति नहीं देती।

इंडियन एयरलाइन्स की आय और व्यय

2493. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 में इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों से 8.4 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) यदि हां तो 1998 के दौरान यात्री किराए से इंडियन एयरलाइन्स की कितनी आय हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वेतन/भुगतान, अनुरक्षण, ईंधन आदि पर पृथकत: कितना व्यय किया गया?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 6.36 मिलियन यात्रियों को लाने-ले जाने के द्वारा इंडियन एयरलाइंस ने 2522.55 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

(ग) वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए जिन प्रमुख मदों पर खर्चा किया गया उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

ब्यौरे	(करोड़ रुपए में)
वेतन और भत्ते (भविष्य निधि और उपदान सहित)	694.19
विमान ईंधन	648.40
विमान अनुरक्षण में उपयोग किए गए सामान और बाहरी मरम्मत	517.41
अवतरण और दिक्चालन प्रभार	164.27
बीमा	56.23
खाद्य सेवाएं तथा अन्य यात्री सुविधाएं	88.76
बुकिंग एजेंसी कमीशन	202.89
मूल्य ह्रास और जीवास्था	299.54

औद्योगिक कामगारों को ई.एस.आई. सुविधाएं

2494. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने औद्योगिक कामगारों को ई.एस.आई. सुविधाएं मिल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक कामगारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई.एस.आई. योजना के कवरेज का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ई.एस.आई. अस्पताल/औषधालय खोले गए/उनका विस्तार किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने अस्पताल/औषधालय खोले जाएंगे और उनका विस्तार किया जाएगा?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) 83.62 लाख।

(ख) जी, हां।

(ग) क.रा. बीमा योजना को धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप से क्षेत्रवार लागू किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निगम ने क.रा.बी. योजना के तहत 1.33 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों की व्याप्ति की योजना बनाई है।

(घ) क.रा.बी. योजना के अधीन व्याप्त किए गए प्रत्येक एक हजार बीमाकृत व्यक्तियों के लिए सामान्यत: 4 बिस्तरों के मानक के अनुसार क.रा.बी. अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। इसी कारण नये क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण पंचवर्षीय योजना से सम्बद्ध नहीं किया गया है। तदनुसार इस संबंध में आवश्यकता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार की ओर से की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए नए क.रा.बी. अस्पतालों/ औषधालयों को शुरू किया जाता है। क.रा.बी. अस्पतालों तथा औषधालयों की राज्यवार वर्तमान संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	औषधालयों की संख्या	अस्पतालों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	135	9
2.	असम	40	1
3.	बिहार	56	6
4.	चंडीगढ़	2	–
5.	दिल्ली	48	3
6.	गोआ	8	1
7.	गुजरात	123	10
8.	हरियाणा	69	5
9.	हिमाचल प्रदेश	7	1
10.	कर्नाटक	149	7
11.	केरल	136	13
12.	मध्य प्रदेश	64	6
13.	महाराष्ट्र	78	13
14.	मेघालय	01	–
15.	उड़ीसा	52	5
16.	पांडिचेरी	13	1
17.	पंजाब	70	7
18.	राजस्थान	65	4
19.	तमिलनाडु	160	8
20.	उत्तर प्रदेश	145	16
21.	प. बंगाल	37	13
22.	जम्मू और कश्मीर	08	–

आर्मी फायरिंग रेंज में बिना फटे गोलों से मौतें

2495. श्री अमन कुमार नागरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1999 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''अनएक्सप्लोडिड शैल्स मेमिंग मेनी एट आर्मी फायरिंग रेंज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में उल्लिखित तथ्य क्या हैं और वर्ष 1997 और 1998 के दौरान कितने व्यक्तियों की इस प्रकार मृत्यु हुई;

(ग) क्या इन निर्दोष व्यक्तियों की मौतों को रोकने के लिए आर्मी फायरिंग रेंज की देख-रेख करने के लिए विशेष दल बनाने के लिए सेवा-निवृत्त आयुध तकनीशियनों को नियोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सेना को आसन फील्ड फायरिंग रेंज में किसी भी सिविलियन की मृत्यु/घायल होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रेंज संबंधी स्थायी आदेशों में प्रावधान है कि फायरिंग अभ्यास करने से पहले सुरक्षा संबंधी सावधानी बरती जानी चाहिए। इनमें अन्य बातों के अलावा रेंज के प्रवेश व निकास द्वार पर संतरियों की तैनाती, झंडे लगाकर रेंज का सीमांकन करने तथा स्थानीय, सिविल तथा पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से फायरिंग अभ्यास के बारे में ग्रामवासियों को पहले ही सूचित किया जाना शामिल है।

कोंकण रेलवे की ''रोल-आन'' और ''रोल-ऑफ'' सेवा

2496. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे, मुम्बई और मंगलौर के बीच ''रोल ऑन'' और ''रोल ऑफ'' सेवा आरंभ करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेवा से कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(घ) कोंकण रेलवे ने अपनी आय बढ़ाने हेतु अन्य क्या उपाय किये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। वास्तव में, ये सेवाएं परीक्षण के रूप में कोलाड और सूरथकल के बीच पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ख) इस सेवा की प्रमुख विशेषताएं ये हैं - कोंकण रेलवे के कोलाड स्टेशन पर (मुम्बई से लगभग 145 कि.मी.) रेलवे के सपाट माल डिब्बों पर लदे हुए ट्रक रोल-ऑन करेंगे जिन्हें रेल द्वारा सूरथकल (मंगलौर से 20. कि.मी. पहले) तक ढोया जाएगा जहां ये ट्रक रेलवे के सपाट माल डिब्बों से रोल-ऑफ करेंगे और सड़क द्वारा अपनी आगे की यात्रा जारी रखेंगे। इसी प्रकार, ये ट्रक विपरीत दिशा में सूरथकल में रोल-ऑन और कोलाड में रोल-ऑफ करेंगे। इन ट्रकों से प्रति यात्रा निर्धारित शुल्क वसूला जाता है। हाल ही में ऐसी ही एक सेवा सीमित तरीके से कोलाड और मडगांव (गोवा) के बीच शुरू की गई है। सड़क ट्रांसपोर्टरों के लिए प्रमुख लाभ यह हैं - यात्रा समय में कमी जिसके परिणामस्वरूप उनकी परिसंपत्तियों के बेहतर फेरे; ईधन की कम लागत; वाहन की घिस-पिट तथा अनुरक्षण में कमी। राजमार्गों पर कम भीड़-भाड़ तथा अर्थव्यवस्था के लिए समग्र ईंधन बचत के अन्य लाभ होंगे। यह प्रणाली पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है।

(ग) कोंकण रेलवे को 1999-2000 में रोल-ऑन तथा रोल-ऑफ के माध्यम से 20 करोड़ रुपए के राजस्व जुटाने की आशा है बशर्ते यह सेवा लोकप्रिय हो जाए और चलस्टॉक उपलब्ध हो।

(घ) कोंकण रेलवे अपने प्राकृतिक सेवा क्षेत्र यथा गुजरात, मुम्बई और तटीय कर्नाटक तथा तटीय केरल से अन्य माल यातायात आकर्षित करने के भी प्रयास कर रही हैं। बहरहाल, अभी प्राप्त हुए परिणाम पर्याप्त नहीं हैं।

आरक्षण केंद्र

2497. श्री आर.एस. गवई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन सभी रेलगाड़ियों के लिए जो बड़नेरा रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर नामक स्थान पर एक रेलवे आरक्षण केंद्र जिसके लिए शयिका और सीटों का कोटा होगा को स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अचलपुर स्टेशन मुर्तजापुर-अचलपुर खंड पर एक छोटी लाइन वाला स्टेशन है और यह खंड केवल एक जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित है। अचलपुर पर लंबी दूरी की गाड़ियों के टिकटों की बिक्री से पता चलता है कि बिक्री इतनी कम है कि इस स्टेशन पर वडनेरा और मुर्तजापुर से गाड़ियों के लिए अलग से आरक्षण का कोटा आवंटन करने का कोई औचित्य नहीं है।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

2498. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की निर्माणाधीन महानगरीय परिवहन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू परियोजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं की अलग-अलग अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) परियोजनाएं, जो या तो निर्माणाधीन हैं या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम		कुल लागत करोड़ रुपए में
1	2		3
(1) निर्माणाधीन परियोजनाएं			
1.	ठाणे तुर्बे नेरूल/वाशी न्यू मुम्बई में गलियारा सं. 2 का भाग	रेलवे	131.47
		सिडको*	271.92
		जोड़	403.39
2.	बेलापुर-पणवेल दोहरी लाइन, वस्तुपरक आशोधन सहित	रेलवे	92.50
		सिडको*	187.81
		जोड़	280.31
3.	सीवुड उरान विद्युतीकृत लाइन	रेलवे	163.49
		सिडको*	331.91
		जोड़	495.44
4.	कुर्ला-ठाणे 5वीं एवं छठी लाइन चरण 1 भांडुप तक		49.84
5.	सांताक्रुज-बोरीविली के बीच 5वीं लाइन		64.17*

1	2		3
6.	बोरीविली-विरार का चौहरीकरण		401.66
7.	विरार और दहानू रोड़ के बीच स्वचल ब्लाक सिगनल प्रणाली		27.19
8.	बीच से लज अब तिरुमलाई एमआरटीएस चरण-I		259.89
9.	एमआरटीएस चरण-II तिरुमलाई से वेलाचेरी	रेलवे	141.96
		तमिलनाडु	288.25
		जोड़	430.21
10.	राणाघाट-गेडे का विद्युतीकरण		30.66
11.	राणाघाट-बोगांव का विद्युतीकरण		18.33
12.	कलकत्ता मेट्रो रेलवे-दस-दम से गरिया **	रेलवे	2169.79
		पश्चिम बंगाल सरकार	231.90
		जोड़	2401.69
13.	कलकत्ता-सर्कुलर रेलवे @		121.40
(2) शुरू की जाने वाली परियोजनाएं			
14.	कुर्ला-ठाणें 5वीं एवं 6ठी लाइन चरण-II भांडुप से ठाणे		58.30
15.	वारासाल-हसनाबाद का विद्युतीकरण		39.19
16.	चेन्नई बीच-ताम्बरम-चेंगलपेट्टू आमान परिवर्तन	रेलवे	135.62
		तमिलनाडु सरकार	135.62
		जोड़	271.24

* सहरी और औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र

** दर्शायी गयी लागत में मेट्रो रेलवे का टालीगंज से गरिया तक विस्तार शामिल है। इस कार्य को चल रही मेट्रो परियोजना के लिए वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है और इस भाग पर कार्य शुरू किया जाएगा।

@ दर्शायी गयी लागत में सर्कुलर रेलवे का प्रिंसेपघाट से माजेरहाट (एकल लाइन) तक विस्तार शामिल है। इस कार्य को चल रही सर्कुलर रेलवे परियोजना के लिए वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है और इस पर कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) उपरोल्लिखित सभी परियोजनाओं की 6 वर्ष में पूरे हो जाने की संभावना है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सेवाओं के लिए विमान का उपयोग

2499. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को गत दो वर्षों से अति विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा इनके विमानों का उपयोग किए जाने के कारण राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार तथा एयरलाइन्स-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सेवाओं के उद्देश्य से प्रत्येक एयरलाइनों के विमानों का प्रत्येक वर्ष कितने दिन उपयोग किया गया अथवा नहीं किया गया;

(घ) क्या सरकार की अति विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा हेतु नए विमानों की खरीद किए जाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जबकि पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान अति विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्यों के प्रयोजनार्थ इंडियन एयरलाइंस के किसी विमान का उपयोग/ग्राउंड नहीं किया गया। फिर भी एयर इंडिया द्वारा उपयोग/ग्राउंड किए गए विमानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	1996-97	1997-98
अति विशिष्ट महत्वपूर्ण उड़ानों के लिए उपयोग किए गए विमानों की दिनों में संख्या	42	32
विमानों को ग्राउंड किए गए दिनों में संख्या	55	28
जोड़	97	60

(घ) और (ङ) अति विशिष्ट महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए नए विमानों की खरीद की कोई तत्काल योजना नहीं है।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1995 में संशोधन

2500. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय कामगारों को उनका वैधानिक बकाया दिलाने में सहायता करने के वास्ते वाले रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1995 में शीघ्र और उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संशोधन को संसद से अनुमोदित कराने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी हां, श्रम मंत्रालय ने कर्मकारों के हितों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में उपयुक्त संशोधनों पर अपना दृष्टिकोण प्रेषित कर दिया है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक मई, 1997 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, 11वीं लोक सभा के भंग होने से प्रस्तावित विधेयक व्यपगत हो गया था। सरकार औद्योगिक रुग्णता का और अधिक प्रभावी रूप से सामना करने की दृष्टि से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम की समीक्षा कर रही है।

बंगलौर से मॉरीशस तक सीधी उड़ान

2501. डा. सरोजा वी. : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारीशस के प्रधान मंत्री ने भारत के अपने दौरे के दौरान मारीशस से बंगलौर तक सीधी उड़ान शुरू करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने बंगलौर से तीन सीधी अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों की भी स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये उड़ानें कब तक शुरू कर दी जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) इस समय बंगलौर भारत-मारीशस सेवा करार के अधीन मारीशस की नामित विमान कंपनी के लिए अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) एयर इंडिया बंगलौर से सिंगापुर के लिए सप्ताह में दो उड़ान, दुबई के लिए एक तथा मुम्बई में पेरिस, लंदन, शिकागो तथा न्यूयार्क के लिए विमानों की बदल के साथ सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित करती है। इंडियन एयरलाइन्स बंगलौर से सिंगापुर, मस्कट तथा शारजाह प्रत्येक के संदर्भ में सप्ताह में तीन-तीन उड़ानें प्रचालित कर रही है।

समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या के गलत आंकड़े

2502. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ए.वी.पी. (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय) चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रमाण-पत्रों तथा 'आडिट ब्यूरो आफ सरकुलेशन' द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या के आंकड़ों के आधार पर विज्ञापनों को जारी करता है;

(ख) क्या गुजरात राज्य से आर.एन.आई./डी.ए.वी.पी. के समाचार-पत्रों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार संख्या के त्रुटिपूर्ण आंकड़े देने के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रकाशनों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान आर.एन.आई./डी.ए.वी.पी. द्वारा इन प्रकाशनों को अप्रतिष्ठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के लिए किसी प्रकाशन के परिचालन संबंधी आंकड़ों का सत्यापन, प्राथमिकता के अधोलिखित क्रम के अनुसार स्वीकार किया जाता है:-

(1) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक; (2) परिचालन लेखा-परीक्षा ब्यूरो; तथा (3) चार्टर्ड एकाउन्टेंट।

(ख) और (ग) गुजरात से प्रकाशित उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं जिनके विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए सरकारी विज्ञापनों के लिए प्रयोग को पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थगित कर दिया गया है, की सूची संलग्न विवरण दी गई है।

विवरण

उन प्रकाशनों की सूची जिनकी परिचालन संख्या की भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अप्रमाणित मानने के कारण उनके सरकारी विज्ञापन के लिए प्रयोग को पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थगित कर दिया गया है

1.	हमसफर	पटना	गुजरात साप्ताहिक
2.	हलधर	भावनगर	-तथैव-
3.	आगे कदम	पेटलेड	-तथैव-
4.	व्यापार उद्योग	अहमदाबाद	-तथैव-
5.	सत्यकाम	बाडूच	-तथैव-
6.	जयराज	मेहसाना	-तथैव-
7.	नव गुजरात टाइम्स	सूरत	गुजरात दैनिक

8.	आवर न्यूज	मेहसाना	गुजरात साप्ताहिक
9.	दिशा	अहमदाबाद	गुजरात पाक्षिक
10.	सत्यकाम	बडूच	गुजरात साप्ताहिक
11.	चाणक्य	जामनगर	-तथैव-
12.	आउटडोर इनडोर	अहमदाबाद	-तथैव-
13.	रामबन	राजकोट	-तथैव-
14.	गुजरात लीडर	अहमदाबाद	हिंदी दैनिक
15.	शैक्षणिक प्रगति समाचार	राजकोट	गुजरात साप्ताहिक
16.	महा गुजरात	पटना	-तथैव-
17.	गुजरात आरसी	अहमदाबाद	-तथैव-
18.	प्रभात	मेहसाना	गुजरात दैनिक
19.	सर्वोदय	कापडवंज	गुजरात साप्ताहिक
20.	छोटी दुनिया	अहमदाबाद	-तथैव-
21.	जनयुग	राजकोट	-तथैव-
22.	सर्वोदय	कापडवंज	-तथैव-
23.	व्यापार उद्योग	अहमदाबाद	-तथैव-
24.	कृषि विज्ञान	राजकोट	गुजरात मासिक
25.	व्यापार उद्योग	अहमदाबाद	गुजरात साप्ताहिक
26.	कच्छ उदय	गांधी धाम	गुजरात दैनिक

इंडियन एयरलाइन्स की क्षतिपूर्ति

2503. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के अनुपालन में इंडियन एयरलाइन्स को 1990 में अपने एयरबस 320 बेड़े की उड़ानें रोकने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) केलकर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

2504. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले गजेन्द्र गड़कर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्रम आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का क्रियान्वयन कतिपय श्रम कानूनों में संशोधन करके किया गया है, जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 (परिधि के लिए मजदूरी की सीमा को समाप्त करने के संबंध में) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (मुख्यत: अनुचित श्रम व्यवहार), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी से छूट प्रदान करने के लिए मजदूरी सीमा में बढ़ोत्तरी), कारखाना उद्योग अधिनियम-1948 (कारखाना सुरक्षा अपेक्षाओं और कल्याण सुविधाओं के उल्लंघन के लिए शास्तियों को और कठोर बनाने हेतु) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (अंशदान की दर में वृद्धि करने एवं बकाया भुगतान की चूक को संज्ञेय अपराध बनाने)। कुछ नए कानून भी अधिनियमित किए गए हैं जैसे - ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972, लौह अयस्क मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा खान श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986। मजदूरी नीति तथा न्यूनतम मजदूरी, रोजगार सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम सांख्यिकी तथा अनुसंधान एवं श्रमिक शिक्षा के क्षेत्र में श्री आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को प्राय: सरकार की नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों में संशोधन करने के लिए ध्यान में रखा गया। आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1972 में राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना की गई।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास संबंधी समिति

2505. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त करने और उनके पुनर्वास के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति को अब तक क्या सफलता मिली है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए जिला और उप मंडल दोनों स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाई गई हैं। मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	36,289	29,553
बिहार	12,986	12,270
कर्नाटक	62,708	55,231
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,808
राजस्थान	7,478	6,217
तमिलनाडु	39,375	39,375
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल	251,913	230,915

अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह स्थल

2506. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह (आई.सी.एफ.एफ.) के लिए हैदराबाद में एक स्थायी स्थल बनाए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1997 में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म समारोह का स्थायी केन्द्र होगा।

श्रेणी 'बी' के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण

2507. डा. सरोजा वी. : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी 'ए' के अनेक कार्यक्रम श्रेणी 'बी' के अंतर्गत प्रसारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन को इस पर भारी घाटा उठाना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अल्प व्यावसायिक क्षमता के कारण, दो खेल कार्यक्रमों/घटनाओं नामत: 13 अक्तूबर, 1997 को हुआ सुनील चतुर्वेदी सहायतार्थ क्रिकेट मैच तथा आस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप, 1997 को 'क'' श्रेणी से 'ख' के अंतर्गत लाया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन ने इन दो खेल घटनाओं के प्रसारण के जरिए 9.00 लाख रुपए का व्यावसायिक राजस्व अर्जित किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ए.एम.सी. में अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात् भी चिकित्सकों द्वारा सेवा में रहना

2508. डा. संजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्मी मेडिकल कोर के कई चिकित्सक अधिवार्षिता प्राप्त करने के पश्चात् भी सेवा में बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन प्रावधानों/आदेशों के तहत सेवा में बने हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में बिना किसी आदेश के उन्हें वेतन संवितरित करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 01 फरवरी, 1999 तक सेना चिकित्सा कोर से संबद्ध 73 अफसर ऐसे हैं जिन्होंने 31 मई, 1998 को तथा इसके पश्चात् अधिवर्षिता की आयु पूरी कर ली है। सेना चिकित्सा कोर के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने संबंधी अंतिम सरकारी आदेश जारी होने तक 30 मई, 1998 को एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसके तहत सेना चिकित्सा कोर के लैफ्टिनेंट जनरलों को छोड़कर सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति को आस्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात्, 29 जुलाई, 1998 को एक अन्य अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरलों की सेवानिवृत्ति को भी आस्थगित कर दिया गया था। इस संबंध में शीघ्र ही, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन अफसरों के वेतन का भुगतान उपर्युक्त आदेशों में किए गए प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें इत्यादि

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं श्री जॉर्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2586/99]

(2) वर्ष 1999-2000 के लिए रक्षा सेवाओं के अनुमानों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2587/99]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखें

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मद संख्या ऊपर दर्शाए गये कागजात सभापटाल पर प्रस्तुत करता हूं:-

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्सकरण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2588/99]

(3) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2589/99]

(5) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजूकेशन, नागपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजूकेशन, नागपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2590/99]

[अनुवाद]

रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय मैं, आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेल (आर्थिक दायित्वों की सीमा और प्रतिशतता प्रभार का निर्धारण) संशोधन नियम, 1998 जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 24(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यात्री (नाम परिवर्तन) संशोधन नियम, 1997 जो 16 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकार (संशोधन) नियम, 1998 जो 21 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2591/99]

(2) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल द्वारा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन तथा सदस्यों का वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्त) संशोधन नियम, 1999 जो 11 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2592/99]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खाद्य उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2593/99]

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोतीलाल वोरा : मैं आपकी अनुमति से आप्रवासन (वाहकों का दायित्व) विधेयक, 1998 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, एडमिरल विष्णु भागवत द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा का क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रश्न है। सबसे पहले इसकी विश्वसनीयता बहाल की जाए। अगर इसकी विश्वसनीयता कायम नहीं रखी जाती है, तो यहां पर बहस का कोई फायदा नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शिव शंकर अपने विचार अभिव्यक्त करें।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) : आप उनके विचार सुन सकते हैं किंतु आपकी व्यवस्था का क्या हुआ?

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में फर्जी मतदान हुआ है यह चिन्ता का विषय है। इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिव शंकर को विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान की है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की विश्वसनीयता को बनाए रखना सर्वोपरि है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने श्री पी. शिवशंकर को विचार प्रकट करने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर, कृपया शुरू करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय सोनकर शास्त्री, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सभासदों, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, कृपया बैठ जाइये। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री पी. शिवशंकर को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी. शिवशंकर को अनुमति दी है। कृपया बैठे जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनि चौबे, कृपया बैठ जाइये। यह उपयुक्त तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अभी मैंने श्री पी. शिवशंकर को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पी. शिवशंकर को पहले ही बोलने के लिए कह चुका हूं। आपको सभा के नियमों की जानकारी है अथवा नहीं? कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी. शिवशंकर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय अध्यक्ष ने श्री पी. शिवशंकर को बोलने की अनुमति दी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. शिवशंकर : वरिष्ठ मंत्रिगण यहां बैठे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। अब श्री पी. शिवशंकर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालमुनि चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : मैंने सत्ता पक्ष से कभी भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं देखा है *...(व्यवधान)* क्या यह इस सदन में व्यवहार करने का तरीका है? आपको उनका नाम बताना चाहिए *...(व्यवधान)* इसे करने का केवल यही तरीका है। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता है *...(व्यवधान)* कोई व्यवस्था नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हद हो गई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, फर्जी मतदान का क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : यह किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? यह सत्ता पक्ष की बर्ताव है *...(व्यवधान)* वे सदन में इस तरह का व्यवहार करते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही प्रक्रिया है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अगर ये बोलने नहीं दे रहे हैं तो आप इनका नाम लीजिए। ये तभी बोलने देंगे। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैंने श्री पी. शिवशंकर को बुलाया है, आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : क्या सदन में बर्ताव करने का यह तरीका है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी. शिवशंकर : ये क्या कर रहे हैं। यह कोई तरीका है? ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि वे पिछले पन्द्रह मिनट से आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं *...(व्यवधान)* आप कुछ कार्यवाही करें। आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय, डा. शकील अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय, डा. शकील अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए)

प्रो. पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय आप संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से कहें कि वे उन्हें नियंत्रित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : आपको तुरन्त कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। वे आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं *...(व्यवधान)* मंत्री महोदय कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? संसदीय कार्य मंत्री को उन पर नियंत्रण करना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया बैठ जाईये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक, कृपया आपकी तरफ जो माननीय सदस्य हैं उनसे कहें कि बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : मैं श्री राम नाईक से पूछ रहा हूं कि क्या यह संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें उस तरफ बैठे सदस्यों को नियंत्रित करना चाहिए *...(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : उन्हें उनको नियंत्रित करना चाहिए। वे आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं *...(व्यवधान)* हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

श्री ए.सी. जोस : यदि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम प्रधान मंत्री को बोलने नहीं देंगे *...(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : हमें अपनी बात कहने का अधिकार है वे इसके लिए मना नहीं कर सकते है। यह हमारा अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : यह तो चोरी और उस पर सीना जोरी वाली बात हो रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे यह तो हद हो गई है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर, कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए न कि सदस्य को।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मैं उस विषय के संबंध में जिसकी कि मैंने सूचना दी है बोलने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष हमारी आवाज को भ्रष्टाचार के आरोप जिन्हें हम लगा रहे है को दबाना चाहता है तथा मंत्री महोदय भी बैठे है और वे उन्हें नियंत्रित नहीं करना चाहते ऐसा इस सदन में कभी नहीं हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनुचित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, आप यह चर्चा करने के लिए, कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप के प्रश्न पर जोकि हम विभिन्न मंत्रियों, तथा उनके मंत्रियों तथा जल सेना आदि के विरुद्ध लगा रहे हैं, के प्रश्न पर किस तरह से निर्णय लिया जाएं, के प्रयोजन हेतु आज 1 बजे समस्त दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के लिए हम आपके आभारी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : ये हमे सिखा रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आंखो देखा हाल मत सुनाईये। श्री अशोक प्रधान, काफी हो चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया अपनी सीट ग्रहण करें यह क्या हो रहा है, मैंने श्री पी. शिवशंकर को अनुमति दी है।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि ये मुद्दे सदन में उठाए गए हैं, यह स्पष्ट है कि समाचार पत्रों को कतिपय समाचार लीक किए जा रहे हैं और विशेषकर समाचार पत्रों को समाचार लीक करने में रक्षा सेनाएं शामिल हैं। यह मामला गैर-जिम्मेदाराना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. शिवशंकर, मैं पहले ही एक बजे बैठक बुला चुका हूं *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, यह स्पष्ट रूप से समाचारों को लीक करने का मामला है। मेरा आरोप है कि यह सरकार अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों एव मीडिया में समाचारों को बनावटी रूप से लीक कर रही है। यह खेदजनक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. शिवशंकर, मैं पहले ही एक बजे बैठक बुला चुका हूं

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : अतः हम चाहते हैं कि गुरूस्वामी के मामले का मुद्दा तथा रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के संदर्भ में जो मुद्दे हम उठा चुके हैं उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए तथा इस संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन

किया जाए। रक्षा मंत्रालय में जो घटनाएं हुई हैं तथा गुरूस्वामी के बारे में जो मैंने कहा है, के संदर्भ में मंत्रियों की सहमति है। अत: इन मामलों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मै उत्तर देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : आप क्या कहना चाहते हैं? स्वयं आपके मंत्रियों ने जो स्वीकार किया है मैं उस आधार पर बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ, मंत्री महोदय बोल रहे हैं, कृपया इस बात को समझिए।

श्री राम नाईक : महोदय, आपने पहले ही यह कहा है कि, क्या हम इस मामले को कार्यसूची में शामिल कर सकते हैं अथवा नहीं, इस पर चर्चा कराने के लिए नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। इसके बावजूद प्रमुख विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता और एक उप नेता कीचड़ उछालने के काम में लगे हुए हैं ...*(व्यवधान)* एक जिम्मेदार विपक्ष को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)* उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनके सदस्य के नाम पर जाली वोट कैसे डाला गया है। कृपया डाले गये जाली वोट के बारे में बताएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब डा. महादीपक सिंह शाक्य अपना भाषण देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. शाक्य के विचारों के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा. शाक्य अपने विचार प्रकट करें।

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक लोक महत्व का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : स्वाइन जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, दिनांक 13.5.1988 को इसी लोक सभा के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क जो डीजल और मोटर स्प्रिट इत्यादि पर आता है, वह सड़क मद में जमा किया जाएगा। जितना भी शुल्क इस प्रकार से प्राप्त होगा, उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार को 3109 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। यह प्रस्ताव 1988 में इसी लोक सभा में पारित हुआ था। बड़े अफसोस की बात है कि ग्यारह वर्ष बाद भी आज तक इस मामले को कंसीडर नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों पत्र दस वर्ष के अंदर आपके यहां भेजे हैं लेकिन सरकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। अभी दिनांक 23.9.98 को जवाब दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग सड़क इत्यादि का कार्य धन के अभाव में रूका पड़ा है, इसलिए 3109 करोड़ रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को दिलाई जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मेरा यह मानना है कि हमारे देश में जारी किए गए जाति प्रमाणपत्रों की उपयोगिता समान है ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लोगों को जारी किए गए प्रमाण पत्रों की उपयोगिता पूरे देश में समान है ...*(व्यवधान)*

परन्तु दिल्ली राज्य सरकार के स्थायी नियम इस आदेश को नहीं मानते हैं। वे मांग कर रहे हैं कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पहले जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें केवल तभी उन्हें दिल्ली राज्य में

सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इससे सामान्य श्रेणी के लोग प्रभावित नहीं होते हैं। इससे पता चलता है कि दिल्ली राज्य सरकार सामान्य श्रेणी के लोगों को अप्रत्यक्ष सहायता दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए, यह तरीका नहीं है।

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : हाल ही में दिल्ली राज्य में 4000 अध्यापकों की नियुक्ति करते समय इसी नीति का इस्तेमाल किया गया था *...(व्यवधान)* महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। कृपया अपनी जगह पर बैठिए। माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : महोदय, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस यहां है। कृपया बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : हाल ही में दिल्ली राज्य में नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम और शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 4000 अध्यापकों की नियुक्ति करते समय इसी नीति का इस्तेमाल किया गया था। यह मामला पिछले वर्ष और चालू वर्ष में भी दर्ज किया गया था।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से देखें और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हित में आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, मेरा शून्य-काल की सूचना का विषय इस प्रकार है। सामाजिक न्याय के लिए सर्व-धर्म प्रतिनिधि मंडल द्वारा उड़ीसा एवं बिहार के लिए एक यात्रा कल दिनांक 10 मार्च, 1999 को नई दिल्ली से रवाना हुई। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रसिद्ध समाजसेवी स्वामी अग्निवेश, इस्लामिक विद्वान मौलाना बहीदुद्दीन, सेन्ट स्टीफंस कालेज के शिक्षक रेवरेन्द्र बालसम शम्भु, डा. ए.के. मर्चेन्ट और डा. महेन्द्र सिंह जैसे विद्वान शामिल हैं। यह यात्रा स्वस्थ समाज का निर्माण करने, हिंसा फैलाने वाली ताकतों को रोकने तथा अमन पसंद लोगों का मनोबल बढ़ाने एवं धर्म को स्वार्थी लोगों के हाथों से बचाने के उद्देश्य से की जा रही है। यात्रीगण उड़ीसा में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टीवर्ड स्टेन्स एवं उनके दो बेटों की हत्या वाले स्थल पर जाएंगे। तत्पश्चात् बिहार में दलितों के सामूहिक नरसंहार के स्थलों पर भी जाकर साम्प्रदायिक व सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाएंगे। इस सर्व-धर्म यात्रा में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लोग हैं।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस सर्व-धर्म यात्रा को सभी सुविधाएं प्रदान करें तथा सामाजिक सद्भाव की इस यात्रा का अभिनंदन किया जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। केवल भ्रष्टाचार का मामला सदन में फर्जी मतदान का नहीं है, जिनके नाम पर फर्जी मतदान हुआ, अब्दुल गनी खां जी यहां बैठे हैं, आप उनकी स्टेटमेंट ले सकते हैं। भ्रष्टाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला यह भी है कि देश की ज्यूडिशियरी, आई.ए.एस., आई.पी.एस. और देश के सैनिक, सेना क्षेत्र में काम करने वाले बड़े-बड़े अधिकारी कम्पलसरी रिटायरमेंट लेकर, जिनका राष्ट्र के सार्वजनिक पैसे पर प्रशिक्षण होता है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में जाकर भारी-भारी वेतन लेकर नौकरी करते हैं, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल पैदा हो गया है। जिस तरह से सदन में फर्जी मतदान करने से लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो गया है वही खतरा इन बड़े-बड़े उच्चाधिकारियों को मल्टीनेशनल कम्पनियों में भारी-भारी वेतन लेकर नौकरी करने का पैदा हो गया है और लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो गया है कि हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा।

भारत सरकार क्या कानून बनाने जा रही है। फर्जी मतदान रोकने के लिए बाहर क़ानून बन रहा है, अब्दुल गनी खां साहब के नाम पर फर्जी मतदान यहां कांग्रेस के लोगों ने किया है। फर्जी मतदान रोकने के लिए देश में कानून बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहस हो रही है। *...(व्यवधान)* इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है? जहां जुडिशियरी, सेना के अधिकारी, आई.ए.एस.

और आई.पी.एस. के लोग मल्टी-नेशनल्स कंपनियों में भारी पैसा लेकर नौकरी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अत्यंत गंभीर मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी जाए। यह मामला सूचना और जानकारी प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।

महोदय, प्रसार भारती कर्मचारी संयुक्त मंच जिसमें आकाशवाणी के उद्घोषकों सहित दर्जनों संवर्ग शामिल हैं, 9.3.1999 का अर्द्ध रात्रि से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर था। दिनों दिन स्थिति बहुत गंभीर होती गयी। यह ज्ञात हुआ कि सूचना और प्रसारण मंत्री के आदेश पर आकाशवाणी के अधिकारियों ने 9.3.99 को कई भाषाओं में रिकार्ड किए समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जिनको वास्तव में एक दिन पहले रिकार्ड किया गया था और जिन्हें एक दिन पहले प्रसारित किया जाना था। वास्तव में, यह लोकतांत्रिक रूप से की गई हड़ताल को विफल करने के लिए सरकार का प्रयास था जिसका आयोजन लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। इससे भी अधिक गंभीर मामला यह कि यह जानकारी प्राप्त करने और सूचना के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करे चूंकि यह एक गंभीर मामला है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय (बिहार) की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कोई भारी उद्योग नहीं है और न ही कोई ऐसा उद्योग है जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। उद्योग के अभाव में बेरोजगारी में लोग अन्य राज्यों को पलायन कर जाते हैं। इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास बिहार में काफी पीछे है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा जो नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहां पर कोई आधारभूत और भारी उद्योग लगाया जाए और लघु कुटीर उद्योगों के लगाने हेतु उद्यमियों को करों में राहत दी जाए और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाएं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : इस सूचना के द्वारा अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मैथिली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान का संशोधन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दो शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। एक तो उस भाषा को साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त हो और दूसरा यह कि कोई राज्य सरकार यह लिखित में दे कि यह भाषा उस राज्य में कामकाज की भाषा है अर्थात् पंजिकाओं का निष्पादन इसी भाषा में होता है। साहित्य अकादमी से तो यह भाषा मान्यता प्राप्त है। मैथिली में एम.ए. और बी.ए. अनार्स की डिग्री, पी.एच.डी. आदि भी इस भाषा में करते हैं। लेकिन अजीब विडम्बना है कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन करके इन दो नियमों में से एक नियम को शिथिल करके इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.39 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

खुराना जी के अगल-बगल के लोग ही क्यों सदन को डिस्टर्ब करते हैं। चौबे जी और शास्त्री जी वहीं बैठे हैं ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाया जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र बिलासपुर में ए.सी.सी.एल. (साउथ ईस्टर्न क्षेत्र इंडिया लि.) द्वारा केंसर व अन्य सभी गंभीर किस्म के रोगों के इलाज हेतु सर्व सुविधायुक्त अपोलो हास्पिटल का निर्माण लगभग 7 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिससे जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी असुविधा हो रही है। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में अपोलो अस्पताल जो कैंसर एवं अन्य बीमारियो के इलाज हेतु बनना है, उसके लिए तत्काल राशि उपलब्ध करायी जाए जिससे आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस पर भारत सरकार तत्काल कार्यवाही करे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिद्वार की भौगोलिक और धार्मिक स्थिति को देखते हुए उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल में समाहित करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर निर्णय करने से पूर्व इसकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करना आवश्यक है! हरिद्वार जनपद से हिन्दू धर्मावलम्बी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं। हर की पौड़ी पर कल्यार शरीफ जो दोनों धर्मों की आस्था के प्रतीक हैं, भी जुड़ा है। हरिद्वार को अगर नए राज्य में शामिल किया गया तो दोनों धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। संशोधित विधेयक जिस में उत्तरांचल में हरिद्वार को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, सरकार के विचाराधीन है। मेरी सरकार से मांग है कि हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में ही रहने दिया जाए। उसे उत्तरांचल में बिल्कुल सम्मिलित न किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपूजा) : महोदय, मै महिलाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, आप जानते हैं कि कल भी केयल कुछ सदस्य ही 'शून्य काल' में भाग ले सके। आज एक बजे नेताओं की एक बैठक है। यहां पर केवल कुछ नामों की एक सूची है जिसे अध्यक्ष महोदय ने तैयार किया है और मुझे दी है। मैं केवल उस सूची के अनुसार कार्यवाही कर रहा हूं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमें अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमें बोलने का चांस मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपका नाम होगा तो बोलने का चांस मिल जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। अगर आपका नाम होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, वे सभी के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं। अगर वह इस तरह से व्यवधान डालते रहे तो कोई भी नहीं बोल सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : महोदय यदि वह प्रत्येक के भाषण में व्यवधान डालते हैं तो उन्हें बोलने का अवसर न दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका नाम होने पर भी नहीं बुलाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महिला संगठनों ने भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। परन्तु केरल के त्रिवेंद्रम नामक स्थान पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वहां महिलाओं ने शराब विरोधी समिति के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध आन्दोलन किया। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी महिला आन्दोलनकारियों को निर्दयता से पीटा। ये महिला आन्दोलनकारी एक अच्छे मुद्दे के लिए आन्दोलन कर रही थी और यह संविधान के अनुरूप था। निदेशक सिद्धांतों में एक विशिष्ट खंड है कि हमें शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

शराब के मुद्दे पर आन्दोलनकारी आन्दोलन कर रहे थे। वे प्रदर्शन कर रहे थे जो पुलिस को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने न केवल आन्दोलनकर्ताओं को आन्दोलन करने से ही रोका बल्कि महिलाओं को पीटा भी। चूंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निर्दयता से पीटा गया, मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी क्योंकि यह राज्यों के विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है। यह मामला महिलाओं को निर्दयता से पीटे जाने का है जबकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस बारे में कुछ कहें।

श्री राम नाईक : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यदि वह सत्य है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। हम इस बारे में सूचना मांगेगे ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : यह बिल्कुल ही गलत है। माननीय सदस्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, संसदीय कार्य मंत्री भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह पूरी तरह से राज्य का मुद्दा है ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि आप यह कहते हैं कि मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं तो मैं इसकी पुष्टि करने को तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह पूरी तरह से राज्य का मुद्दा है। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस पर कुछ कहना चाहते हैं। आप बीच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? कृपया हस्तक्षेप न करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्य जो कह रहे थे यदि वह सही है तो यह एक गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री कृष्णदास ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। आप फिर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

..(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : यह पूर्णतया गलत है। यह क्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सामान्यत: सभा में यह परम्परा है कि जब कोई भी सदस्य कोई मुद्दा उठाता है और यदि वह सच समझा जाता है तो हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम इस पर जानकारी मांगेंगे और उसे माननीय संदस्य को दे दिया जायेगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस मामले की जांच कर उसकी जानकारी सदस्य को दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्दन, माननीय मंत्री का कहना है कि वह इसकी सत्यता की जांच करायेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह ठीक है। आपको यह जानना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय, वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : श्री थामस आप नहीं जानते हैं कि क्या हुआ था। आप सभा को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : पुलिस ने महिलाओं को मारा-पिटा। इसलिए वे उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री राम नाईक : हम सूचना एकत्रित करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि मंत्री महोदय इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : ये लोग बीच में हल्ला करते रहते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं तो आप हमें कहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कुछ कहने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा कहना मात्र यही है कि यदि यह महिलाओं से संबंधित प्रश्न है और यदि कुछ कहा जाना है तो उन्हें सच्चाई का पता लगाने दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों द्वारा कुछ ही मुद्दों पर उत्तर दिया जाता है। 'शून्य काल'

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के दौरान उठाए गए कितने विशेष मुद्दों के बारे में कि मंत्री महोदय उत्तर देते हैं? चुनिंदा उत्तरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमें सच्चाई जानना चाहिए। लेकिन उन्हें इसे गम्भीरता से करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : श्री सोमनाथ चटर्जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्री की निन्दा करने का उनको पूरा अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितने मुद्दों का उत्तर दिया गया है।

श्री राम नाईक : मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरे विचार से यह एक गंभीर मुद्दा जो महिलाओं से संबंधित है और यही कारण है कि मैं इस बारे में बोल रहा हूं। यही कारण है कि मैंने कहा कि मैं इस पर जानकारी मांगूंगा। मैं केरल सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जानकारी उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बहुत से लोग रोज़गार कम होने के कारण बाहर जाते हैं। हमारे देश के लाखों लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। पोखरन परीक्षण के बाद अमेरिका और विकसित देशों द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लाखों भारतीय लोग जो साउदी अरब में काम करते थे, वह निकाले जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि लाखों श्रमिक विदेशों में काम करते थे और उनको जो विदेशों से निकाला जा रहा है, भारत सरकार को इन देशों से बातचीत करके इस मामले को हल करना चाहिए। क्योंकि यह लाखों लोगों की रोटी का सवाल है, जो विदेशों में काम करते हैं। हमारे यहां के लाखों लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। पोखरण परीक्षण के बाद विकसित देशों ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है और दबाव डाल रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, उन देशों की सरकारों से संपर्क और समन्वय स्थापित करके इस पर रोक लगाये।

[अनुवाद]

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तकाली डोकेश्वर, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को हो रही कठिनाईयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरे चरण का निर्माण कार्य, जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया था, 1993 में पूरा किया जाना था। लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। इसके परिणामस्वरूप अभी भी 35 एकड़ के क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाईट और जल-मल निकासी प्रणाली नहीं है। यहां तक शौचालय ब्लॉक भी अधूरा है तथा युवक युवतियों को शौचालय के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। नवोदय समिति ने उच्चतर कक्षाएं भी बंद कर दी है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए तथा उचित दर की दुकान, जहां आमतौर पर निम्न स्तर और खराब माल होते हैं, से खाद्यान्न की खरीद करने के बदले खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदना चाहिए। मैं सरकार से आगामी शैक्षणिक वर्ष से उच्चतर कक्षाएं शुरू किए जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते। मैं यही कहना चाहता हूं। आप कृपया उसे उचित रूप में करें ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : मंत्री महोदय, आप जवाब क्यों नहीं देते ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह राज्य सरकार के मामले में उठ जाते हैं, लेकिन केन्द्र के मामले में नहीं उठते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर जिला में पेयजल की कमी का मामला उठाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार का यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध करायें। स्थानीय निकाय वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वहां पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। किंतु, भारत सरकार को मेरा सुझाव है कि वह पेयजल हेतु तुमकुर जिला में स्थित हेमवती कनाल का उपयोग कर सकती है। इस पानी को दोदगुनी तालाब, किबनली, बिलचोर और रामपुरा में पेयजल हेतु इकट्ठा किया जा सकता है। जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अब वहां के लोग तुमकुर जिला से अपने पशुओं के साथ अन्य जिलों में जा रहे हैं। वहां जल की अत्यधिक कमी है। अत:, भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं वह इन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की मदद करे।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे हस्तक्षेप न करने को कहा था। यदि आपका नाम उसमें होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की कम आपूर्ति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। तमिलनाडु में प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की कुल खरीद 2 लाख टन होती है जबकि इसे सामान्य पूल से प्रतिमाह 1.09 लाख टन चावल मिल रहा है। इस प्रकार 91,000 टन का अंतर रहता है। इस 91,000 टन चावल की खरीद के लिए हम बाजार पर निर्भर करते हैं। हमें इसकी खरीद के लिए भारी मात्रा में धनराशि खर्च करनी पड़ती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पहले से ही 1,256 करोड़ रुपए की राज सहायता है। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य के ऊपर प्रति क्विंटल 50 रुपये निर्धारित कर रखा है। सरकार पर अत्यधिक बोझ है। यही कारण है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने 14 फरवरी 1999 को इन सभी कारणों को स्पष्ट करते हुए माननीय खाद्य मंत्री को लिखा है। इसलिए, मैं माननीय खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शुरू में निर्धारित की गई मात्रा 1.65 लाख टन का इस समय आवंटन रद्द कर दिया जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुछ हद तक सम्हाला जा सके।

मैं माननीय खाद्य मंत्री से समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राम नाईक से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की अतिरिक्त मात्रा के आवंटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्रवाई करें।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम नाईक यहां बैठे हैं। मैं इस विषय पर उनसे जवाब देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री टी.आर. बालू : वह अभी जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूं?

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। किंतु श्री सोमनाथ चटर्जी को यह पुनः समझना चाहिए कि मैं विशेष रूप से इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं।

महोदय, मैं श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा तथा उनसे उनके अनुरोध का अलग से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर.एस. गवई।

...(व्यवधान)

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत को बर्खास्त करने की सरकार की अभूतपूर्व कार्रवाई अत्यंत दुःखद है। इसका सशस्त्र बलों के मनोबल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि वे राष्ट्र को बताएं कि देश का नौसेनाध्यक्ष देश की सुरक्षा हेतु कैसे खतरा बन गया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अध्यक्षों के स्वतंत्र मंच द्वारा इन आरोपों की जांच कराएं और देखें कि ये सही है या गलत है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहती हूं कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड नामक फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सरोजिनी नगर में 1973 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी ने धोखे से 850 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत से कर्मचारियों ने सामूहिक आत्मदाह कर लिया है और अनेकों का मानसिक सन्तुलन खराब हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि इस प्रकार धोखे से इन कंपनी ने अपने कर्मचारियों को क्यों हटाया और जो परिवार आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं उन्हें फिर से बसाया जाए तथा जिन परिवारों के लोगों ने आत्महत्या की है, उनको मुआवजा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा (चिकमंगलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक राज्य में अपने चुनाव क्षेत्र चिकमंगलूर में स्थित सरकारी

क्षेत्र के उपक्रम कुद्रेमुख आयरन वर्क्स लिमिटेड के कार्यकरण का मामला उठाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार का यह संगठन विदेशों को लौह अयस्क का निर्यात करता है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यहां लौह अयस्क के प्रसंस्करण की व्यवस्था है। किंतु हाल ही में कुछ करोड़ रुपए के बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो पाने के कारण कंपनी का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली के अभाव के कारण फैक्टरी में काम बंद हो गया है और इस कारण से इसे छः करोड़ रुपए की हानि हुई। यदि एक करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान कर दिया जाता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था। यह स्पष्ट तौर पर कंपनी के कुप्रबन्धन को दर्शाता है तथा इस तरह के कार्य के लिए इसे दण्डित किया जाना चाहिए। यह विषय अत्यधिक लोक महत्व का है तथा कंपनी द्वारा भविष्य में इस तरह के कुप्रबन्धन से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. बी.एन. रेड्डी।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा. बी.एन. रेड्डी को विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा है।

डा. असीम बाला : महोदय, मैं एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो कि तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष सभी महत्वपूर्ण विषयों को पहले ही सूचीबद्ध कर चुके हैं। मैं सिर्फ उसी सूची से नाम पुकार रहा हूं।

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले और चुनाव क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में मिरयालगुडा की पेयजल की गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह समस्या न सिर्फ मेरे जिले में है अपितु पूरे आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेयजल की गंभीर समस्या है।

महोदय, केन्द्र सरकार पूरे देश में पेयजल की पूर्ति को सर्वाधिक महत्व देती है तथा वर्तमान सरकार के शासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में भी कहा गया है कि देश के सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

किंतु हम देखते हैं कि महिलाओं को दो या तीन किलोमीटर तक जाना पड़ता है। उन्हें थोड़ा सा पानी लाने के लिए चिलचिलाती धूप में जाना पड़ता है। राष्ट्रीय कार्यसूची में कहा गया है कि हम पेयजल को सर्वाधिक महत्व देंगे। इसलिए जब इसके बारे में चर्चा की जा रही है, मंत्री जी ने एक बार कहा है कि यह राज्य का विषय है। यह राज्य का विषय हो या केन्द्र का विषय, यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों को पेय जल उपलब्ध कराए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में कुछ करे।

पेयजल में फ्लोराइड की इतना मात्रा है कि लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इस बारे में तत्काल कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा देश के अनेक राज्यों में पिछड़े वर्गों की जो सूचियां बनी हैं, उसमें अनेक विसंगतियां हैं। कैवट, धीमर, मछुआरे तथा गोवरा गौवारी जातियां अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आनी चाहिए। इसके लिए कई प्रांतों में अनेक बार आंदोलन भी हुए। महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ उसमें 100 लोगों की जानें गई थीं। इसी तरह भोपाल संभाग में धोबी जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है जबकि मध्य प्रदेश तथा प्रदेश के शेष संभागों में उसकी पिछड़ी जाति के रूप में ट्रीट किया जाता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का ग्रेडेशन किया गया है, उस पर पुनर्विवेचना करने की आवश्यकता है। जो विसंगतियां हैं, उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा धीमर, केवट और मछुआरे जाति का रहन-सहन और खान-पान है, वह अनुसूचित जनजाति की भांति ही है। उसी तरह गोड गोवारी और गोवारा गोवारी जाति का रहन-सहन अनुसूचित जाति की भांति ही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाया जाये तथा धोबी जाति को मध्य प्रदेश तथा वहां के अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : समय की अत्यधिक कमी है। आज की कार्यसूची में बहुत से विषय हैं। इसलिए सदन को एक बजे से दो बजे तक का भोजनराल का त्याग करना होगा। हमें आज यह

छोड़ना होगा। क्या सदन का भी यही विचार है? अन्यथा, हम कार्यसूची की किसी भी मद को समाप्त नहीं कर सकेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं सदन तथा श्रम मंत्री एवं रक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

गोवा में मुर्मगांव पोर्टट्रस्ट के 500 मिनिपूल डॉक कर्मकारों को वर्क्स एसोसिएशन के कोष जिसका प्रबन्ध 'पोर्ट हैन्डलिंग एजेन्ट्स' एसोसिएशन तथा मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है में भारी धनराशि जमा होने के बावजूद भी चौदह महीनों का वेतन तथा अन्य लाभ आज तक नहीं दिये गये हैं।

यह अत्यन्त ही दु:खद है कि मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन मिनिपूल कर्मकारों की जगह पर डॉक परिसर में निजी कर्मकारों को काम दे रहे हैं। हैन्डलिंग एजेन्टों के इस कदाचार की ओर मुर्मूगांव पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन का बार-बार ध्यान दिलाया गया है। किंतु चेयरमैन केन्द्र को आश्वासन देते रहे कि गलती करने वाले हैन्डलिंग एजेन्टों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किंतु आज तक इस विषय पर चेयरमैन चुप्पी साधे हुए हैं।

मैंने और सीटू के महासचिव डा. एम.के. पांढ़ा ने वास्कोडिगामा, गोवा के एल.सी. से 17 फरवरी, 1999 को मजदूरी के हिसाब-किताब के लिए तथा निजी कर्मकारों के अवैध नियोजन के बारे में भेंट की थी उस समय भी मुर्मूगांव पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन वहां उपस्थित नहीं थे।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुर्मूगांव पोर्ट ट्रस्ट के 500 मिनिपुल डॉक कर्मकारों के मामलों पर कार्रवाई की जाए तथा उनकी मजदूरी का शीघ्र निपटान किया जाए।

अपराह्न 1.04 बजे

[**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

'दि नव हिन्द टाइम्स' में एक खबर 8.3.99 को पहले ही छप चुकी है। ...*(व्यवधान)* गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बताया है कि इसके चेयरमैन रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) बी.आर. मेनन द्वारा गोवा में अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में कुल 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया।

सभापति महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात करें।

श्री सुनील खां : जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) बी.आर. मेनन, चेयरमैन श्री जी.एस.एल. के घर में छापा मार कर 10 करोड़ रुपए जब्त किये। इसलिए, कृपया सदन को यह आश्वासन दें कि उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को जगह न मिलने के कारण वे दिल्ली में, जवाहर कैम्प, ए-1/60 कीर्तिनगर में 1990 से पहले से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। उनके राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि सब कुछ बने हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने विषय पर संक्षेप में कहिए ताकि अन्य सदस्यों को भी मौका मिल सके।

श्री एच.पी. सिंह : संक्षेप में कह रहे हैं। वहां पर मार्बल की बहुत बड़ी मार्किट है। जिन लोगों ने पुलिस और डी.डी.ए. के लोगों को पैसा दिया, उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया। लेकिन जो गरीब मजदूर बाहर काम पर गए हुए थे, उनके पीछे से उनके बाल-बच्चों को बाहर कर दिया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एच.पी. सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि उन निरीह, गरीब लोगों को बसाने का काम किया जाए। पुलिस और डी.डी.ए. के जिन लोगों ने उनकी बीबी, बच्चों को रोड पर फेक दिया था, उनको पनिशमैंट दी जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : सभापति महोदय, जम्मू प्रदेश में चिनाब नदी से 15,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस समय हम सिर्फ सलाल प्रोजैक्ट से 500 मैगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके बाद हमने दो और प्रोजैक्ट हाथ में लिए थे एक बगल्यार का और दूसरा साबला कोट का। उस पर केन्द्र सरकार, एन.एच.पी.सी. ने लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि एन.एच.पी.सी. जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोजैक्ट इस समय नहीं ले रही है। जिन लोगों, कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों ने सलाल प्रोजैक्ट में अपना खून, पसीना दिया, आज उन तीन हजार से ज्यादा क्लास-4 कर्मचारियों को सिक्किम और भूटान में ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि साबला कोट के प्रोजैक्ट को तुरंत हाथ में ले

और 800 मैगावाट बिजली, एन.एच.पी.सी. द्वारा उस प्रोजैक्ट को चलाया जाए, बिजली पैदा की जाए और हमारे बिजली के संकट को दूर किया जाए।

यह कहा जाता है कि कश्मीर सरकार स्वयं इन प्रोजैक्ट्स को चलाना चाहती है लेकिन हालत यह है कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी सूरत में कोई प्रोजैक्ट स्टेट द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यह जरूरी है कि एन.एच.पी.सी. साबला कोट के प्रोजैक्ट, जिस पर उन्होंने पहले भी पैसा खर्च किया हुआ है, सर्वे किया हुआ है, को तुरंत अपने हाथ में ले और इसे चालू करे।

[अनुवाद]

श्री पवनसिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मैं सरकार का ध्यान बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, हर एक व्यक्ति असम की गिरती हुई कानून व्यवस्था के बारे में जानता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान पूरे असम में विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 से अधिक निर्दोष व्यक्ति अज्ञात हमलवारों के द्वारा मारे गए थे।

इस महीने की आठ तारीख को लोगों के तीन समूह दिन के उजाले में तीन स्थानों पर ए.के. 47 एवं ए.के. 56 के साथ हमला किया। एक परिवार में उन्होंने एक युवक की हत्या की जब बन्दूक की आवाज सुनकर उस युवक के माता-पिता बाहर आए तो उनकी भी हत्या कर दी गई। दूसरे परिवार में, 80 वर्षीय पिता एवं सत्तर वर्षीय मां की भी हत्या कर दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी निर्दोष व्यक्ति मारे गए, उनके बारे में कहा गया था कि वे भूमिगत तत्वों के सगे-संबंधी थे।

महोदय, यह बहुत ही अमानवीय हत्या है। ये सारी घटनाएं राज्य सरकार की रजामंदी से आसाम में घट रही है। हम यह जानना चाहते है कि राज्य सरकार इन अज्ञात हत्यारों द्वारा ए.के. 47 एवं ए.के. 56 से लोगों की हत्या होने दे रही है। जब वहां पुलिस जाती है तो उन्हें मात्र ए.के. 47 की खाली गोलियां, मात्र ही मिलती हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है, यह स्थिति जारी है। राज्य सरकार ने कुछ अघोषित हत्यारों को लाईसेंस दे रखा है कि वे राज्य में अपनी इच्छानुसार लोगों की हत्या करते रहें। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है, देश में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जांच कर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे ये सारे समाचार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करनी होगी। अन्यथा वे कहेंगे वह व्यक्ति लोगों की हत्या इसलिए कर रहा है कि वह उल्फा से संबंधित है आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी इस तरह से हत्याएं हो रहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। राज्य सरकार के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है तथा राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है।

केन्द्र सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती उसे राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार से घट रही हैं।

शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ए.के. 47 एवं ए.के. 56 लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जबकि असम में यह रोजाना की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय का इस स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

सभापति महोदय : श्री हाण्डिक, क्या आप इनका समर्थन कर रहे हैं?

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को माननीय गृह मंत्री महोदय को पहुंचा दूंगा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, इस सदन में पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर वाद-विवाद चल रहा था तथा माननीय सदस्य ने यहां पर एक वक्तव्य दिया था यहां तक कि कल, के.औ.सु.ब. के समारोह में उन्होंने कहा था आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति में अब सुधार हो रहा है, यहां तक कि कल भी उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह इस सदन के सर्वदल प्रतिनिधियों को सभी राज्यों में भेजेंगे।

आज पूर्वोत्तर की हालत बहुत नाजुक है। सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। गृह मंत्री ने यहां एक वायदा किया था कि वह स्थिति का आकलन करने के लिए समस्त दलों के कुछ प्रतिनिधियों को भेजेंगे, पिछले तीन माह से कुछ भी नहीं हुआ इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को गृह मंत्री महोदय तक पहुंचा दे कि उनको अपने वायदे को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।

श्री राम नाईक : महोदय, श्री राजेश पायलट की भावना भी गृहमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप उनको पूरे सदन की भावनाओं से अवगत कराएं ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि ये अज्ञात आतंकवादी कौन हैं। यहां तक कि सरकार ने भी यही स्पष्टीकरण दिया है कि अज्ञात आतंकवादी है। यह कैसे हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार की जानकारी में इन अज्ञात आतंकवादियों ने पूरे राज्य ने आतंक का साम्राज्य बना रखा है। वे आम आदमी को मार रहे हैं और यहां तक कि उन व्यक्तियों को भी जो आतंकवादियों के दूरस्थ संबंधी हैं, इस तरह से इसकी सरकारी जांच होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की एक विशेष समस्या की तरफ खीचना चाहता हूं। कृषि के अवैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाये जाने के कारण तथा रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने के कारण हमारे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जमीनों का पी.एच. मान बढ़ रहा है और 15 परसेंट के आसपास जमीन पूरे तौर पर ऊसर हो गई है तथा और 15 परसेंट जमीन का पी.एच. आठ परसेंट के आसपास पहुंच चुका है जिससे के उनके ऊसर होने का खतरा पैदा हो गया है। इससे उत्पादकता पर भी असर पड़ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बहुत शीघ्र ही इस मामले की जांच कराकर, एक प्रोजैक्ट बनाकर भूमि सुधार की योजना लागू करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य थोड़ा समय लेंगे तो अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का समय मिल सकेगा।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, नारियल के जटा संबंधी उद्योग भारत का प्राचीनतम एवं परम्परागत उद्योग है अब यह संकट के दौर से गुजर रहा है, संकट का कारण, भारत-श्रीलंका समझौता है, यदि इसे लागू किया गया तो इससे भारी संकट खड़ा हो सकता है।

अब, नारियल की जटा से बनने वाले उत्पाद कोचीन के बाजार में नहीं बेचे जाते है, श्रीलंका से आयात के भय से कोई बाजार नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं इस उद्योग में पांच लाख लोग लगे हैं इनमें से 80 प्रतिशत महिला कर्मकार है, यह मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर बोल रहा हूं। हमारी नीति और भारत-श्रीलंका समझौते के कारण, चार से पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह नारियल की जटा से संबंधित उत्पाद भारत में आयातित न किया जाए, को देखने के लिए तुरन्त कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, सरकार दक्षिण अमेरिका के देशों में कुछ नए देशों का पता लगाए ताकि उन दक्षिण अमेरिकी देशों को नारियल की जटा से बनने वाले उत्पादों के निर्यात करने की व्यवस्था कर सकें, केन्द्र सरकार को इसके लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोकि यहां उपस्थित हैं से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे क्योंकि इससे पांच लाख लोग जुड़े हैं। वे इसके लिए क्या करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मेरे निवार्चन क्षेत्र में डिफेंस की छावनी हैं। वहां पर सुखना और खड़वा गांव के लोगों ने हजारों एकड़ जमीन उनको दी है। इस कारण इन गांवों में केवल स्कूल, तालाब और मंदिर ही बचे है। लेकिन इनको भी लेने के लिए सेना के जवान गांव के लोगों से जोर-जबर्दस्ती कर रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। इस कारण वहां के लोग आंदोलित हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल, तालाब और मंदिर जो सार्वजनिक स्थान हैं तथा वहां पर जो सड़क भी सेना के पास है, इनको सेना की छावनी से हटाकर ग्रामीणों को दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : महोदय, मैं रामनारायण मीणा हूं।

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका नाम पुकारूंगा। यदि सदस्य संक्षिप्त में बोलेंगे तब प्रत्येक सदस्य बोल सकेगा।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, भारत-नेपाल की सीमा पर पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की जो भारत विरोधी गतिविधियां जारी हैं, उनकी ओर मैं सदन का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : कल ही प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पाकिस्तान से संबंध सुधर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इनको बोलने दें।

श्री आदित्यनाथ : भारत-नेपाल सीमा पर स्थानीय प्रशासन की भागीदारी से और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से भारत विरोधी गतिविधियां बड़ी तेजी से जारी है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो भारत-नेपाल सीमा पर पाकिस्तान द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम किया जाए।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : महोदय, उद्योग भवन के सामने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता पिछले तीन दिनों यानि 9 से 11 मार्च, 1999 तक धरने पर बैठे हैं। वे धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि पांचवे वेतन आयोग ने एक विभाग में, एक ही संवर्ग में विसंगतियां पैदा कर दी है जबकि ड्यूटी एवं दायित्व एक जैसे है परन्तु पक्षपात हुआ है। अभियन्ता अत्यंत कर्त्तव्यपरायण होते हैं। वे काफी समय से मामले को उठा रहे हैं परन्तु उनके समस्त प्रयास असफल रहे हैं।

महोदय, मजदूरी में वे उद्योग भवन के सामने प्रदर्शन करने को बाध्य हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह उत्तेजित अभियंताओं के साथ बैठे उनकी मांगों में दर्शायी गई विसंगतियों को तुरन्त दूर करें अन्यथा अव्यवस्था फैलने का अंदेशा है। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले को तुरन्त निस्तारित करें।

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में एक बी.पी.डी.पी. योजना, बिहार पठारी विकास प्रोजेक्ट विश्व बैंक के 444 करोड़ रुपये के सहयोग से प्राप्त हुई थी लेकिन 1993-98 में इसका अंत हो गया। इस योजना में बहुत भारी घपला हुआ है और जिस तरह से पहले चारा घोटाला हुआ, उसके बाद से यह दूसरा भयंकर घोटाला है। 2500 मीटर लम्बा ब्रिज और 4200 कि.मी. रोड बनाने की योजना के लिए विश्व बैंक ने छोटा नागपुर, संथाल परगना वनांचल के विकास के लिए पैसा दिया है लेकिन यह रुपया हजम हो गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं, यह बताएं।

...*(व्यवधान)*

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसके द्वारा 21000 हेक्टेअर सिंचाई की योजना थी और इसके अतिरिक्त भी आदिवासियों और हरिजनों के विकास की योजना थी लेकिन 21000 हेक्टेअर की जगह पर मैं समझता हूं कि 5000 हेक्टेअर का भी काम नहीं हुआ। मेरी मांग है कि इसकी सी.बी.आई. से शीघ्र जांच कराई जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पकड़ा जाए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार बार-बार यह घोषणा करती रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होती जा रही है किंतु पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही हैं। हाल ही में आई.एस.आई. ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी है, अब आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : सुरक्षा बलों के अस्थाई शिविर को आर.डी.एक्स. से उड़ा दिया गया है और अनेक सुरक्षा कर्मचारी घायल हुए हैं। पाकिस्तान की प्रधान मंत्री जी की यात्रा के बाद आई.एस.आई. की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि निश्चित रूप से शोचनीय और विचार करने योग्य है।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति महोदय, मेरा सवाल बड़ा गंभीर है और मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस पर विचार करें।

देश में चार करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और ग्यारह करोड़ निरक्षर हैं। कुल मिलाकर 15 करोड़ नौजवानों की आंखों में आज आंसू और भूख है। नौजवान बीमार और लाचार हैं। वे पचास साल से ...*(व्यवधान)* सारी राजनीतिक पार्टियां ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया भाषण न करें, अपनी बात संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं कहना चाहता हूं कि आज नौजवानों के मन में निराशा है और इसलिए नौजवान आतंकवाद

की ओर मुड़ रहे हैं। आज नौजवान चाहता है कि उसका पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पॉवर हो। मैं मांग करता हूं कि नौजवानों को संसद और विधान सभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए जिससे नौजवान अपने भाग्य का फैसला स्वयं अपने हाथों से कर सकें। इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने विचार व्यक्त करें। *...(व्यवधान)* आज संसद में जो नौजवानों का प्रतिनिधित्व है, पच्चीस से चालीस साल तक के नौजवान माने जाते हैं। *...(व्यवधान)* इस संबंध में मैं संसद को अवगत कराना चाहता हूं कि संसद में नौजवानों की भागीदारी निरन्तर कम होती जा रही है। आज सिर्फ साढ़े 12 प्रतिशत नौजवान संसद में हैं। इसलिए इस पर सभी दल गंभीरता से विचार करें। *...(व्यवधान)* 25 से 40 साल की उम्र के नौजवान इस श्रेणी में आते हैं। *...(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि 25 से 30 साल तक के सिर्फ दो लोग संसद सदस्य हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. शंकरन (कालीकट) : सभापति महोदय, मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान कालीकट विमानपत्तन के विकास के संबंध में आकर्षित करता हूं।

कालीकट विमानपत्तन भारत के 12 माडल विमानपत्तनों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या की दृष्टि से भी एक व्यस्ततम विमानपत्तन है। यह नोट किया जाए कि वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह कालीकट विमानपत्तन में आने वाली और यहां से जाने वाली उड़ानों की संख्या 370 है और विद्यमान आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए 39,720 यात्री प्रति वर्ष इस विमानपत्तन का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु विमानपत्तन के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया गया है, सुविधाएं बहुत अपर्याप्त है और उपलब्ध स्थान भी बहुत अपर्याप्त है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनलों में कुछ परिवर्तन करने के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया है जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्वीकार्य माना है।

मैं यात्रियों की ओर से अनुरोध करता हूं कि सुझाए गए परिवर्तन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को घरेलू टर्मिनल के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाए। हवाई पट्टी के विस्तार कार्य के पूरा हो जाने के बाद जब बड़े विमान जिनमें सवारियों की संख्या अभी से 50 प्रतिशत अधिक होगी जिसके लिए इस टर्मिनल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, यह नितांत आवश्यक हो जाएगा।

मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सदन में आश्वासन दे कि मांग स्वीकार की जाएगी।

श्री टी. गोविन्दन : महोदय, मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष योजना की दयनीय स्थिति और असंतोषजनक कार्यकरण की ओर श्रम मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करता हूं। 20 वर्ष पूर्व इसका गठन किया गया था, न तो लाखों बीड़ी कर्मकारों को और न ही स्वयं संस्था को लाभ पहुंचा।

केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालाबार में लगभग तीन लाख लोग बीड़ी उद्योग में कार्य कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश कल्याण कोष योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कन्नूर में कार्यरत सहायक आयुक्त के कार्यालय में केवल एक उच्च श्रेणी लिपिक, एक ड्राईवर और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। लगभग सभी पद रिक्त पड़े हैं। कर्मकारों को लाभ न मिलने का यह एक मुख्य कारण है। कर्मकार और उनके संघ क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इसका ग्रेड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी यह बंगलौर क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा है। सरकार ने इस मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया है। आवास ऋण और राजसहायता आकर्षक नहीं है। कर्मकारों की लम्बे अर्से से मांग है कि ऋण 25000/-रु. और राजसहायता 10000/- रु. होनी चाहिए। छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थिति भी खराब है। कन्नूर क्षेत्र में तीन अस्पताल हैं। बीड़ी कर्मकारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये तीनों अस्पताल अपर्याप्त हैं। इसलिए कर्मकार तीनों अस्पतालों को मिलाकर एक अस्पताल बनाने और 25 बिस्तरों की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

मैं सरकार और श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बीड़ी कर्मकारों की उपयुक्त मांगों पर तत्काल विचार करे।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि जो सरकार दिल्ली में बैठी है वह सरकार अपने ढंग से निर्णय करती है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी वायु सेना की युद्ध क्षमता को आंकने के लिए अभ्यास किया गया। मैं राजस्थान से प्रतिनिधित्व करता हूं, उस राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया गया। संसद की रक्षा मंत्रालय से संबंधित स्थाई समिति का सदस्य होते हुए भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। ...*(व्यवधान)* यह भी नहीं बताया कि कौन से मेम्बर को चुना गया, इस तरह का भेदभाव और आंख मिचौनी करके काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि वहां जो बम फोड़े हैं उनमें से बहुत से बम फूटे ही नहीं और अखबारों में फोटो दी गई। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री रामनारायण मीणा : संसद की स्थाई समिति का सदस्य होते हुए भी मुझे सरकार के द्वारा नेगलेक्ट किया गया। कांग्रेसी मेम्बर्स को नहीं बुलाया गया। ...*(व्यवधान)* यह पार्टी बाजी के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री वासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : देश के कोने-कोने से हजारों ग्रामीण, बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारी यहां पर आये हैं। 1992 में उन्हें जो न्याय दिया गया था लेकिन बाद में एक सरकार द्वारा उनका न्याय छीना गया है। आज दो राज्यों के हाई-कोर्टों के अंदर उनके फैवर में जजमेंट दिया गया है। मैं केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्रामीण जनता के बीच में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ यह जो पे-स्कैल में अनॉमली है इसको खत्म कर दिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने से पूर्व ही उन हजारों कर्मचारियों को न्याय देकर ग्रामीण जनता की सेवा करने में अधिक से अधिक अग्रता प्रदान करें। मैं यह प्रार्थना केन्द्रीय सरकार से करता हूं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति जी, उत्तरांचल राज्य का मुद्दा काफी प्रचारित रहा है जिसमें सैंकड़ों की तादाद में शहादतें हुईं। जिसमें सभी समुदायों के लोगों की जानें गयी हैं। इस लोक सभा में 22.12.90 को सरकार की ओर से उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के विधेयक पेश किये गये जिनका पूरे क्षेत्र में स्वागत हुआ है। विशेष रूप से उत्तरांचल की जनता ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ राजनैतिक दल अपने राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान में रख करके जाति धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृति के नाम पर हरिद्वार, उधमसिंह नगर आदि जिलों को अलग रखने की बात उठा रहे हैं जबकि आम जनता की ओर से कोई शिकायत नहीं है और हर कोई उत्तरांचल राज्य के पक्ष में है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने 7 मार्च 1990 को बिहार के अपने दौरे में वनांचल राज्य का विधेयक इसी चालू सत्र में लाने की घोषणा की है, उसका स्वागत करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य का विधेयक भी इसी चालू सत्र में वनांचल के साथ-साथ लाया जाए और उसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मामले को उठाना चाहता हूं।

हमारा आरोप है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत निकाय के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 20 फरवरी, 1999 को दिल्ली में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव विषय पर एक सम्मेलन हुआ था परन्तु इस समाचार का प्रसारण नहीं हुआ। समाचार पूरी तरह से हटा दिया गया। आज हमने समाचार पत्र में पढ़ा है कि प्रसार भारती बोर्ड के मनोनीत सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यहां पर माननीय मंत्री महोदय श्री प्रमोद महाजन निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रसार भारती बोर्ड को स्वायत निकाय के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। अन्यथा बोर्ड की निष्पक्षता और तटस्थता को नहीं बनाये रखा जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण इलैक्ट्रोनिक मीडिया है और इन्हें स्वायत निकायों के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि सभी दलों के सदस्यों के मत को सही तरीके से प्रसारित किया जा सके। यह बहुत अधिक चिंता का विषय हैं और मैं आपके हस्तक्षेप के लिए इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने जिले जो चम्बल नदी के किनारे लगता है की ओर दिलाना चाहता हूं। जल कटाव के कारण वहां लाखों गांवों कट रहे हैं और लाखों बीघा जमीन कट रही है। मेरा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गांवों का कटाव जो हो रहा है उसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सभापति जी, मैं दिल्ली के यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मैडिकल साइंस तथा गुरू तेगबहादुर अस्पताल के होस्टल में रहने वाले मैडिकल के दलित छात्रों पर वहां के डा. कपिल जैन तथा डा. विकास सरदाना द्वारा रात में लाउड-स्पीकर से एलाउंस करके 60-70 सवर्ण छात्रों को इकट्ठा करके भंगी-चमार गालियां देकर, उनके कमरों के दरवाजे तोड़कर उनके साथ मार-पीट की गई है। इसकी सूचना वहां के प्रधानाचार्य और होस्टल के वार्डन डा. के.के. शर्मा को देने के बाद भी वह वहां नहीं पहुंचे और उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया। यह होने के बाद किसी भी प्रकार की कार्यवाही हमलवारों के विरुद्ध पुलिस द्वारा नहीं की गई। दलित छात्रों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया। ऐसा आरोप है कि हमलावार बी.जे.पी. के नेता के रिश्तेदार थे। इसलिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं दलित छात्रों को संरक्षण देने की मांग करता हूं।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, मध्य प्रदेश के पहले स्टीरियोफोनिक ट्रांसमीटर में तत्काल नियुक्ति की बाबत कहना चाहता हूं। जबलपुर का आकाशवाणी केन्द्र 1964 से काम कर रहा है। यह वर्तमान में मीडिया पर प्रसारण कर रहा है। वहां एफ.एम. ट्रांसमीटर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। 1996 से बन कर तैयार एफ.एम. ट्रांसमीटर तकनीकी स्टाफ के अभाव में अपने उद्घाटन की बाट जोह रहा है। यह मध्य प्रदेश का पहला स्टीरियोफौनिक ट्रांसमीटर है। अत: सरकार से अनुरोध है कि साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से तैयार एफ.एम. ट्रांसमीटर में आवश्यक तकनीकी स्टाफ तत्काल नियुक्त कर जनता को समर्पित करें।

[अनुवाद]

श्री जॉर्ज ईडन (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, कोचीन एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्र 1989 में शुरू किया गया था। वाणिज्यिक कार्यक्रम 1996 में शुरू किए गए थे। एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं और लाखों लोग इन लोकप्रिय कार्यक्रमों को प्रतिदिन सुन रहे हैं। प्रात: काल के कार्यक्रम सराहनीय है और इलैक्ट्रोनिक मीडिया सहित अन्य किसी मीडिया के अन्य कार्यक्रमों के साथ तुलनीय हैं।

हाल ही में सुबह के लोकप्रिय प्रसारण को बन्द कर दिया गया है। जब मैंने इसके बारे में पुछ-ताछ की तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसा हुआ है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि *यथाशीघ्र एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्र, कोचीन* में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे और सुबह के प्रसारण को पुन: शुरू करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, मैं जो विषय उठा रहा हूं उस पर बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो मैं बाध्य होकर सदन में उठा रहा हूं। कानपुर की आबादी लगभग 40 लाख है। पेय जल समस्या का समाधान करने के लिए 172 करोड़ रुपए की लागत से केन्द्र सरकार ने गंगा पर बांध बनाने की अनुमति दी थी जिस का आधा शेयर उत्तर प्रदेश को और आधा केन्द्र सरकार को देना था। योजना आयोग के द्वारा एक अधिकारिक पत्र इशू किया गया और 6 करोड़ रुपए की प्रथम राशि दी गई। उसके बाद केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया। मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, नगर विकास मंत्री, वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी इस विषय में मिल चुका हूं। योजना आयोग के पत्र के बाद कोई भी नोट बना कर कैबिनेट की स्वीकृति नहीं ली गई है इसलिए एक वर्ष से काम ठप्प पड़ा है। प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए लगा दिया है। वह आगे लगाने के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि जब तक केन्द्र का अंशदान नहीं आएगा तब तक रुपया नहीं देंगे। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि यह विसंगति जो पूर्व सरकारों द्वारा उत्पन्न हुई है, उसे दूर करें और कैबिनेट नोट बना कर केबिनेट की स्वीकृति कराने के बाद तत्काल पिछला और भविष्य का धन इस बांध को बनाने के लिए दें।

[अनुवाद]

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 22 और 23 फरवरी, 1999 की रात को 10 बजे मध्यांतर से 5 बजे पूर्वाह्न के बीच यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइसेंज और गुरू तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली के दलित समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और चिकित्सकों पर इन्हीं संस्थाओं के तथाकथित उच्च जाति के छात्रों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अत्याचार की शर्मनाक घटना को सरकार और सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

डा. के.के. शर्मा, जो कि भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, ने माईक पर घोषणा की कि उच्च जाति के छात्रों अपने कमरों से बाहर आओ और दलित छात्रों को पीटो।

सभापति महोदय, केवल यह ही नहीं, जब दो दलित रेजीडेंट डाक्टर डा. संजय और डा. विजय कुमार घायल दलित छात्रों को देखने के लिए गये तो उन्हें भी पीटा गया। पुलिस ने दस दिनों तक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जांच का तो कहना ही क्या है। घटना की जांच करने के बजाय पुलिस गरीब पीड़ितों पर समझौते के लिए दबाव डाल रही है।

सभापति महोदय, मैं वर्तमान भा.ज.पा. सरकार से मांग करता हूं कि मामले की सी.बी.आई. से जांच कराए और दोषियों को विशेषरूप से डा. के.के. शर्मा, जो कि घटना में शामिल अग्रणी था और डा. बी.बी.एल. अग्रवाल संस्थान के प्रधानाचार्य को अपराधियों को बचाने और आश्रय देने के लिए दंड दें।

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : तिरूवरुर जिला में मेरे चुनाव क्षेत्र के नागोर के लोग दक्षिण रेलवे द्वारा अचानक कम्बन एक्सप्रेस बंद कर दिए जाने के कारण अत्यधिक उत्तेजित हैं। कम्बन एक्सप्रेस (6714) चेन्नई और रामेश्वरम के बीच चलती थी तथा नागौर एक्सप्रेस (6156) चेन्नई और नागौर के बीच चलती थी। कम्बन एक्सप्रेस 20.4.1999 से बंद कर दी गई। इसके बदले में वे कराईकुडी तथा तिरुवरुर के बीच फास्ट पैसेन्जर चला रहे हैं। इस फास्ट पैसेन्जर ट्रेन के छः सवारी डिब्बों को तिरुवरुर में नागोर एक्सप्रेस में जोड़ा जाता है। इसके द्वारा इन दो सेवाओं को मिला दिया गया। तीन जिलों तन्जावुर, तिरुवरुर तथा नागापट्टीनम के लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए सिर्फ यही दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं। इस कदम से मेरे चुनाव क्षेत्र की आम जनता को अत्यधिक असुविधा हो रही है और वे इस मामले पर अत्यधिक उत्तेजित हैं।

मैं रेल मंत्री तथा रेल राज्य मंत्री दोनों से कम्बन एक्सप्रेस पुनः चलाए जाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही अनुरोध कर चुके हैं।

श्री एम. सेल्वारासु : महोदय, रेल मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : वह उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री एम. सेल्वारासु : जनता इस मुद्दे पर उत्तेजित है।

सभापति महोदय : वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। किंतु मैं समझता हूं कि उन्होंने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री एम. सेल्वारासु : मैंने यह मामला जनहित में उठाया है। मंत्री जी यहां बैठे है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने जो कहा है, रेलवे मिनिस्टर ने नोट कर लिया है। उनको जो करना है वह करेंगे। मैं उनको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप रेलवे बजट पर भी बोलेंगे। उस समय भी अपनी बात कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वह रेल मंत्री से मिल सकते हैं।

श्री एम. सेल्वारासु : महोदय मैं, मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : सभापति जी, समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा में पिछले दस वर्षों से नशा मुक्ति अस्पताल एवं नशा मुक्ति केन्द्र चलाया जा रहा है जिसका 90 प्रतिशत अनुदान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत अनुदान राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी तथा बाल कल्याण परिषद् द्वारा वहन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं। इन नशा मुक्ति केन्द्रों में कार्यरत उक्त स्टाफ का लगातार आर्थिक एवं सामाजिक शोषण किया जा रहा है। क्योंकि ये अधिकारी एवं कर्मचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह बराबर का अधिकार है। इनकी कुछ मांगें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं और उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इन्हें कुल समेकित वेतन 2250 रुपये मासिक दिया जा रहा है जबकि इन्हें समेकित वेतन की बजाय उच्च शिक्षा एवं अनुभव को देखते हुए उचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। नशामुक्ति केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को कोई भी सुविधा जैसे महंगाई भत्ता आदि नहीं मिलता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शून्य काल में सभी बातें प्रस्तुत नहीं की जातीं। अपना विषय रख दीजिए। विस्तार से एक-एक बात मत बोलिये।

श्रीमती कैलाशो देवी : यह विषय ही है। सरकार को इसके बारे में बताना पड़ेगा। राज्य स्तर पर एक समान सेवा शर्तें निर्धारित करने का कष्ट किया जाए, केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ उन्हें दिया जाए। इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी पिछले दस वर्षों से अपनी समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य प्रदेश सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों में इन अधिकारियों को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 9 मार्च, 1999 को डी.डी.ए. के द्वारा दो दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह उन बस्तियों में से एक है जिन 1071 बस्तियों को दिल्ली सरकार ने पास करके भारत सरकार को भेजा है और यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। डी.डी.ए. ने वहां उन मकानों को तोड़ दिया।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बताइये, विस्तार में मत बताइये।

श्री लाल बिहारी तिवारी : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सारे लोग वहां बैठे हैं। आज प्रधान मंत्री जी के पास भी हजारों की संख्या में लोग आये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दिल्ली की 1071 कालोनियों में से एक कालोनी हैं। डी.डी.ए. ने बिना किसी पूर्व सूचना के बड़ी बेरहमी के साथ मकानों को तोड़ा है। वहां लोग आज खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि दिसम्बर, 1993 के बाद की किसी बस्ती को नहीं तोड़ा जायेगा फिर यह बस्ती क्यों तोड़ी जा रही है। ऐसा करके केन्द्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वह इस मामले में कुछ दखल दें, जिससे कि इस मामले का समाधान हो सके। दिल्ली की बहुत सारी अथोराइज्ड कालोनियों के मामलों में से यह एक मामला है। यह मामला केवल मेरा ही नहीं, बल्कि दिल्ली के सभी सांसद जो उन क्षेत्रों से आते हैं, सभी से संबंधित हैं। मैं पुनः मांग करना चाहता हूं कि वे इस मामले में मंत्री जी से कहकर जरूर दखल दिलवायें, वहां गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं भिंड संसदीय क्षेत्र से आता हूं जो मध्य प्रदेश के आखिरी हिस्से और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। इस इलाके को जहां 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए वहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की निकम्मी कांग्रेस सरकार 2500-2600 क्यूसेक पानी देती है। जिसके कारण उस पूरे जिले के किसान आज भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर चम्बल की नहरों की सफाई का 28 करोड़ रुपया बकाया है, जो उसने राजस्थान सरकार को देना है। यह पैसा न देने के कारण नहरों की सफाई नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

डा. राम लखन सिंह : यह किसानों का मामला है, आप किसान विरोधी हैं, इसलिए बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामनारायण मीणा : नहरों का उन्नतिकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण और सफाई किया जाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान के किसानों को भी पानी नहीं मिल रहा है, किसान बर्बाद हैं। केन्द्र की भाजपा सरकार नहरों के रख-रखाव के लिए राशि नहीं दे रही हैं *...(व्यवधान)*

डा. राम लखन सिंह : चूंकि यह सरकारें किसान विरोधी हैं। वहां किसानों ने उधार लेकर बीज डाल दिया है और वहां पानी नहीं मिल रहा है। किसान बर्बाद हो गये हैं, भूखो मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो किसान विरोधी सरकारें हैं, इनको कोई आदेश देना चाहिए कि वहां समझौते के अनुरूप 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए जिससे कि किसान भुखमरी से बच सके और उन्हें राहत मिल सके, यही मेरा निवेदन है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.50 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के धर्मशालाबाजार में प्रस्तावित रेल उपरिपुल के शीघ्र निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, गोरखपुर महानगर (उ.प्र.) के धर्मशाला बाजार में अधोगामी रेलवे सेतु है। पहले इस अधोगामी रेलवे सेतु के स्थान पर लैवल क्रासिंग थी। यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण लैवल क्रासिंग के अधिकतर बंद रहने से गोरखपुर से महाराजगांव, पडरोना, नेपाल आदि की ओर जाने तथा वहां से आने वाले यातायात को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण लैवल क्रासिंग के स्थान पर अधोगामी सेतु बना दिया गया। वर्तमान में अधोगामी सेतु विद्यमान है परन्तु इससे केवल हल्के वाहन ही गुजरते हैं और यथेष्ठ ऊंचाई न होने के कारण भारी वाहनों का इसमें प्रवेश निषिद्ध हैं। पिछले 8-10 वर्षों में यातायात में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण गोरखपुर से अधोगामी रेलवे सेतु के नीचे से जाने वाली यातायात भारी भीड़ के कारण अवरूद्ध हो जाता है। गोरखपुर का विकास भी वर्तमान में इसी मार्ग पर होने के कारण तथा मेडिकल कालेज भी इसी मार्ग पर होने के कारण जहां गोरखपुर के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वहां अधोगामी सेतु स्थल पर भारी भीड़ के कारण मरीजों को भी समय से मेडिकल कालेज पहुंचाकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। थोड़ी सी वर्षा होने पर तो इस अधोगामी रेलवे सेतु के नीचे पांच-छः फुट गन्दा पानी भर जाता है जिसके कारण यातायात कई दिनों तक अवरूद्ध हो जाता है।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थान पर रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव आगमन सहित उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। अतः में रेल मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि गोरखपुर में धर्मशाला बाजार में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज में कुल आकलित धनराशि का आधा हिस्सा वहन करके ओवरब्रिज निर्माण यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें।

(दो) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने में लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील (हरन्दोल) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र एरेनडोल, जनपद जलगांव (महाराष्ट्र) औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी बेरोजगारी है और यहां के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे तो यहां पर कृषि पर आधारित लघु उद्योग हैं, जो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा चलाए जा रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन इसमें योजना के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए बैंकों द्वारा अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के द्वारा ऋण दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करने में लोगों को अनेक दिक्कतें आ रही हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस संबंध में बैंकों को निदेशित करें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने में लोगों को कम से कम दिक्कतें आएं, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

(तीन) मध्य प्रदेश के रीवा में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : भारतीय प्राचीन इतिहास, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन एवं समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं, वे उपनिषद, षड् दर्शन, अष्टादश पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण एवं खगोल शास्त्र आदि के ज्ञान संस्कृत भाषा में ही हैं, जो प्राच्य पद्धति की संस्कृत शिक्षा के अध्ययन के बिना असंभव है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश में सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है।

पूर्व में मध्य प्रदेश में समस्त संस्कृत महाविद्यालय एवं विद्यालय डा. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (उ.प्र.) से संबद्ध थे, किन्तु वर्ष 1985 से ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से संबद्ध कर दिए गए। रीवा विश्वविद्यालय को इसके लिए न तो कोई अनुदान मिला और न ही इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था। इससे प्राच्य पद्धति की संस्कृत शिक्षा का शनैः-शनैः

पतन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना नितान्त आवश्यक है।

मध्य प्रदेश में आज संस्कृत शिक्षा की स्थिति यह है कि वर्तमान 8 संस्कृत महाविद्यालयों से शास्त्री और आचार्य की कक्षाएं समाप्त कर उनका स्तर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक करने की योजना प्रदेश सरकार आगामी सत्र से कर रही है। संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत उपाधिधारी प्राचार्यों के स्थान पर गैरसंस्कृत उपाधिधारी प्राचार्य बनाए गए, जिनसे संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं संवर्धन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। संस्कृत शिक्षा से छात्रों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों के कई हजार स्वीकृत पद वर्षों से भरे नहीं गए। इसके कारण संस्कृत भाषा के अध्येताओं की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है। इन सब परिस्थितियों पर गौर करते हुए केन्द्र सरकार से साग्रह अनुरोध है कि मूर्धन्य साहित्यकार बाण भट्ट की जन्मस्थली रीवा क्षेत्र में एक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करने की तुरन्त कार्रवाई करें। रीवा और उसके आसपास कई संस्कृत महाविद्यालय स्थित हैं और रीवा के संस्कृत के विद्वानों के द्वारा भूमि एवं भवन देने की पेशकश की जा चुकी है।

(चार) राजस्थान में रूपाहैली में प्रस्तावित जिंक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल उपाध्याय (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा की आगूचा रामपुरा जिंक माइन्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस माइन्स में जिंक संबंधी कच्चे माल को निकाला जाता है। यह विश्व की उच्च कोटि और अधिक मात्रा में जिंक उपलब्ध करवाती है। यहां पर प्रोसैस प्लांट 155 किलोमीटर से अधिक दूर पर कपासन में लगाए जाने की अनुशंसा की गई है जिससे माल ढुलाई पर प्रतिदिन 7 से 8 लाख रुपए खर्च होंगे और कई समस्याएं भी हैं जो लागत भी बढ़ाएंगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस माइन्स के पास रूपाहैली जिला भीलवाड़ा में उक्त प्लांट स्थापित किया जाए जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च बचेगा, पानी भी उपलब्ध हो सकता है, अच्छी भूमि भी है, रेलवे लाइन भी है और इसी वर्ष ब्राडगेज लाइन डाली जा रही है।

(पांच) राजस्थान में बूंदी और अजमेर को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा पुष्कर जैसे धार्मिक स्थलों की पूरे विश्व में ख्याति है। विभिन्न शहरों जैसे राजस्थान में प्रसिद्ध बूंदी सिरी, कोटा तथा बाटन और गुना, ग्वालियर तथा भोपाल जो कि ऐतिहासिक, प्रतिरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं को आपस में जोड़ने हेतु बूंदी से अजमेर तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराना जनहित में है। इस प्रकार अजमेर और पुष्कर भी जुड़ जाएंगे। भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने से पहले ही बूंदी और अजमेर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया था, किंतु पर्याप्त धन की कमी के कारण इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। उक्त लाइनें अभी भी देखी जा सकती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 1955 में पूरा किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बूंदी तथा नसीराबाद, अजमेर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त उपाय करे। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न आर्थिक संभावना युक्त स्थानों के एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण होगा। यह इन क्षेत्रों के विकास में अत्यधिक सहायक होगा तथा यह राष्ट्रीय हित में भी है। कृषि, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलेगा। बूंदी और नसीराबाद, अजमेर के बीच इस रेल लाइन के बिछ जाने पर संसाधनों से परिपूर्ण ये शहर राजस्थान में विद्यमान रेल लाइनों के माध्यम से ग्वालियर और भोपाल से बरास्ता कोटा-बरान जुड़ जाएंगे। यह नसीराबाद और भोपाल की सैनिक छावनियों को जोड़ने में भी उपयोगी होगा।

(छः) चुआर विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर रानी शिरोमणि के कर्णागढ़ महल को मान्यता देने और इस अवसर पर एक स्मृति डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : महोदय, इस वर्ष चूअर विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह विद्रोह मिदनापुर के काफी बड़े भाग में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ उठा था। दलित चूअर किसानों ने अपने जीवन यापन के लिए जंगल महल की भूमि को कृषि योग्य बनाया। किन्तु ब्रिटिश शासकों द्वारा यह संपूर्ण भूमि जमींदारों के स्वामित्व में कर दी गई और यही विद्रोह का कारण बना। यह विद्रोह काफी लम्बे समय तक चला। कर्णागढ़ की रानी शिरोमणि ने इस विद्रोह की अगुवाई की थी। उन्हें

[श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ]

गिरफ्तार किया गया तथा वह कलकत्ता में लम्बे समय तक जेल में बंद रहीं। यह हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की ऐतिहासिक घटना है। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के सम्मुख इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव रखता हूं:

(क) रानी शिरोमणि के करनागढ़ महल को मानव संसाधन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा हेरिटेज पैलेस का दर्जा देना;

(ख) संचार मंत्रालय द्वारा एक डाक टिकट जारी करना;

(ग) कलकत्ता, मिदनापुर तथा संसद भवन परिसर में रानी शिरोमणि की मूर्ति स्थापित करना;

(घ) छात्रों के पाठ्यक्रम में इस ऐतिहासिक घटना को जोड़ना;

(ङ) करनागढ़ महल का पुरातात्विक सर्वेक्षण;

(च) उक्त ऐतिहासिक विद्रोह के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना;

(छ) मिदनापुर जिला मुख्यालय में एक स्मारक स्थापित करना; और

(ज) इस ऐतिहासिक घटना के संबंध में अनुसंधान करना।

अपराह्न 2.00 बजे

(सात) उत्तर प्रदेश में कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज) : महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के इत्र उद्योग की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज से कई वर्ष पूर्व यहां का इत्र दूर-दूर तक प्रसिद्ध था किन्तु सरकार की कारगर नीति के अभाव के कारण यहां का इत्र उद्योग खत्म होता जा रहा है। यहां के इत्र बनाने वालों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। यहां का बनने वाला इत्र किसी प्रकार से शरीर और दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाता है और यहां का इत्र प्रयोग करने पर शरीर को ताजगी और दिमाग में ठंडक पहुंचती है। अगर सरकार चाहे तो यहां के इत्र उद्योगों को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा भी कमा सकती है क्योंकि विश्व में जड़ी बूटियां और फूलों से बने इस इत्र की काफी मांग को पैदा किया जा सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन बिन्दुओं की जांच करने हेतु इत्र उद्योगों की समस्या को जानकर उनके बढ़ावे हेतु सरकारी प्रयास किये जाएं।

(आठ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में बेचे जा रहे ट्रांसजीन बिनौलों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. मुनूसामी (कृष्णागिरी) : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कपास के बीजों की एक किस्म की बिक्री के कारण उत्पन्न खतरनाक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मानसान्तों नामक एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनी ने सरकार की अनुमति से भारत में 40 केन्द्रों की स्थापना की है। यह कंपनी ट्रान्सजीन जीन्स किस्म की विभिन्न बीजों का विपणन कर रही है। यह कंपनी तमिलनाडु के धर्मपुरी जिला में भी कपास के बीज बेच रही है। चूंकि इस किस्म का बीज भारत में नहीं उगाया जाता है इसलिए धर्मपुरी जिला के किसान इस बीज के किस्म को लेकर डरे हुए हैं।

चूंकि कपास तथा सोयाबीन के टर्मिनेटर बीज का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। किसानों को भय है कि मानसान्तों द्वारा बेचा गया बीज टर्मिनेटर बीज हो सकती है। इस किस्म के बीज को बालगार्ड के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टर्मिनेटर जैसी इन बीजों के प्रयोग का मिट्टी तथा जल संसाधनों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा किसान इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हैं कि वे अगली फसल के लिए बीज सुरक्षित रख सकेंगे या नहीं।

किसानों के मन का यह भय उन्हें कपास की खेती छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा इसी तरह के संगठनों को देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेची गई सभी किस्म की बीजों तथा ट्रान्सजीन बीजों के परीक्षण के लिए निदेश दे। इन बीजों के भारतीय दशाओं में उपयुक्त तथा अहानिकर पाई जाने पर ही इनकी बिक्री की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार किसानों को भयमुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई होगी।

(नौ) लद्दाख क्षेत्र का समग्र विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद हुसैन (लद्दाख) : जैसा कि सभा के समस्त माननीय सदस्यों को विदित है, कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लद्दाख क्षेत्र के विकास और प्रगति एवं क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को पूरी सहायता प्रदान करें।

मैं यह मांग करता हूं कि जो त्रिला की पहाड़ियों के बीच से एक सुरंग बनाई जाएं ताकि कश्मीर घाटी से लद्दाख को जोड़ती हुई सभी मौसम के लिए सड़क तैयार की जा सके। इस प्रकार से लद्दाख के लोगों को एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। इस तरह से लद्दाख सड़क मार्ग द्वारा शेष देश से भी जुड़ जाएगा।

यद्यपि, कारगिल हवाई अड्डा पूरी तरह से तैयार हो चुका है परन्तु अभी उसका उपयोग आरम्भ नहीं किया है। हवाई अड्डे को यात्री उड़ानों हेतु तुरन्त खोले जाने की भी जरूरत है। विशेषकर इस समय अत्यधिक आवश्यकता है कि सीमा पार से कारगिल जिले पर लगातार बमबारी के मामले को उठाये।

लद्दाख में शैक्षणिक संस्थानों और कालेजों के नष्ट होने और उनके बन्द होने के कारण, छात्रों को मजबूरन क्षेत्र से बाहर अध्ययन हेतु श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में जाना पड़ता है। क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण तथा शिक्षा को उनकी पहुंच में रखने के लिए यह जरूरी है कि उनको छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएं। अत: मैं अनुरोध करता हूं, लद्दाख क्षेत्र को उसके पिछड़ेपन के कारण आयकर से मुक्त भी किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष से पहले वर्ष में क्षेत्र आयकर से मुक्त था।

(दस) उड़ीसा के बालासौर और भद्रक जिलों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : ग्रामीण विकास मंत्रालय की 1.4.1994 से प्रभावी जवाहर रोजगार योजना नियमावली के पैरा 63.2 के अनुसार, यह बताया गया है कि दस लाख कुएं संबंधी स्कीम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक कुएं/सिंचाई स्त्रोत लाभार्थियों की जोत भूमि में स्थित होंगे तथा इस संदर्भ में प्रविष्टि ''राजस्व अभिलेखों'' में की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष में स्कीम के अंतर्गत कम से कम उपयोग की गई दो-तिहाई धनराशि निर्धन लघु एवं सीमान्त कृषकों, जो अ.जा./अ.ज.जा. के हो, पर व्यय की जाएगी।

इस तरह से, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत समस्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित 22.5 प्रतिशत धनराशि अ.जा./अ.ज.जा. हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी स्कीम पर अवश्य व्यय की जानी चाहिए।

तथापि, योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के बालासौर एवं भद्रक के अ.जा./अ.ज.जा./लघु और सीमान्त कृषकों को स्कीम के अंतर्गत लाभांश का उनका हिस्सा प्राप्त नहीं हुए है।

यह ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1899 का लोक सभा में उत्तर देते हुए स्वयं ही बताया गया था।

बालासौर जिले में 759 सामुदायिक सिंचाई परियोजना वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, डीकस आदि का निर्माण कराया गया एवं दस लाख कुएं स्कीम के बदले में भद्रक जिले में ऐसी 353 संरचनाएं बनाई गई हैं। जहां तक सी.आई.पी.एस. एवं डब्ल्यू.एच.एस. आदि का संबंध है सरकारी भूमि पर संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जो लाभार्थियों को अभी हस्तांतरित नहीं कराये गये हैं चूंकि नियम सरकारी भूमि पर निर्मित सिंचाई स्त्रोतों के कब्जे के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं देते है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करें।

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य मार्ग से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में पुणे में उप-मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विठ्ठल तुपे (पुणे) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र के पूना शहर में सड़क यातायात व्यस्त होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। शहरवासियों पर यातायात का और उससे उत्पन्न प्रदूषण का दबाव कम करने के लिए शहर के अन्दर से जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग शहर के बाहर से बाइपास से

[श्री विट्ठल तुपे]

जोड़ने की योजना के ईस्टर्न डिवीजन हिस्से का काम काफी दिनों से अधूरा पड़ा है। कामन से निकलकर लोणी कंद तक जाने वाला यह रास्ता शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना जरूरी है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये।

अपराह्न 2.10 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसके लिए आठ घण्टे के समय का नियतन किया गया है। श्रीमती सुषमा स्वराज, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

सभापति महोदय, भारत के संविधान की धारा 87 की उपधारा 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है जब भी नई लोक सभा गठित होगी, उसके प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष संसद के होने वाले प्रथम सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करेंगे। उसी धारा की उपधारा 2 में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के अंदर उठाए गए मुद्दों पर संसद सदस्य चर्चा कर सकेंगे। उसी उपधारा के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस चर्चा की शुरूआत कर रही हूं।

सभापति जी, हालांकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्रीय सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है। लेकिन इसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पढ़ा जाना पूरे समारोह को एक भव्यता प्रदान करता है, एक गरिमा प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि इस तरह के गरिमामय समारोह में कभी-कभी गरिमा को भंग किए जाने की कोशिश की जाती है। मुझे दुख है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति जी के खड़े होने से पहले ही हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात उनके सामने रखनी चाही मैं उस घटना को तूल न देते हुए उस संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम कुछ अवसरों पर राजनीति करना छोड़ दें तो अच्छा होगा। इससे हमारी अपनी प्रतिष्ठा भी बचेगी और संसद की गरिमा भी। इससे राष्ट्रपति जी का सम्मान भी होगा और एक अच्छी संसदीय परम्परा का निर्वाह भी हम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मेरे सांसद साथी मेरी इस सलाह पर जरूर ध्यान देंगे।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वह सरकार की सफलताओं का ब्यौरा देता है और दूसरी तरफ वह सरकार के आगामी कार्यक्रमों का खुलासा करता है। लेकिन क्योंकि इस बार यह अभिभाषण इस सदी का अंतिम अभिभाषण था इसलिए राष्ट्रपति जी ने स्वतंत्रता के बाद की तमाम उपलब्धियों पर गर्व करते हुए हमारे सामने खड़ी भावी चुनौतियों का सामना दृढ़ता और आत्मविश्वास से करने की सलाह हमें दी। यह भी सुखद संयोग था कि गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ इस साल से शुरू हो रही है। इसलिए उन्होंने हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया। मैं विशेषरूप से राष्ट्रपति जी की इन प्रारम्भिक बातों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपनी बात राष्ट्रीय एजेंडा से प्रारम्भ की। राष्ट्रीय एजेंडा वह दस्तावेज है जिसे हमारी सरकार ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर शासन की नीति और कार्यक्रमों के रूप में स्वीकार किया है। मैंने पिछले दिनों इस सदन में हुए लगभग हर विषय की बहस को बहुत ध्यान से सुना है। इस समय मोहन सिंह जी सदन में नहीं हैं। मुझे याद है जब गोवा में राष्ट्रपति शासन पर अपनी चर्चा प्रारम्भ करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोगों को तो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को भूलने में 40 वर्ष लगे, लेकिन भा.ज.पा. वाले तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को एक ही वर्ष में भूल गए। मुझे उस दिन ही यह बात अखरी थी, क्योंकि यह बात सत्य से परे है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं इस सदन को कि यह सरकार केवल भा.ज.पा. की सरकार नहीं है, यह सरकार सहयोगी दलों के साथ चल रहे भा.ज.पा. नेतृत्व की सरकार है।

महोदय, मुझे कतई यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हमारी बहुत सी राजनैतिक प्रतिबद्धताएं हमारे सहयोगी दलों के साथियों को मान्य नहीं हैं। इसलिए उनके साथ बैठ कर एक सर्व-स्वीकृत कार्यक्रम के तौर पर हमने राष्ट्रीय एजेंडा स्वीकार किया है। वे जानते हैं कि यह वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों का तकाजा है जिसे स्वीकार करके हम चल रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय एजेंडा का ताल्लुक है, शायद ही केन्द्र में आज से पहले कोई ऐसी सरकार रही हो जिसने अपने घोषित कार्यक्रमों के इतने ज्यादा बिन्दुओं पर इतनी जल्दी अमल करके दिखाया हो, जितनी जल्दी इस सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडे के बिन्दुओं पर अमल करके दिखाया है। हमारी पहली प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सुरक्षा थी और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण वहीं से शुरू किया। पैरा चार में उन्होंने कहा कि "गतवर्ष पोखरण में 11 तथा 13 मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जिससे भारत एक परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद उठाया है। 11 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। इस दिन प्रत्येक भारतीय ने जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ कर केवल एक भारतवासी के नाते गर्व का अनुभव किया था। इस दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान झंकार उठा था, हर भारतीय सीना तान कर और मस्तक उठा कर चल रहा था।

महोदय, यह सही है कि पोखरण परीक्षण एक दिन में नहीं हुआ था। इसकी तैयारी हमारे आने के बाद शुरू नहीं हुई। यह सच है कि अनुसंधान पहले से चल रहे थे, यह सच है कि परीक्षण क्षमता पुरानी सरकारों के दौरान जुटाई जा चुकी थी लेकिन यह भी सच है कि सभापति जी कि क्षमता के बावजूद परीक्षण करने की अनुमति देने का साहस इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाए थे, केवल एक प्रधानमंत्री अनुमति देने का साहस जुटा पाए, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक तरफ अनुमति देकर अपने आत्मबल का परिचय दिया और दूसरी तरफ परीक्षण की सफलता के बाद दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करके विश्व के सामने अपनी स्टेटसमेंटशिप का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। मुझे खुशी है कि इन दोनों घोषणाओं का जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया। पहली घोषणा यह थी कि भारत किसी गैर परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। यह घोषणा भारतीय संस्कृति के उसी युद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक है जिसके अनुसार कोई शस्त्रधारी योद्धा निहत्थे पर वार नहीं करता। वह या तो उसके हाथ में शस्त्र भी थमाता है या अपना हथियार फेंक कर लड़ता है। दूसरी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने यह की कि परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों के विरुद्ध भी इसके प्रयोग में भारत पहल नहीं करेगा, यानि नो फर्स्ट यूज, नो ओफेंसिव यूज, शायद इससे ज्यादा तर्कसंगत और युक्तिसंगत नीति परमाणु शस्त्रों के संबंध में नहीं हो सकती। निरस्त्रीकरण की बात पहले की सरकार भी नहीं करती थीं। वे वैज्ञानिकों से अनुसंधान करवाती जाती थीं लेकिन जब परीक्षण की बात आती थी तो कहती थीं कि विकल्प खुला हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि उस नीति का क्या औचित्य था कि हमने विकल्प खुला रखा हुआ है। हम दोनों तरफ दुविधा में थे। अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी आलोचना तब भी हुआ करती थी लेकिन अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा का विश्वास हम नहीं दिला पा रहे थे। एक कहावत है– "दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम," वही हालत हमारी हो रही थी। आज यह कह कर कि हम प्रयोग में पहल नहीं करेंगे, हम किसी दुविधा में नहीं हैं। यह कह कर कि हम वार पहले नहीं करेंगे, आज हमारी बात में वजन दिखता है, उसका अर्थ निकलता है। कुरुक्षेत्र की काव्य रचना में राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था "क्षमा शोभा ही उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो।" शक्ति जुटाए बिना शांति की बात करना कायरता लगता है लेकिन शक्ति सम्पन्न होने के बाद वार में, प्रयोग में पहल न करना शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, निष्ठा को दर्शाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि परमाणु परीक्षण का फैसला इस सरकार ने अति-उत्साह में नहीं लिया था, यह फैसला महत्वाकांक्षी होकर भी नहीं लिया था। यह फ़ैसला उतावली में भी नहीं लिया था बल्कि परमाणु परीक्षण का फैसला इस सरकार ने पूरे विवेक से, पूरे धैर्य से, पूरी दूरदर्शिता से लिया था। सभापति जी, क्योंकि राष्ट्रपति जी घटनाओं का सिलसिलेवार उल्लेख कर रहे थे इसलिए उन्होंने प्रारम्भ में पोखरण का जिक्र किया और लगभग अंत में प्रधान मंत्री जी की लाहौर यात्रा का उल्लेख किया। लेकिन मै दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर सदन में रखना चाहूंगी। मेरा यह निश्चित रूप से मानना है कि यदि 11 मई, 1998 नहीं घटता तो 20 फरवरी, 1999 भी नहीं घट सकता था। इन दोनों का आपस में सोधा रिश्ता है। भारत में घटा 11 मई का पोखरण और 28 मई को घटा हुआ पाकिस्तान का चंगाई हिल्स, उसी ने 20 फरवरी, 1999 को संभव कराया था। क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच चल रही तारीखी मुकाबलों की होड़ मिट गयी थी। दोनों मुल्कों के खून में खोलती हुई प्रतिरोध की भावना शांत हो गयी और उसे पैदा किया दोस्ती

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

के जज्बे को। उसने खुली बाहों से न्यौता दिया मित्रता को, उसने बस में चढ़ा दिया अटल बिहारी वाजपेयी को और उसने गले लगा दिया दोनों मुल्कों के प्रधान मंत्रियों को। वह क्षण एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे न हिंदी का भाव-विभोर शब्द अभिव्यक्त कर सकता है न अंग्रेजी का नैस्टेल्जिया। यह वह एक ऐसा क्षण था, जिसके एहसास को शब्दों में बांधना मुश्किल है। क्षण केवल कैमरे में कैद नहीं हुआ था वह क्षण भारत और पाकिस्तान के अलावा विश्व की करोड़ों आंखों ने जो टकटकी लगाए उसे देख रही थी, उसे कैद कर लिया था। उस पल ने पहल की है और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की, उस घटना ने उम्मीद जगाई है वर्षों से लम्बित पड़े विवादों के समाधान की। इस तरह भारत-पाक मैत्री और परमाणु परीक्षण के दो खुबसूरत हाशियों के बीच, दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच पढ़ा गया राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें इस सरकार की बाकी सफलताओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्ज है। उपसभापति जी, जब परमाणु परीक्षण हो गया तो उसके बाद कई बौखलाए देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की। मुझे खुशी है कि परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बिंदु को लिया और बहुत दृढ़ता से उसका सामना करने की बात की। भारत सरकार ने ऐसे समय में अपने प्रवासी भाइयों को याद किया। वित्त मंत्री ने एक योजना बनाई ''रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड''। जिसमें भामाशाह बनकर अनिवासी भारतीय सामने आए और उन्होंने सरकार का हाथ थामा। यह योजना जिसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, तय नहीं किया गया था कि कितनी राशि रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड से आयेगी, लेकिन एक अंदाजा अर्थशास्त्री लगा रहे थे कि यदि दो बिलियन डालर यानी लगभग आठ नौ हजार करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के माध्यम से देश को मिल जाए तो स्थिति में कुछ सुधार आ सकेगा। लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व है कि केवल तीन हफ्ते चली योजना, केवल 14 वर्किंग डेज के लिए खुली हुई यह योजना भारत सरकार को कितनी धनराशि दे गयी। सफलता के आकलन से दोगुना ज्यादा। दो बिलियन डालर सफलता का लक्ष्य था लेकिन 4.2 बिलियन डालर यानी 18 हजार करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के माध्यम से अनिवासी भारतीयों ने भारत सरकार को सौंप दिया।

सभापति जी, मुझे याद आ रहा है पिछले हफ्ते यहीं एक पूरक प्रश्न पूछते हुए देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने एक सवाल पूछा था कि रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड की प्रूडेंस क्या थी? रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के पीछे कौन सा विवेक काम कर रहा था और इसका क्या औचित्य था? मुझे खिन्नता का अनुभव हुआ था और मुझे हैरत भी हुई थी वह प्रश्न सुनकर क्योंकि देश के पूर्व वित्त मंत्री के नाते उन्हें यह चीज मालूम होगी। वह पहले वित्त व्यवस्था यहां की देख चुके थे, वह जानते है आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारत की आर्थिक भुगतान की स्थिति गड़बड़ा सकती थी। वे जानते थे कि क्रैडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें डाउन-ग्रेड किया हुआ था। अगर आज चिदम्बरम जी यहां बैठे हुए होते तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती कि संकट के समय अपनों का आह्वान करना क्या अविवेकपूर्ण निर्णय होता है, क्या इस तरह के निर्णय का तर्क भी हमें समझाना पड़ेगा। क्या उसकी प्रूडेंस हमें बतानी पड़ेगी? क्या उसके औचित्य का खुलासा करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूं कि जिस समय सारे ताकतवर मुल्क हिन्दुस्तान को आंखे दिखा रहे थे, जिस समय हम पर अनावश्यक दबाव बना रहे थे, उस समय भी यह देश अपनी रीढ़ की हड्डी तान कर खड़ा रहे कि केवल यही प्रूडेंट थी रीसरजेंट इंडिया बांड्स को जारी करने की, केवल यही विवेक था उस योजना को शुरू करने का और यही औचित्य था उसके फैसले का। हमने जब-जब स्वदेशी की बात कही तब-तब अनिवासी भारतीय को भारत का अंग मान कर कही। हमने स्वदेशी का खुलासा करते हुए कहा था कि भारत भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा लेकिन उस समय जब गांव में बसने वाले भारतीय की हमने कल्पना की थी उसी तरह अनिवासी भारतीय की भी कल्पना की थी। मुझे खुशी है कि हमारी जिस अपेक्षा पर अनिवासी भारतीय खरे उतरे, उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस मिट्टी से उनका सम्बन्ध जोड़ते हुए हमने दो और बड़ी योजनाएं चलायी हैं - एक पी.आई.ओ. कार्ड की योजना। इसका मतलब है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के नागरिक। हमने तय किया है कि भारतीय मूल के नागरिक अब भारत में वीसा मुक्त प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का खुलासा बहुत जल्दी गृह मंत्री करने जा रहे हैं। अब यहां भारतीय मूल के नागरिकों को वीसा की असुविधा आगे सहनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह की एक योजना का खुलासा इस बार के बजट में किया गया। उसमें कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाया गया 100 फीसदी धन और इनवैस्टमैंट को ऑटोमैटिक एप्रूवल मिलेगी। मैं इन योजनाओं का खुलासा इसलिए कर रही हूं कि इन योजनाओं के चलते आज भारत के हजारों मील दूर रहने वाले उन अनिवासी भारतीयों को भारत की मिट्टी ज्यादा अपनी, ज्यादा करीब और ज्यादा सुगन्धित लग रही है।

सभापति जी, हमें और आपको विदेशों में जाने का मौका मिलता है। हमें लगता है कि वहां बैठे भारतीय एक सपना संजोए बैठे हैं कि वहां से कमाए धन को किसी तरह देश में लगाने का

काम हो। मुझे लगता है कि उनका वह सपना साकार होने का वक्त बहुत नजदीक आ रहा है।

हमारी एक और प्रतिबद्धता थी पारदर्शी और ईमानदार शासन देने की। मुझे आज यह कहते खुशी है कि उस प्रतिबद्धता में पहल करते हुए हमारी सरकार ने लोकपाल विधेयक इस सदन में पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। वर्षों से इस पर चर्चा चल रही थी और वह तरह-तरह की कमेटियों में भटक रहा था, हमने उसको ज्वॉंट कमेटी के माध्यम से लाकर प्रस्तुत किया। केवल प्रस्तुत नहीं किया, वर्षों से देश में एक बहस चल रही थी कि प्रधान मंत्री को उसके घेरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए? यहां प्रधान मंत्री ने स्वयं सदन में खड़े होकर कहा कि इसकी परिधि में प्रधान मंत्री आने चाहिएं क्योंकि वह किसी कानून से ऊपर नहीं है। जो लोकपाल बिल हमने प्रस्तुत किया उसमें प्रधान मंत्री उसके घेरे में लाए गए हैं। केवल यही नहीं सूचना के अधिकार की बात हुई। इस संबंध में हमने एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय किया सूचना के अधिकार को लाने की प्रतिबद्धता सदन के बाहर और सदन के फर्श पर खड़े होकर नहीं कहीं बल्कि राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 44 में उस प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे पता चलता है कि हमारी निष्ठा सूचना का अधिकार देने के प्रति कितनी है? केवल यही नहीं इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने बहुत क्रांतिकारी पहल की। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी की 11 स्लैब को घटा कर 3 पर ला दिया। कस्यम ड्यूटी की 7 स्लैब को घटा कर 5 पर ला दिया। शायद आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस बात की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रणाली को प्रारम्भ करके उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने बजट बनाते समय बड़े व्यावसायिक घरानों की भूमिका को केवल इस बार नहीं बल्कि सदा-सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसी तरह की एक ईमानदार पहल भारत के पर्यावरण मंत्री ने की। आप सब को वह पत्र मिला होगा। मुझे भी वह पत्र मिला जिस में उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई हर योजना को इंटरनैट पर उपलब्ध करा दिया गया है। आजकल पर्यावरण काफी डैलिकेट मसला बना हुआ है। जब कोई योजना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत होती हैं तो बहुत सी भौंहें उठती हैं। उसमें केवल योजनाओं का ब्यौरा और नाम नहीं, किस आधार पर उन योजनाओं को मंजूरी मिली है, उन्होंने इसका पूरा विवरण इंटरनैट में डाल दिया।

सभापति जी, मुझे अपेक्षा यह थी कि विपक्ष के साथी सरकार के इन ईमानदार प्रयासों की सराहना करेंगे लेकिन मुझे दुख हुआ जब हमारी सरकार पर विपक्ष के कुछ साथियों ने भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ने चाहे। जोगी जी यहां नहीं हैं। उस दिन बहुत ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि पांच हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अगर वह आज यहां होते तो मैं उनसे पूछती कि क्या उनका घोटालों का हैंग-ओवर अभी खत्म नहीं हुआ? खत्म कैसे होता? अभी पिछले हफ्ते इसी सदन में फर्जी वोट घोटाला घटा है। उस घाटेले से बाहर वह कैसे आते? मुझे जोगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। मुझे इस बात का दुख हुआ कि इस बात को शिव शंकर जी ने उठाया। शरद जी बैठे हैं। अगर शिवशंकर जी यहां बैठे होते तो मैं उनसे मुखातिब होकर यह बात कहती। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मुझे दुःख इसलिए हुआ कि उन्होंने खुद झूठे आरोपों की पीड़ा भोगी हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जहर को खुद पिया है और उन्होंने खुद इस तरह के आरोपों की महंगी कीमत चुकाई है। मुझे इस बात का दुख है कि जो आरोप राई बराबर सच नहीं हो पाये गए उनके कारण उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिये मुझे लग रहा था कि जो व्यक्ति इस तरह का भुक्तभोगी है, वह दूसरों पर आरोप लगाते समय थोड़ा संयम जरूर बरतेगा लेकिन उन्होंने संयम नहीं बरता। एक लेख के हवाले से उन्होंने हमारी सरकार पर बदनियती और बेईमानी के आरोप मढ़ दिये। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि हम में से कौन-कौन इस तरह के आरोपों का शिकार नहीं हुआ। क्या यह सच नहीं कि यह जानते हुये भी आरोपों में सच्चाई नहीं है, कई बार क्षुद्र स्वार्थों और हल्की झूठी राजनीति के चलते इस तरह के आरोप मढ़ दिये जाते हैं। शरद जी, आपके पीछे बैठते है माधवराव सिंधिया आपके बराबर में बैठते है मोतीलाल वोरा और इधर मेरी तरफ बैठते है तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री यशवंत सिन्हा, श्री मदन लाल खुराना मेरी दाई तरफ बैठे है श्री कल्पनाथ राय उनके बगल में इस ब्लाक में बैठते हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं क्या कल्पनाथ जी के वे दिन उन्हें वापस लाकर दे सकते हैं जो इन्हें बेवजह जेल में गुजारने पड़े। क्या आप कोई मुआवजा तय करेंगे उस पीड़ा का जो हमारे इन साथियों ने भोगी है? आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? पिछले दस सालों में इन बातों ने बहुत तूल पकड़ा है और बेवजह परसीवक्यूशन का सिलसिला चलता रहा है, उससे छोटे राजनीतिक लाभों की प्राप्ति शायद इससे हो सकती है लेकिन देश को भारी कीमत इसके लिये चुकानी पड़ेगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इसमें कमल नाथ जी का नाम भी होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी तो मैंने थोड़े से नाम प्रतीक स्वरूप लिये हैं लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि कौन-कौन इसका शिकार नहीं हुआ। मैं शरद जी से एक बात

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कहना चाहती हूं कि पक्ष और विपक्ष की भूमिका बदलती रहेगी। कभी हम उधर तो कभी आप इधर मगर देश चलता रहे। छोटा राजनैतिक लाभ उठाने के लिये हम एक-दूसरे को भभकती भट्ठी में न झोंके जिसके कारण देश के लोगों की आस्था इन संस्थाओं में जलकर खाक न हो जाये तथा पूरे देश के प्रतिनिधियों को लोग बेईमान न सोंचे। यदि उनका विश्वास उठ गया तो इसकी भारी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ेगी। इसलिये मैं अपने साथियों से गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर मेरी सलाह पर ध्यान देंगे तो इस देश को इस भट्ठी में झोंकने से बचा सकते हैं।

सभापति जी, हमारी सरकार ने इस राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है। मुझे मालूम है कि यह स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक इस देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट बहुत मजबूत नहीं हो जाता। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने पैरा 21 और 28 में केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के लिये दिये गये वायदों को पूरा करने के लिये जो कदम उठाये हैं, उनका जिक्र किया है। मैं ऐसी सभी योजनाओं का जिक्र नहीं करना चाहती लेकिन एक उल्लेखनीय योजना रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना का जिक्र जरूर करूंगी। यह योजना सिल्चर से सौराष्ट्र और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6-लेन वाले सड़क मार्ग से संबंधित है। यह एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की योजना है। शायद आज कुछ लोगों को यह योजना महत्वाकांक्षी और अव्यवहारिक नहीं लग रही होगी लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जिस समय सड़क-ए-आज़म शेरशाह सूरी ने सड़के आजम आदि जी.टी. रोड के निर्माण की कल्पना की थी। तो शायद उनके भी कुछ अमात्यों ने यह सोचा होगा। उनके कुछ लोगों ने भी उसको अव्यावहारिक योजना ही कहा होगा, उसको महत्वाकांक्षी योजना कहा होगा लेकिन आज उस सड़क पर हम सब गर्व करते हैं। आप जानते हैं कि इस देश के औद्योगिक विकास के लिए, खेती के विकास के लिए रोड के इन्फ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है और मैं इस सदन के फर्श पर खड़ी होकर कहना चाहती हूं कि यह योजना न व्यावहारिक है और न महत्वाकांक्षी है। इस सरकार की इच्छाशक्ति का तकाजा है कि वह इस योजना को पूरा करके दिखायेगी और हिन्दुस्तान को एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डेवलप्ड इन्फ्रास्ट्रक्च्र सड़क का बनाकर देगी क्योंकि इस सरकार ने इच्छाशक्ति के बीसियों फैसले पहले ही कर डाले हैं, जो अपने आप में उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कावेरी जल विवाद के समाधान का जिक्र करना चाहूंगा। आप तो जानते हैं कि क्योंकि आप वर्षों से इस सदन में रहे हैं। आपने कावेरी विवाद को यहां पर उठाते हुए देखा होगा। दशकों से चला आ रहा यह विवाद कोर्ट कचहरी के बीच भटकता अदालतों और आयोगों के चक्कर काटता। बीसियों याचिकाओं के बीच फंसा बहता ही चला जा रहा था, धंसता ही चला जा रहा था लेकिन राष्ट्रीय हित का नजरिया रखते हुए बिना स्वार्थ या बिना छोटी राजनीति पर निगाह रखे हुए सबको स्नेह और सम्मान देने की परिवार के मुखिया की जो भूमिका होती है, वह भूमिका निभाते हुए इस सरकार ने कावेरी जल विवाद का समाधान निकाल दिया, उसका हल निकालकर रख दिया।

इसी तरह मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो फैसलों का जिक्र करना चाहूंगी। जैसा मैंने कहा कि आप वर्षों से इस संसद में हैं। आपने देखा होगा कि फिल्म जगत से जुड़े हुए सांसद, चाहे बजट की चर्चा में भाग लेते थे चाहे आई.एन.बी. मिनिस्ट्री की वर्किंग की चर्चा करते थे, हमेशा एक मांग उठाते थे। 40 सालों से निरंतर यह मांग इस सदन और उस सदन में चली आ रही थी कि फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया जाये। आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जो काम पूर्व की सरकारें 40 वर्षों तक नहीं कर पाई, वह इस सरकार ने 40 दिन में कर दिया और पहला बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने उस पर सहमति की मोहर लगा दी। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कृषि के बारे में क्या है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक कृषि की मांग है इस बार का पूरा बजट कृषि पर आधारित आया है। राजेश जी, आपको मुखातिब करते हुए वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा था, मैं भी उन योजनाओं का जिक्र करूंगी लेकिन अभी मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उन दो अहम फैसलों का जिक्र कर रही हूं। 40 साल तक वह सरकारें न कर सकीं, वह इस सरकार ने 40 दिन में किया। इसी तरह एक दूसरा फैसला भारतीय कम्पनियों को अपलिंकिंग देने का था। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे एक अतार्किक नीति इस देश में चल रही थी? भारत की कम्पनियां मास्को, थाईलैंड और सिंगापुर के आगे चक्कर काटती थीं, आर.बी.आई. के सामने हाथ बांधकर खड़ी रहा करती थीं।

अपराह्न 2.38 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

उनके अधिकारी शटलिंग किया करते थे और वह कहते थे कि भारत में अपलिंकिंग की सुविधा मौजूद है तो क्यों नहीं देते? पता

नहीं वह तर्क विहीन नीति इस देश में क्यों चल रही थी? इस सरकार ने एक नीति बनाई और उस नीति के चलते उन तमाम भारतीय कम्पनियों को जो मास्को, थाईलैंड और सिंगापुर से अपलिंकिंग की सुविधा ले रही थी, उनको यह सुविधा तीन महीने के अंदर उपलब्ध करा दी।

राजेश जी, अब जरा इधर तवज्जो दीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कृषि की योजना है। राजेश जी मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं। आपने किसान की बात कही, तो मैं कह रही थी कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, फसल बीमा योजना किसानों से ही संबंधित योजनाएं हैं। चीनी उद्योग के डी-लाइसेंसिंग की योजना और प्रति वर्ष 20 लाख मकानों का निर्माण करने की इतनी बड़ी योजना यह सरकार लेकर आई। हमारे यहां कहते हैं कि अगर गृहिणी ने देखना हो कि चावल उबले हैं या नहीं तो वह पूरा पतीला नहीं देखती केवल एक कण निकालकर ही पता लगा लेती है कि पतीला गला है या नहीं। इसलिए मैं उन योजनाओं का जिक्र कर रही हूं, जो प्रतीक के तौर पर आपके सामने यह बात रख देंगी कि यह सरकार किस तरह की इच्छाशक्ति रखती है। ...*(व्यवधान)*

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : यूरिया के भाव का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप तमाम वर्षों से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। यदि इस बार के अभिभाषण में आपने एक बात औब्जर्व की हो, पिछले कई वर्षों से महामहिम राष्ट्रपति जी कश्मीर की स्थिति पर केवल चिन्ता व्यक्त कर रहे थे लेकिन पहली बार राष्ट्रपति जी ने कश्मीर की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया है और शब्द कहा है, मैं संतुष्ट हूं कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है। यह स्थिति केवल कहने के लिए नहीं सुधर रही बल्कि धरती पर सुधरी हुई दिखाई देती हैं।

किसी भी जगह की शांति और व्यवस्था को जांचने के लिए पर्यटन सबसे बड़ी कसौटी होती है। दसियों वर्षों से जो पर्यटन डूबा पड़ा था, दसियों वर्षों से कभी पर्यटक कश्मीर की तरफ मुंह नहीं करते थे, करें भी कैसे, जान हथेली पर रखकर कोई सैर-सपाटे के लिए नहीं जा सकता, आज उस कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगांव फिर से खिल गए हैं, आज उस कश्मीर के डल लेक के शिकारे फिर से आबाद हो गए हैं, आज उस कश्मीर में होटल्स की ऐडवांस बुकिंग चल रही है। आज से कुछ महीने पहले मैं रेडियो कश्मीर की पचासवीं वर्षगांठ के सिलसिले में श्रीनगर गई थी। मैंने वहां अपनी आंखों से जब सैंकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों को पार्कों में घूमते हुए देखा तो खुशी से मेरी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि यह हमारे लिए केवल शांति का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमारी कश्मीर की शांति की मंजिल वह होगी जिस दिन वहां से निकला हुआ विस्थापित कश्मीरी वापिस अपने घरों को लौट सकेगा और हम वह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहां से निकला हुआ कश्मीरी 20 जनवरी को एक दिन मनाता है, उस दिन का नाम उसने "होलो कास्ट डे" दिया है। यह वह दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन उन्हें देश निकाला मिला था। वे दिल्ली में भी उस समारोह का आयोजन करते हैं। इस 20 जनवरी को मैं उनके इस समारोह में गई थी। वहां मैंने इस सरकार की प्रतिबद्धता उनके सामने रखी थी और कहा था कि आप आज होलो कास्ट डे मना रहे हैं, नौ साल पहले, 20 जनवरी, 1990 को आपको देश निकाला मिला था लेकिन यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि होलो कास्ट डे नहीं, आप "रीयूनियन डे" मनाएं और वापिस कश्मीर में अपनी उस सम्पत्ति पर काबिज हों और शांति से रह सके। वह हमारी मंजिल है लेकिन ये सुखद पड़ाव हमें उस मंजिल तक जरूर ले जाएंगा, इस अभिभाषण से आशा बंधती है।

इसी तरह पूर्वोत्तर की बात है। पूर्वोत्तर में जहां तक शांति स्थापना का सवाल है, मुझे खुशी है कि यहां खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने जब एन.एस.सी.एन. की टॉक्स के संबंध में बात रखी तो वक्तव्य देते हुए कहा था कि एक वर्ष का युद्ध विराम हुआ है यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले कभी दो महीने, कभी तीन महीने के युद्ध विराम हुए। तीन महीने के युद्ध विराम में आप स्थायी शांति की तरफ नहीं बढ़ सकते लेकिन पहली बार वहां के बागी संगठनों ने इस सरकार पर भरोसा व्यक्त किया, जब एक वर्ष का युद्ध विराम किया मैं इस संसद में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि इतने बड़े युद्ध विराम के समय का उपयोग करके सरकार पूर्वोत्तर में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने की तरफ बढ़ेगी और हम इस प्रतिबद्धतता को पूरा करके दिखाएंगे। केवल यही नहीं, जहां तक पूर्वोत्तर के विकास का संबंध है, मुझे खुशी है, वहां के लोग हमेशा उद्योग की मांग करते थे लेकिन इस बार के बजट में दस साल का टैक्स होलीडे पूर्वोत्तर के लिए दिया गया है। दस साल के टैक्स हौलीडे का मतलब है कि पूर्वोत्तर में अपार औद्योगिक विकास होगा इसके साथ ही कितनी बड़ी घटना घटी है, इस बार मणिपुर में इस सरकार ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। लाइव टैलीकास्ट हुआ, पहली बार पूर्वोत्तर का वह व्यक्ति भारत के आम हिस्से के साथ भावात्मक ढंग से जुड़ा और भारत के आम आदमी की एक भावात्मक एकता पूर्वोत्तर के साथ स्थापित हुई। सच तो यह है कि हर व्यक्ति, हर

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

वर्ग, देश और विदेश के लोग इस सरकार में अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, लाखों पर्यटकों ने कश्मीर में होने वाली शांति पर अपने विश्वास की मोहर लगाई। ...*(व्यवधान)* मैं भरोसे की बात कर रही हूं, मैं विश्वास की बात कर रही हूं. मैं कह रही थी कि लाखों पर्यटकों ने कश्मीर में पहुंचकर वहां पैदा हुई शांति पर अपने विश्वास की मोहर लगाई। रिसर्जेंट इंडिया बॉड्स के माध्यम से पैसा देकर अनिवासी भारतीयों ने इस सरकार के साथ सहयोग की मोहर लगाई। मियां नवाज शरीफ ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्वागत करके भारत-पाक मैत्री के ऊपर मित्रता की मोहर लगाई। लेकिन मुझे मालूम है कि इस सरकार का चलना हमारे विपक्ष के साथियों को सूट नहीं करता, इसका बने रहना भी सूट नहीं करता इसलिए ये इस अभिभाषण पर सहमति की मोहर नहीं लगाएंगे। मुझे अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहती हूं। शरद जी, जब आप नेता विपक्ष के नाते इस अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हों तो इस सरकार का मूल्यांकन करते समय कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। जिस समय हमने सत्ता संभाली थी, हमें विरासत में मिली थी एक भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक सुस्त और बोझिल प्रशासनिक व्यवस्था, और तिस पर पूर्ण बहुमत का अभाव। एक अल्पमती सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं, एक गठबंधन सरकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उन सीमाओं और दबावों के चलते हुए इस सरकार ने जो काम किये हैं, कुछ मोर्चों पर तो यह दिशासूचक सरकार के तौर पर याद की जायेगी। हमें भीष्म पितामह का वह वाक्य मालूम है, मुझे याद है, जिस समय शरशैया पर वे लेटे हुए थे और धर्मराज युधिष्ठिर उनसे राज्य संचालन की शिक्षा लेने गये थे तो भीष्म पितामह ने कहा था कि धर्मराज अतीत को कोसकर तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। अगर अतीत अच्छा होता तो तुम्हें शासन सौंपा ही क्यों जाता।

इसीलिए हम इस विरासत की ओट में या इन सीमाओं के चलते किसी तरह की जिम्मेदारी से बरी नहीं होना चाहते। हम इस व्यवस्था के तंत्र को झकझोर रहे हैं, हम यथास्थितिवाद से इस देश को उबारना चाहते हैं। इस देश को हम झकझोर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा में एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं।

बहुत बार मुझे लेकर कुछ बात कह दी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, यह सरकार मेरी सरकार है, यह सरकार मेरी पार्टी की सरकार है, यह सरकार वर्षों के संघर्षों और परिश्रम के बाद बनी है। इस सरकार के बनने में लाखों लोगों की तपस्या और साधना लगी है। यह सरकार चले, अच्छी चले, यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यशस्वी हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, यही कामना करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं यह धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अजित पांजा प्रस्ताव का समर्थन करते है।

श्री राजेश पायलट : इस सत्र में श्री अजीत पांजा का दल संसद से बाहर होगा। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि तृणमूल कांग्रेस तब तक सत्र का बहिष्कार करेगी जब तक दूरसंचार दरों में संशोधन नहीं होता है क्या उन्होंने अपने निर्णय को रद्द कर दिया है?

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, हमेशा की तरह, श्री पायलट को पूरी जानकारी नहीं होती है। दूरसंचार संबंधी मुद्दा आस्थगित हो चुका है तथा इसलिए, हम यहां पर है, अपनी पृष्ठभूमि एवं मुझे जानने के लिए उन्हें समुचित रूप से बताया जाना चाहिए।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु मेरा नाम पुकारने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लोगों द्वारा करतल ध्वनि से महत्वपूर्ण अभिभाषण को स्वीकार किया गया है क्योंकि बहुत ही सुबोध तरीके से हमारे राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया जिसने लोगों के हृदय को छू लिया है। यह अविस्मरणीय भी है हमारे संविधान के अनुच्छेद 87(1) में इसका उल्लेख है। 22 फरवरी को हमारे राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सभाओं को संबोधित किया।

महोदय, यह लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है क्योंकि इससे हमारे लोगों की भावनायें तथा आकांक्षाओं को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने सरकार के ग्यारह माह के शासन का ही उल्लेख नहीं किया है बल्कि जहां तक भारत का संबंध है, उसके भविष्य की भी परिकल्पना की है। भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर, विश्व में भी, सुदृढ़ विदेश नीति,

जिसका कि राष्ट्रपति की भाषण में उल्लेख है के संबंध में यह भाषण स्वीकार किया गया है।

चुनाव परिणाम जिनके द्वारा इस सदन बारहवीं लोक सभा का उदय हुआ ने एक बात काफी स्पष्ट की है कि वह एक क्षेत्रीय भावना एवं आकांक्षा है जिसने समस्त भारत के लोगों को अभिव्यक्ति दी है तथा उन्होंने महसूस किया है कि वे सब भारतीय है तथा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र ने लोक सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे है जिनकी संख्या 545 सदस्य है। इन क्षेत्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं का हम सभी के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय एजेन्डा बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने प्रभावी नेतृत्व किया है।

महोदय, हमारा सात सदस्यों वाला एक छोटा सा दल हैं उस एजेंडे में भाग लेने के लिए हमें भी आमंत्रित किया गया था तथा हमारे माननीय प्रधान मंत्री, जिनसे पास सदस्यों का बहुमत है, छोटे राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से एक या दो सदस्य हैं, यहां तक कि बंगाल से हमारे सात सदस्य है ये लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। ऐसा इसलिए है कि एक जनवरी, 1998 को प. बंगाल तृणमूल कांग्रेस का जन्म हमारी नेता सुश्री ममता बंधोपाध्याय के नेतृत्व में हुआ इसका कारण यह था कि बंगाल का वर्षों से केन्द्र द्वारा समुचित रूप से देखभाल नहीं की गई है यहां तक कि प. बंगाल में वहां की सरकार जिला एवं ब्लाक से ग्राम स्तर तक कोई देखभाल नहीं कर रही है इसलिए निचले स्तर से तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था तथा इसे तृणमूल कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है, तृणमूल से अभिप्राय निम्न स्तर है ये भावनाये तथा आकांक्षाये हैं।

हम इस सरकार के आभारी हैं कि इस सरकार द्वारा हमें समुचित सम्मान दिया गया। बेशक, कभी-कभार हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया और न ही हमसे परामर्श लिया गया हमारा अपना अलग आधार एवं घोषणापत्र है। जब एक दिन दूरभाष मूल्यों में वृद्धि की जा रही थी तब हमने सरकार से कह दिया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम सरकार तथा प्रधानमंत्री के आभारी है कि इस सरकार ने तुरन्त सक्रियता दिखाई तथा आगामी विचार-विमर्श तक इसे रोक दिया गया। जब हम किसी भी मुद्दे पर न्याय करने के लिए कहते है तो बंगाल सरकार से हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता।

जहां तक इस देश का सवाल है, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का सम्मान किये जाने का एक कारण है। भारत माता के सौ करोड़ बच्चे हैं, हरेक की अपनी आकांक्षा है और हरेक की अपनी मातृभाषा है। पहली चीज जो हम सीखते हैं वह हम अपनी माता रूपी निजी शिक्षक से सीखते हैं। इसलिए सभा को सभी क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा, यह एक भारी कठिनाई होगी।

महोदय, महान विभूति माओत्से तुंग ने कहा था - पूरे चीन में हजारो फूल खिल रहे हैं - माकपा इसे भूल गयी है। प्रत्येक का ख्याल रखना चाहिए। सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कोने-कोने का ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक भारत का संबंध है यहां एक प्रमुख भाषा है। हमने भाषाओं को मान्यता दी है अधिकांश लोग अपनी बोली में बात करते हैं। हमारी संस्कृति विविधतापूर्ण है, यह एक मिश्रित संस्कृति है। इसलिए, इन आकांक्षाओं का उचित रूप से ध्यान रखा जाए।

बहुत कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए इस सरकार को बधाई देनी चाहिए। एक, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में सरकार सफल रही है। दो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने में सरकार सफल रही है। तीन, सरकार न केवल पड़ोसी राज्यों परन्तु हमारे पड़ोसी राज्यों से परे अन्य देशों के साथ भी मित्रता और सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयत्न में सफल रही है।

महोदय, हमें भारतीय होना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। अनेक लोगों के बलिदान के बाद हमें आजादी मिली अनेक बलिदान किये गये। इसलिए हमें यह स्वीकार करते हुए हमेशा यह जानना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमें शक्तिशाली होना चाहिए। मंत्री के रूप में सभा और लोगों के आशीर्वाद से मैंने अनेक स्थानों का दौरा किया और मैंने महसूस किया कि जो देश परमाणु शक्ति है, अपने प्रतिनिधियों को दूसरे देश में भेज रहे हैं केवल इसी कारण कि वे परमाणु शक्ति है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है।

किस कारण से? क्या हम भारतीय लोगों की प्रतिष्ठा नहीं है? इसलिए 11 और 13 मई, 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए। इससे हमारा गर्व बढ़ा है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने इसे पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहना शुरू किया

[हिन्दी]

"आजादी झूठा है, भूलो मत, भूलो मत।"

[श्री अजित कुमार पांजा]

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति प्रारंभ की तो कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पाया कि कम्प्यूटर विकास का एक तरीका है तो कम्प्यूटर बेबी के रूप में उसकी आलोचना की गयी। हम जानते है कि अब हमारे कुशल और सहृदय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उन्नति करेगा। पोखरण परीक्षण से हमारा गौरव बढ़ा है। अब हम भारतीय अन्य तथाकथित शक्तिशाली देशों के साथ बातचीत कर अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। इसलिए, न केवल पोखरण परीक्षण से हमारा गौरव बढ़ा है परन्तु यहां पर अनेक उदाहरण हैं जहां विभिन्न परमाणु अनुसंधान किए जायेंगे और हमारा देश प्रगति करेगा। इसकी आलोचना की गयी और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह जानते हुए कि देश में उन्हीं लोगों को गलत और झूठे प्रचार द्वारा बहकाया गया है, तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसलिए उन्होंने दो बातों की घोषणा की। ये हैं 'पहले प्रयोग नहीं' और 'परमाणु हथियार न रखने वाले राष्ट्रों के विरूद्ध इसका प्रयोग न करना।' ये दो बाते हैं जिसकी उन्होंने घोषणा की है। इसके अतिरिक्त यहां पर विरोधी पक्षपात क्यों होना चाहिए। यदि यह सार्वभौमिक क्षेत्र है तो प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए जब दूसरों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो भारत के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है। उन परिस्थितियों के अंतर्गत सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण किया जाना चाहिए जैसी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है।

मैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् विषय पर भी बोलूंगा। जहां तक भारत का संबंध है यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत के विकास को स्वतंत्रता और बिना किसी भय के सर ऊंचा करके जारी रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् इस सरकार की क्षमता और शक्ति का भी प्रदर्शन करती है।

महोदय, भा.ज.पा. सरकार सत्ता में आई। हमारी आलोचना की गयी कि हम समर्थन क्यों कर रहे हैं। यह बताया गया है कि यहां धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं होगी। मेरा 20 साल का वास्तविक राजनीतिक जीवन और संसद में 14 वर्ष का अनुभव है। जहां तक धर्मनिरपेक्षता का संबंध है, हमें भी इस पर शक था। परन्तु पिछले एक वर्ष से पूरे भारत में स्थिति पर नजर डालिये। महोदय, क्या आपने अधिकारियों द्वारा दिखाई गई पिछले दस वर्षों की तुलनात्मक सारणी को नहीं देखा है? यह प्रदर्शित करती है कि पिछले दस वर्षों की तुलना में पिछले एक वर्ष में साम्प्रदायिक घटनाएं और मृत्यु कम हुई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान सभी धर्मों ने अपने त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाया। महोदय, मैडम ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल पार्टी से हम निगरानी कर रहे थे। सभी सात संसद सदस्यों को पूरे भारत में घटित होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखने और इसकी सूचना गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को देने के लिए कहा गया था। हम उनके आभारी है। हमारी फोन काल से हमें तत्काल बुलाया गया और उसी दिन समुचित पुलिस बल भेजकर और इस पर खुफिया रिपोर्ट तैयार करके सुरक्षा दी गयी थी। इसलिए, जहां तक धर्मनिरपेक्षवाद का संबंध है हमारे मन में शंका थी। हमें यकीन है कि यह सरकार सभी धर्मों हिन्दु, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिक्ख को एक साथ लेकर चलेगी जिससे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़, उत्कल और बंग में एकजुटता आयेगी। सरकार शांति को कायम कर रही है और हम इससे खुश है।

जहां तक अन्य घटनाओं का संबंध है, मैं इनका जिक्र करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे कांग्रेसी मित्र इसे पसन्द नहीं करते। इस पार्टी का क्या हुआ? बिहार में दलित मारे गये। कारण कोई भी हो राष्ट्रपति शासन के समर्थन को वापिस ले लिया गया है। परन्तु किसके लिए? यह इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस केन्द्र में सत्ता में आना चाहती है। मैं कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और उसके सदस्यों की मजबूरी को समझता हूं। मैं समझता हूं क्योंकि वे भी बिहार जैसी स्थिति में हैं। पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं। कोई भी इस पर ध्यान हीं दे रहा है। वहां सरकारी बही खाते में वित्तीय अनियमितताएं हैं। बिहार में तकरीबन वही स्थिति है। लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

डा. रामचन्द्र डोम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अजीत कुमार पांजा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अनेक हत्याएं हो रही है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले नियम का उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम : कार्यवाही से ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिएं।

..(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप बैठ जाइये।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, आप व्यवस्था दे रहे हैं और वे भी व्यवस्था दे रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा है मार्क्सवादियों की मजबूरी होगी क्योंकि ऐसी ही स्थिति बिहार में भी है। बिहार में हत्याएं, पश्चिम बंगाल में हत्याएं, वित्तीय भ्रष्टाचार, पी.एल.ए. खाता मामला जो कि उच्च न्यायालय तक गया, ये सभी मामले यहां पर है। यही बात अर्थात् वित्तीय भ्रष्टाचार बिहार में है और यह पश्चिम बंगाल में भी है। उनकी स्थिति भी वैसी ही है। इसलिए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं किया परन्तु कांग्रेस को क्या हुआ है? दलितों की हत्या की जा रही है। वे गांधीजी की बात को भूल गये हैं कि जहां कहीं भी आंसू है इसे पोंछने का प्रयास करें। उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी से सहयोग किया है। उन्होंने इसे राज्य सभा में पेश नहीं होने दिया जिससे कि ये पास हो जाए, इसे वापिस लेना पड़ा। उन्हें इसके लिए खामियाजा भुगतान पड़ेगा।

यह ठीक नहीं है। क्योंकि मैं उस पार्टी में था, मैं जानता हूं कि पार्टी का यह दर्शन कभी नहीं था। मैंने अटल, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को देखा है और मैंने श्री बेअन्त सिंह को देखा है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है। गांधी जी अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहते थे जब कभी दलितों को बचाने के लिए उनसे ऐसा आह्वान किया जाता था। मैंने इंदिरा जी को देखा है जिन्होंने अपना जीवन दे दिया *...(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : गोडसे ने उन्हें गोली से मार दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : यह मत कहिए कि उन्हें किसने गोली मारी। कृपया इस पर चर्चा न करे। इससे रहस्यों की गुत्थी खुल जाएगी। जिन लोगों ने यह कृत्य किया वे किस दल से सम्बद्ध हैं? यदि आप चाहें तो मैं बता सकता हूं।

महोदय, गांधीजी की हत्या हुई, इंदिराजी की हत्या हुई। हमने सुना कि गांधीजी का किसी एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी, हमने सुना कि इंदिरा जी, हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, को दो लोगों ने ए.के.-47 से गोली मारकर हत्या कर दी, राजीव जी का शरीर बम्ब से टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। दो लोगों ने यह कुकृत्य किया। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नहीं ऐसा नहीं है। हमें इन लोगों के इरादे को समझना चाहिए। सर्वप्रथम, वे चरित्र हनन करते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संयमता से मेरी बात सुने। सर्वप्रथम वे चरित्र हनन करते हैं, यदि उसमें उनको सफलता नहीं मिलती तो वे राजनीतिक हत्या करते हैं। जरा हमारे उन महान् नेताओं की श्रेणी पर नजर डालें। उन सभी की मृत्यु हो चुकी है।

मुझे अत्यंत चोट पहुंची है। सदस्य रहने के बावजूद भी मैं सभा में नहीं आ सका। डेढ़ वर्षों तक मुझे तीस हजारी कोर्ट ले जाया जाता रहा। मुझे लिफ्ट का उपयोग इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि मुझ पर हवाला के तहत पांच लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। ऐसी स्थिति में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और देश के लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरी मां मेरे साथ थीं आप नहीं समझ पा रहे हैं। इन चीजों की शुरूवात ऐसी ही होती है और फिर आक्रमण होता है और फिर उनका चरित्र हनन किया जाता है क्योंकि हम भारत के लोगों को अपना चरित्र अधिक प्यारा होता है। फिर वे सोचते है कि हमला किन लोगों पर किया जाए। कार्यकारिणी को अपना निशाना बनाना है देखिये क्या स्थिति है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के लोगों को चोर और डकैत बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में, क्या करना होगा जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों चरित्र हनन के घेरे में हों तो क्या किया जाए।

अब न्यायधीशों की स्थिति पर थोड़ा गौर करें। मैं खुद भी एक वकील हूं। गलियारे में घूमते हुए आपको यह सुनने में आएगा कि फलां-फलां न्यायाधीश चोर है। लोकतंत्र के तीनों अंग संदेह के घेरे में है। यहां तक कि माननीय अध्यक्षपीठ की कुर्सी को भी नहीं छोड़ा गया है। क्या हमने नहीं देखा है कि प्रख्यात श्री अशोक सेन, जिनके विरुद्ध अनेक मिथ्या आरोप लगाये गए थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन मैं इन थपेड़ों के बीच अडिग खड़ा रहकर इनके विरुद्ध लड़ा। श्री अशोक सेन के बारे में क्या कहना है? वह व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाये, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने दस लाख रुपए लिए हैं और उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया था। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है।

[श्री अजित कुमार पांजा]

कृपया आप इसकी सराहना करें और मात्र "भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार" शीर्षक के तहत समाचार ही न लिखें। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृपया एक साथ बैठकर इस पर ध्यान दें। मैं इस सभा में बोल रहा था कि यदि हम इस पर सचेत नहीं रहते तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। हमने उसे वहां बैठे देखा था तथा उसी तीस हजारी में अनेक ऐसे लोगों को एक के बाद एक आते-जाते हुए देखा जिनकी अपनी कोई गलती नहीं थी। जनता ने उन्हें निर्वाचित किया था और चुन कर वापस भेजा है। अब हमें यह पता करना है कि यह षड्यंत्र किसने रचा था। यह पता करना आसान है परन्तु हमें इसमें अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। लोकतंत्र का उचित रूप में पालन किया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र नहीं अलोकतंत्र है। सतत् जागरूकता ही हमारी स्वतंत्रता का परिणाम था और इसलिए मैं इस माननीय सभा से आपके माध्यम से विभिन्न दलों के सभी सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं।

आतंकवाद एक छद्म युद्ध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विगत दिन इस पर एक वक्तव्य दिया था जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं पिछले दिनों गुवाहाटी गया था। वह पूरा शहर एक छावनी प्रतीत होता है। वहां सैन्य बल हरेक जगह मौजूद हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ियों पर लोग परेशान थे। वे कौन लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। यह कहना कि कुछ आतंकवादियों ने समर्पण किया तथा वे अपने विरोधियों को अब मार रहे हैं, कहना पर्याप्त नहीं है। खुफिया व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे भाई-बहनों का ध्यान रखें तथा उन्हें वित्तीय आवश्यकताओं तथा रोजगार भी उपलब्ध कराये जाएं। मिजोरम में कोई विश्वविद्यालय नहीं है 1986 में राजीव गांधी ने मिजोरम में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। कार्यसूची में इस बारे में उल्लेख है। मैं आपके और इस सभा के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह उन्हें उपलब्ध कराया जाए। मेघालय की देखरेख कौन कर रहा है? सिलचर की देखरेख कौन कर रहा है? हम सिलचर से सौराष्ट्र तक 6 लेन वाली राजमार्ग की सड़क बनाने जा रहे हैं। महोदय, यह एक अच्छा कदम है और इसे शीघ्र बनाया जाना चाहिए लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग वहां रह रहे हैं वे आर्थिक रूप से भी सम्पन्न हों। जब तक आर्थिक रूप से वे सम्पन्न नहीं होंगे उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसी कारणवश वे बाहरी तत्वों के गिरफ्त में आ जाते हैं। वे हमारी मातृभूमि को बर्बाद करने के लिए हमारे युवकों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास ये सुन्दर पूर्वोत्तर राज्य है किन्तु वहां प्रत्येक राज्य आज दुख में है। यदि आप इम्फाल में घूमने जाते हैं तो आपको 6 बजे के पहले वापस होना पड़ेगा। यदि आप सिलचर में घुमने जाते हैं तो आपको आठ बजे के पहले घर के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? जब आप दिल्ली में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? देश में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों और छद्म युद्ध जहां कहीं भी हो को शीघ्रता से तथा उचित रूप से निपटा जाए। अन्यथा हथियारों पर यह भारी व्यय जारी रहेगा तथा हमारे मिजोरम के लड़के तथा लड़कियों को अध्ययन के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बन पाएगा।

महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में ठोस कदम उठाये हैं। यह एक निवारक उपाय है तथा यही कारण है कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जम्मू-कश्मीर राज्य को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अन्य राज्यों में ऐसी ही स्थिति कैसे बहाल किया जाए इस संबंध में हम सभा में पूर्ण चर्चा कर सकते हैं। हम मुख्य मुद्दे का पता लगाते हुए उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं जिससे कि हमारी कार्यपालिका को उचित रूप में सहायता प्रदान की जा सके।

अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह आर्थिक विकास से संबंधित है। मैं वित्त मंत्री, जो कि कुछ समय पूर्व यहां मौजूद थे, को बधाई देता हूं। मैं कुछ समय से वित्त मंत्रालय से जुड़ा रहा हूं। यह खुशी की बात है कि उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% का लक्ष्य रखा है। पोखरन विस्फोट के पश्चात् कुछ बड़े देशों के द्वारा विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद हमारे लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए हमारे साथ खड़े रहे। यही कारण है कि नौवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में सरकार ने 6.5% का लक्ष्य रखा था जो कि वास्तव में सराहनीय है।

अत: में भारतीय रुपए के बारे में चर्चा करूंगा। विगत एक वर्ष के दौरान क्या हमने भारतीय रुपए के प्रति किसी असुरक्षा की भावना का अनुभव किया है। अन्य जगहों पर मुद्रा में लचीलेपन के बावजूद भारतीय रुपया स्थिर रहा है। इसने अपने स्वरूप को बनाये रखा है। इसका न तो मूल्य गिरा न ही चांदी के भांति उतार-चढ़ाव महसूस किया गया है? यह इस सरकार की अच्छी उपलब्धि है 6.5 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति के पश्चात् भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ेगा ...*(व्यवधान)* यदि आप विषय से परिचित नहीं हैं तो कृपया न बोलें।

मैं मूल्य प्रणाली की बात कर रहा हूं। वह भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बारे में सोच रहे हैं। यही कठिनाई है। मुझे आशा है कि अगली बार वह इस दल में नहीं होंगे।

अत:, हम लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम भले ही किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हों इस मामले पर हमें एकजूट रहना चाहिए। मैं विपक्ष के नेता को देश के श्रेष्ठतम राजनेता के रूप में सम्मान करता हूं। हमें एक साथ मिल बैठकर वित्त मंत्री की सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें अपने-अपने विचारों से अवगत कराना चाहिए। महोदय, यदि हम राष्ट्र विरोधी तत्वों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रवादी बलों को एकजुट होना पड़ेगा। राष्ट्रवादी ताकतें आगे आयें और हमें बतायें। उन्हें इस सभा का ही लंबा अनुभव प्राप्त नहीं है अपितु केन्द्र में तथा महाराष्ट्र राज्य में मंत्री के रूप में भी अनुभव प्राप्त है। उन्हें, हम लोगों के जैसे ही, आगे आकर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहिए कि क्या करना है। भारतीय रुपए की स्थिरता हम सभी के लिए काफी संतोष की बात है। अत:, सरकार और वित्त मंत्री को इसे उचित रूप में देखना चाहिए।

हमारे बजट में बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दिया गया है किंतु हम इससे संतुष्ट नहीं है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हमारे देश में क्या हुआ इस बारे में मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। महोदय, कलकत्ता नगर निगम के द्वारा 281 ब्लॉक सरकार पदों का विज्ञापन दिया गया था। इस ब्लॉक सरकार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पद पर नियुक्त लड़के-लड़कियों को सुबह-सुबह सड़कों पर जाकर यह देखना है कि सफाई वाले सड़कों की सफाई ठीक से कर रहे हैं अथवा नहीं। इन पदों हेतु आवेदन करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था। अब छह महीने बीत चुके हैं और करीब दस लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। निगम के सुरेन्द्रनाथ चटर्जी मार्ग स्थित कार्यालय के दो कमरों में इन आवेदन पत्रों को रखा गया है। अगले दिन पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता नगर निगम ने यह घोषणा की कि उनके पास न तो धन हैं और न ही उन आवेदन पत्रों के जांच-पड़ताल हेतु कोई संसाधन उपलब्ध है। बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए यह एक दयनीय स्थिति है। मैंने सरकार को पहले ही कहा है कि जहां तक भारत का संबंध है हम सभी को इस बेरोजगारी की समस्या के संबंध में मिल बैठकर बात करनी होगा। मैं कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अस्सी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। विगत दिन योजना आयोग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 78 प्रतिशत आबादी रह रही है। सदस्यों को कृपया इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे सभी गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। हमारे किसान और खेती करने वाले सरकारी क्षेत्र में नहीं हैं। उनका कोई कम्यून नहीं है। कृषि क्षेत्र में ऐसी कोई सोवियत प्रणाली नहीं है। किंतु उन सभी के पास दो बीघा जमीन है तथा इंदिरा गांधी के समय 1967 में हरित क्रांति हुई। मैं जानता हूं कि सी.पी.आई. के सदस्य यह पसंद नहीं करते हैं। वर्ष 1967 में इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाईं। मैं इस सरकार को किसानों के लिए कुछ करने के लिए बधाई देता हूं। जिन किसानों को क्रेडिट कार्ड मिला है उनकी संख्या छ: लाख से बढ़ कर 20 लाख हो गई है। यह अत्यंत ही प्रशंसनीय बात है। हमें उनके लिए कुछ और करना चाहिए ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। हमारे देश के किसान अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उन्हें आप पीने के लिए और खेती के लिए पानी मुहैया कराइये वे भारत माता के लिए वस्तुत: सोना पैदा करेंगे। अत: वाटरशेड प्रबन्धन एक सौ प्राथमिकता प्राप्त जिलों में शुरू किया गया है। यह वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्री यथाशीघ्र इसे क्रियान्वित कराएंगे।

लाल क्रांति उनके देश के लिए बेहतर है चाहे यह 1917 में हो या 1950 में। हमारे देश में 'हरित क्रांति' ने इतिहास रचा हैं तथा इस सरकार ने "श्वेत क्रांति" - दुग्ध के उत्पादन में अत्यधिक विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है।

वर्ष 1998-99 में सर्वाधिक 720 लाख टन दुग्ध का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा था, और यह इस सरकार द्वारा किया गया सबसे उपयुक्त काम था।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : यह उपलब्धि पिछले एक वर्ष की है। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री अजित कुमार पांजा : वर्ष 1998-99 में दुग्ध उत्पादन 720 लाख टन तक पहुंच गया है।

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : क्या आप जानते हैं कि कितने वर्ष की गाय दूध देती है?

श्री अजित कुमार पांजा : आपका अभिप्राय क्या है?

श्री ए.सी. जोस : आप मेरा प्रश्न समझते हैं, किंतु आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री जोस, वह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं आप कृपया बैठ जाएं।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं जानता हूं कि मेरे विद्वान मित्र अभी भी 'गाय और बछड़ा' चिह्न के प्रभाव से उबरे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वह अभी भी इसके प्रभाव में हैं।

भारत ने 720 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया है तथा हमने इस 'श्वेत क्रांति' के युग में 1998-99 में पदार्पण किया है। मुझे अभिलेखों से पता चला कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सरकार ये सभी प्रशंसनीय कार्य कर सकी है।

किसान क्रेडिट के संबंध में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं तथा अपने विचार सभा के सम्मुख रख चुका हूं।

बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए सुषमा जी पहले ही इस सड़क विशेष का उल्लेख कर चुकी हैं। माननीय सदस्य, कृपया यह नहीं सोंचे कि यह सिल्चर को सौराष्ट्र से अथवा जम्मू और कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। हम सभी मुख्य शहरों को जोड़ने वाली ''गोल्डेन क्वाडरैंगल'' के बारे में भी जानते हैं। किंतु इस पर चलने वाली यातायात के बारे में सोचिए। हम अभी यह नहीं समझ पा रहे हैं। यह राष्ट्रीय अखंडता के लिए वरदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी और सिल्चर से सौराष्ट्र तक और सभी शहरों को इससे जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर यातायात भारत की विविधता तथा संस्कृति को अभिव्यक्त करेगा। यह एक मार्ग मात्र नहीं है क्योंकि इस प्रकार की बुनियादी संरचना हमारे सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप देगी इस सरकार ने राष्ट्रीय समेकित परिवहन नीति का प्रस्ताव करके एक महान कार्य किया है और इसके अंतर्गत विमानपत्तन, पत्तन, नदियों को जोड़ने वाले सभी संपर्क मार्ग आएंगे। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में ही सहायक नहीं होगा अपितु यह विभिन्न संस्कृतियों को भी परस्पर जोड़ेगी। यह अनेकता में एकता को और सुदृढ़ करेगी।

मुझे यह नोट करते हुए प्रसन्नता है कि कार्यकारी वर्ग के संबंध में कुछ प्रयास किए गए हैं और कार्यकारी वर्ग के हालात को सुधारने पर विचार किया गया है। मैं देखता हूं कि यह सरकार असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के प्रति मुखातिब है। संगठित श्रम के मामले में देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत हुआ है। किंतु जहां तक असंगठित श्रम का मामला है वे अत्यधिक समस्याग्रस्त हैं। मैं स्वयं एक वकील हूं और इस नाते असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में मुझे बहुत अनुभव हुआ है। वे सर्वत्र फैले हुए हैं तथा उनके लिए कोई उपयुक्त विधान नहीं है। सरकार ने इस क्षेत्र की समस्याओं जैसे सामाजिक सुरक्षा, पेशा से संबंधित स्वास्थ्य सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और रक्षोपाय की ओर ध्यान दिया है। मुझे कोयला खदान क्षेत्र में सात लाख स्थायी कर्मकारों से बातचीत का मौका मिला था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उनकी न सिर्फ मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए अपितु हमें उन्हें अच्छा आवास, पेयजल तथा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना चाहिए।

कार्यकारी वर्ग के लोगों में आवास की सुरक्षा की भावना पैदा की जानी चाहिए। उन्हें रहने के लिए अच्छा आवास होना चाहिए। उनमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि जब वे अपने कार्य स्थल पर हैं तो उनके पत्नी और बच्चे घर में सुरक्षित हैं। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। मैं 30 वर्षों के बाद दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का स्वागत करता हूं। यह हमारे कार्यकारी वर्ग की स्थिति को बेहतर बनाने में काफी सफल होगा।

यदि मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख नहीं करूं तो यह अनुचित होगा। इन वर्गों के लोगों के लिए निधियों का आवंटन तीन गुना बढ़ाया गया है। मैं वित्त मंत्री तथा सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। दो महत्वपूर्ण निगमों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का वित्त आवंटन तीन गुना बढ़ा दिया है। यह उनके जीवन को बेहतर बनाने में काफी उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्यगण यह समझेंगे कि दलितों के संहार में संलिप्त लोगों की सहायता करने से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अपितु इस कार्य में सरकार की सहायता करने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन में सुधार होगा तथा उनमें यह भावना उत्पन्न होगी कि वे उपेक्षित लोग नहीं हैं।

सरकार को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि कतिपय कदाचारों को नियंत्रित किया जाए। आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के नाम पर आरक्षित रिक्तियों को सामान्य श्रेणी में तब्दील करने के लिए फाइलें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रथा को रोका जाना चाहिए यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि इन पदों का विज्ञापन कहां दिया जाता है। मुझे कुछ विभागों जहां मुझे कार्य करने का अवसर मिला था का व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार मेरे समक्ष इस अनुरोध के

साथ एक फाइल प्रस्तुत की गई कि आरक्षित श्रेणी की कतिपय रिक्तियों को सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाए क्योंकि आवश्यक विज्ञापन देने के बावजूद भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। मैंने विज्ञापन मांगा तथा मैंने यह पाया कि त्रिपुरा में एक रिक्त स्थान के लिए महाराष्ट्र के अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था। ऐसा करके, उन्होंने विज्ञापन देने की औपचारिकता भी पूरी कर ली तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अंततः रोजगार से वंचित भी कर दिया। सरकार तथा संबंधित अधिकारियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदत्त अधिकार उन्हें नीति बनाकर दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे माताओं के संबंध में भी कुछ शब्द अवश्य बोलना चाहिए। यदि माताओं की देखभाल समुचित ढंग से नहीं की जाती है, यदि महिलाओं की देखभाल ठीक से नहीं की जाती है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम अपने जीवन की आरंभिक बातों को अपनी माता की गोद में सीखते हैं। हमारी पाताएं हमारी पहली निजी शिक्षिका होती हैं। मैं इस सरकार को माताओं को दी जाने वाली प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने पर बधाई देता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे वृद्ध लोगों के प्रति चिन्ता प्रदर्शित करने तथा उनके लिए प्रतिमाह दस किलो चावल मुफ्त देने हेतु प्रावधान करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। वे बहुत से स्थानों पर जाने में असमर्थ हैं। किंतु यह सरकार हमारे बुजुर्गों के प्रति प्रदर्शित स्नेह तथा ध्यान के लिए बधाई की पात्र है। बर्दवान में मेरे गांव में वृद्धजन मेरे पास दौड़े हुए आए तथा कहा, पांजा साहब, हमारी संतान हमारी देखभाल नहीं कर सकी किंतु इस सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि हमें दस किलो चावल प्रति माह निःशुल्क मिलेगा। हमें प्रसन्नता है। मेरा सुझाव है कि सरकार इसे अवश्य लागू करें।

मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी मामलों को छोड़ इस कार्यक्रम को लागू करें। जहां कहीं भी मंत्री महोदय जाएं वे खंड विकास अधिकारियों से, जो कि भारत में हमारी आर्थिक संरचना के सर्वे सर्वा हैं, पता लगाएं कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध लोगों की संख्या जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया है और क्या उन्हें निःशुल्क दस किलो चावल वितरित किया है। यहां पर लगभग 558 खंड है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद देगा और अल्लाह आपको दुआ देगा।

मुझे याद है जब मैं योजना मंत्रालय में था तो हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने मुझे बुलाया और कहा: "श्री पांजा, क्या आप महिलाओं के लिए एक किलोमीटर के दायरे में एक उचित मूल्य की दुकान खुलवा सकते हैं? श्री पांजा, क्या आप ग्रामीण महिलाओं के लिए दो किलोमीटर के दायरे में पेयजल की व्यवस्था करवा सकते है?"

और इसी विचार को आप मूर्त रूप देने में समर्थ हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। कृपया आगे बढ़े और देखे कि इसे पूर्णतया लागू किया जाएं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अजित कुमार पांजा : कुछ मिनट बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

महोदय, अब मैं शिक्षा के विषय पर आता हूं। यह शताब्दी अब समाप्त हो रही है। इस शताब्दी के आरंभ में स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में जो कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "किसी राष्ट्र की प्रगति उस देश की जनता में शिक्षा और विवेक के प्रसार के अनुपात में होती है - अगर हमें और प्रगति करनी है तो हम जनता में शिक्षा के प्रसार से हम ऐसा कर सकेंगे। जनता को शिक्षित करो और उसका उत्थान करो और केवल इसी प्रकार राष्ट्रीय पुनरुद्धार संभव है।"

अब, यह शताब्दी समाप्त हो रही है। अपने बजट भाषण में यह स्वामी विवेकानन्द के विचारों को शामिल करने के लिए इस सरकार को अवश्य बधाई दी जानी चाहिए। मुझे तब प्रसन्नता हुई जब यह पता लगा कि माननीय वित्त मंत्री ने एक व्यवस्था की है कि आबादी से एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक पाठशाला होगी। यदि वे इसे लागू करते हैं तो यह प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित हकदारी का सिद्धांत, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, के अनुरूप होगा। हकदारी का सिद्धांत शिक्षा का अधिकार है। कृपया इसे जनता तक पहुंचाइये। यदि यह सरकार आबादी से एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक पाठशाला खोलती है तो इससे भारत में क्रांति आएगी और हमें भारत के उचित नियोजन और विकास करने में सहायता मिलेगी।

[श्री अजित कुमार पांजा]

एक कहावत है:

[हिन्दी]

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानम् सर्वत्र पूज्यते।

[अनुवाद]

इसका तात्पर्य यह है कि "राजाओं और मंत्रियों की पूजा उनके देश में ही होती है परन्तु एक विद्वान व्यक्ति की पूजा पूरे विश्व में होती है।"

एक कहावत यह भी है:

[हिन्दी]

उदारचरितानाम् तु, वसुधैव कुटुम्बकम

[अनुवाद]

इसका तत्पर्य यह है कि "एक स्पष्ट और खुले मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए पूरा विश्व उसके परिवार के समान है।"

इसलिए, प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित हकदारी का सिद्धांत, शिक्षा को इस सरकार ने उचित महत्व दिया है, और मुझे विश्वास है कि वे इसे लागू करेंगे और यह काफी लाभकारी रहेगा।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करे।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब यह आपकी अंतिम बात होनी चाहिए।

श्री अजित कुमार पांजा : जी हां, महोदय यह अंतिम बात है।

सभापति महोदय : यह आपकी अंतिम बात होनी चाहिए न कि अंतिम भाग।

...(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, पोखरण परीक्षण के बाद उन्होंने काफी आलोचना की थी मानो हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। परन्तु 11 और 13 मई, 1998 को किए गए परीक्षणों के बाद सात दिनों के अंदर दूसरे देश ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मानो हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्यथा हमारे प्रधान मंत्री सार्वजनिक बस द्वारा दिल्ली से पाकिस्तान नहीं जाते। वे सद्भाव के साथ वहां गये जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा करने में सहायता मिली हैं। उनकी लाहौर यात्रा ने दो देशों और पड़ोसी देशों के बीच विश्वास पैदा हुआ है *...(व्यवधान)* क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह जानने पर कि हमारे प्रधानमंत्री बस द्वारा लाहौर जा रहे हैं तो बंगाल में मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी से संबद्ध कुछ लोग और उनके नेता हीरो साईकिल पर कलकत्ता से ढाका जाने की सोच रहे हैं। उन्हें जाने दे मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूं। उन्होंने अपना अवसर खो दिया है और वे झगड़ रहे हैं।

महोदय, अपेक्षित कार्य को करने में इससे काफी सहायता मिली है। इसलिए मैं सदन को इस सरकार द्वारा 12 महीनों के शासनकाल में किए गए 12 मुख्य कार्यों को बताता हूं।

मैं इस सरकार की निम्नलिखित उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं:-

(एक) इस सरकार ने सिद्ध किया है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यसूची बनाई जा सकती है और देश को चलाया जा सकता है।

(दो) पोखरण के सफल परमाणु परीक्षणों ने भारत को शक्तिशाली बनाया है।

(तीन) आतंकवादियों के छद्म युद्ध को नियंत्रित किया गया है। जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अपराह्न 3.31 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन* हुए]

(चार) शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव द्वारा धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखा गया और इस सरकार ने यह सिद्ध किया

है कि पिछले दस वर्षों की तुलना में पिछले एक वर्ष में सांप्रदायिक हिंसा के कारण सबसे कम खून खराबा हुआ है जितना पूजा, ईद और धार्मिक त्यौहार इस वर्ष मनाए गए और एक भी कोई घटना घटित नहीं हुई है और जहां कहीं भी कोई घटना घटित हुई है, इस सरकार ने इस पर तत्कालू काबू पाया है।

(पांच) कुछ देशों द्वारा लगाए गए प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के बावजूद वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5 प्रतिशत रखा गया है जिससे कि भारतीय रुपया स्थिर हो रहा है।

(छः) सरकार श्वेत क्रांति लायली है जिससे कि 720 लाख टन दुग्ध उत्पादन की आशा है और यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है।

(सात) कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से सिल्चर तक राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए छः राष्ट्रीय एकता हाईवे परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

(आठ) देश में इंटरनेट सेवा के प्रसार को तीव्र करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली नीति को अपनाया गया है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में यह एक प्रभावी कार्यक्रम है।

(नौ) वर्ष में 20 लाख अतिरिक्त आवासों को बनाने में आवास और पर्यावास नीति, 1998 को अपनाया गया है और आवास के लिए आसान ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(दस) श्रमिक वर्ग के चहुंमुखी विकास के लिए 30 वर्षों के बाद दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है।

(ग्यारह) प्रो. अमर्त्य सेन के हकदारी के सिद्धांत को अपना कर प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार हो रहा है अर्थात् आबादी के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक पाठशाला।

(बारह) पड़ोसी देशों विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध और संशोधित विदेश नीति को स्थापित किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

''चरैव वेति'' श्रेष्ठतर वंदे मातरम् जय हिन्द। हमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक विवादों को दरकिनार करके एक साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय : सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों, धन्यवाद प्रस्ताव में जिनके संशोधन परिचालित किए जा चुके हैं, यदि वे अपने संशोधनों को रखना चाहते हैं तो वे पन्द्रह मिनट में संशोधन का क्रम संख्या बताते हुए अपना पर्चा पीठ को भेज दें। सिर्फ उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत माना जाएगा। तत्पश्चात् संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह कृपया टेबुल ऑफिस के अधिकारियों के ध्यान में इसे तत्काल लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी, 1999 को एक साथ समेवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं'।''

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिया गया है, उस पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस समय भारत देश कठिन समय से गुजर रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे कठिन समय में श्री के.आर. नारायणन जैसे व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद की बागडोर सम्भाल रहे हैं, जो पूरे देश का बड़ी अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस मिलिनियम में शायद उनका संसद का आखिरी अभिभाषण हो सकता है। हम नई शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी कल्पना है कि जब नई शताब्दी में हम जाएंगे तो भारत विश्व में एक शक्ति बनकर महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरकर सामने आना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनना चाहिए। जहां प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र जीवनयापन करने का अधिकार हो। इसके साथ ही सभी की धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में मजबूत करने की परिस्थिति पैदा करना जरूरी है।

[श्री शरद पवार]

समय का तकाजा है कि भारत एक शक्ति के रूप में उभरे। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार और सृजन के क्षेत्र में समुचित आधार पाने की आवश्यकता है। औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में हुए विकास को भी इस देश को ग्रहण करना पड़ेगा, भारत को भी एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, जहां शिक्षित समाज हो तब उनके जीवन में एक विश्वास पैदा हो सकता है। मगर इस कल्पना को साकार करने के लिए यह आवश्यक है, जिस सरकार की सांच ऐसी हो जो इस देश को नयी शताब्दी में मजबूती से आगे ले जा सकती हो। हमारा दुर्भाग्य है कि समय के इस मोड़ पर आज केन्द्र सरकार में ऐसी सरकार है जिनका कार्यकाल दैनिक आधार पर है। इनके प्राण, 18 सहयोगी, इनके हाथ में है और वे अपनी-अपनी दिशा में खींचते हैं। कभी-कभी यह पता लगाना कठिन होता है कि इस सरकार की कुंजी दिल्ली में हैं, कलकत्ता में है या मद्रास में है। हमने देखा कि इस सदन में कल ही एक आपत्ति आई थी। टेलीकाम रेगुलेटरी आथोरिटी का निर्माण करने के बाद इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया और हम उस निर्णय के साथ पूरे नहीं थे। खास कर गांवों की टेलीफोन की परिस्थिति को देखने के बाद वहां और मदद की आवश्यकता थी। मगर एक आथोरिटी बनाई गई थी और वह बनने के बाद, उनके निर्णय लेने के बाद इसी सदन में हमने देखा कि ममता जी का रवैया क्या था। पावर टैरिफ की जो आथोरिटी कई स्टेटों में बनाई है इस पर भी कई राज्यों में वहां के लोग जिस तरह कदम उठाते हैं इससे पता लगता है कि जिस निर्णय के अमल के लिए आज देश में आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी इस बारे में बड़ी गंभारता से बोलते हैं, इसको सहयोग देने के लिए इनके साथियों की तैयारी हमें आज दिखाई नहीं देती।

महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बड़ी शांति से सुन रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे थे। देश की संप्रभुता की अक्षुण रखना निश्चय ही हमारी प्राथमिक चिन्ता का विषय है। महामहीम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कहा कि यह सरकार धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। उसी अभिभाषण में गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की घटनाओं के प्रति चिन्ता तथा शोक प्रकट किया गया और कहा गया कि यह घटनाएं समग्र रूप से राष्ट्रीय जनमानस को परिलक्षित नहीं करती बल्कि उन्हें अपवाद के रूप में ही लिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्तियों को यथाशीघ्र पकड़ा जाए। शासन का जो राष्ट्रीय एजेंडा है इसके बिन्दु संख्या 29 की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं। हम एक सुसभ्य, सहृदय एवं न्यायसंगत व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ऐसी व्यवस्था होगी जो जाति, धर्म, वर्ग, रंग, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।

> "हम सर्वपंथ समादर की भारतीय परम्परा के अनुरूप तथा सबके साथ समानता के आधार पर पंथ-निरपेक्ष विचारधारा को सच्चे अर्थों में तथा व्यवहार में लाएंगे। हम अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के प्रति वचनबद्ध हैं तथा इस संबंध में कारगर कदम उठाएंगे।"

मान्यवर, पिछले 12 महीनों में इस सरकार का इस संबंध में कारोबार क्या रहा है, यह बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें कई राज्य सरकारों पर भी जिम्मेदारी है। हम लोगों को आंकड़े और रिपोर्ट्स देखने पर क्या दिखाई देता है। अखबारों में जो वार्ताएं प्रकाशित होती हैं, उन्हें देखने पर क्या दिखाई देता है। एक अजीब परिस्थिति इस देश में पैदा हो रही है। वर्ष 1998 से लेकर आज तक अल्पसंख्यकों, दलितों और ईसाइयों पर सुनियोजित ढंग से हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट बतलाती है कि एक जनवरी 1998 से ईसाइयों पर और उनके गिरजाघरों पर 90 बार हमले हो चुके हैं। जितनी घटनाएं आजादी के बाद से हुई उतनी घटनाओं से भी ज्यादा इन दिनों में हो गयी हैं। मैं उन घटनाओं में से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं। पन्द्रह जनवरी 1998 को लातूर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से कैथोलिक हास्पिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कैंप पर हमला। मार्च 13, 1998 को दादरा और नगर हवेली में तीर्थ यात्रियों पर हमला। तीन अप्रैल, 1998 को बड़ौदा में पोलो खेल मैदान में ईसाई सम्मेलन पर हमला। अप्रैल 1998 को करनूल में विश्व-हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं द्वारा सेंट्रल बैपिस्ट चर्च को ध्वस्त करने की धमकी। अप्रैल 17, 1998 को गुजरात के पालनपुर में जीसस महोत्सव के दौरान प्रार्थना कर रहे लोगों पर हमला। अप्रैल 16, 1998 को गुजरात नरौड़ा में बजरंग दल के 200 कार्यकर्ताओं द्वारा ईसाई धर्मस्थल को ढाया जाना। पांच मई, 1998 को केरल के कोसीपिल्ली के लिटिल-फ्लावर चर्च में पुरुष को अपवित्र किया जाना। मई 11, 1998 को महाराष्ट्र के अम्बेरनाथ में फादर ओक्टोनियो एंथनी नेविस पर शिव सैनिकों द्वारा लोहे की छड़ी से हमला किया जाना। मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में एक जनजातीय गांव में भंडारिया औषधालय में चार ननों के साथ बलात्कार की घटना। हरियाणा के झझर जिले में ननों पर हमले की घटना। कर्नाटक के चिकमंगलूर स्थित सूफी धर्मस्थल की मुक्ति कराये जाने वालों को विश्व-हिन्दू-परिषद् द्वारा धमकी। यह देश की धार्मिक बुनियादों पर सीधा प्रहार है। दक्षिण गुजरात के सूरत तथा डांग जिलों में गिरजाघरों

तथा मिशनरी स्कूलों एवं वाहनों को आग लगाए जाने की घटना। दिसम्बर 25, 1998 की लुधियाना की भी वैसी ही परिस्थिति है। वैसी ही परिस्थिति 30 अक्टूबर, 1998 में गुजरात के ओजारा में सशस्त्र लोगों द्वारा हमले की है। इसी तरह से 23 जनवरी, 1999 को इस प्रकार की सर्वाधिक घृणित घटना का होना कि उड़ीसा में क्योंझर जिले में कथित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अर्ध-रात्रि के समय आस्ट्रेलियन अधिकारी तथा उनके दो नाबालिग पुत्रों को जलाकर मार देने की घटना। यह क्या सभ्यता है? मैं शासन के राष्ट्रीय एजेंडा की बिन्दु संख्या 29 की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि हम यहां एक सुसभ्य, सहृदय एवं न्यायसंगत व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ऐसी व्यवस्था होगी जो जाति, धर्म, वर्ग, रंग, नस्ल एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। हम सर्वपंथ समादर की भारतीय परम्परा के अनुरूप तथा सब के साथ समानता के आधार पर पंथनिरपेक्षता की विचारधारा को सच्चे अर्थों में व्यवहार में लाएंगे। हम अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के प्रति वचनबद्ध हैं और इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाएंगे

इससे पता लगता है कि आज के नेतृत्व का इन घटनाओं के प्रति क्या रवैया है? सबसे अधिक चिन्ता की बात यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने इन घटनाओं को सामान्य घटनाओं के दर्जे में रखा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उन संगठनों को वह अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें कोई अराजक तत्व नहीं हैं। माननीय वित्त मंत्री ने सलाह दी कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्था द्वारा भरे जाने वाले टैक्स रिटर्न की जांच होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री अपने दल के लोगों को शांत करते दिखायी देते हैं। उनका कहना है कि धर्मान्तरण के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि गरीबी के मुद्दे पर बहस हो, आर्थिक घाटों के मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस हो, राजसहायता समाप्त करने के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस हो, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय बहस हो। इन पर बहस की बात समझ में आ सकती है लेकिन प्रधान मंत्री द्वारा धर्मान्तरण पर राष्ट्रीय बहस की बात राष्ट्र को असली मुद्दे से विचलित करने की चाल लगती है। इसमें दंगा करने वाले को क्षमा करने की बू आती है। उन्होंने कहा कि यदि धर्मान्तरण को अनुमति दी जाती है तो पुनर्धर्मान्तरण रोका नहीं जा सकता। एक तरह से उन तत्वों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है।

विश्व हिन्दू परिषद् के महासचिव आचार्य गिरिराज किशोर ने एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि "ईसाई मिशनरी यदि हिन्दुओं का बलपूर्वक धर्मान्तरण कराते हैं तो उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए।" 15 दिन या तीन हफ्ते पहले मुम्बई में बजरंग दल का पूरे दिन का अधिवेशन हुआ था। वहां हिन्दू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव ने मांग की कि भारत में गिरजाघरों की तरफ से यह आश्वासन आना चाहिए कि एक हिन्दू का भी धर्मान्तरण नहीं किया जाएगा, नहीं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्पूर्ण समाज पर रहेगी और उनकी संस्था पर होगी। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के विचार समाज के सामने रखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रणेता श्री एम.एस. गोलवलकर ने जो किताब बंच ऑफ थौट्स लिखी, उससे इन विचारों की पुष्टि मिलती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और कम्युनिस्ट हमारे देश के आंतरिक खतरे हैं। इसलिए ये बातें पुरानी हैं। तब से यह बात सिखायी जाती है। यह विचारधारा स्वीकार करके यह संगठन बना है। यह सरकार आने के बाद ये सब शक्तियां इस तरह से कदम उठाएंगी, मुझे आश्चर्य नहीं लगता। इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुझे गुजरात जाने का मौका मिला था। माइनॉरिटीज के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया। कुछ पत्रों की कटिंग्स भी दीं। वहां की एक लोयोला एजुकेशन ट्रस्ट के जेसुट पादरियों द्वारा चलाया जाने वाला झांखव स्थित शांतिनिकेतन हाई स्कूल कई दिनों से चल रहा है। और इस पर कुछ हमला हो गया। वहां बी.जे.पी. के नेता श्री गणपतभाई वेस्ताभाई ने कहा:

[अनुवाद]

> "राज्य और केन्द्र में हमारी सरकार है। हमें कोई छू भी नहीं सकता।"

[हिन्दी]

उनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत में आज 2 करोड़ ईसाई लोग रहते हैं। उन लोगों में भय और धमकी पहले कभी नहीं थी जो आज है। भारत में ईसाई धर्म आज नहीं आया। यह यहां प्रथम शताब्दी में आया था। दरअसल यह क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक सेंट थामस द्वारा पश्चिमी एशिया से भारत में केरल प्रदेश में लाया गया और यह धर्म यूरोप में काफी बाद में पहुंचा। इस संदर्भ में चेन्नई सेंट थामस चर्च इसका जीता-जागता नमूना है। इस दृष्टिकोण से यह धर्म भारत का एक धर्म है जिसे हम विदेशी नहीं मानते। भारत में दो करोड़ ईसाई हैं जो देश की कुल आबादी का 2.3 प्रतिशत है। यह एक रोचक बात है कि गत कई वर्षों से ईसाईयों की जनसंख्या में कमी आई है। अगर यहां बलपूर्वक धर्मान्तरण कराया जाता तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई होती। जो रिपोर्ट्स मिल

[श्री शरद पवार]

रही हैं, उसके मुताबिक ईसाई समाज की कुल पापुलेशन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिये धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना कहां तक न्यायसंगत है? इसमें सोचने की आवश्यकता है। ईसाई एक शान्तिप्रिय समाज है और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया है। बी.जे.पी. के विभिन्न नेता जिनमें गृह मंत्री श्री आडवाणी जी भी हैं, ने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे समय में यह दुख की बात है कि बी.जे.पी. और संघ परिवार के सदस्य उस समुदाय पर हमले का समर्थन करें जिसका उसकी जनसंख्या के अनुपात में हमारे समाज को उनके सकारात्मक योगदान का प्रतिशत कहीं अधिक है।

सभापति महोदय, यह सिलसिला 6 दिसम्बर, 1992 को शुरू हुआ जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी। इस घटना के बाद उग्रवादी संगठनों का ध्यान ईसाईयों की ओर गया। मालूम नहीं कि किस तरह और कौन सी परिस्थिति में यह सोच आ रही है? विश्व हिन्दू परिषद् को चर्च की गतिविधियों से आपत्ति होती है। विडम्बना यह है कि विश्व हिन्दू परिषद् या उनके बाकी संगठन 'भारत के लोगों पर विश्व स्तरीय संगठन' देश के बाहर हिन्दू धर्म फैलाने का काम करते हैं। वे भारत की इज्जत बढ़ाने के लिये कोई कार्य करते तो स्वागत की बात होती लेकिन वे अमेरिका, ब्रिटेन में हिन्दू धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं। वहां जो हिन्दू लोग ईसाई और मुस्लिम हो गये हैं, उन्हें फिर से वापस हिन्दू धर्म में लाने के लिये कोशिश करते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने घर वापसी की एक मुहीम छेड़ी है। वे इसे घर वापसी की संज्ञा दे रहे हैं परन्तु यह एक अजीब बात है कि यदि किसी संगठन को देश के बाहर जाकर घर वापसी या ऐसे देश में काम करने का अधिकार है और वही संगठन अपने देश में किसी समाज या व्यक्ति के धर्म के बारे में कुछ और सोचें तथा एक तरह से संघर्ष की भावना पैदा करने की कोशिश करें तो विरोधाभास है। धर्मांतरण दिल की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। धार्मिक विश्वास जोर देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता या उसे छलावे से प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद् यह चाहती है कि भारत में धर्मान्तरण पर कानूनी रूप से रोक लगे जबकि संविधान की धारा 25 में इस बात की गारंटी दी गई है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आचार-विचार पर अमल करने और उसको प्रचारित करने का अधिकार दिया गया है। मालूम नहीं, उनके मन में क्या उठा है कि ईसाइयों की आबादी बढ़ जायेगी और हिन्दुओं की कम हो जायेगी एवं देश में कुछ और परिवर्तन होगा। यह एक मन की दुर्बलता दिखने की स्थिति है और मुझे लगता है कि यहां हमें समझदारी से सोचने की आवश्यकता है। जब लोग धर्म बदलते हैं तो समाज का कौन सा वर्ग धर्म बदलने में सबसे आगे है, इसको जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि अधिकांश धर्मान्तरित लोग दलित तथा जनजातियों के वर्ग से आते हैं। उसका कारण इनकी यातना हो सकती है, उनकी आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, उनकी मर्यादाओं की अवहेलना भी हो सकती है। जो मुद्दा बार-बार आता है, वह पुनः धर्म धारण के कारण से संबंधित है जो विश्व हिन्दू परिषद तथा संघ परिवार या अन्य सदस्यों द्वारा दलितों तथा जनजाति के लोगों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। वास्तव में बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक सम्भाषण तथा धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी है लेकिन संविधान सभा इन्हीं प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में पूर्ण विश्वास पैदा करने के लिए उन लोगों ने अलग अनुच्छेद का प्रावधान किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के सदस्य धर्मांतरण तथा धर्म प्रचार जैसी गुत्थी से अनभिज्ञ थे। श्री के.एस. मुंशी संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनकी एक टिप्पणी इस बारे में मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> ''यद्यपि 'प्रचार' शब्द का वहां प्रयोग नहीं हुआ है, मुझे विश्वास है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वाक् स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी धार्मिक समुदायों को अन्य लोगों में अपने धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि धर्मान्तरण में अन्तरात्मा की आवाज की मान्यता स्वीकार की जाती है।''

[हिन्दी]

मुझे दुख होता है कि सरकार इन घटनाओं के लिए जहां एक ओर विभिन्न स्तरों पर भर्त्सना करती है वहीं इस बात की अनदेखी करके उस वातावरण को बढ़ावा देती है जिसमें ऐसी घटनायें होती हैं और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है। सबसे ज्यादा दुख की बात है कि गुजरात सरकार ईसाई समुदाय के लोगों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए इंटेलीजेंस को आदेश देती है और इसमें उनका उद्देश्य यह है कि ईसाई मिशनरीज द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाये गये हैं, किसी सभ्य समाज में यह बात कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। मुझे खुशी है, मैंने अभी पढ़ा कि वह स्टेटमैंट उन्होंने अभी विदड्रा कर लिया है। मुझे दुख यह है कि यह हिन्दूवाद के नाम पर हुआ है। कुछ वर्ष पहले हिन्दूवाद के नाम पर एक मस्जिद तोड़ी गई। कुछ सालों पहले देश के बहुत बड़े महानगर, मुम्बई

शहर में हिन्दूवाद के नाम पर आग लगी थी। पिछले नौ महीने से वहां हिन्दूवाद के नाम पर एक समुदाय विशेष पर सुनियोजित ढंग से हमले हो रहे हैं। संभव यह है कि इसी हिन्दूवाद के नाम पर विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब लोग कौन हैं जो हिन्दूवाद की बात करते हैं। उनको किसने यह अधिकार दिया है? उन्होंने हिन्दू के लिए क्या किया है?

मान्यवर मैं खुद नेहरूवादी परम्परा में प्रशिक्षित हूं। जो यहां व्यवस्था देती है कि धर्म मनुष्य तथा ईश्वर के बीच अत्यंत व्यक्तिगत मामला है जिसे सार्वजनिक होने की कोई दरकार नहीं है। अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने धर्म तथा राजनीति को मिलाये जाने के मुद्दे से सदा परहेज किया लेकिन आज मैं न केवल अपने दल तथा देश बल्कि हिन्दूवाद के हित में मुखर होकर बोलने के लिए मजबूर हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक हिन्दू हूं। मैं जिस राज्य में रहता हूं, वह महाराष्ट्र है। जहां औद्योगिकरण हुआ, सामाजिक विकास हुआ, कृषि तथा तकनीकी विकास में काम हुआ, वह एक अलग राज्य है। ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह समाप्त नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : 1993 में राधाभाई चाल में नौ लोग जलाए गए थे, तब हिन्दुओं के लिए आपके दिल में हमदर्दी क्यों नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले, कृपया बैठ जाइये। वह समाप्त नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : संतों की भूमि कहते हैं। बहुत मंदिर हैं, 12 ज्योर्तिलिंगों में से आठ ज्योतिर्लिंग वहां हैं, अष्ट विनायक वहां हैं, साईं बाबा के भक्त पूरे देश में हैं, उनकी शिरडी वहां है। छत्रपति शिवाजी जैसे युग पुरुष वहां हुए थे जिन्होंने हमेशा संदेश दिया कि किसी धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ धर्म के नाम पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किसी एक धर्म के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, कोई जुल्मी राज हो तो उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया। मगर उनके नाम पर भी आज एक गैर-प्रचार कई जगहों पर होता है, यह बहुत बड़े दुख की बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी हिन्दू धर्म के उन बुनियादी सिद्धान्तों का हमेशा पालन करती है जहां कहा है - सर्वेजना: सुखिनो भवन्ति। स्वामी विवेकानन्द ने 1894 में डेट्रोयट में अपने भाषण में जिस पुरानी हिन्दू प्रार्थना को उद्धृत किया था, हम उसमें विश्वास करते हैं। मैं स्वामी विवेकानन्द के उस भाषण को उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "जिस तरह से विभिन्न पर्वतों से बहने वाली अलग-अलग नदियों का जल समुद्र में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म, विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं किंतु वस्तुत: वे एक ही सर्वशक्तिमान में समाहित हो जाते हैं। भारत में यह बच्चों के प्रतिदिन की प्रार्थना का अंग है। इस तरह की प्रार्थना नित्य किए जाने पर अलग-अलग धर्म होने के कारण झगड़ा होने के विचार भी पैदा नहीं हो सकता।"

[हिन्दी]

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण हम हमेशा करते हैं। राष्ट्रपिता ने उस समय कांग्रेस पार्टी को बौद्धिक विचारधारा की सीमा से खींचकर एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया था जो अन्तत: ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने में सफल हुआ था। वे एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने राम राज्य का सपना देखा था। मैं उनकी बातों को उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "मेरा अभिप्राय हिन्दू राज नहीं है। मेरा राम राज्य, दैविक राज से अभिप्राय-ईश्वर का साम्राज्य या खुदाई सल्तनत है- मेरा हिन्दुवाद सभी धर्मों का आदर करना सिखाता है - इसी में राम राज्य का सार छिपा है।"

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

कांग्रेस पार्टी तथा महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन एक राजनैतिक आंदोलन नहीं था, स्वतंत्रता की बात जरूर थी, ब्रिटिशों के खिलाफ बात जरूर थी, मगर साथ-साथ एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई करने की बात भी गांधी जी ने हमेशा सामने रखी थी। मंदिर, जिसमें समाज के कुछ वर्गों को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, प्रतिबंध लगे थे, उस प्रतिबंध के खिलाफ भी तब महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था, उसे हम भूल नहीं सकते।

सरदार पटेल की बात बहुत होती है। सरदार पटेल एक ऐसे नेतृत्व थे जिन्होंने सोमनाथ के बारे में जो काम किया, आज कई लोग उस बारे में भी गैर-प्रचार करना चाहते हैं। रक्षा से हम मंदिर बना सकते हैं, रक्षा से देश बना सकते हैं, यह बात सरदार पटेल ने देश के सामने, समाज के सामने रखने की कोशिश तब की थी। उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की आवश्यकता है। उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उस मंदिर के निर्माण से राष्ट्र के पुनर्जीवित होने की क्षमता का प्रतीक पूरे देशवासियों के सामने दिखाया। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के एक या दो राज्यों में पिछले शायद एक दशक से ज्यादा समय से शासन कर रही है, वहां उसने हिन्दुओं के लिए क्या किया? महोदय, मैं बता सकता हूं, जहां हमारी हुकूमत थी, मैं अपने खुद के राज्य के बारे में बता सकता हूं जब वहां कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां की कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थल के विकास के लिए हर साल 25 करोड़ रुपये लगाए थे।

वहां की सड़क ठीक तरह से बनायें, वहां लोगों को पानी ठीक तरह से मिले, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक तरह से हो और इस काम के लिए हर साल 25 करोड़ रुपये लगाये। मुंबई शहर में हज में जाने वाले पूरे देश के लोग जो आते हैं, उनके लिए हज हाउस बनाने के लिए भी जमीन और आर्थिक सहायता देने के काम वहां की कांग्रेस सरकार ने तब किया था।

मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आजकल है, वहां वृंदावन की क्या स्थिति है? हर दिन हम पढ़ते हैं, वृंदावन हिन्दुओं का बहुत पवित्र स्थल है। वहां की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये हैं? हर दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि वृंदावन की विधवा महिलाओं की परिस्थिति कितनी खराब है, वे उनकी कहानी छापते हैं, लेकिन कभी हमने यह नहीं देखा कि वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हों।

गंगा नदी को देखिये। राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने गंगा एक्शन प्लान बनाया। पूरे देश के लोग वहां गंगा का दर्शन करने के लिए, वहां स्नान करने के लिए और गंगा का पानी लेने के लिए श्रद्धा से आते हैं। उस नदी का पानी किस परिस्थिति में है, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर उस गंगा को, एक पवित्र नदी को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपये लगाये थे। यह काम राजीव गांधी की सरकार के समय शुरू करने के बाद आज उसकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, हम ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और इसलिए खाली हिन्दुओं के बारे में आस्था, हिन्दू धर्म की बात औह हिन्दुत्व का आग्रह, इससे मैं नहीं समझता हूं कि हिन्दुओं को आप न्याय दे सकते हैं। जहां अपने हाथ में हुकूमत होती है, वहां सबसे ज्यादा समाज के छोटे लोगों की रक्षा करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज गुजरात की क्या स्थिति है, वह हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक दल गुजरात में गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं:

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:

"आयोग को यह देखकर अत्यधिक दुःख है कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा ही ऐसी भावना है तथा गुजरात राज्य के, जिसे राष्ट्रपिता को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित किए जाने की शिकायतें हैं। आयोग चाहता है कि इस गौरवमय ऐतिहासिक तथ्य के मद्देनजर राज्य सरकार अपने विशेष दायित्वों को समझे। आयोग गुजरात में संवैधानिक अधिकारियों और संविधान के रक्षकों से यह आग्रह करते हैं कि वह राज्य में पूर्ण धार्मिक सौहार्द्र स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये और यह सुनिश्चित करें कि राज्य के विभिन्न भागों में रह रहे सभी नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग किया जा सके और मूल दायित्वों का निष्ठा के साथ पालन किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

यह परिस्थिति कहां की है, जहां हिन्दू धर्म के बारे में बड़ा आग्रह रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इससे मुझे नहीं लगता कि जो कुछ राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा, जो उल्लेख किया कि सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने में सफल रही है, उसे स्वीकार करने या इससे सहमत होना मेरे लिए मुश्किल है। *...(व्यवधान)* उनसे कहलवाया है। मेरे लिए इसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। *...(व्यवधान)* उसमें गलत लिख दिया है।

मैंने हिन्दुओं की बात कही वैसी ही बात समाज के छोटे लोगों की भी परिस्थिति है। इस बारे में सरकार की भावना क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सदन में जब बिहार की बात आई, तब दलितों की रक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया गया। यह बात सच है कि दलितों के ऊपर हमले होते हैं तो इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। हर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि समाज के छोटे तबके के लोगों को एक तरह का विश्वास दिलाया जाये, उनकी रक्षा की जाये। मगर यह अधिकार किसको है? जिस सरकार के मन में दलितों के बारे में इतनी आस्था है तो उस सरकार का रवैया दलितों के बारे में जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में क्या है, यह भी देखने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इसी साल का उदाहरण देना चाहता हूं। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर फाउंडेशन नाम की संस्था भारत सरकार ने स्थापित की है। वह कल्याण मंत्रालय के अंडर है। पिछले बजट में इस फाउंडेशन के लिए कुछ राशि आबंटित की गई थी। कुछ योजनाएं बनाई गई और उन पर अमल के लिए कदम उठाने की बात सदन में भी कही गई। मैं दो-चार योजनाओं की स्थिति बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने हेतु 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस योजना का नाम कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय है। भारत सरकार ने 1997-98 में 250 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया था। पुनः जब यह सरकार आई तो 1998-99 में 250 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था। आज तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। यहां तक कि योजना भी नहीं बनाई गई है। अनेक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। किंतु इस सरकार ने एक भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की है। यही कारण है कि एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हम बार-बार करते हैं। संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका दुनिया में नाम है। दिल्ली में, जहां 26 अलीपुर रोड, वह रहते थे, उस जगह को स्मारक बनाने की बात थी कि उस जगह को एक्वायर करके उनका स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए मिनिस्टरी आफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट आफ वुमैन ने 27 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। लेकिन उसने इस संबंध में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि सारा पैसा लैप्स हो गया।

इसी तरह मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अम्बेडकर फेलोशिप तथा अम्बेडकर चेयर योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

इसमें 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन आज तक एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया। कुछ पैसा डाइवर्ट किया गया, लेकिन कहां गया, मुझे मालूम नहीं है। 1998-99 के दौरान विस्थापित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सत्ता में यह सरकार थी, धन का उपयोग नहीं किया गया और धन अन्यत्र प्रयुक्त किया। इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ।

[अनुवाद]

1998-99 के बजट में अत्यंत कम साक्षरता के स्तर वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम हेतु 7 करोड़ रुपया दिया गया था।

[हिन्दी]

1998-99 के बजट में सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन एक नया पैसा भी इस योजना के लिए नहीं दिया, स्कीम भी तैयार नहीं की।

इसी तरह से अंत में यह बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई गई, राशि का प्रावधान किया गया, उस

[श्री शरद पवार]

क्षेत्र में काम करने वाले ए.जी.ओज़. के लिए भी प्रावधान किया गया, लेकिन पिछले 11 महीने में एक भी नियम इस सम्बन्ध में नहीं बनाया गया और किसी को एक भी पैसे की मदद नहीं दी गई। यह सब मिलाकर 350 करोड़ रुपए के करीब बैठता है। और ये बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की, दलितों के हितों की रक्षा करने की, उनकी प्रगति के लिए नई-नई योजनाएं बनाने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 11 महीने में एक नया पैसा भी खर्च नहीं कर सके। इससे दलितों के बारे में आपके मन में क्या आस्था है, इस बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दलित हों, आदिवासी हों, मुस्लिम हों या ईसाई हों, सभी की रक्षा की जिम्मेदारी जब तक दिल से नहीं लेंगे ...*(व्यवधान)*

अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : क्या मैं बीच में बोल सकती हूं? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह समाप्त नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह समाप्त नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती मेनका गांधी : सभापति महोदय, वह जो कह रहे हैं, वह गलत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह समाप्त नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : महोदय, मैं इस सरकार के शासन के राष्ट्रीय एजेंडा से बिन्दु संख्या दो को उद्धृत करना चाहता हूं। हम सुधार प्रक्रिया जारी रखेंगे। "हम इसमें स्वदेशी के भाव पर बल देंगे ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर विकसित हो कि भारतीय ही भारत का निर्माण करेंगे। बेरोजगारी का उन्मूलन और तेजी से बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ऊर्जा तथा बिजली उत्पादन में वृद्धि को प्रमुखता देते हुए सुधारों का पुनः आकलन किया जाएगा।" हमें जी.डी.पी. की दर को बढ़ा कर 7-8 प्रतिशत तक ले जाने का विश्वास राष्ट्रीय एजेंडा में दिया था।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो तीसरा बजट दिया, जब इन्होंने प्रथम बजट पेश किया तो देश के सामने बजट के 8-10 मुद्दे रखे।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:

> "भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को सुदृढ़ करना, कृषि क्षेत्र में गिरावट को रोकना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक वृद्धि को पुनः गति देना, बुनियादी ढांचा के विकास को त्वरित करना, रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाना, सामाजिक क्षेत्र पर बल, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, निर्यात का पुनरुद्धार, वृहत अर्थव्यवस्था की स्थायित्व सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति की दर तथा घरेलू बचतों पर नियंत्रण करना और लोगों की कार्य क्षमता को नौकरशाही बाधाओं तथा नियंत्रण से मुक्त करना।"

[हिन्दी]

पिछले साल की ओवरआल परिस्थिति क्या है, उसे देखने की आवश्यकता है। इसके लगभग एक वर्ष के बाद हमने देखा कि देश के घरेलू उत्पादन की वृद्धि, जी.डी.पी.. में गिरावट आई है। इसमें छः प्रतिशत से कम रहने की आज उम्मीद है। जो आंकड़े दिए हैं, जो छः या सात प्रतिशत की अपेक्षा थी उसमें हम छः प्रतिशत से भी नीचे जा रहे हैं। औद्योगिक विकास की दर अक्तूबर, 1997 में 6.2 प्रतिशत से गिर कर 1998 में 3.6 प्रतिशत पर आ गई है। कृषि के क्षेत्र की परिस्थिति इतनी खराब नहीं है। वर्षा से कुछ नुकसान हुआ मगर इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। सरकार के अपने ही आंकड़ों के अनुसार अगस्त, 1998 के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत का महत्वपूर्ण विकास हुआ लेकिन 1997 में यह आंकड़ा 8.7 था। देश के व्यापार का घाटा 2.6 बिलियन डालर से दुगुना होकर 5.8 बिलियन डालर हो गया और इस कमी की भरपाई करना कठिन है, क्योंकि विदेशी निवेश गत वर्ष की तुलना में घट कर 644 मिलियन डालर पर आ गया। वर्ष 1998-99 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशों के द्वारा देश से धन का बाहर जाना 672 मिलियन डालर से आगे गया है। 1998 की वित्तीय स्थिति में दिया है कि 28.5 प्रतिशत रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में हमारी बढ़ोत्तरी हुई और इस देश की जो इनकम है वह सिर्फ 11.7 प्रतिशत रह गई, यानी वित्तीय स्थिति में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर

को बढ़ोत्तरी 28.5 प्रतिशत है और इनकम 11.5 प्रतिशत है। एक्साइज़ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कार्पोरेट टैक्स, ये सब मिला कर 10,000 करोड़ रुपए का शार्टफाल आज देश में है। भारत के रिजर्व बैंक के अनुमान से राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पादन से 5.6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य को पार कर जाने की उम्मीद है।

यह परिस्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, ट्रेड-गैप बढ़ रहा है और हमारे विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा असर हुआ है, औद्योगिक क्षेत्रों में काफी गिरावट है और बैंकों की परिस्थिति और ज्यादा खराब हुई है क्योंकि बैंक में नान परफार्मिंग असैट बढ़ गये जिसकी कीमत 55 हजार करोड़ से ज्यादा है और इसलिए इसका पूरा असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझ नहीं सकता कि राष्ट्रपति जी ने अपने पैरा 13 में कहा है कि:

[अनुवाद]

> ''अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उपलब्धि ठीक रही है तथा हमारी जी.डी.पी. वृद्धि दर विकासशील देशों में सबसे ऊंचा रहना चाहिए।''

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि ''अंधों में काना राजा'' वाली कहावत यहां हो रही है। क्या स्थिति है आज, सभी क्षेत्रों में गिरावट है। आज जब यह प्रस्ताव सदन में रखा तो अजीत पांजा साहब ने उसका समर्थन किया और उन्होंने प्रधान मंत्री और इस सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 720 लाख टन दूध इस देश में तैयार हुआ। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। सरकार आने के बाद 720 लाख टन दूध इस देश में तैयार हुआ। गाय कब पैदा हुई और उसको दूध देने के लिए कितने दिन लगे, मगर अभिनंदन उन्होंने किया, इस बात को मैं समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि गेहूं के क्षेत्र में बहुत सुधार हो गया। इस देश में जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति हो गयी, जिसकी बात अजीत पांजा साहब ने कही, इसकी एक नीति पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में डा. सी. सुब्रह्मण्यम जब इस देश के कृषि मंत्री थे तब एक नयी दृष्टि इस देश के किसानों को दी जिससे हरित क्रांति इस देश में हो गयी। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वह इस देश के इतिहास का एक भाग है।

किसान कार्डों की बात यहां पर कही गयी। मुझे नहीं पता कि यह किसान कार्ड कहां तक पहुंचा है। मैंने अपने स्टेट में मालूम किया तो मुझे पता नहीं चला। कुछ चंद बैंकों ने इधर-उधर कुछ चंद लोगों को किसान कार्ड दिया होगा किसी फंक्शन में, लेकिन आम किसानों की क्रैडिट की जो जिम्मेदारी है वह पूरी करने का कोई मजबूत कदम उठाया हो, इस तरह का यहां स्टेटमेंट करना, मुझे लगता है कि किसानों पर अत्याचार करना है।

पिछले एक साल में इस सरकार के कृषि राज्य मंत्री के मुंह से तीन बार खुद सुना कि हम नेशनल एग्रीकल्चर पालिसी एनाउंस करने वाले हैं। सदन के बाहर भी उनके भाषण सुने कि यह सरकार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित करने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री यहां खुद मौजूद हैं। उनके पास एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो भी है। मैं चाहता हूं कि वे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में सदन को, देश के किसानों को बताएं जिससे लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। पॉलिसी अच्छी होगी तो हम उसका स्वागत भी करेंगे।

दूसरी बात यहां क्रॉप इंश्योरेंस की की गयी। मैं नहीं समझता कि क्रॉप इंश्योरेंस में क्या सुविधा है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या सुधार हुआ है। कल इस सदन के सामने एक सवाल था और इस सदन के सामने सवाल का जवाब दिया गया कि विभिन्न राज्यों में किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की। यह मैं 1998 के आंकड़े पढ़ रहा हूं। आंध्र प्रदेश की सूचना है कि 315, कर्नाटक की सूचना है कि 60, पंजाब में 418 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। मगर यह क्या परिस्थिति है। पहले यह आंध्र, कर्नाटक और पंजाब तक सीमित था। यह सवाल 2-3 राज्यों में सीमित था लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या करने के लिए कदम उठाता है। उसकी खेती की रक्षा के लिए और खराब होने वाली फसल को बचाने के लिए जिस प्रकार की क्रॉप इंश्योरेंस योजना की आज आवश्यकता है, उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहां प्रधान मंत्री बैठे हैं। वह कृषि मंत्रालय का भी काम देख रहे हैं। इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यहां दो और सवाल खेती के बारे में रखना चाहता हूं। भारत में शक्कर की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इसमें भारत का नम्बर एक है। पूरे देश को चीनी की 150 लाख टन की आवश्यकता है। पिछले साल इसका प्रोडक्शन 194 लाख टन हुआ। 53 लाख टन पिछले साल ज्यादा था। इस साल इसका 150 लाख टन प्रोडक्शन होगा और रिक्वायरमैंट भी 150 लाख टन की है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : हमें भाषान्तरण प्राप्त नहीं हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें न्याय मिलना चाहिए हम विपक्ष के नेता का भाषण सुनना चाहते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : यदि भाषांतरण की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें अंग्रेजी में बोलने दीजिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : लोक सभा के सदस्यों के साथ यही हो रहा है। हमें वह समझना होगा। 50 मिनट से अधिक से यह हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भाषान्तरण की व्यवस्था क्यों नहीं है?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : कृपया भाषान्तरण की व्यवस्था कीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसका अरेंजमैंट होगा।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : हम हिन्दी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। यही कारण है कि हम भाषान्तरण के लिए कह रहे हैं। हम विपक्ष के नेता का भाषण सुनना चाहते हैं। यह खेल का समय नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसका अरेंजमैंट हो रहा है।

श्री शरद पवार : इसका टोटल प्रोडक्शन देश में 150 लाख टन होने के बाद और पिछले साल 53 लाख टन ज्यादा स्टाक होने के बाद आज गन्ना पैदा करने वाला किसान चाहे वह बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, आन्ध्र प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। देश में इतनी चीनी तैयार होने के बाद आपने बाहर से चीनी लाने के लिए दरवाजा खोला है। मैंने देखा कि भारत में शूगर कहां से आई? पाकिस्तान से यहां शक्कर आई। हमारा लक्ष्य 12 लाख 61 हजार 399 लाख टन शूगर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, भाषान्तरण नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अनुवाद न होने की बात बता दी गई है। वह इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : क्या मैं अपना भाषण बंद कर दूं? क्या मुझे भाषान्तरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए *...(व्यवधान)* मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा। अत: हमें सभा को स्थगित करना चाहिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : यह क्या है कि हमारे लिए भाषान्तरण नहीं हो सकता? हम सभा को स्थगित कर देंगे। *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : यह सरकार यहां पर निष्क्रिय है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। वह उसे ठीक कर रहे हैं। अतएव सभा अपराह्न 4.40 म.प. पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 4.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.46 बजे

लोक सभा 4 बजकर 46 मिनट पर पुन: समवेत हुई

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : मैं बता रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर की पैदावार भारत में होती है। हमारा फर्ज

यह है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उनके हितों की रक्षा करें। इस देश में जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, वे चार करोड़ से ज्यादा हैं। इसके अलावा गन्ने को प्रोसैस करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी काफी बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं। इस देश में शक्कर की जरूरत 150 लाख टन की है। हमारे पास पिछले साल का जो स्टॉक पड़ा है, वह 65 लाख टन है। हमारी अपेक्षा है कि इस साल भी हमारे यहां चीनी का उत्पादन 150 लाख टन हो जायेगा। जितनी इस देश को चीनी की जरूरत है, उससे ज्यादा चीनी इस देश के किसानों ने पैदा की है। आज वह चीनी गोदामों में पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में हमारा या सरकार का फर्ज है कि हम उन किसानों के हितों की रक्षा करें। मगर स्वदेशी का नारा देने वाली इस सरकार ने कौन सा कदम उठाया? उसने बाहर से चीनी इम्पोर्ट करने का काम किया। पिछले कुछ महीनों में, इस देश में 21,05,702 टन चीनी आयात करने के लिए एग्रीमैंट हो गया जिसमें से 16 लाख टन चीनी आज इस देश में आ गयी। चीनी लाने के लिए हर देश ने कुछ न कुछ कदम उठाये हैं, कुछ न कुछ नियम बनाये हैं। अगर भारत से हमें थाईलैंड एक्सपोर्ट करना हो तो हमें वहां की सरकार को 104 परसेंट ड्यूटी देनी पड़ती है। मेक्सिको में चीनी भेजनी हो तो 173 परसेंट ड्यूटी हमें वहां भरनी पड़ती है और अगर भारत में किसी ने चीनी लाने की कोशिश की तो उसके लिए सब मिलाकर 36 परसेंट ड्यूटी है। हमारे यहां चीनी लाने के लिए लोगों को 36 परसेंट ड्यूटी भरनी पड़ती है। यदि हमें बाहर के देशों में शक्कर ले जानी हो तो हमें, 104, 173 और 300 परसेंट ड्यूटी देनी पड़ती है। इसलिए यहां के किसानों ने जो गन्ना पैदा किया और उसका प्रोसैस होकर जब वह शक्कर बनी तो वह शक्कर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती है, ऐसी यहां की परिस्थिति है। आपको ताज्जुब होगा कि यहां जो शक्कर आई उसमें सबसे ज्यादा शक्कर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की शक्कर का उत्पादन खर्चा हमसे ज्यादा है मगर पाकिस्तान सरकार ने प्रति किलो छह रुपये की सबसिडी दे दी और वह सबसिडी देने के बाद शक्कर यहां आनी शुरू हुई। जब इस सदन में मामला उठाया गया तब भारत सरकार ने 36 परसेंट तक ड्यूटी बढ़ाई। मगर जिस दिन हमने ड्यूटी बढ़ाई, जिस दिन नोटीफिकेशन निकला, उसी शाम पाकिस्तान सरकार ने सबसिडी में बढ़ोत्तरी करने का काम किया।

इसलिए आज जहां पाकिस्तान, मैक्सिको और ब्राजील से शक्कर आती है वहीं हम हमेशा स्वदेशी की, इस देश में पैदावार करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर, जिसके ऊपर इस देश के सबसे ज्यादा लोगों निर्भर हैं, जिसके ऊपर उनका घर निर्भर रहता है, उस क्षेत्र में जरा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। जब प्याज के भाव ऊपर जाते हैं तब हम उसके निर्यात पर पाबंदी लगाते हैं और 16 रुपये किलो के भाव पर बहार से प्याज लाकर दिल्ली में देने का प्रबंध करने का काम इसी सरकार ने किया। आज इस देश में जितनी प्याज की जरूरत है, उससे 40 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन होने के बाद जब कीमतें नीचे आ गईं, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की कीमत भी किसानों को नहीं मिल रही, तब जाकर बाहर प्याज भेजने के लिए इस सरकार ने सीमित कोटा दिया है और ज्यादा कोटा देने की तैयारी में। इसलिए यहां के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है।

इस साल देश में गेहूं की बहुत पैदावार हुई, अंदाजा है कि 72 मिलियन टन गेहूं हो जाएगा। मुरा सुझाव है कि गेहूं और चावल के एक्सपोर्ट के लिए जल्दी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जब किसान मंडी में माल लाता है यदि तब एक्सपोर्ट करने की इजाजत देंगे तो किसानों को लाभ होगा और यदि किसानों के मंडी में माल बेचने के छः महीने बाद इजाजत देंगे तो सिर्फ ट्रेडर्स को मुनाफा मिलेगा। आज 50 प्रतिशत प्याज बाजार में आ गया, किसानों का प्याज कम कीमत पर व्यापारियों ने खरीद लिया और उसके बाद भारत सरकार एक्सपोर्ट करने की सोच रही है। इससे यह बात साबित होती है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाए व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का काम भारत सरकार करती है। इससे यह बात साफ होती है कि इस सरकार और व्यापारियों की सांठ-गांठ के बारे में जो लोग हमेशा बोलते हैं, यह बात ठीक है। इसलिए आज कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि चीनी पर आयात शुल्क को 36 प्रतिशत बढ़ाया गया है। प्रैस रिपोर्टों में बताया गया है कि यह केवल 20 प्रतिशत है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री, जो यहां पर बैठे हैं, इस स्थिति को स्पष्ट करें। पहले आयात शुल्क 5 प्रतिशत था। वित्त मंत्रालय ने इसे 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। यह बताया जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय 50 प्रतिशत वृद्धि से सहमत नहीं है और इसे 20 प्रतिशत घटाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय ने अस्वीकार किया था।

श्री शरद पवार : श्री देवगौड़ा जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक है और जो कुछ मैंने कहा है वह भी ठीक है।

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

क्योंकि जो प्रस्ताव दिया था, वह कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्सैप्ट नहीं किया। देव गौड्डा जी जो बात कहते हैं, वह बात ठीक है कि 20 प्रतिशत बढ़ाने के बाद और जो दूसरे टैक्स थे, दोनों को मिलाकर कुल 36 प्रतिशत ड्यूटी होती है। यह निर्णय भारत सरकार ने अभी लिया है। पहले जो ड्यूटी थी, अब उससे बढ़ी है, यह बात सच है, इसका कोई न कोई परिणाम शुरू में मार्किट में हुआ था मगर पाकिस्तान ने अपना निर्णय बदला और ज्याद सब्सिडी दे दी, तब परिस्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, क्योंकि पूर्व प्रधान मंत्री ने इस मामले को उठाया है, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री देवगौड़ा जी को इस बात की अवश्य जानकारी होगी कि शुल्कों का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग में किया जाता है न कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। इसलिए, जो सूचना उनको प्राप्त हुई है वह सही नहीं है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न उठाया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने अभी कहा है कि यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : खेती में जो कुल पैदावार होती है, उसमें गेहूं, चावल, प्याज, गन्ना या टमाटर हो, सबकी कीमतें नीचे आ गई हैं, उसका बुरा असर गांवों में रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों के जीवन पर होगा। इसलिए इस बारे में कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं एक और मुद्दे पर जाना चाहता हूं और वह यह है कि यहां श्री अजीत पांजा साहब ने बड़ी प्रशंसा की क्योंकि सरकार ने महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के लिए पैरा 16 में जो कहा है, मैं उसे पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि "हम लोग महिलाओं के लिए संसद में और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाएंगे।" मुझे मालूम है कि पिछले सदन में इस पर बात हुई थी तब के संसदीय कार्य मंत्री श्री खुराना जी, जो आज संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं और उधर बैठे हैं, उन्होंने वायदा किया था कि अगले सत्र के पहले सप्ताह में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव सदन के सामने लाएंगे।

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : आपने धोखा दे दिया और सदन के साथ विश्वासघात किया।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु समर्थन के लिए तैयार है। हम आज भी इसके समर्थन के लिए तैयार हैं *...(व्यवधान)* मैं गैर-जिम्मेदार वक्तव्यों के उत्तर देना उचित नहीं समझता। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। आज भी कांग्रेस पार्टी समर्थन के लिए तैयार है। यदि यह सरकार साहस रखती है तो इस प्रस्ताव को लाए। हम इसका समर्थन करेंगे और इसे पारित करेंगे और हम यह देखेंगे कि यह दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह एक मंत्री बनना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अजीत पांजा जी ने प्रशंसा की है, शायद उनके लिए कुछ जगह सरकार में बनने की संभावना है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शायद वे भूल गए कि महिलाओं के लिए आरक्षण का मामला पहले इस देश में राजीव गांधी जी लाए थे और पंचायतीराज में कांग्रेस की हुकूमत में यह मामला आया था और कई क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने और उन्हें प्रतिष्ठित करने का काम किया था। मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि जब मेरे ऊपर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, तब तीनों सेनाओं ने महिलाओं को सेना में नियुक्त करने का विरोध किया था, किन्तु मैंने नहीं माना और मैंने लड़कियों को सेना में भर्ती करने का काम किया क्योंकि मेरी नीयत साफ थी और मैं चाहता हूं कि महिलाएं आगे बढ़ें। मैं अपनी बात पर अडिग रहा और लड़कियों की भर्ती की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु सेना एक बड़े और जिम्मेदार अधिकारी ने यह बात कही है कि जबसे एयरफोर्स में लड़कियां पायलट बनी हैं तब से एक्सीडेंट्स रेट नीचे आ गया है क्योंकि उनका ध्यान उधर ज्यादा हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस काम को करने की जिम्मेदारी हमारी है। जो संकेत भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने दिया था उसके अनुसार सदन के इस सत्र के प्रथम सप्ताह में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं लाया गया जबकि हमारी अपेक्षा इस सरकार से यह थी कि वह ऐसा प्रस्ताव लाएगी।

सभापति महोदय, जो कुछ बातें राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कही हैं, उनमें से बहुत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन अभिभाषण में कही गईं बातों के अनुसार बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया प्रतीत होता है। अभिभाषण के पैराग्राफ 23 में कहा गया है:-

[अनुवाद]

> "सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भारत के लिए विकास का एक मात्र सबसे बड़ा अवसर है। भावी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज की पूर्ण इमारत उसकी नींव पर निर्भर करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करने में भारत की नैसर्गिक श्रेष्ठता आज सर्वविदित है। यह पहचान भारत एवं विदेश में कार्यरत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों तथा उद्यमियों द्वारा प्राप्त शानदार सफलता पर आधारित है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इस बारे में क्या कहा है, ठीक हैं, राष्ट्रपति जी ने तो कहा, मगर इस संबंध में बजट में जो किया गया है, उससे कोई असर राष्ट्रपति जी के द्वारा कही गई बात का कोई असर दिखाई नहीं देता है।

सभापति महोदय, इन्फर्मेशन टैक्नौलाजी और हार्ड तथा साफ्टवेयर के संबंध में एक समिति गठित की गई जिसने कुछ रिकमेंडेशन कीं। उन रिकमेंडेशन के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से भी कहा गया कि बजट में ध्यान रखा जाए, लेकिन मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में इन रिकमेंडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि इसके इस प्रकार के कार्यों से प्रधान मंत्री कार्यालय की विश्वसनीयता भी घटती है। इसमें कुछ सवाल सरकार के सामने रखे हैं और इसमें जो मांग की थी:

अपराह्न 5.00 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

> "पी.सी. पेनिट्रेशन में सुधार हेतु सहायता के लिए उत्पाद शुल्क कम करने के बजाय तैयार उत्पादों के लिए वास्तव में उत्पाद शुल्क को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया है।
>
> आई.सी. और भंडारण उपकरण जैसे आयातित संघटकों पर शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना मात्र आंखों में धूल झोंकने वाला है क्योंकि अधिकांश उत्पादों पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लग रहा है।"

[हिन्दी]

इसमें तीन-चार और मुद्दे हैं, मगर इन मुद्दों के बारे में कोई कदम नहीं उठाये, इसलिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनकी जितनी मदद हम कर सकते हैं, उतनी मदद देने की आवश्यकता है।

कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनके बारे में बार-बार इस देश में डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, वह बायोटैक्नोलोजी के बारे में और भारत का इस क्षेत्र में एक अलग स्थान है। भारत दुनिया में अपना प्रभुत्व पैदा कर सकता है, इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और बॉयोटैक्नोलोजी के बारे में कोई स्थान नहीं दिया। इस पर कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने जब फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनी, तब उन्होंने इस बारे में कुछ कहा था। उन्होंने राष्ट्रीय जैव संसाधन बोर्ड की यहां घोषणा की थी। इस बारे में मुझे 1-2 सूचना देनी है कि वह साइंस एंड टैक्नोलोजी मिनिस्ट्री के अंदर रखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इसमें फिर सोचने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा काम शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में हो सकता है। इसके साथ-साथ कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में यहां मांगें हुई हैं। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं,

[अनुवाद]

> "भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीति कार्यान्वयन और अच्छी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री के अधीन गतिशील जैव-प्रौद्योगिकी मिशन का सृजन करना। यह मिशन प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रौद्योगिकी को खेत में अंतरित करने और कुशल जनशक्ति के बड़े संवर्ग का गठन करने के लिए ग्रामीण युवाओं को आधारभूत जैव-प्रौद्योगिकी की पद्धतियों जैसे टिशु कल्चर, बडिंग, ग्राफ्टिंग, सीड मल्टीप्लिकेशन आदि का प्रशिक्षण देना जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया जा सके। इससे ग्रामीण स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों का भी सृजन होगा।"

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

यह सुझाव सरकार को दिया है। मैं जो बॉयोटैक्नोलोजी मिशन की बात की, जो डायरैक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर रखना चाहिए, इसके नीचे और भी कुछ मिशन तैयार करने की आवश्यकता है। वह मिशन हैल्थ के बारे में हो सकता है, एनवायर्नमैंट के बारे में हो सकता है, इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है। क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बॉयोटैक्नोलोजी एक बहुत बड़ी क्रान्ति कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है और इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पूरे अभिभाषण में इस बारे में कुछ कहा नहीं है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

फॉरेन पालिसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे साथी इस इश्यू पर बोलना चाहते हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात यहां कहने की आवश्यकता है कि इस सदन में और सदन के बाहर प्रधान मंत्री जी की लाहौर यात्रा बहुत चर्चित हुई। इस बारे में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर बन जायेगी। मेरी पार्टी पाकिस्तान या सभी पड़ौसी देशों के साथ हमारे रिश्ते सुधारने के पक्ष में है और इस बारे में कोई भी ईमानदार प्रयास किसी ने भी किया तो हम उसका समर्थन करेंगे। मैं मानता हूं कि वाजपेयी जी ने इस बारे में जो कदम उठाया, वह एक रचनात्मक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसकी आवश्यकता है, क्योंकि चाहे कोई भी पड़ौसी देश हो, पाकिस्तान हो, बंगलादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इन सभी देशों के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने होंगे और हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा ध्यान और हमारा व्यय रक्षा से कैसे कम हो सकता है और ये सभी देश अपने-अपने क्षेत्र में गरीबी जैसे सवाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मजबूत पाकिस्तान, मजबूत बंगलादेश, मजबूत नेपाल, मजबूत श्रीलंका, इसका स्वागत भारत करेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी देश दुबला हो जायेगा, उनकी अन्दरूनी परिस्थिति खराब हो जायेगी तो वह भारत के लिए ठीक बात नहीं होगी। इसलिए इस बारे में जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं, इनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। मगर इसमें एक-दो बातें हैं, जिनका मैं सरकार को इशारा करना चाहता हूं। जिस दिन प्रधान मंत्री जी लाहौर गए, उनका एग्रीमेंट हुआ, तब वैली में कुछ शक्तियों ने लोगों की हत्या कर दी।

अपराह्न 5.06 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम ईमानदारी से कदम उठाना चाहते हैं, अपने पड़ौसी देशों से, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर बनाने के लिए, तो ऐसे में कोई बाहरी शक्ति और अपने देश की साम्प्रदायिक शक्ति दोनों मिलकर उस कदम को विफल करने की कोशिश करेंगी, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा और सख्त नजर रखनी होगी। हमें यह कोशिश करनी होगी कि जो कुछ हम कदम उठाना चाहते हैं, उससे दूर नहीं जाएं। वहां के वजीरे-आजम ने कुछ बयान दिए, वे कुछ अच्छे नहीं थे। हो सकता है अंदरूनी परिस्थिति के चलते उन्होंने दबाव के कारण ऐसा किया हो। यहां भी कुछ बयान हमने दिए, जिनको मैं ठीक नहीं मानता। पाकिस्तान से जो रिश्ते सुधारने की बात है, इस पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका लाभ भारत और पाकिस्तान दोनों को होगा। भारत की आंतरिक शक्ति को भी मजबूत करने के लिए, देश हित के लिए यह जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है, यह कोई अलग बात नहीं की।

जब हम पाकिस्तान बस में जाने के लिए तैयारी करते हैं, मेरा कहना है कि उनसे जरूर रिश्ते रखिए, लेकिन मेरे गांव में जो अब्दुल्ला रहता है उससे भी अच्छे रिश्ते बनाने की तैयारी हमें रखनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ कहा गया है।

[अनुवाद]

मैं उद्धरण देता हूं:

> "केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सरकारी मशीनरी को सुग्राही बनाने की बड़ी आवश्यकता है। मैं जोर देता हूं कि जब तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने के लिए एक उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाते तो वास्तविक प्रगति नहीं की जा सकती।"

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि इस देश की नौकरशाही के बारे में अलग तरह से सोचने की आवश्यकता है। नौकरशाही सही नेतृत्व के हाथ में

हो तो अच्छा काम कर सकती हैं। मैंने खुद 17-18 साल इनके साथ काम किया है। जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां ब्यूरोक्रेसी का अच्छा नाम था, हो सकता है पिछले दो-तीन साल में वहां कुछ खामी आई हो। लेकिन भारत की ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में इज्जत है। अगर कुछ कमी है तो उसका दोष हम उनको नहीं दे सकते। जैसे एक अकुशल कारीगर सारा दोष औजारों पर देता है इसलिए केवल उन्हीं पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। जब काम करने वाले सरकार के कर्मचारी हैं, उनको सुविधा मिले, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आज के समय में जो केन्द्र में सरकार है, हम देख रहे हैं कि उसके शासन में कभी डाक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, कभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, कभी कृषि वैज्ञानिक हड़ताल पर जाते हैं और कभी एन.टी.पी.सी. या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे परिस्थिति दिन-ब-दिन खराब हो रही है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब एम्स के बारे में दिल्ली के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया जिसमें वहां के वैज्ञानिकों के लिए अलग तनख्वाह देने की सलाह दी गई, मेरा अनुरोध है कि सरकार इसे स्वीकार करे और आगे अपील न करे। जब मेडिकल वैज्ञानिकों को अलग तनख्वाह देनी है तो उसी तरह खेती के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको भी देने की तैयारी सरकार को रखनी चाहिए।

एक आखिरी मुद्दा मुझे रखना है। शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के बिंदु संख्या 35 में आम सहमति से सरकार चलाने की बात कही गई है। मैं उद्धरण देना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "इसलिए हम विपक्षी दलों और समाज के सभी वर्गों के साथ वार्ता करके राष्ट्र से जुड़े सभी प्रमुख मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। जहां तक व्यवहार्य होगा, हम सहमति से शासन चलाने का भी प्रयास करेंगे।"

[हिन्दी]

मुझे खुशी है कि यह बात बड़ी अच्छी कही है। कुछ दिनों से हम बिहार की बात देखते हैं। क्या इस सरकार ने सहमति के लिए कोशिश की? इससे पहले भी अखबारों में कुछ कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों से एक और बात को लोगों के सामने रखा कि हम विश्वासघात सप्ताह करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बिहार के बारे में कुछ कदम भी उन्होंने उठाए हैं। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बहार के बारे में सरकार ने जो कदम उठाया, क्या इस बारे में आपने मेजर अपोजीशन के साथ या उनके साथियों के साथ कभी एक दिन भी बातचीत की? आपने निर्णय दिया और आप चाहते हैं कि आपके निर्णय में हम सहभागी हों? आप यहां दलितों की बात करते हैं, दलितों की हत्याएं वहां हुईं, इसका कोई स्वागत नहीं करेगा लेकिन हत्या करने वाली कौन सी शक्ति है, यह सारी दुनिया जानती है। रणबीर सेना को किसका समर्थन प्राप्त है, यह सारी दुनिया जानती है। रणबीर सैना को किसकी मदद मिलती है, यह सब जानते हैं। रणबीर सेना ने दलितों की हत्या करने के बाद बिहार सरकार को वहां से उखाड़ फेंका, इसको कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। दलितों की जो हत्याएं हुईं, इसके लिए वहां राबड़ी देवी सरकार की जिम्मेदारी थी। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इसलिए हमने अपनी नाराजगी भी पब्लिकली जाहिर की। इस बारे में हम कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमारा विश्वासघात हुआ है और हम विश्वासघात सप्ताह करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सहमति से सरकार चलाने की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष और बाकी साथियों के साथ बातचीत करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सहयोगी दल अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : यह भी एक समस्या है। हम मांग कर रहे हैं कि आप विपक्ष से कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले बातचीत कीजिए और इससे पहले आप अपने साथियों से बातचीत कीजिए। इसमें भी यूनेनिमिटी नहीं है। बहुत से मुद्दों पर हम देखते हैं कि संसद में विरोध होता है। उनकी मुश्किलों को हम समझते हैं, वे अपने साथियों के साथ बातचीत नहीं कर सकते तो सहमति की राजनीति देश में कैसे करेंगे? इस पर जो उन्होंने कहा कि विश्वास रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं, सिर्फ एक-दो मुद्दे जो यहां उठाए गए, खासतौर से सुषमा स्वराज जी ने जब भ्रष्टाचार की बात पर यहां बड़ी गंभीरता से कही। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में सरकार पर आरोप करने के बाद यदि उस आरोप का कोई आधार नहीं हो तो कितनी मानसिक पीड़ा होती है। मुझे खुशी हुई कि उन्हें इस बात का अंदाजा तो हुआ। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी पर नागरवाला केस के नाम पर इस सदन में कितने दिनों तक बहस हुई थी। कितने दिनों तक उनके ऊपर हमला हुआ था। पुराना रिकार्ड निकालिए, पता चल

[श्री शरद पवार]

जाएगा। इसकी शुरूआत किसने की थी? बोफोर्स के बारे में पिछले नौ-दस सालों से इस सदन में 55 घंटे और 17 मिनट बहस हुई। पिछले साल तक इस बारे में बहस हुई। बार-बार यह मुद्दा लिया गया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आज यह तीसरी सरकार आई है। एक साल अभी इस सरकार को पूरा हुआ है लेकिन आज तक बोफोर्स के बारे में, राजीव गांधी जी को पीड़ा देने का काम इन्होंने किया। इस बारे में किसकी जिम्मेदारी थी, यह साबित करने में वे कामयाब नहीं हुए, यह वस्तुस्थिति है। यह बात हमने कई बार कही है। इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे जब एनरॉन का प्रोजेक्ट क्लिअर हुआ था मगर पूरे देश ने देखा कि आरोप करने वाले लोगों ने ही बाद में एनरॉन को मान्यता दे दी और केवल मान्यता ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर मान्यता दी और तब 500 मेगावाट की जगह 2400 मेगावाट को मान्यता देने का काम इस सरकार ने किया। समुद्र में एनरॉन को डुबोने वाले लोगों ने आज 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट फिर से क्रियेट किया। पावर लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर जिनकी जिन्दगी आरोप लगाने में गई आज वे हमें सलाह दे रहे हैं, इससे मानसिक तनाव पैदा होता है और बड़ा नुकसान होता है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, दुनिया में एक अकेलापन भारत में हम देख रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है इससे हमें देश को बाहर निकालना होगा। जब देश को बाहर निकालना होगा तो सेक्यूलरिज्म के इशूज पर जब तक सफाई न हो, स्पष्टता न हो वह देश को कभी आगे नहीं ले जा सकता। इतना ही कह कर मैं आपसे इजाजत लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दसवीं कक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (1)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए रोजगार में बीस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (2)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में सभी संवर्गों में रोजगार में दलितों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (3)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सर्वोच्च न्यायिक सेवा में न्यायाधीशों के पद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा चिन्ताओं को देखते हुए तिब्बत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व जनमत तैयार किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये; अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीनों राष्ट्रों भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच चिर-स्थायी मित्रता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यहां के लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा आवश्यकताओं के बिना ही सीमा-पार से निर्बाध आवागमन के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे के पक्ष में विश्व जनमत को तैयार करने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए मुफ्त राशन के प्रावधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (8)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के अधिकारों को संविधान में मूल अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (33)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक तथा मूल अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (34)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करने वालों के हाल ही में किए गए कला-विध्वंस के कार्यों का उल्लेख नहीं किया है।" (35)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित युवा बेरोजगारों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (36)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाले 84वें संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (37)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिक के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय विधान को अधिनियमित करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (38)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों पर हो रहे गम्भीर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (39)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मकारों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, न्यूनतम मजदूरी आदि के लाभ न देने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (40)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खतरे का सामना करने के लिए सरकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (41)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चोटी के नौ सेना अधिकारी की बरखास्तगी के बारे में कुछ क्षेत्रों में व्यक्त की गई चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में भूमि सुधार को प्रभावी ढंग से लागू करने की निगरानी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चावल, गेहूं, चीनी और रसोई गैस के प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(63)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में "काम के अधिकार" को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (64)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर हो रही वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (65)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (66)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतीहर श्रमिकों को सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (67)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान के द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (68)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े स्तर पर खनन कार्यों के कारण प्रभावित रानीगंज और आसपास के लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज आरंभ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (69)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या को नियंत्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (70)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और डाक्टरों के प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (71)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (72)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी पूजा स्थलों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने तथा किसी भी पूजा स्थल किसी के भी द्वारा न ढहाये जाने के सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (73)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (74)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से बेरोजगारी दूर करने की समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (75)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल करके सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (76)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि की वर्षा-जल पर निर्भरता को कम करने हेतु समयबद्ध योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (77)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने हेतु समयबद्ध योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (78)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु समयबद्ध योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (79)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (80)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (81)

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की आवश्यकता और राज्यों को और अधिकार देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निगमित कम्पनियों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी शामिल करने के लिए विधायी उपाय करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश करने संबंधी सरकार की कार्रवाई पर चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (107)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने सम्बन्धी सरकार की

कार्रवाई पर चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (108)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घरेलू समाचार-पत्र उद्योग से लेवी कम करके समाचार-पत्र उद्योग का पुनरुद्धार करने तथा प्रतिपाटन शुल्क लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिवर्ष 1 करोड़ युवाओं को काम उपलब्ध कराने की योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गथा है।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी महानगरों में पेय जल की अत्यधिक कमी की समस्या को हल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चावल, गेहूं, चीनी और रसोई गैस के निर्धारित मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (112)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (113)

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हारबर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।"(148)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक तथा मूल अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (149)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करने वाले हाल ही में किए गए कला-विध्वंस के कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (150)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिक के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय विधान को अधिनियमित करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (153)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खतरे का सामना करने के लिए सरकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (155)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण उनका आम जनता की पहुंच से बाहर होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (161)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चावल, गेहूं, चीनी और रसोई गैस के प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (164)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में "काम पाने के अधिकार" को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (165)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर हो रही वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (166)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (167)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतीहर श्रमिकों को सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (168)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान के द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (160)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर खनन कार्यों के कारण प्रभावित रानीगंज और आसपास के लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज आरंभ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (170)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रदूषण को नियंत्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (171)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और डाक्टरों के प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (172)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (173)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी पूजा स्थलों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने तथा किसी भी पूजा स्थल को किसी के भी द्वारा न ढहाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (174)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (175)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (176)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (177)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसी योजना के कार्यान्वित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (178)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बाल श्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के एक दल द्वारा की गई यात्रा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (192)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु निरस्त्रीकरण और पोखरन में हुए विस्फोटों के बाद एक परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व का निर्माण करने के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (193)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (194)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से बेरोजगारी में हुई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (195)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसंधानों और खोजों के परिणामों को आम आदमी के लाभ के लिए इस्तेमाल करने हेतु किसी प्रभावी प्रणाली की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (216)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने तथा प्रत्येक बच्चे, नवयुवक और वृद्ध को शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (217)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि प्रयोजनों के लिए वर्षा के जल पर निर्भरता को कम करने के लिए किसी समयबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (218)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर की आवास समस्या को हल करने के लिए कोई समयबद्ध योजना लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (219)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए किसी समयबद्ध योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (220)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (221)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों के पलायन को रोकने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (222)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगभग एक लाख गांव में पेयजल की कमी तथा इस समस्या से निबटने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (223)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज के कारण होने वाली मौत की घटनाओं तथा महिलाओं पर होने वाले अन्य अत्याचारों की बढ़ती हुई घटनाओं से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (224)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किसी विशिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (225)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय विधान के लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (226)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपास, पटसन, रबड़ आदि जैसे कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी हो जाने के कारण विभिन्न राज्यों में कई किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(227)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (228)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (229)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के वर्चस्व का सामना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को सुसज्जित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (230)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामग्रियों की ऊंची कीमत तथा सरकार की अनुपयुक्त आयात नीति के कारण उत्पादों के क्रयादेश में कमी के कारण अपनी क्षमता के कम उपयोग से प्रभावित सेल, भेल, इत्यादि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याओं के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (231)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमेंट की पैकिंग जूट की बोरियों में करने के लिए सरकार के निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (232)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (233)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए किसी समयबद्ध योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (234)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 500 से ऊपर की आबादी वाले देश के प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध योजना शुरू करने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।"(235)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (236)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों का कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (237)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (238)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकांशत: पश्चिम बंगाल में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की आठ इकाइयों को बंद करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (239)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाष में ईस्टर्न कोलफील्ड के अंतर्गत अनेक कोयला खानों के बंद होने के कारण हजारों कामगारों के बेरोजगार होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (240)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंद होने के कगार पर और मुख्यरूप से पश्चिम बंगाल में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता आवंटन नहीं होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (241)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सायकिल कारपोरेशन आफ इंडिया इत्यादि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के सेवा निवृत्त कामगारों/कर्मचारियों को उपादान, भविष्य निधि इत्यादि जैसे सांविधिक देय राशि का भुगतान नहीं होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (242)

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में जनसंख्या की उस समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण योजना प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा लोगों की गरीबी बढ़ती जाती है।" (293)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण सामाजिक जीवन के मूल्य प्रभावित होते हैं तथा धनी और निर्धन के बीच अन्तर बढ़ता जाता है।" (294)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्कूलों और कालेजों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जीवन मूल्यों के ह्रास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(295)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर निर्धनतम लोगों की सुरक्षा के लिए शराब और एल्कोहल के उपभोग पर राष्ट्रव्यापी मद्य निषेध की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (296)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में लाटरी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (297)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में मितव्ययता संबंधी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर भारत के नदियों में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है जिससे इन नदियों के जल का मार्ग बदल कर दक्षिण भारत के नदियों से जोड़ा जा सकता है जहां पानी की अत्यधिक कमी है।" (299)

[हिन्दी]

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत ढांचे के अंतराल को दूर करने के बारे में शुक्ला आयोग के सुझावों को लागू करने में हुई असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में विद्रोह का मुकाबला करने में सहायता और विदेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(331)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में सहायता शिविरों से मिजोरम में वापस भेजे गए 40 हजार रिआंग आदिवासी जिन्हें अपनी आर्थिक रूप से आबाद जिन्दगी से निकाल दिया गया था, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (332)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लाभ के लिए केन्द्रीय कानून लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

[अनुवाद]

श्री अबु फज़ल गुलाम उस्मानी (बरपेटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 का निरसन करने के संबंध में भारत सरकार के रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम के 23 जिलों में से 21 जिलों के बाढ़ द्वारा डूब जाने तथा अपर्याप्त बाढ़ राहत उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और डाक्टरों को रोजगार

के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सरकार की असफलता के कारण उनमें व्याप्त प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं है।" (391)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अवसर देने हेतु किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (392)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (393)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दसवीं कक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (569)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त राशन देने की व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (570)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विद्यमान विषमता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण किसानों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (572)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य में हुई वृद्धि, जिससे यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (573)

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुडी) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोबल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेन द्वारा प्राप्त गौरवपूर्ण उपलब्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (399)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान (चौरासीवां) संशोधन विधेयक, 1998 जिसमें संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (400)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली और बर्धमान जिलों में व्यापक स्तर रूप से हो रहे भू:क्षरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (401)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए अधिकारों, वेतन आदि की समानता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (402)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला स्वास्थ्य और शिशु देखभाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (403)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (404)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (405)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, विषमता और मूल्य वृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले/किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (465)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा बनाई गई अवास्तविक विदेश नीति के कारण देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च नौसेना अधिकारी की बर्खास्तगी के द्वारा सेनाओं का मनोबल गिराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के संबंध में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी की कीमत पर व्यवसायियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन कमाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बन्द हो रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पशु प्रजनन में सुधार और उनमें बीमारियों को फैलने से रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हेपेटाइटिस-बी, टी.बी., एच.आई.वी., गुर्दे संबंधी और हृदय रोगों को रोकने और लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा, सेकण्डरी शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों, दालों और तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू और प्याज के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (475)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू, प्याज, तेलों, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (476)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को घाटे की वित्त व्यवस्था के संकट से उबारने, काले धन को उजागर करने और कर अपवंचन को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (477)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट आदि को रोकने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (478)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों में विद्युतीकरण के लिए आर.ई.सी. से ऋण सुविधाओं की पुन: बहाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (479)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार विद्युत बोर्ड को आर.ई.सी. से ऋण प्रदान कराकर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के सभी गांवों में विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (480)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी और दक्षिणी बिहार में हाथिदह और फतुहा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जाड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयलकारों, कदराम, कन्हार और शंख जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुजफ्फरपुर, कहलगांव बाढ़, उत्तरी कर्णपुरा, तेनुघाट, नवीनगर ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के जल प्लावित क्षेत्रों (चवंरों) से पानी की निकासी की किसी योजना के बारे में उल्लेख नहीं है।" (484)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-नेपाल संधि पर हस्ताक्षर होने के परिणामस्वरूप गंडक, कोसी, वागमती और गंगा जैसी नदियों में आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बिहार राज्य को बचाने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (485)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में बाढ़ के कारण हुई तबाही से लोगों को बचाने तथा बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए स्वीकृत की गई निधियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (487)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लिए पक्के मकानों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (488)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में गरीब लोगों के "मुहल्लों" में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैंड पम्प लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में निर्माणाधीन मकानों और इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अभी पूरा किये जाने वाले मकानों के कार्य को पूरा किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (490)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-मीठामोड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आलू, प्याज, टमाटर, केला, आम, भिंडी, परवल इत्यादि जैसे फल और सब्जियों को औद्योगिक शहरों में भेजने तथा विमान द्वारा माल ढुलाई के जरिये विदेशों में भेजने के लिए बिहार में परिवहन सुविधा की व्यवस्था करने तथा किसानों के लाभ के लिए वातानुकूलित रेल डिब्बों की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वैशाली को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (493)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिना भवन और शिक्षकों वाले तथा जीण-शीर्ण भवनों वाले बिहार के विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (494)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों, विशेषकर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों के सभी गावों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम और वेश्या-वृत्ति पर नियंत्रण करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए विकास योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

[अनुवाद]

श्री के. कृष्णामूर्ति (मथिलादुतुराई) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु विशेषकर पुमपुहर और तरंगबाड़ी के तटीय क्षेत्रों में समुद्र क्षरण को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु के छोटे और बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण, और इन क्षेत्रों के मछुआरों की कार्य दशाओं को सुधारने तथा मुहाने से गाद निकालने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (558)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कच्चे रेशम की कमी और तमिलनाडु के रेशम बुनकरों के सामने आ रही समस्याओं तथा चीन और अन्य देशों से रेशम का आयात करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (559)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सख्ती से पालन करने वाले राज्यों के लिए कोई प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (560)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी नदी जल विवाद के स्थायी निपटारे के लिए समय सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (561)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु में विशेषकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।''(562)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक क्षेत्र में बाढ़ आने और दूसरे में सूखा पड़ने के कारण होने वाली जन-धन की हानि को रोकने हेतु हिमालय की नदियों को केप कोमोरिन से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (563)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को हैपेटाइटिस 'बी' का टीका लगाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (564)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित तथा निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विधान के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तथा स्थाई कार्य दशाओं की गारंटी दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (565)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वर्गीय श्रीमती तिलैयादि वालियम्मी का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए डाक टिकट जारी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (566)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में नये तेलशोधन कारखाने आरंभ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (567)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी डेल्टा क्षेत्र जहां प्रचुर मात्रा में गैस उपलब्ध है पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (568)

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ए.आई.ए.डी.एम. की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आरंभ में मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों का स्वागत करता हूं। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए लाहौर बस यात्रा आशा की एक नई किरण है। ऐसे आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

हमारी परमाणु क्षमताओं का विश्व के सामने प्रदर्शन करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। ऐसे मामलों से निपटते समय राष्ट्रीय हित को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, हम आज भी मुख्य क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हासिल की जानी है।

मैं नई कृषि नीति का स्वागत करता हूं। इसका उद्देश्य कृषि संबंधी सभी गतिविधियों में प्रौद्योगिकी क्रांति शुरू करना होना चाहिए। हालांकि भूमि उसके मालिकों की होनी चाहिए मौजूदा बाजार और वाणिज्यिक स्थितियों के आकलन के पश्चात् खेती के तरीकों और फसलों का चयन मालिकों के साथ-साथ सरकार, दोनों संयुक्त रूप से करें। इससे किसानों को लाभ होने के साथ-साथ समाज को भी लाभ होगा।

कावेरी नदी जल विवाद का तमिलनाडु के किसानों के पक्ष में समाधान किया जाना बाकी है। सरकार कावेरी न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट को लागू करे ताकि तमिलनाडु के किसानों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जा सके जैसे कि मेरे नेता ने मांग की है।

पिछले वर्ष दिसम्बर में भारत और श्रीलंका के बीच किए गए मुक्त व्यापार समझौते का भी मैं स्वागत करता हूं। तथापि, श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की बढ़ाई जा रही समस्या का समाधान भी नहीं किया गया है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के हितों की किसी भी कीमत पर रक्षा की जाए। मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस विषय पर श्रीलंका सरकार के साथ एक विशेष वार्ता की पहल करे।

दो दिन पहले संसद ने महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है। जहां तक संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है, ए.आई.ए.डी.एम. यथाशीघ्र संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियमन के पक्ष में है।

मैं वृद्ध व्यक्तियों को सहायता देने संबंधी नई नीति का भी स्वागत करता हूं। ये सामाजिक उपाय एक शालीन और सभ्य समाज विकसित करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे।

मेरे नेता के अनुरोध पर सेतु समुद्रम परियोजना को चालू करने के लिए धनराशि आवंटित करने हेतु मेरे नेता पुराची थालावी डा. जे. जयललिता की ओर से मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह माननीय सभा माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी को राष्ट्र की और बेहतर सेवा करने के लिए समर्थन देती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से एक बार फिर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष संसद सदस्यों को सम्बोधित करने के दौरान निरर्थक भाषण देना पड़ा। यह भाषण दिशाहीन राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने इस देश और आम जनता को हानि पहुंचा कर सत्ता हासिल की है। नि:संदेह यह बहुत कम समय के लिए था। यदि इसमें कुछ है तो इसकी अच्छाई उसके लम्बे होने में है न कि इसकी गहराई में अथवा विषय वस्तु में। इसमें शामिल है ...*(व्यवधान)* आप क्यों हंस रहे हैं? शायद आप यह नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है ...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे विश्वास है कि आपने इस दस्तावेज को पढ़ लिया होगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे पूर्णतया सहमत होंगे कि यह अभिभाषण अत्यन्त अस्पष्ट, सामान्य और नीरस है।

महोदय, आज सरकार के पास एक महत्वपूर्ण अवसर है। अर्थात् राष्ट्रपति का संसद सदस्यों के समक्ष अभिभाषण एक रीति, एक औपचारिकता बन गया है। इस अभिभाषण का उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस अवसर को किस लिए बनाया? शायद यह दिशा निर्धारित करने के लिए बनाया गया था जिसे देश आने वाले वर्षों में अपनाएगा। इसमें सरकार के कार्य-निष्पादन का उचित मूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए। इसमें यह भी उजागर होना चाहिए कि लोगों के सामने आने वाले मामलों को कैसे सुलझाया जाएगा। नि:संदेह यह उम्मीद नहीं की गई है कि इसमें बजट, नीति की घोषणा और उसके निर्माण का ब्यौरा शामिल हो। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है कि इस अभिभाषण में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। यह संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता।

क्या कोई इनकार कर सकता है कि माननीय वित्त मंत्री की सी.आई.आई. अथवा फिक्की की बैठकों में प्रशंसा की गई हो? परन्तु आम जनता का समझना क्या है? प्रत्येक दिन दूरदर्शन समाचार में हमें शेयर विनिमय सूचकांक के अंकों के बारे में इस तरह से बताया जाता है कि मानो आम जनता के भविष्य का यही

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

एक मानदंड है? रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया जा रहा है? मुझे प्रसन्नता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे वित्त मंत्री स्वयं को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। परन्तु अंतिम खुशी उनकी नहीं होगी, वह तो इस देश की आम जनता की होगी ...*(व्यवधान)* हमने देखा है कि दिल्ली में क्या हुआ जहां आदरणीय प्रधान मंत्री ने नुक्कड़ बैठकों को भी संबोधित किया।

परिणाम यह है कि श्रीमती सुषमा स्वराज यहां पर हैं। अब वह यह नहीं जानती कि यहां चुपचाप बैठने के सिवाय वह क्या करें। श्री खुराना जी कहां हैं? राजस्थान में क्या हुआ जहां उनकी पार्टी अधिक मजबूत दिखाई दे रही थी। वे इस मतदान पेटियों के माध्यम से अच्छी तरह जान गए हैं। क्या प्रजातंत्र और लोगों की इच्छा के लिए वे सम्मान रखते हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आपको दिल्ली में क्या मिला?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारी छोड़ो। अपनी बात सुनो। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय यही कठिनाई है। श्रीमती सुषमा स्वराज उनके प्रति मेरे सम्मान और स्नेह का हमेशा अनुचित लाभ उठाती हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा बुद्धिमान और सुस्पष्ट व्यक्ति यहां कैसे बैठी हैं। अपनी उत्कृष्टता के बल पर जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव जीत कर आई थी, वह सीट उनके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप हुए उप-चुनाव में उनकी पार्टी के हाथ से चली गई। क्या आप जनादेश का सम्मान करते हैं? क्या आप दीवार पर लिखी गई बात को नहीं देख रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? उन्होंने बड़े उत्साह से योग्य प्रधानमंत्री और स्थायी सरकार के बारे में कहा परन्तु उनकी एकमात्र योग्यता सरकार के स्थायित्व को बनाये रखने में है। परन्तु यह कैसे हुआ? शासन करने में योग्यता नहीं होती है। योग्यता केवल स्थायित्व में है और इस प्रकार स्थायित्व गठबंधन को खुश रखने से आता है।

एक दिन मैंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश की आम जनता की समस्याओं से कोई संबंध नहीं रहा है जिन्हें दूर करने का उन्होंने वादा किया था। अब वे अपने सहयोगी दलों के सुख दुःख से जुड़े हुए हैं। आज यह हो रहा है कि एक के बाद दूसरे को कैसे खुश रखा जा सकता है। अनेक मांगे उठाई जा रही हैं और एक पैकेज के बाद दूसरा पैकेज दिया जा रहा है। क्या सहयोगी दलों को पैकेज से किसी देश का शासन चलाया जा सकता है? सभी प्रकार के वायदे किए जा रहे हैं। मंत्रियों को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में उनके सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। वे हर प्रकार के वायदे कर रहे हैं। सहयोगी दलों के ऊपर है कि वे समस्त वायदों पर विश्वास करे। हम शीघ्र ही उनके सत्ता में आने के एक वर्ष होने पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह हमारा दुर्भाग्य है - आइए देखें, क्या-क्या कार्य किए गए हैं। तमिलनाडु में क्या हुआ है हमने देखा है वकील बदले गए हैं न्यायाधीश बदले गए हैं एवं विशेष न्यायालय बदले गए हैं। देखते हैं कि क्या ये निर्णय एवं कार्यवाही आम आदमी के लाभ के लिए है। कृपया इसकी जांच कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : यह क्या बात है? ...*(व्यवधान)* आटोग्राफी लिखने वालों को वाईस-चांसलर बना दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां बदला ले रहे हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान, कृपया आंखों देखा हाल नहीं सुनाईये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, समस्त वायदे जो सरकार चलाने हेतु राष्ट्रीय एजेंडे में किए गए हैं अथवा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित हैं पूरी तरह पूरे नहीं हुए हैं तथा वे उनके द्वारा पूरे नहीं किये जा सकते है, लोग अत्यधिक निर्धनता में जी रहे हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, यहां क्या हो रहा है? क्या इस सदन में चर्चा अथवा वाद-विवाद होना बंद हो गया है? क्या हम कुछ माननीय सदस्यों के इशारे पर कार्य करेंगे? यदि ऐसा है तो आप कहें, हम बाहर चले जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : जब इधर से कोई बोलता है तो क्या यह टोका-टाकी नहीं करते हैं। इन्हें इस समय सारी कनवैंशन याद आती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह किसी भी तरह से आंखों देखा हाल न सुनाएं? इसे अन्यथा, इस बात को गम्भीरता से लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय मेरे मन में उनके लिए काफी स्नेह एवं आदर का भाव है, मैं आप सभी का आदर करता हूं कृपया थोड़ा सा सब्र रखें, इस तरह का व्यवहार आपके विरुद्ध जा सकता है।

मैं यह बता रहा था कि इस देश का आम आदमी अत्यधिक भार से कराह रहा है, जिसे कि इस सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि करके थोपा गया है, ठीक बजट की घोषणा किए जाने से पूर्व इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नई आयातों पर लेवी लगा दी है। आम आदमी को यह बोझ सहन करना मुश्किल हो रहा है परन्तु यहां एक शब्द भी नहीं बताया गया है कि ये उनके कष्टों को कैसे दूर करेंगे।

इससे भी बढ़कर कि देश के लोगों को देश की एकता और अखंडता पर होने वाले हमले का दुख होता है। उन पर पहले कभी भी इतना भार नहीं पड़ा था जैसा कि आज पड़ रहा है। हाल ही में हमने देश के संघीय एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर हमला होते देखा है हमने इस तरह के राजनैतिक कपट को कभी नहीं देखा है, हालांकि ऐसा कहना इनके लिए बहुत कम है। यह बिहार में राष्ट्रपति शासन को थोपने के रूप था जब कि ये जानते थे कि वे इसे राज्य सभा से अनुमोदित नहीं करा सकते है। विपक्ष के नेता ने अभी यह पूछा है कि इन्होंने शासन चलाने के लिए क्या तरीका सोचा था? क्या उन्होंने विपक्ष से परामर्श किया जिसके समर्थन के बिना ये इसे पास नहीं करा सकते हैं? इन्होंने साफतौर पर अभी सदन में कहा था इनसे परामर्श नहीं किया गया। अब उनके पास आपको समर्थन देने की कोई बाध्यता है क्योंकि आप ने इस देश में अत्यधिक गैर-प्रजातांत्रिक एवं गैर-संघीय निर्णय लिया। इस पार्टी को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता है! अत: एक वर्ष की सत्ता ने इस दल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। हमने सोचा था कि ये कुछ मूल सिद्धांतों जैसे कि संघवाद तथा अनुच्छेद 356 के विरोध के कुछ मूल सिद्धांतों के लिए अपनी वचनबद्धता पर कायम रहेंगे। कम से कम सदन में उसके लिए लगातार लड़ते रहे हैं। मैंने इसे देखा था तथा इसी सदन में अपने काफी प्रतिष्ठित साथियों के साथ मुझे दूसरी ओर जाने का अवसर मिला। जैसा कि मैंने कहा था श्री वाजपेयी एवं श्री आडवाणी, श्री एन.टी.आर. के विरुद्ध अनुच्छेद 356 के प्रयोग की खिलाफत में राष्ट्रपति भवन हमारे साथ गये थे। अब हुआ यह है कि ये पार्टी पूर्णतया बेनकाब हो गयी है। जहां तक इस राजनैतिक दल का संबंध है, वहां इनका संसदीय प्रजातंत्र तथा संघवाद के प्रति इनकी प्रतिबद्धता मात्र ऊपरी दिखावा है।

हाल-फिलहाल में हमने ऐसा कभी नहीं देखा है जैसा कि इस सरकार के शासन में देखो, इस देश में अल्पसंख्यकों पर सोची समझी चाल के तहत हमला किया जा रहा है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय पर जिन लोगों को पीटा गया है, जिन धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है तथा जिन धार्मिक पुस्तकों को जलाया गया है, इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। क्या हम अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे? क्या हम इस आधार पर आदमी-आदमी में फर्क करेंगे? धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल विशेषता है इस पुस्तक में कहीं पर इस बारे में उल्लेख किया गया है। क्या इस तरह हम अपने संविधान की आधारभूत विशेषता का सम्मान कर रहे हैं? संघवाद एवं संसदीय प्रजातंत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताई गई हैं। आज ये समस्त आधारभूत विशेषताएं इस सरकार के हाथों विखंडित हो गई हैं। तथा महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि राष्ट्रपति जी ने संवैधानिक बाध्यता के कारण वह भाषण पढ़ा जो आम आदमी तथा त्रस्त लोगों का अपमान है।

श्री मदन लाल खुराना यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनको वह बयान, जो वह देना चाहते थे, को देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? उनका त्यागपत्र यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक संदर्भ दिया था। जो हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता चला था। उनके होंठ सिले हुए हैं वह बोल नहीं सकते हैं। एक संसद सदस्य नहीं बोल सकता है। उन्होंने इसाई अल्पसंख्यकों पर हमले तथा संदिग्ध पूर्व परामर्शदाता आर.एस.एस. संघ परिवार पर नियंत्रण रखे है द्वारा खेली गई भूमिका का सन्दर्भ दिया, उन्होंने यह कहा है वह इस सरकार के एक बहुत ही सम्माननीय सदस्य हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज, मेरा मानना है कि उन्हें अभी तक दल से निष्कासित नहीं किया गया है, हो सकता है उन्हें निकाला जा रहा हो। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्यों हमारी चिन्ता करके कमजोर हो रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम तो चिन्ता करेंगे। दुर्भाग्य से आप सत्ता में हैं

[हिन्दी]

आपकी चिन्ता करनी पड़ती है हमको।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति मिली है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया पृष्ठ सं. 1, पैराग्राफ 3 जिसमें इस प्रकार से कहा गया है:

मैं उद्धृत करता हूं: ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के मुंह में बैठा दिया।

> "मुझे यह नोट करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार चलाने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय एजेंडा जोकि साझा सरकार की आम नीति संबंधी प्रतिज्ञापन है, को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया है।"

दुर्भाग्यवश, यह इनवर्टिड कोमा में नहीं है। मैं आगे बताता हूं:

> "पिछले ग्यारह वर्षों में, मेरी सरकार ने लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने, आर्थिक विकास को बढ़ाने, आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा भारत के पड़ोसी तथा अन्य देशों से मित्रता के संबंध बढ़ाने के साथ-साथ बहुत सारे मोर्चों पर निर्णायक कार्य किया। इन प्रयासों के द्वारा भारतीयों में आत्मविश्वास के नए आयाम पैदा हुए हैं तथा वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का प्रभावशाली सामना करने की हमारी योग्यता में वृद्धि हुई है।"

जी हां, लोगों ने आत्मविश्वास को दर्शाया है क्योंकि वे पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं कि जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा ये इस सरकार से पीछा छुड़ा लेंगे ...*(व्यवधान)* लेकिन यह देखनने की बात है कि क्या इस राष्ट्रीय एजेंडे को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है?

महिलाओं से शुरू करते हैं, यह देखते हैं कि यह कितनी पृष्ठ संख्या पर है कृपया "महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना" नामक शीर्षक देखें। श्रीमती सुषमा स्वराज क्या आपको इसकी प्रति मिली है या क्या आपने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या मैं आपको इसे दिखाऊं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके पास इसकी प्रति है। ठीक है, आप बोलती हैं तो ठीक है। क्या यह संशोधित संस्करण है? ...*(व्यवधान)* यह बताया गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

> "हम संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण हेतु कानून बनाएंगे तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज स्तर पर लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बना रहे हैं ताकि महिलाओं को बेहतर रूप में सशक्त बनाया जा सके। हम छोटे तथा लघु क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए विकास बैंक भी स्थापित करेंगे।"

कृपया हमें बतायें कि आपने इस संदर्भ में क्या किया है। इनमें से कितनी चीजें आपने क्रियान्वित की हैं? ...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 39 में कहा गया है? मैं यहां उसका उल्लेख करता हूं:

> "सरकार ने छह राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना आरंभ की है। महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन बाल विकास के क्षेत्र में एक नया प्रयास होगा।"

इनमें से किसे ईमानदारीपूर्वक लागू किया गया है?

शिक्षा के संबंध में आप कोई भी एक विषय लें। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी निवारण को लें। आज देश की यह एक ज्वलंत समस्या है। राष्ट्रीय एजेंडा में उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की मान्यता दी गई है। वहां यह भी उल्लेख किया गया है कि

> "नई सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी हटाओ है।" इसका अंग्रेजी अनुवाद "इरैडिकेट अनइम्पायमेंट है। आगे यह कहा

गया है कि रोजगार विहीन वृद्धि के वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत हमारी सरकार लाभकारी रोजगार का सृजन करने विकास करेगी।''

देखें कि यहां क्या कहा गया है तथा इसे कितनी ईमानदारी के साथ लागू किया गया है। और वह सिर्फ एक ही वाक्य में कहा जा सकता है? इसे लागू करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किया जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना थोपी जा रही है।

इसके क्रियान्वयन में कितनी ईमानदारी बरती गई है। मैं यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 12 को उद्धृत करता हूं:

> ''बेरोजगारी हटाओ'' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में त्वरित व संतुलित आर्थिक विकास की एक पूर्वापेक्षा है। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है।''

अंत में इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। मैं नहीं जानता। मुझे दुख है। मैं किसी अन्य बैठक में था। मैं प्रख्यात सदस्या श्रीमती सुषमा को सुनना चाहता था। आपने इसका समर्थन कैसे किया? आपको इसके लिए एक ''परमवीर चक्र'' मिलना चाहिए। किसी भी पहलू को देखें। उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के किसी भी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर गौर करें। आज इस संबंध में क्या स्थिति है? हमारे मित्र कौन हैं? हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हैं। पिच को खोदने के पश्चात् जब हमें पूरी दुनिया में मित्रविहीन बना लिया था तब उन्होंने बस यात्रा की। हमने इसका समर्थन किया। इस दिशा में कोई भी प्रयत्न सराहनीय है। लेकिन इससे इस देश को क्या फायदा हुआ? उन्होंने सोचा था कि पूरे देश में एक ऐसा उल्लासमय वातावरण होगा कि विस्फोट के पश्चात् उन्हें किसी और बात की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

हमारे माननीय विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त सचिव और अवर सचिव स्तर के कुछ व्यक्तियों के अब तक आठ-नौ दौर की चर्चा की जा चुकी हैं। वे आठ बार मिल चुके हैं। श्री जसवंत सिंह और श्री यशवंत सिन्हा का व्यक्तिगत रूप से मैं आदर करता हूं। सभी जसवंत अच्छे होते हैं। लेकिन होते वे खराब जगहों पर हैं। क्या हो रहा है? यह एक अजीब दृश्य है।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : सोमनाथ भी अच्छे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारी पूजा करने से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा मेरी पूजा कर प्रारम्भ नहीं किया था अपितु सोमनाथ मंदिर में पूजा कर लिया था। कम से कम मेरे भाषण में व्यवधान न डालें।

आज क्या हुआ? हां, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हम पाकिस्तान और बंगलादेश, जो कि हमारे पड़ोसी हैं के साथ-साथ पूरे देश के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। क्या आज यही स्थिति है? आपने बहादुरी के साथ चीन के विरुद्ध आरोप लगाये। आज प्रत्येक देश के साथ क्या संबंध है? आज हमारा मित्र देश कौन है। सार्क के बीच भी हम अपनी स्थिति खो रहे हैं।

महोदय, जहां तक रक्षा सेवाओं का संबंध है - मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। नौ सेना प्रमुख की बर्खास्तगी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका उन्हें उल्लेख करना चाहिए या हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? उन्हें तो छपी हुई सामग्री पढ़नी होती है। अच्छा होता कि यह बात भी छपी होती। एक शब्द भी नहीं लिखा गया। क्या यह बिल्कुल ही महत्वहीन विषय है? हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति के लिए दबाव डाल रही है।

श्री शरद पवार : जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पेटेण्ट्स की भांति उत्तेजित मत होइये।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): लोक सभा में निजी प्रतिबद्धताओं की बात कही जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और आपके सभी मित्रों की उपस्थिति में।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं असहाय होकर सब कुछ देख रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक इसका संबंध है सबने यह कहा है कि यह अभूतपूर्व घटना है। अब माननीय रक्षा मंत्री महसूस कर रहे हैं कि उनके द्वारा विचार व्यक्त करने के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। वह प्रेस में जाते हैं और कहते हैं कि यह ''असैनिक नियंत्रण'' है और अंतत 'सुरक्षा संबंधी जोखिम'

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

की बात करते हैं। इतने विरोधाभासी वक्तव्यों के बीच माननीय प्रधानमंत्री अंडमान जाते हैं तथा वहां इस विषय पर विचार करते हैं।

सत्र 22 फरवरी को शुरू हुआ है। जब तक हमने इस मामले को यहां नहीं उठाया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की और जब उन्होंने पाया कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा, उन्होंने समिति की बैठक में इसे स्पष्ट करना चाहा। क्या यह दैनिक विषय है?

महोदय, हम सबों को अपनी रक्षा बलों पर गर्व है। सौभाग्यवश वे अभी तक राजनीति से अछूते रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि वे धर्म के आधार पर सब जगह घुसने की सोची-समझी चाल के बावजूद भी कर्त्तव्यपरायण और ईमानदार रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि वे इस प्रयास से बचे रहेंगे। किंतु बहुत ही सोची-समझी कार्रवाई की जा रही है और आज एक रक्षा प्रमुख गए हैं, दूसरे रक्षा प्रमुख प्रेस में जाते हैं तथा वक्तव्य देते हैं, कई पूर्व रक्षा प्रमुख वक्तव्य जारी कर रहे हैं। इस देश का क्या रह जाता है?

महोदय, जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है, मूल्य स्तर के अलावा, रोजगार के अवसरों के सृजन में कमी के अलावा कहां विकास हुआ है? मैंने शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा की भांति अव्यवस्थित तथा बेकार कोई दस्तावेज नहीं देखा है। इसमें कहा गया है:

> ''हम जी.डी.पी. को इसे 8 प्रतिशत तक पहुंचाएंगे तथा राजकोषीय व राजस्व घाटे पर नियंत्रण पा लेंगे।''

अभी कितना प्रतिशत है? यह अभी 3.5 प्रतिशत है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री को दूसरा बजट पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर, वे यह कब करेंगे? उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे इस लक्ष्य को पांच वर्ष के कार्यकाल के अंत में प्राप्त करेंगे।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. : अभी चार वर्ष और हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने कार्यालय में अपना जोड़ घटाव कीजिए।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रपति जी को यह कहने के लिए कहा गया कि सरकार ने 6.5 प्रतिशत वार्षिक जी.डी.पी. वृद्धि दर निर्धारित किया है। यह उनके शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा में उल्लिखित सात से आठ प्रतिशत से घट गया है। किंतु यह अभी मात्र 3.5 प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)* महोदय, वित्त मंत्री मुझसे सहमत नहीं हैं। मैं इसे 4 प्रतिशत करता हूं। मैं उनके प्रति अधिक उदार हूं। मैं इसे 4 प्रतिशत करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : कृपया आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कहते हैं कि यह 5.8 प्रतिशत है। क्या हम लोगों ने यह प्राप्त कर लिया है। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि हम कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्या यह मात्र शब्दों से होगा? वे हमें यह बताएं कि बजट में या राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनकी दिशा क्या है। वे कैसे यह यह करने जा रहे हैं?

महोदय, हमारे अपने उद्योगों का क्या होने जा रहा है? भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित होने का अपराध क्या है? क्या वे अपराधी हैं? क्या वे राष्ट्र विरोधी हैं? वस्तुत: यह कहा गया था कि वे उन्हें यूनिट दर यूनिट के आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि उन्हें बचाया जा सकता है अथवा नहीं। जहां तक विनिवेश का संबंध है, श्री यशवंत सिन्हा ने श्री मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम् को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि विनिवेश के द्वारा वे 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं न ही कोई विशेषज्ञ या बाजीगर हूं। लेकिन सरकारी शेयरों के अदला-बदली से क्या हुआ? उन्होंने इसके जरिए से 3,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति की। यह वित्तीय उलट-फेर के सिवा कुछ नहीं है। क्या वित्तीय घाटों को पूरा करने हेतु राजस्व प्राप्त करने का यही तरीका है।

महोदय, यह मात्र विरोध के लिए विरोध करने का प्रश्न नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हरेक व्यक्ति को परेशान करते हैं। आज के दैननदिन जीवन में ये समस्याएं सर्वत्र व्याप्त हैं और इनके समाधान का कोई तरीका नजर नहीं आता है। सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।

एक अन्य मुद्दा जिसे मैं पुन: उठाना चाहता हूं वह अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का प्रश्न है। कृपया देखें कि यह कैसे किया जाता है। चुनाव के समय से ही उन्होंने यह वायदा किया था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। क्या किसी जिम्मेवार राजनीतिक दल का यह चुनावी घोषणापत्र हो सकता है या किसी भी जिम्मेवार राजनीतिक दल,

जो भारतीय संविधान संघवाद के सिद्धान्तों से किसी भी रूप में जुड़ा है, उसका यह चुनावी मुद्दा हो सकता है। ये अपने सहयोगी दलों को यह कहकर खुश कर रहे हैं कि "यदि हम सत्ता में आये, इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करेंगे।"

उन्हें कुल मतों का मात्र 25 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। वे स्वयं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। अत: उन्होंने अपने सहयोगी दलों की सहायता ली। मैं उनके सहयोगी दलों को दोषी नहीं ठहराता। यह उनके उपर निर्भर करता है कि वे उन्हें सहयोग करके आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं। वे अब उनके साथ हैं। अब अंकगणितीय आंकड़ों के अनुसार, जिसमें श्री के. येरननायडू द्वारा अंतिम क्षणों में लिया गया निर्णय शामिल है, उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया।

यदि सेल्यूलर फोन कार्य नहीं कर रहा होता तो मैं नहीं जानता क्या होता। यदि एस.टी.डी. कार्य नहीं कर रहा होता तो हम नहीं जानते कि क्या होता। उनकी शुभकामनाओं और शुभेच्छाओं के फलस्वरूप यह सरकार उस दिन भी बच गई थी तथा आज भी बच गई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम ने हमेशा ही अनुच्छेद 356 के उपयोग का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुच्छेद 356 का विरोध किया है। उनके सभी दलों ने अनुच्छेद 356 का विरोध किया था क्योंकि कभी न कभी वे इसके शिकार रहे हैं। पहले जब वे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते थे तब राष्ट्रपति जी ने उसे वापस कर दिया। पांच महीने के उपरांत उसे संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पुनर्विचार के पश्चात् आपको यह पुन: सौंपा गया है अत: आप इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं।" चूंकि उन्हें संसद की दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त नहीं था अत: उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

इस सभा में हमने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। मैंने इस सभा में अनेक राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं से संबंधित मुद्दे को उठते देखा। लेकिन ऐसी अक्खड़ प्रवृत्ति जबकि उनका प्रस्ताव गिरना अवश्यंभावी है और जैसा कि मैंने पहले कहा था - ऐसे जोश-बहादुरी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है जो कि लोक सभा में समर्थन के पक्षों में मत के द्वारा साबित हो चुका है। तब फिर आप क्या चाहते हैं? तत्पश्चात् उन्होंने रात्रि भोज की कूटनीति के माध्यम से इसे सफल करने की कोशिश की जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। क्या देश चलाने का यही तरीका है? क्या आप एक जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को इस तरह बर्खास्त कर सकते हैं। मैंने उस दिन भी यह कहा था। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा "लोगों का समर्थन है।" संसदीय लोकतंत्र में आप लोगों के समर्थन को कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या यह जनमत संग्रह या लोगों के पास जाकर उनके फैसले से प्राप्त किया जा सकता है। अगला चुनाव कब है?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अगले साल होंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक साल के अंदर चुनाव होना है। लोग अपना फैसला देंगे। अब आपने अपने एक आर.एस.एस. कार्यकर्ता को वहां राज्यपाल के रूप में भेजा है। सरकारिया आयोग ने बार-बार कहा है कि, "किसी भी राजनैतिक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।" किसी भी स्थिति में किसी भी सरकार को ऐसे व्यक्ति को, जो उनके दल से संबंधित हो, नियुक्त नहीं करना चाहिए। यह जानते हुए भी उन्होंने उन्हें वहां भेजा। अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं - जो कि मुख्य सत्ताधारी दल है - का कहना है कि "हमें उन्हें बदलना चाहिए।" हम एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति चाहते हैं। तब महोदय, क्या हुआ? माननीय राज्यपाल अपने बोरिया-बिस्तर सहित राजधानी एक्सप्रेस से वापस आ गये जिसका काफी प्रचार भी किया गया। उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सरकारी आतिथ्य को भी स्वीकार नहीं किया। वह अपने एक अनुयायी के यहां ठहरे। तब महोदय, हमारे गृह मंत्री ने अपने समक्ष नतमस्तक होकर एक लिखित वक्तव्य दिया कि उन्हें दुख है और इसके लिए उन्हें क्षमा किया जाए, अन्यथा उन्हें अपने कार्य से हाथ धोना पड़ेगा। तब, राज्यपाल अपने राजकीय हवाई जहाज से खुशी-खुशी वापस चले गए। हमारे देश में यह तमाशा हुआ।

मैं जिन महाशय की बात कर रहा हूं उन्हें मैंने कई बार दूरदर्शन पर यह कहते सुना है कि उन्हें आर.एस.एस. से जुड़े होने का गर्व है। क्या देश चलाने का यही तरीका है? क्या हम इस तरह से देश की एकता तथा अखंडता को बनाये रख सकते हैं? क्या संबद्ध राज्य सरकार जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुई है? क्या उनके साथ हमें ऐसा खिलवाड़ करने का अधिकार है? राष्ट्रपति शासन लागू करने के शीघ्र पश्चात् ही वहां हत्यायें हुई। क्या सरकार ने राज्यपाल को बर्खास्त किया। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे अपनाया जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने कहा है कि कठोर उपबंध का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

चाहिए। इसे धूर्ततापूर्वक फिर से लागू किया जा रहा है और वे इसका समर्थन करने के लिए उनसे कह रहे हैं। यदि आप इसका समर्थन नहीं करते तो वे, जो अभी-अभी दल परिवर्तन करके आएं हैं वे कहेंगे कि यह कांग्रेस का गैर-दलित चरित्र है। उन्होंने उनका लालन-पालन किया है तथा यहां लाये हैं। अब वह कहां हैं? मेरे भतीजे श्री कुमारमंगलम कहां हैं? हां, मैंने कहा है कि वह सभी पुरानी आदतें, निर्णयों और कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं किंतु अब वह उनका अस्पष्ट रूप से पालन कर रहे हैं। 45 वर्षों से वे इस देश पर राज्य करते रहे हैं। आप कच्चे खिलाड़ी हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : क्या कह रहे हैं आप?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि सुनाई नहीं दे रहा है तो ईयरफोन लगा लीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, देश की यही त्रासदी है। जब आपको गरीबी, बेरोजगारी, प्रगति का अभाव तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हमले से निपटने के लिए देश में एकजुटता की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में देश को धर्म, राजनीति के आधार पर बांटा जा रहा है। अत:, यह अभिभाषण और कुछ नहीं अपितु इस देश के लोगों का अपमान है। यह देश के लोगों का मखौला उड़ाया जा रहा है। वे सभी तरह के थोथे वायदे करते हैं, वे शासन हेतु राष्ट्रीय एजेंडा का उल्लेख करते हैं किंतु वे सभी क्षेत्र में असफल सिद्ध हुए हैं।

अब, मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे चल रही है। उद्योग मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि आठ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने शायद अपनी सहमति जता दी है। पश्चिम बंगाल के सांसदों ने अपने राजनीतिक भेदभावों को भुलाते हुए एक स्वर में उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसा होता है तो हजारों श्रमिक बिना किसी अपनी गलती के बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने अनुरोध किया है कि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से चालू बनाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही उनके तरफ से कोई उत्तर आया। अत:, जब हम कुछ कहते हैं तो उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता किंतु जब सहयोगी दल कोई अनुरोध या मांग करते हैं तो शीघ्र एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। फोटोग्राफ आदि छापे जाते हैं। हाल ही में, उनके एक सहयोगी दल के अनुरोध पर इस मुद्दे को तीन महीने के लिए टाल दिया गया। क्या देश इस तरह से चलाया जाता है? क्या यही उनकी राजनीतिक सदाशयता है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस सरकार का प्रयास सिर्फ किसी तरह से सत्ता में बने रहना है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, अभी छ: बज चुके हैं। सभा की बैठक की अवधि बढ़ाई जानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बढ़ायी जा चुकी है। इस पर पहले निर्णय लिया जा चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं जानता हूं कि यह हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री नहीं जानते हैं कि समय बढ़ाया जा चुका है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया था कि यह 8 बजे तक बढ़ाया जा चुका है।

श्री राम नाईक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय प्रात: लिया गया था।

श्री राम नाईक : बैठक की अवधि कब बढ़ाई गई?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न काल के बाद इस पर निर्णय किया गया था।

श्री राम नाईक : किंतु महोदय, सभा की सहमत भी ली जानी है। कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को यहां बताना है। इस सभा के वरिष्ठ नेता, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, को इतना मालूम होना चाहिए कि सभा की सहमति ली जानी है। *...(व्यवधान)* मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह जो कुछ कहना चाहते हैं वह मुझ पर नहीं थोंपे। *...(व्यवधान)* यह तरीका नहीं है। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सभा की सहमति ली जानी है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : जी हां, यह ठीक है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कल भी हमने एक निर्णय किया था।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सदैव किया गया है और यदि प्रक्रिया का पालन किया गया है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यहां पर जो भी फैसला किया गया है या जो भी घोषणा की गई है उसे सभा की सहमति प्राप्त समझा जाता है। कल भी यही बात हुई थी।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति है तो हम कल फिर बैठेंगे क्योंकि 6 बज चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैंने आपत्ति नहीं की है। माननीय सदस्य ने मुझे नहीं समझा है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना है और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सभा को इस बारे में सूचित करूं। मैंने यही किया था। मैंने आपत्ति नहीं की थी। मैं समझता हूं कि मेरी बात ठीक तरह से नहीं समझी गयी। ...*(व्यवधान)*

शरद पवार : हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। आप सिर्फ उनके वक्तव्य में विघ्न डालना चाहते थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, क्या सभा की सहमति 8 बजे तक बैठक करने की है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इसलिए सभा की बैठक 8 बजे तक बढ़ाई जाती है।

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने उनके हस्तक्षेप किए जाने पर अपनी टिप्पणी वापस ले ली है, किंतु मैं इस बात का पता करूंगा क्या सभा की बैठक की अवधि बढ़ाई गई है अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : इसलिए, हम कल बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

श्री शरद पवार : महोदय, इस पर आम राय नहीं है हम कल बैठेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : किंतु मैंने इसका विरोध नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : किंतु सभा में आम राय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : श्री सोमनाथ चटर्जी मेरी बात समझ गए हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अपील कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : नहीं, महोदय उन्होंने एक वरिष्ठ सदस्य पर आपत्ति की है। ..(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैंने आपत्ति नहीं की है। ...*(व्यवधान)* मैंने सिर्फ अपील किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, हमें आपत्ति है, सभा में आम राय नहीं है, इसलिए हम कल बैठेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : किंतु श्री सोमनाथ चटर्जी सहमत हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : नहीं, वह कल बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : किंतु महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। ...*(व्यवधान)* क्या मैं अपना भाषण समाप्त करूं, महोदय? सभा के बैठक की अवधि सायं 6.30 बजे तक बढ़ा दी जाए। मैं इस समय तक अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : ठीक है। हम लोग उनके भाषण की समाप्ति तक बैठेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्यमंत्रणा समिति में हमने निर्णय लिया था, इसी

[उपाध्यक्ष महोदय]

कारण से मैंने दोपहर में 12 या 1 बजे सभा को स्मरण कराया था कि आज से सभा की बैठक 8 बजे तक होने जा रही है। पीठ के द्वारा घोषणा भी की गई थी।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं महोदय, हम इससे सहमत नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : नहीं महोदय, हमने सुना है कि यदि सोमनाथ चटर्जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री से सबक सीखना होगा तो हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। इसलिए, हम कल बैठेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

श्री राम नाईक : मुझे गलत मत समझिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान सिर्फ समय की ओर दिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा।*...(व्यवधान)* मैंने उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान सिर्फ समय की ओर दिलाया। यह मेरा कर्त्तव्य है। विपक्ष के नेता की हैसियत से आपको हमारी मदद करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान समय की ओर दिलाना मेरा कर्त्तव्य है। और मैंने यही किया है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, उन्हीं की भांति मेरा भी कर्त्तव्य एक वरिष्ठ सदस्य के आदर सम्मान की रक्षा करना है। *...(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, विपक्ष के नेता का दावा स्वीकारणीय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा की बैठक की अवधि बढ़ाई जाए अथवा नहीं की ओर पीठ का ध्यान आकृष्ट करे। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय को समय की ओर ध्यान दिलाने मात्र से किसी सदस्य के सम्मान को आघात नहीं पहुंचता है। चाहे वरिष्ठ सदस्य हों या कनिष्ठ सदस्य, सभा के सम्मान के सम्मुख सभी बराबर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कल मैं एक कठिनाई में हूं *...(व्यवधान)* दो और मुद्दे हैं। मैं संक्षिप्त रूप में उनका उल्लेख करता हूं। इनमें से एक भ्रष्टाचार के बारे में राष्ट्रीय एजेन्डा में जो कहा गया है वह है। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा यह अत्यन्त ही जीवन्त मुद्दा बन गया है। मैं पैरा 24 का उद्धरण दे रहा हूं जिसमें कहा गया है:

> "प्रधान मंत्री समेत किसी पर भी लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप से निपटने के लिए हम लोकपाल विधेयक कानून बनाएंगे जिसका अधिकार पर्याप्त व्यापक होंगे। न्याय दिलाने के कार्य में हम अमीर और गरीब अधिकार संपन्न और अधिकार विहीन के बीच भेदभाव नहीं होने देंगे तथा विधि की सर्वोच्चता तथा राज्य की वस्तुनिष्ठता के पुनर्स्थापित करेंगे।"

महोदय, लोकपाल बिल का क्या हुआ? सरकार को इस बिल के बारे में बताना होगा। दूसरी ओर हम सरकार पर नए-नए आरोप लगते हुए देख रहे हैं। वास्तव में इनमें से कुछ उठाए भी गए हैं। अभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं की गई है और वे चर्चा करने से भी बच रहे हैं। महोदय, कुछ न कुछ हुआ है काफी हिचकिचाहट के साथ वे चर्चा करने को तैयार हो गए हैं।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ?

मैं अब राष्ट्रीय एजेंडे के पैराग्राफ 21 को उद्धृत करता हूं:

> "हम स्वीकार करते हैं कि राज्यों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां तथा कार्यों का हस्तान्तरण करने संबंधी स्पष्ट मामला है। हम सरकारिया आयोग की सिफारिशों को देखते हुये सौहार्दपूर्ण केन्द्र-राज्य संबंध सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठायेंगे और पंचायतों और स्थानीय निकायों को सक्रिय बनाकर उन्हें शामिल करके निचले स्तर तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करेंगे।"

महोदय, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके विपरीत, महोदय समुचित केन्द्र-राज्य संबंधों पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। महोदय, उनका चुंनावी सुधार मात्र राज्य द्वारा वित्त पोषित चुनावों के संबंध में है। कामरेड इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हमें उसका सदस्य बनने का सौभाग्य मिला हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की मुझे नहीं मालूम कि यह

रिपोर्ट कब आएगी। यहां तक कि विधेयक परिचालित नहीं किया गया हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार का निर्णय सरकार चुनाव सुधार के बारे में लेंगी जिस पर हम वर्षों से श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री लालकृष्ण आडवाणी से सुन रहे हैं। चुनाव सुधार संबंधी विधान कहा है? वह कहां है? उस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं है।

महोदय, अब प्रसार भारती का क्या हुआ? श्रीमती सुषमाजी, मुझे नहीं मालूम कि यही एक कारण है कि आपको बाहर कर दिया गया।

प्रसार भारती आज माननीय मंत्री के व्यक्तिगत नियंत्रण का मामला बन चुका है। वह कहते हैं कि दूरदर्शन की दो नीति नहीं हो सकती हैं। प्रसार भारती को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने समाचार-पत्रों में देखा है कि बोर्ड के सदस्य प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं वहां चेयरमैन नहीं है अन्य सदस्य भी वहां पूर्णतया नहीं हैं उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसी बीच, हम इलेक्ट्रानिक मीडिया का अत्यधिक दुरुपयोग देख रहे हैं। पूरी तरह से, यह सरकार का प्रसारण नहीं है बल्कि यह भा.ज.पा. के प्रचार तंत्र का प्रसारण बन गया है। बेशक, कुछ नेताओं को कम कर सकते हैं जैसेकि श्रीमती सुषमा स्वराज। वह अधिक नहीं दिखाई देती है जो अपने पसंदीदा क्षेत्र से बाहर हैं। वे बाहर हैं अब यह उनका प्रचार स्कन्ध बन चुका है। आपने देखा होगा कि घटक दलों को भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए समय दिया जा रहा है। इस सरकार की वचनबद्धता क्या है? इस एक वर्ष में उन्होंने राष्ट्रीय एजेण्डे की कौन सी धारा को कार्यान्वित किया है। अभिभाषण की मुख्य बात क्या है?

जैसा मैंने कहा था कि माननीय वित्त मंत्री को इस देश के अत्यंत कम लोगों से शाबासी मिली होगी, जिन्हें इस विश्व की समस्त चीजें मिली गई हैं, परन्तु आम लोगों के द्वारा नहीं मिली हैं। वे उनको धन्यवाद नहीं कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है कि आम आदमी से झुग्गी वाले एवं बेरोजगार लोगों से ''सबसे अच्छे बजट'' के लिए उन्हें कितने तार प्राप्त हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस देश के भविष्य की रक्षा इस विपथन पर नियंत्रण करके एवं बहुरंगी सम्मिश्रण छद्मवेश जैसे कि भारत सरकार से मुक्ति पाकर देश के भविष्य की रक्षा की जा सकती है। जब हम नई सहस्राब्दि में प्रवेश कर रहे हैं, इस देश को समुचित पहल, समुचित दृष्टिकोण एवं उचित समर्पण की आवश्यकता है। यह इस देश की एकता और अखंडता के अनुरक्षण का समर्पण है, इसके अलावा और कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इस देश को इसके संविधान की मूल विशेषताओं, संघवाद, संसदीय प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद पर समर्पण करने की जरूरत है। उनमें से हर एक को अपने राजनैतिक उद्देश्यों हेतु इस सरकार द्वारा रौंदा जा रहा है। अतः यह हमारा कर्त्तव्य है। इस देश के समस्त सही सोच वाले लोगों का कर्त्तव्य है। मैं आश्वस्त हूं कि वे पहले ही व्यक्त कर चुके हैं जैसा कि हम जानते हैं कि इस सरकार के विरुद्ध देश के तीन महत्वपूर्ण राज्यों के जनादेश है यह उचित समय है कि यह सदन स्वयं इस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि कुशासन को आगे जारी नहीं रखा जाएगा तथा यह समाप्त हो जाएगा। अतः मुझे खेद है कि मैं प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं तथा मैं पूरी ताकत से प्रस्ताव का विरोध करता हूं मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग मेरे अच्छे मित्र हैं काफी माननीय मित्र महान देश भक्त हैं परन्तु वे गलत नीति तथा कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। जोकि इस पूरे देश को विभाजित कर रहा है। अतः हमारी बाध्यता यह है जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाया जाए। यह देश के भले के लिये होगा।

श्री शरद पवार : कल तक के लिए सदन की बैठक को स्थगित कर दें।

कुछ माननीय सदस्य : कल ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपनी सीट पर बैठेंगे? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : जिस ढंग से बात हुई, वह बराबर नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं, मुझे कुछ बात कहनी है। आप कृपया बैठ जाएं।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं। हमारे पास समय कम है।

श्री दत्ता मेघे : सदन की बैठक शनिवार को भी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय ले लिया है। यह पहले ही परिचालित किया जा चुका है। हम आठ बजे तक बैठेंगे, कृपया सहयोग करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह परिचालित किया गया तब माननीय मंत्री सही नहीं थे। मैं सही था, परन्तु उन्होंने मुझे अपमानित किया था, जब मैं बोल रहा था उन्होंने मुझे सभा में अपमानित किया था। आप वहां पर नहीं थे।

मंत्री महोदय, कृपया इसे स्वीकार कीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुछ कह रहा हूं।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया था।

श्री मोहन सिंह : परन्तु मंत्री महोदय कुछ और कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, गलती हो सकती है। इसमें क्या है। उन्होंने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा माना जा रहा था कि वह सही था।

श्री शरद पवार : यदि निर्णय पहले ही परिचालित किया जा चुका था तब माननीय मंत्री महोदय को यह बताने की क्या आवश्यकता थी? जब निर्णय पहले ही लिया जा चुका था तब माननीय सदस्य को अवरोध उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मंत्री महोदय ने इस तरह का व्यवहार किया है जैसे कि वह मंत्री नहीं हों।

श्री राम नाईक : मुझे स्पष्ट करने दो। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : ऐसा मंत्री न होकर था।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री रूपचन्द पाल : वह माननीय मंत्री महोदय ही थे जिन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। वह वापस पीछे चले गये हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा करने दें, क्या आप मुझे इस सभा में बोलने देना नहीं चाहते हैं।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : हम फालतू समय में नहीं बोल रहे हैं प्रत्येक दिन यह 6 बजे तय किया जाता है। आप समय बढ़ाने हेतु कह रहे हैं। हम बढ़े हुए समय में नहीं बोल रहे हैं। यदि प्रत्येक दिन सदन के ध्यान में रखकर बढ़ाया जाएगा। हम समय बढ़ाये जाने के खिलाफ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघवन, सदन सर्वोच्च है। मैं सहमत हूं। कार्यमंत्रणा समिति में सभी दलों के सदस्य हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे कार्यमंत्रणा समिति में तय कर चुके हैं यह बुलेटिन के रूप में भी परिचालित किया गया था। जी हां, गलती हुई थी तो क्या हुआ? हरएक से गलती हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसके लिए उन्हें सूली पर नहीं चढ़ा सकते हैं।

अब, श्री यशवंत सिन्हा के विचार सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं यथासंभव चुपचाप कार्यवाही को देख रहा हूं। मेरी जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री सभा की समय सीमा 6 बजे से आगे न बढ़ाकर सदन में कोई अनियमितता नहीं करना चाहते थे। अब क्योंकि इसे परिचालित किया गया था यह एक गलत धारणा है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि कृपया एक-दूसरे के साथ सहयोग करें ...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : कल से, आज से नहीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यह निर्णय सदन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने लिया है जोकि कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य

हैं और सदन ने इस पर पूर्ण सहमति जताई है। इसलिए, अब यदि हमें अभी स्थगित करने के लिए जल्दी से निर्णय लेना पड़े तो हम उस निर्णय के प्रति आदर नहीं रखेंगे। अत: मैं सभी वर्गों, सभी दलों से अपील करता हूं कि कृपया सहयोग करें और जो निर्णय लिया गया है उसको लागू करें। आओ, हम सब इस निर्णय का पालन करें। हम जानते हैं कि हम समय से कुछ पीछे चल रहे हैं। इससे हमें पिछला कार्य पूरा करने और चालू कार्य के बराबर आने में सहायता मिलेगी। इसका निर्णय पहले ही ले लिया गया है। हम सब यह कह रहे हैं कि इस निर्णय को लागू करने में हमें राजी होना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष महोदय, किसी समय विशेष तक बैठने के लिए कार्य मंत्रणा समिति के सर्वसम्मत निर्णय के बारे में दो मत नहीं हैं। मैं कोई भी आपत्ति नहीं उठाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि निर्णय की प्रति सभी सदस्यों को परिचालित की गयी थी। परन्तु माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री 6 बजे खड़े हो गये यद्यपि एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और वह जोर दे रहे थे कि मुझे अनुमति मिल गयी है परन्तु उन्होंने कहा 'नहीं' यह व्यवहार है और हमें सदन की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब तक हमें सदन की स्वीकृति नहीं मिलती, हम ऐसा नहीं कर सकते। तत्पश्चात् मामला उठाया गया। सदन की राय है कि सर्वसम्मति नहीं है और न ही स्वीकृति है। यदि संसदीय कार्य मंत्री ने यह आपत्ति न उठाई होती तो शायद वहां पर कोई समस्या न होती। उन्होंने समस्या को उठाया है क्योंकि सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया है और सदन में इस विषय में सर्वसम्मति नहीं है, हम कल मिलेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, यदि विपक्ष के नेता नहीं चाहते कि सदन की कार्यवही चलती रहे तो ठीक है यह उनका अधिकार है। परन्तु कल भी जब सदन के कार्यावधि को 7 बजे तक बढ़ाया गया था और इसे 8 बजे तक किया गया था तो सदस्यों ने कहा था कि वे कार्य नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सदन की बैठक स्थगित की गई थी। इसलिए मैं अपनी ओर से उचित समझता था कि 6 बजे की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाए - यह परम्परा है - सदन में हमेशा इस परम्परा का पालन किया जाता है - यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति इस संबंध में निर्णय लेती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसलिए मैंने सोचा कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि आपका ध्यान आकर्षित किया जाए और ऐसा मैंने किया है *...(व्यवधान)* बाद में जो कुछ भी सोमनाथ चटर्जी ने कहा मैंने उस पर टिप्पणी की। उस समय वे भी संतुष्ट थे कि ऐसा किया जाना चाहिए। क्या अब समाचार में परिचालन के बाद अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि ध्यान आकर्षित किया जाए। अब आप यह निर्णय करें कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहरहाल मैंने इस पर सहमति बना ली है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सदन बैठक के पक्ष में नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं मूवर ऑफ दि मोशन के नाते अपील करना चाहती हूं। जो कुछ भी घटा है उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूं। इस बहस को आठ घंटे अलॉट किए गये हैं। यह तय किया गया है कि कल तीन बजे तक चर्चा समाप्त हो जाए। मैं नेता विपक्ष से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो कुछ बदमगजी पैदा हो गयी उसको नजरअंदाज करें और इस बहस को चलने दें, जिससे कल तीन बजे तक यह चर्चा समाप्त हो सके और सोमवार को प्रधान मंत्री जी रिप्लाई कर सकें।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, आपको हमारी कठिनाई समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कठिनाई यह है कि हमारी धारणा यह थी कि निर्णय लेने और निर्णय को परिचालित करने के बाद इस विशेष मामले को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह मामला संसदीय कार्य मंत्री ने उठाया था। केवल यह ही नहीं माननीय सदस्यों को कुछ निर्देशन भी दिया गया कि उन्हें इसे सीखना चाहिए, यद्यपि इन्हीं शब्दों में नहीं था परन्तु यह कहते हुए कि संसदीय कार्य में 32 वर्ष बीत जाने के बाद हमें नियम और अन्य बातों को सीखने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। इसलिए यह बेहतर है कि अब सदन को स्थगित किया जाए।

श्री राम नाईक : महोदय, यदि विपक्ष के नेता 6 बजे के बाद काम नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मुझे एक घोषणा करनी है।

सायं 6.26 बजे

सभा के बारे में उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे इस सदन को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति की आज हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

(एक) शुक्रवार, 12 मार्च, 1999 के लिए निर्धारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को बुधवार 17 मार्च, 1999 को अंतरित किया जाए; और

(दो) सदन की बैठक शनिवार, 13 मार्च, 1999 को भी होगी ताकि रेल बजट 1999-2000 पर चर्चा में और अधिक सदस्य भाग ले सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभा इससे सहमत है।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, हमने इसे स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक, 12 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 मार्च, 1999/21 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।